



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
वस्तु एवं सेवा कर पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए



मध्य प्रदेश शासन
2025 का प्रतिवेदन संख्या 8
(सिविल)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
वस्तु एवं सेवा कर पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

मध्य प्रदेश शासन
2025 का प्रतिवेदन संख्या 8
(सिविल)

विषय सूची

कंडिका क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
	प्राक्कथन	iii
	कार्यकारी सारांश	v-viii
अध्याय 1: सामान्य		
1.1	इस रिपोर्ट के बारे में	1
1.2	मध्य प्रदेश में अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति	1
1.3	संगठनात्मक संरचना (मध्य प्रदेश)	2
1.4	एसजीएसटी राजस्व के रुझान	2
1.5	राजस्व का बकाया और कर निर्धारण का बकाया	2
1.6	अभिस्वीकृति	3
अध्याय II: “वस्तु एवं सेवा कर के तहत ई-वे बिल प्रणाली” पर निष्पादन लेखापरीक्षा		
2.1	ई-वे बिलों का परिचय	5
2.2	राजस्व के संरक्षण में ईडब्ल्यूबी प्रणाली की प्रभावशीलता	9
2.3	विभाग के प्रवर्तन कार्य	19
2.4	निष्कर्ष और अनुशंसाएँ	32
अध्याय III: “वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान एवं विवरणियाँ दाखिल किए जाने पर विभाग की निगरानी (चरण-II)” पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा		
3.1	परिचय	36
3.2	लेखापरीक्षा उद्देश्य	36
3.3	लेखापरीक्षा पद्धति और कार्यक्षेत्र	37
3.4	लेखापरीक्षा नमूना	37
3.5	लेखापरीक्षा मानदंड	39
3.6	लेखापरीक्षा निष्कर्षों की व्यापक श्रेणियाँ	39
3.7	निष्कर्ष	61
3.8	अनुशंसाओं का सारांश	63
परिशिष्ट		65
संक्षिप्त रूपों की शब्दावली		171

प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष का यह प्रतिवेदन राज्य विधान सभा में रखे जाने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अधीन मध्य प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में “वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत ई-वे बिल प्रणाली” पर निष्पादन लेखापरीक्षा और “वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान एवं विवरणियाँ दाखिल किए जाने पर विभाग की निगरानी (चरण-II)” पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा पर लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम समाविष्ट हैं। लेखापरीक्षा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत संपादित की गई है।

इस प्रतिवेदन में वे प्रकरण उल्लिखित हैं, जो वर्ष 2022-23 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा के क्रम में देखे गए, साथ ही वे प्रकरण भी जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आए किन्तु पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उन्हें प्रतिवेदित नहीं किया जा सका; वर्ष 2022-23 के आगे की अवधि के प्रकरण भी, जहाँ आवश्यक था, सम्मिलित किए गए हैं।

लेखापरीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

I सामान्य

इस रिपोर्ट में “वस्तु एवं सेवा कर के तहत ई-वे बिल प्रणाली” पर निष्पादन लेखापरीक्षा और “वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान एवं विवरणियाँ दाखिल किए जाने पर विभाग की निगरानी” (चरण- II) पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं, जो सीएजी के डीपीसी एक्ट, 1971 के तहत किए गए थे।

(कंडिका 1.1)

एसजीएसटी राजस्व 2018-19 में ₹ 18,508.49 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में ₹ 23,396.79 करोड़ हो गया, जिसमें कोविड-19 के कारण 2020-21 में 15.6 प्रतिशत की गिरावट और 2021-22 में 27.6 प्रतिशत की तेज बढ़ोतरी देखी गई।

(कंडिका 1.4)

31 मार्च 2023 तक, राजस्व का बकाया ₹ 2,050.91 करोड़ (₹ 4.77 करोड़ पाँच साल से ज्यादा पुराना) था और 7,183 असेसमेंट केस लंबित थे।

(कंडिका 1.5)

II वस्तु एवं सेवा कर के तहत इ-वे बिल प्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने ईडब्ल्यूबी प्रणाली की प्रभावशीलता की समीक्षा की और पाया कि नॉन-फाइलर्स द्वारा 179 ईडब्ल्यूबी (₹ 13.57 करोड़) और निरंक-फाइलर्स द्वारा 405 ईडब्ल्यूबी (₹ 3.48 करोड़) सृजित किए गए, जिसमें ₹ 0.94 करोड़ का कर शामिल था, जो ईडब्ल्यूबी और रिटर्न दाखिल करने की प्रणाली के बीच संबंध की कमी को दर्शाता है।

(कंडिका 2.2.2.1-2.2.2.2)

तीन कंपोजिशन करदाता ने छह अंतर-राज्यीय ईडब्ल्यूबी सृजित किए, जिससे ₹ 3.85 लाख कर की कम वसूली हुई, जबकि एक निरस्त किए गए करदाता ने निरंक विवरणी दाखिल करने के बावजूद 271 ईडब्ल्यूबी (₹ 0.76 करोड़) सृजित किए, जो सत्यापन जांच की कमी को दर्शाता है।

(कंडिका 2.2.2.3-2.2.2.4)

सात करदाताओं ने एक ही /समान बीजक पर 77 ईडब्ल्यूबी सृजित किए, जिसके कारण ₹ 3.68 करोड़ के टर्नओवर की अंडर-रिपोर्टिंग हुई और ₹ 52.14 लाख कर का कम भुगतान हुआ।

(कंडिका 2.2.2.5)

तीन करदाताओं ने 12 ईडब्ल्यूबी (₹ 1.17 करोड़) सृजित किए, जिनकी जानकारी जीएसटीआर-1/3बी में नहीं दी गई, जिससे ₹ 20.62 लाख के कर का कम भुगतान हुआ।

(कंडिका 2.2.2.6)

दोपहिया, कबाड़, चोरी और यात्री वाहनों का इस्तेमाल करके नौ ईडब्ल्यूबी बनाए गए, जो सामान की काल्पनिक आवाजाही का संकेत देते हैं। वाहन डेटाबेस के साथ वाहन विवरण सत्यापित करने के लिए फ़िल्ड फॉर्मेशन, एंटी-इवेजन ब्यूरो और परिवहन विभाग के बीच समन्वय की कमी थी।

(कंडिका 2.2.2.7)

ईडब्ल्यूबी बिना पंजीकरण के ग्रेशहोल्ड सीमा से अधिक के अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सृजित किए गए थे, और असामान्य उच्च-मूल्य वाले ईडब्ल्यूबी को संबंधित कर भुगतान द्वारा समर्थित नहीं किया गया था।

(कंडिका 2.2.2.8-2.2.2.9)

कुछ करदाता जीएसटी रिटर्न दाखिल किए बिना ईडब्ल्यूबी सृजित कर रहे हैं, जो प्रणाली सत्यापन में कमी को दर्शाता है।

(कंडिका 2.2.2.10)

विश्लेषण से करदाताओं के एक समूह के बीच ₹ 2.92 करोड़ के टर्नओवर का पता चला, जो प्रणाली में रिस्क फ्लैग की अनुपस्थिति को दर्शाता है।

(कंडिका 2.2.2.11)

इंटरसेप्शन डेटा से पता चला कि रिस्क पैरामीटर उपलब्ध होने के बावजूद, बहुत कम चलते हुए वाहनों की जाँच की गई।

(कंडिका 2.3.1.1)

माल का परिवहन वैध ईडब्ल्यूबी के बिना या व्यपगत वैधता के साथ किया गया था जो चेक प्वाइंट पर कमजोर प्रवर्तन को दर्शाता है।

(कंडिका 2.3.1.2 एवं 2.3.1.4)

150 ईडब्ल्यूबी -03 बुक किए गए मामलों में, डीआरसी-07 केवल कुछ मामलों में जारी किया गया और वसूली भी कम रही, जो कमजोर अनुवर्ती कार्रवाई को दर्शाता है।

(कंडिका 2.3.1.12)

रद्द किए गए करदाताओं या बार-बार शून्य रिटर्न दाखिल करने वालों द्वारा ईडब्ल्यूबी सृजन को रोकने के लिए सिस्टम के पास कोई तंत्र नहीं था। लेखापरीक्षा ने ईडब्ल्यूबी और जीएसटी रिटर्न प्रणाली के एकीकरण, नॉन-फाइलर/ रद्द किए गए करदाताओं के लिए ऑटो-ब्लॉकिंग, वाहन डेटाबेस के साथ लिंक करने और निवारक प्रवर्तन को मजबूत करने की अनुशंसा की।

(कंडिका 2.4)

अनुशंसाएं

- विभाग एनआईसी के साथ इस मामले को उठा सकता है और करदाता के साथ-साथ कर अधिकारी को शून्य रिटर्न दाखिल करने के मामले में ईडब्ल्यूबी उत्पन्न करने का संकेत देने के लिए चेतावनी संदेश उत्पन्न करने के लिए प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण को शामिल करने पर विचार कर सकता है।

- विभाग रद्द किए गए करदाताओं द्वारा ईडब्ल्यूबी के सृजन को रोकने के लिए प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण को शामिल करने के लिए एनआईसी के साथ मामला उठा सकता है।
- विभाग एक ही बीजक के साथ कई ईडब्ल्यूबी के सृजन को रोकने के लिए ईडब्ल्यूबी प्रणाली में एक सत्यापन नियंत्रण को शामिल करने के लिए एनआईसी के साथ मामला उठा सकता है।
- विभाग असामान्य रूप से उच्च मूल्य वाले करदाता और विभागीय अधिकारी को ईडब्ल्यूबी पर सचेत करने के लिए प्रणाली में एक नरम नियंत्रण को शामिल करने पर विचार करने के लिए एनआईसी के साथ मामला उठा सकता है।
- विभाग को विभागीय अधिकारियों द्वारा विश्लेषणात्मक रिपोर्टों के उपयोग के लिए अनुदेश जारी करने और आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से इसकी निगरानी करने की आवश्यकता है।
- विभाग अधिनियम/ नियमों में उपयुक्त प्रावधान करने पर विचार कर सकता है और ईडब्ल्यूबी के सृजन से बचने के लिए बीजक के विभाजन को रोकने के लिए उपयुक्त अनुदेश जारी कर सकता है।
- विभाग पहले से पंजीकृत करदाताओं के विरुद्ध अस्थायी पंजीकरण के सृजन को रोकने के लिए और पंजीकृत करदाता के संबंध में उनके पंजीकृत जीएसटीआईएन पर मांग पैदा करने के लिए प्रणाली में सत्यापन कराने के लिए जीएसटीएन के साथ उठा सकता है, जिसका अधिकार क्षेत्र अन्य राज्यों के पास निहित है।
- विभाग को प्रावधानों के अनुसार निर्धारण योग्य मूल्य में माल भाड़ा शुल्क को शामिल करने के लिए निर्देश जारी करने की आवश्यकता है।
- विभाग प्रावधानों के अनुसार सही कर और जुर्माना लगाने के लिए समुचित अधिकारियों को निर्देश जारी करने पर विचार कर सकता है।

(कंडिका 2.4.2)

III “वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान एवं विवरणियाँ दाखिल किए जाने पर विभाग की निगरानी (चरण-II)” पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने 10 वृत्तों के निरीक्षण कार्यों की समीक्षा की और 7,942 नॉन-फाइलर्स पाए गए; 9,076 प्रकरणों में जीएसटीआर-3ए जारी किया गया, लेकिन केवल 410 प्रकरणों (₹ 8.59 करोड़) में सर्वश्रेष्ठ निर्णय मूल्यांकन किया गया, जो कमजोर प्रवर्तन को दर्शाता है।

(कंडिका 3.6.1.1)

10 में से आठ वृत्तों ने 2017-18 से 2020-21 तक विवरणियों की कोई जांच नहीं की और जहाँ किया गया, केवल प्रारंभिक नोटिस जारी किए गए।

(कंडिका 3.6.1.2)

जीएसटी लागू होने के छह साल बाद भी कोई विभागीय लेखपरीक्षा नहीं किया गया; लेखपरीक्षा के लिए एसओपी फरवरी 2023 में ही जारी किया गया था।

(कंडिका 3.6.1.3)

डीजीएआरएम के 40 प्रकरणों में से केवल 12 का सत्यापन किया गया था, 19 प्रकरणों में कार्रवाई लंबित थी और दो प्रकरणों में ₹ 0.74 करोड़ की वसूली की गई थी।

(कंडिका 3.6.1.4)

निरस्तीकरण के 32,123 प्रकरणों में से 10,019 लंबित थे; एक वृत्त में 1,011 चिन्हित प्रकरणों में से किसी पर भी कार्रवाई नहीं की गई।

(कंडिका 3.6.1.5)

निरस्त किए गए 14,105 करदाताओं में से केवल 1,009 ने जीएसटीआर-10 दाखिल किया; केवल 1,878 में कार्रवाई की गई और 11,137 (85 प्रतिशत) को बिना अनुवर्ती कार्यवाही के छोड़ दिया गया। पंजीकरण निरस्त करने के बाद रिटर्न फाइलिंग अनुपालन की निगरानी करने के लिए कोई तंत्र नहीं था।

(कंडिका 3.6.1.6)

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा ने ₹ 11,401.74 करोड़ के 652 उच्च जोखिम वाले विचलन को चिह्नित किया, जिनमें से 394 आईटीसी/ कर देयता मिसमैच (₹ 1,636.01 करोड़) और 36 टर्नओवर मिसमैच (₹ 6,382.04 करोड़) की पुष्टि की गई। जीएसटीआर-2ए और 3बी के बीच आईटीसी मिसमैच की उच्च घटनाएं, अपूर्ण देनदारियां, बिना कर भुगतान के आईटीसी पास किया गया और टर्नओवर को छिपाया गया।

(कंडिका 3.6.2)

70 करदाताओं के विस्तृत लेखापरीक्षा से पता चला कि पांच क्षेत्रों द्वारा ₹ 4,899 करोड़ के विचलन वाले अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया। लेखापरीक्षा ने 15 प्रकरणों (₹ 0.50 करोड़) में ब्याज का कम भुगतान, 323 प्रकरणों में आईटीसी मिसमैच (₹ 4,384.01 करोड़) और 148 प्रकरणों (₹ 514.99 करोड़) में कर देयता मिसमैच पाया। संवीक्षा और लेखापरीक्षा निष्कर्षों के अनुपालन की निगरानी करने लिए कोई समयबद्ध तंत्र मौजूद नहीं था। एमआईएस रिपोर्ट और जांच के लिए करदाताओं के जोखिम-आधारित चयन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं किया जा रहा था।

(कंडिका 3.6.3)

अनुशंसाएं

विभाग

- प्रकरणों के समयबद्ध होने से पहले समयबद्ध तरीके से विवरणियों की जांच सुनिश्चित कर सकता है।
- पंजीकरण रद्द करने की स्थिति की निगरानी और अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उन पर की गई कार्रवाई की निगरानी कर सकता है ताकि अमुक्त कर देनदारियों को रोका जा सके।
- इस रिपोर्ट में सामने आए सभी अनुपालन विचलनों के लिए समय-सीमा से पहले उपचारात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता है।

(कंडिका 3.8)

अध्याय I

सामान्य

अध्याय I

सामान्य

1.1 इस प्रतिवेदन के बारे में

इस प्रतिवेदन में “वस्तु एवं सेवा कर के तहत ई-वे बिल प्रणाली” विषय पर निष्पादन लेखा परीक्षा और “जीएसटी भुगतान और रिटर्न फाइलिंग पर विभाग की निगरानी (चरण-II)” पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में बताए गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं। लेखापरीक्षा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के तहत आयोजित की गई है।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों को राज्य विधानमंडल के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा टिप्पणियों से कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्रवाई करने, उचित नीतियां बनाने के साथ-साथ निर्देश जारी करने में सक्षम बनाने की उम्मीद है जिससे संगठनों के वित्तीय प्रबंधन में सुधार होगा और बेहतर शासन में योगदान मिलेगा।

इस प्रतिवेदन में लेखापरीक्षा अवलोकन संबंधित शासकीय विभागों द्वारा लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध कराए गए अभिलेखों की परीक्षण जांच के परिणामों पर आधारित हैं।

1.2 मध्य प्रदेश में अप्रत्यक्ष करों की प्रकृति

इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के उद्ग्रहण और संग्रहण से संबंधित मुद्दों को शामिल किया गया है।

(क) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)

- 01 जुलाई 2017 से प्रभावी।
- मध्य प्रदेश में वैट, प्रवेश कर, विलासिता कर, मनोरंजन कर आदि सहित केंद्र और राज्यों के अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया है।
- पेट्रोलियम उत्पाद (कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, एचएसडी, पेट्रोल, एटीएफ) जीएसटी से बाहर रहेंगे। तंबाकू पर जीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क दोनों लगता है।
- उपभोग आधारित कर - राजस्व उस राज्य को प्राप्त होता है जहां वस्तुओं/ सेवाओं का उपभोग किया जाता है।
- जीएसटी मुआवजा उपकर निर्दिष्ट वस्तुओं (जैसे, तंबाकू, कोयला, मोटर वाहनों) पर लगाया जाता है।

मध्य प्रदेश के लिए प्रासंगिक तीन घटक:

- केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी): केंद्र सरकार को जाता है।
- राज्य जीएसटी (एसजीएसटी): राज्य के भीतर आपूर्ति पर मध्य प्रदेश सरकार को प्राप्त होता है।
- एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी): अंतर-राज्य आपूर्ति/ आयात पर लगाया जाता है; जीएसटी परिषद के फॉर्मूले के अनुसार केंद्र और मध्य प्रदेश के बीच बांटा गया है।

(ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (मध्य प्रदेश के संदर्भ में)

केवल पांच पेट्रोलियम उत्पादों और तंबाकू उत्पादों पर जारी है।

संघ द्वारा लगाया जाता है, लेकिन यह मध्य प्रदेश को प्रभावित करने वाले समग्र अप्रत्यक्ष कर वातावरण का हिस्सा है।

(c) सेवा कर (पूर्ववर्ती कर)

जुलाई 2017 से पहले कर योग्य क्षेत्र में प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लागू।

मध्य प्रदेश में संग्रह अवशिष्ट/ विरासत प्रकृति का है, जिसमें मुख्य रूप से विवादों की वसूली, न्यायनिर्णयन और विवादों के निपटान शामिल है।

1.3 संगठनात्मक संरचना (मध्य प्रदेश)

राज्य सरकार (वाणिज्यिक कर विभाग, मध्य प्रदेश)

प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग शासकीय स्तर पर विभाग का प्रशासनिक प्रमुख होता है। वाणिज्यिक कर आयुक्त विभाग का प्रमुख होता है। वाणिज्यिक कर विभाग, वाणिज्यिक कर आयुक्त के समग्र नियंत्रण में कार्य करता है, जिसे अधिनियम के अंतर्गत सौंपे गए कार्यों के निर्वहन में अतिरिक्त वाणिज्यिक कर आयुक्त, उप आयुक्त, सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर अधिकारी, सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी तथा वाणिज्यिक कर निरीक्षक सहयोग प्रदान करते हैं।

1.4 एसजीएसटी राजस्व के रुझान

राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) राज्य के स्वयं के कर राजस्व का सबसे बड़ा घटक है। इसकी विकास प्रवृत्ति राज्य के आर्थिक स्वास्थ्य का एक प्राथमिक संकेतक है। **तालिका 1.1** वित्तीय वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2022-23 तक एसजीएसटी राजस्व की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 1.1: मध्य प्रदेश में एसजीएसटी राजस्व में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	एमपी एसजीएसटी कुल राजस्व	विकास (%)
2018-19	18,508.49	-
2019-20	20,447.78	(+) 10.5%
2020-21	17,257.50	(-) 15.6%
2021-22	22,028.52	(+) 27.6%
2022-23	23,396.79	(+) 6.2%

(स्रोत: संबंधित वर्षों के राज्य वित्त लेखे)

जैसा कि तालिका से स्पष्ट है, वित्त वर्ष 2019-20 में 10.5 प्रतिशत की मध्यम वृद्धि के बाद, वित्त वर्ष 2020-21 में एसजीएसटी राजस्व में 15.6 प्रतिशत की महत्वपूर्ण गिरावट का सामना करना पड़ा। यह संकुचन मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी और संबंधित लॉकडाउन के कारण हुए आर्थिक व्यवधान के कारण था।

अगले वर्ष, वित्त वर्ष 2021-22 में राजस्व में 27.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ तेज, वी-आकार की रिकवरी देखी गई। यह उच्च वृद्धि पिछले वर्ष के निम्न आधार और आर्थिक गतिविधि और खपत में मजबूत पुनरुद्धार दोनों के कारण है। वित्त वर्ष 2022-23 में 6.2 प्रतिशत की स्वस्थ वृद्धि के साथ विकास की प्रवृत्ति स्थिर हो गई, जिससे राज्य के लिए एक उच्च राजस्व आधार स्थापित हुआ।

1.5 राजस्व का बकाया और कर निर्धारण का बकाया

राजस्व का बकाया सरकार को देय राजस्व की प्राप्ति में विलंब का संकेत देता है। इसी प्रकार, मूल्यांकन के बकायों से संभावित राजस्व का पता चलता है जो विलंबित मूल्यांकन के कारण अवरुद्ध हो गया है। दोनों राज्य को संभावित राजस्व प्राप्तियों से वंचित करते हैं और अंततः राजस्व घाटे को प्रभावित करते हैं।

राजस्व का बकाया

31 मार्च 2023 तक, एसजीएसटी के संबंध में राजस्व का बकाया ₹ 2,050.91 करोड़ था, जिसमें से ₹ 4.77 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे (स्रोत: 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के सीएजी की राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, मध्य प्रदेश सरकार (जीओएमपी))।

मूल्यांकन का बकाया

वर्ष की शुरुआत में लंबित मामलों की संख्या, मूल्यांकन के लिए देय मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों और वर्ष के अंत में अंतिम रूप देने के लिए लंबित मामलों की संख्या की जानकारी नीचे तालिका 1.2 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.2: मूल्यांकन में बकाया

2022-23 की शुरुआत में लंबित मामले	2022-23 के दौरान आकलन के लिए देय नए मामले	मूल्यांकन के लिए देय कुल मामले	2022-23 के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में शेष राशि	निपटान का प्रतिशत
10,062	14,543	24,605	17,422	7,183	70.81

(स्रोत: 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के सीएजी की राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जीओएमपी)

1.6 अभिस्वीकृति

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), मध्य प्रदेश, विभाग की लेखापरीक्षा के दौरान राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रदान किए गए सहयोग और सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है।

अध्याय II

“वस्तु एवं सेवा कर के तहत ई-वे बिल
प्रणाली” पर निष्पादन लेखापरीक्षा

अध्याय II

“वस्तु एवं सेवा कर के तहत ई-वे बिल प्रणाली” पर निष्पादन लेखापरीक्षा

2.1 ई-वे बिलों का परिचय

वस्तु एवं सेवा कर को 01 जुलाई 2017 से पूरे देश में कर संरचना में एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू किया गया, जिससे राज्यों के बीच वस्तुओं की निर्बाध आवाजाही सुगम हुई। ई-वे बिल (ईडब्ल्यूबी) वस्तु की आवाजाही के लिए आवश्यक दस्तावेज है और इसे वस्तु स्थानांतरित करने से पहले वस्तु का विवरण प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सम्पूर्ण प्रक्रिया का स्वचालन एवं मानकीकरण कर चोरी पर अंकुश लगाने तथा जीएसटी संग्रह को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से किया गया था। ई-वे बिल की परिकल्पना सरकार-निगरानी आधारित कर प्रशासन मॉडल से करदाता द्वारा स्व-घोषणा आधारित मॉडल की ओर परिवर्तन के रूप में की गई है।

ईडब्ल्यूबी को 01 अप्रैल 2018 से ₹ 50,000 से अधिक मूल्य के वस्तु की सभी अंतर-राज्यीय आवाजाही के लिए शुरू किया गया था। ईडब्ल्यूबी को ₹ 50,000 से अधिक मूल्य की अधिसूचित वस्तुओं के राज्य के भीतर आवागमन के लिए 25 अप्रैल 2018 से ई-वे बिल अनिवार्य कर दिया गया¹।

2.1.1 ईडब्ल्यूबी के लिए उपयोग की जाने वाली सूचना प्रणाली

ईडब्ल्यूबी कॉमन पोर्टल को कर्नाटक में स्थित राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने विकसित और प्रबंधित किया है। पोर्टल को आपूर्ति के संबंध में या आपूर्ति के अलावा अन्य कारणों से या किसी अपंजीकृत व्यक्ति से आवक आपूर्ति के कारण वस्तु की आवाजाही के बारे में जानकारी अपलोड करने के लिए विकसित किया गया था।

समुचित अधिकारी² ई-वे बिल पोर्टल तक दो माध्यमों से पहुंच प्राप्त कर सकता है:

- (i) प्रदान किए गए लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके वेब ब्राउज़र के माध्यम से ईडब्ल्यूबी कॉमन पोर्टल में लॉग इन करना या
- (ii) जीएसटी ईडब्ल्यूबी सिस्टम मोबाइल ऐप में लॉग इन करना। समुचित अधिकारी द्वारा किए जाने वाले कार्यों में ईडब्ल्यूबी का सत्यापन, ईडब्ल्यूबी को अनब्लॉक करना, एमआईएस रिपोर्ट देखना और उन तक पहुंचना आदि शामिल हैं।


2.1.2 ई-वे बिल प्रणाली में शामिल प्रक्रियाएँ

राज्य वस्तु एवं सेवा कर नियम (एसजीएसटी नियम), 2017 (समय-समय पर संशोधित) के नियम 138 में ईडब्ल्यूबी क्रियाविधि का प्रावधान है। ईडब्ल्यूबी प्रणाली में विभिन्न प्रक्रियाएँ शामिल हैं जैसे पोर्टल में आवश्यक व्यक्तियों का नामांकन, ईडब्ल्यूबी बनाना, बने हुए ईडब्ल्यूबी का विस्तार, निरस्त करना और अस्वीकृति आदि। जीएसटी के तहत ईडब्ल्यूबी प्रणाली की पूरी प्रक्रिया प्रवाह को चित्र 2.1 में दर्शाया गया है।

¹ अधिसूचना सं. एफए 3-08/2018/1/वी/43 दिनांक 24 अप्रैल 2018।

² समुचित अधिकारी एक ऐसा अधिकारी होता है जिसे एसजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत कोई भी कार्य करने के लिए सौंपा जाता है।

चित्र 2.1: ईडब्ल्यूबी क्रियाविधि – प्रक्रिया फ्लो चार्ट



2.1.3 विभाग की संगठनात्मक संरचना

मध्य प्रदेश सरकार का वाणिज्यिक कर विभाग राज्य में जीएसटी का संचालन कर रहा है। आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग का प्रमुख होता है। करदाता सेवाओं के कार्यों और प्रवर्तन कार्यों के संबंध में विभाग की संगठनात्मक संरचना चित्र 2.2 में दर्शाई गई है।

चित्र 2.2: विभाग की संगठनात्मक संरचना



(स्रोत: मध्य प्रदेश वाणिज्यिक कर विभाग की वेबसाइट)

आपूर्ति के लिए बनाए गए ईडब्ल्यूबी को आमतौर पर सामान्य और कंपोजिशन करदाताओं द्वारा क्रमशः रिटर्न जीएसटीआर-1³ और जीएसटीआर-4⁴/ जीएसटी-सीएमपी-08⁵ में दर्शाया जाता है और रिटर्न की जांच के समय प्रत्येक सर्कल के तहत सर्कल अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक होता है। कमिश्नरेंट में, छह समर्पित निरोधक संरचनाएं/ प्रवर्तन संरचनाएं हैं जिन्हें एंटी इवेजन ब्यूरो (एईबी) के रूप में जाना जाता है जो ईडब्ल्यूबी के सत्यापन सहित व्यापक अपवंचन-रोधी कर्तव्यों का पालन करते हैं।

³ सामान्य करदाता द्वारा दाखिल किए जाने वाला मासिक रिटर्न।

⁴ कंपोजिशन लेवी स्कीम (सीएलएस) करदाता द्वारा दाखिल किया जाने वाला वार्षिक विवरण।

⁵ सीएलएस करदाता द्वारा दायर त्रैमासिक विवरण।

2.1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य, मानदंड, कार्यक्षेत्र और नमूना चयन पद्धति

2.1.4.1 लेखापरीक्षा उद्देश्य

जीएसटी के तहत ईडब्ल्यूबी प्रणाली पर यह निष्पादन लेखापरीक्षा, यह सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की गई थी:

- क्या ईडब्ल्यूबी तंत्र सरकार के राजस्व हितों की रक्षा करने में प्रभावी है:
- क्या ईडब्ल्यूबी प्रावधानों को लागू करने में विभाग की निरोधक /प्रवर्तन गतिविधियां कुशल और प्रभावी हैं।

2.1.4.2 लेखापरीक्षा मानदंड

ईडब्ल्यूबी प्रणाली के निष्पादन का आकलन करने के लिए मानदंड निम्नलिखित से प्राप्त किए गए;

- मध्य प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (एमपीजीएसटी अधिनियम),
- मध्य प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 (एमपीजीएसटी नियम),
- जीएसटी परिषद द्वारा प्राधिकृत और वाणिज्यिक कर विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा जारी अधिसूचनाएं/ परिपत्र/ अनुदेश,
- एनआईसी और वाणिज्यिक कर विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा जारी परामर्श/ मानक संचालन प्रक्रियाएं।

2.1.4.3 लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र

ईडब्ल्यूबी पोर्टल में पंजीकृत व्यक्तियों के 01 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2022 के बीच की अवधि से संबंधित ईडब्ल्यूबी संव्यवहार लेखापरीक्षा में शामिल किए गए। लेखापरीक्षा अवधि के लिए तैयार किए गए ईडब्ल्यूबी डेटा को वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) से लिया गया है और उनका विश्लेषण किया गया है। इस लेखापरीक्षा के लिए केवल सड़क मार्ग से वाहनों की आवाजाही पर विचार किया गया है। रेलवे/ वायुमार्ग/ समुद्री ईडब्ल्यूबी को इस लेखापरीक्षा के दायरे से बाहर रखा गया है।

लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में ईडब्ल्यूबी के संदर्भ में विभाग के निरोधक कार्यों का मूल्यांकन भी शामिल है, जैसे वाहनों का अवरोधन, दस्तावेजों का सत्यापन, वस्तु का निरीक्षण और उसके लिए की गई कार्रवाई।

2.1.4.4 लेखापरीक्षा नमूना चयन और कार्यप्रणाली

इस निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए एक समस्या-केंद्रित दृष्टिकोण का प्रयास किया गया है क्योंकि जीएसटी के तहत ईडब्ल्यूबी जनरेशन श्रेणहोल्ड सीमा के अधीन वस्तु की किसी भी आवाजाही से पहले एक आवश्यक शर्त है। लेखापरीक्षा उद्देश्य-1 के लिए नमूने, पहचाने गए प्रमुख समस्या क्षेत्रों (केपीए) / जोखिम आयामों के आधार पर तैयार किए गए थे। सरकार के लिए राजस्व प्राप्ति को बाधित करने वाले केपीए **परिशिष्ट 2.1** में दिए गए हैं। 16 करदाता सेवा सर्किलों में 26 करदाताओं से संबंधित कुल 80 ईडब्ल्यूबी को⁶ लेखापरीक्षा उद्देश्य-1 के नमूने के रूप में लिया गया था। जहां भी 26 करदाताओं के

⁶ सर्किल-1,3,4,5,6 भोपाल, मुँना, पीथमपुर और सर्किल-1,5,8,9,10,11,12,13,15 इंदौर।

चयनित नमूनों में विसंगतियां देखी गईं, अनुपालन को सत्यापित करने के लिए इन करदाताओं द्वारा सृजित किए गए सभी ईडब्ल्यूबी की जांच की गई।

लेखापरीक्षा उद्देश्य-2 में प्रवर्तन/ निरोधक गतिविधियों से जुड़ी समस्याओं का मूल्यांकन किया गया है, जैसे कि परिचालन तैयारी, अपवंचन रोधी उपायों की प्रभावशीलता और विभाग के अंदर और अंतर-विभाग समन्वय। लेखापरीक्षा उद्देश्य-2 के लिए संयुक्त आयुक्त (एंटी इवेजन ब्यूरो) के छह कार्यालयों में से 50 प्रतिशत कार्यालयों, यानी तीन कार्यालयों को⁷ एक स्तरीकृत नमूना पद्धति का उपयोग करके नमूने के रूप में लिया गया था। तीन कार्यालयों से, 150 ईडब्ल्यूबी-03-पार्ट बी⁸ बुक किए गए मामलों को स्तरीकृत नमूना पद्धति का उपयोग करके विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए लिया गया था।

2.1.5 आभार

05 जून 2023 को प्रमुख सचिव और आयुक्त, वाणिज्यिक कर के साथ एक आगम सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मानदंड, कार्यप्रणाली और नमूनों पर चर्चा की गई। लेखापरीक्षा जुलाई 2023 से जनवरी 2024 के बीच आयोजित किया गया था। निर्गम सम्मेलन 12 सितंबर 2024 को आयोजित किया गया था जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर वाणिज्यिक कर आयुक्त के साथ विस्तार से चर्चा की गई थी। निर्गम सम्मेलन के दौरान विभाग के विचारों/टिप्पणियों को जहां कहीं भी लागू हो, संबंधित कंडिका में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा, निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान मुख्य सचिव, वाणिज्यिक कर, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, एंटी इवेजन ब्यूरो के संयुक्त आयुक्तों और अन्य क्षेत्र-स्तरीय कार्यकारी प्राधिकारियों द्वारा दिए गए सहयोग और सहायता को स्वीकारता है।

2.1.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को दो व्यापक परिप्रेक्ष्यों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे राजस्व की सुरक्षा में ईडब्ल्यूबी प्रणाली की प्रभावशीलता और विभाग के प्रवर्तन कार्यों में पाई गयीं कमियाँ।

2.2 राजस्व के संरक्षण में ईडब्ल्यूबी प्रणाली की प्रभावशीलता

2.2.1 राजस्व के संरक्षण में ईडब्ल्यूबी प्रणाली की प्रभावशीलता

ईडब्ल्यूबी वस्तु की आवाजाही के लिए एक आवश्यक अभिलेख है और वस्तु स्थानांतरित करने से पहले वस्तु का विवरण प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। जावक आपूर्ति के लिए सृजित ईडब्ल्यूबी को बीजक द्वारा समर्थित किया जाता है और चालान विवरण को उनके जीएसटी रिटर्न में सूचित करना आवश्यक है।

2.2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा ने 26 करदाताओं से संबंधित 80 ईडब्ल्यूबी का चयन किया ताकि सबस्टेन्टिव लेखापरीक्षा किया जा सके⁹। नीचे दी गई तालिका 2.1 नमूना मामलों की विस्तृत जांच के दौरान देखी गई कमियों और परिणामी राजस्व प्रभाव की सीमा को सामने लाती है।

⁷ भोपाल, जबलपुर, एवं इंदौर-बी

⁸ खेप के अवरोधन के संबंध में प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा सत्यापन रिपोर्ट।

⁹ सबस्टेन्टिव ऑडिट ऐसे मामले हैं जिनकी वजह का पता लगाने और वर्तमान घटनाक्रमों का पता लगाने के लिए विस्तार से जांच की जानी चाहिए।

तालिका 2.1: नमूना मामलों में टिप्पणियों का विवरण

कंडिका क्र.	अवलोकन की प्रवृत्ति	अवलोकनों की संख्या	कर राशि (₹ करोड़ में)
2.2.2.1	कर रिटर्न दाखिल न करने वालों द्वारा ईडब्ल्यूबी का सृजन	02	0.69
2.2.2.2	शून्य विवरणी दाखिल करने वालों द्वारा ईडब्ल्यूबी का सृजन	05	0.25
2.2.2.3	कंपोजिशन लेवी योजना करदाताओं द्वारा अंतर-राज्यीय आपूर्ति के लिए ईडब्ल्यूबी का सृजन	03	0.04
2.2.2.4	निरस्त किए गए करदाताओं द्वारा ईडब्ल्यूबी का सृजन	01	0.09
2.2.2.5	एक ही/ समान बीजकों के बल पर कई ईडब्ल्यूबी का सृजन	07	0.52
2.2.2.6	ईडब्ल्यूबी में बीजक जो रिटर्न में रिपोर्ट नहीं किए गए	03	0.20
2.2.2.7	संदिग्ध वाहनों के माध्यम से किए गए लेनदेन के लिए ईडब्ल्यूबी का सृजन	09	--
2.2.2.8	अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सृजित ईडब्ल्यूबी, जिनका निर्धारण योग्य मूल्य निर्धारित पंजीकरण सीमा से अधिक है	14	--
2.2.2.9	करदाता द्वारा सृजित असामान्य रूप से उच्च मूल्य वाले ईडब्ल्यूबी	01	--
2.2.2.11	करदाताओं के एक समूह द्वारा ईडब्ल्यूबी के माध्यम से सर्कुलर ट्रेडिंग	01	2.90
	कुल	46	4.69

निम्नलिखित कंडिका में टिप्पणियों पर विस्तार से चर्चा की गई है।

2.2.2.1 कर रिटर्न दाखिल न करने वालों द्वारा ईडब्ल्यूबी का सृजन

एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 39 के अनुसार, इनपुट सेवा वितरक या अनिवासी करयोग्य व्यक्ति या धारा 10, धारा 51 या धारा 52 के प्रावधानों के तहत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति के अलावा प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, प्रत्येक कैलेंडर माह या उसके किसी भाग के लिए, वस्तु या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक आपूर्ति, प्राप्त इनपुट कर क्रेडिट, देय कर, भुगतान किए गए कर और ऐसे अन्य विवरणों की इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न, ऐसे प्रारूप और रीति से और ऐसे समय के भीतर, जैसा कि निर्धारित किया जावे, बाद में आने वाले महीने के बीसवें दिन या उससे पहले प्रस्तुत करेगा।

एसजीएसटी नियम, 2017 का नियम 138 ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के संबंध में ईडब्ल्यूबी के सृजन को प्रतिबंधित करता है, जिसने लगातार निर्धारित अवधि के लिए प्रासंगिक जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं किया है। इस संबंध में ऑटो-चेक कार्यक्षमता को दिसंबर 2019 से ईडब्ल्यूबी कॉमन पोर्टल में सक्षम किया गया था।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि दो सर्किलों के तहत दो करदाताओं ने¹⁰ अप्रैल 2018 से दिसंबर 2021 की अवधि के दौरान ₹ 13.57 करोड़ की बाहरी आपूर्ति के लिए 179 ईडब्ल्यूबी सृजित किए, लेकिन उस अवधि के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.69 करोड़ की राशि का कर का भुगतान नहीं किया गया जो लागू ब्याज और जुर्माने के साथ वसूली योग्य था (परिशिष्ट 2.2)।

इंगित किए जाने पर (जुलाई 2023), विभाग ने एक मामले में जवाब दिया (नवंबर 2024) कि करदाता को भौतिक सत्यापन में फर्जी पाया गया है। ₹ 2.92 करोड़ की राशि की वसूली के लिए 01 जुलाई 2024 को नोटिस जारी किया गया है। दूसरे मामले में जवाब प्रतीक्षित था (जून 2025)।

¹⁰ सर्किल-1 और 12 भोपाल

एक उदाहरण नीचे दिया गया है:

लेखापरीक्षा ने देखा कि सर्कल-1 भोपाल के तहत एक करदाता (जीएसटीआईएन: 23#####ए1जेडई), 01 जुलाई 2017 को पंजीकृत किया गया था। विभाग द्वारा रिटर्न दाखिल नहीं करने के कारण 19 अप्रैल, 2018 को प्रभावी दिनांक 07 अप्रैल, 2018 से करदाता का पंजीयन निरस्त कर दिया गया था। करदाता ने अप्रैल और मई 2018 के महीने के दौरान आठ ईडब्ल्यूबी सृजित किए, जिनका निर्धारण योग्य मूल्य ₹ 10.67 लाख और कर राशि ₹ 1.65 लाख थी। इन आठ ईडब्ल्यूबी में से दो ईडब्ल्यूबी पंजीयन निरस्त होने की तारीख के बाद तैयार किए गए थे। करदाता ने अप्रैल और मई 2018 के महीनों के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया। हालांकि, उन्होंने जून 2018 (करयोग्य कारोबार ₹ 13.39 लाख) और सितंबर 2018 (करयोग्य कारोबार ₹ 12.49 लाख) के महीने के लिए जीएसटीआर -1 रिटर्न दाखिल किया। इस प्रकार, इस प्रणाली ने न केवल ईडब्ल्यूबी को बनाने की अनुमति दी, बल्कि पंजीयन निरस्त करने के बाद रिटर्न दाखिल करने की भी अनुमति दी।

इसके परिणामस्वरूप लागू ब्याज के अलावा ₹ 6.32 लाख का कर भुगतान नहीं किया गया।

हमने मई 2025 में इस ओर ध्यान दिलाया था। उत्तर प्रतीक्षित (जून 2025) था।

2.2.2.2 शून्य विवरणी दाखिल करने वालों द्वारा ईडब्ल्यूबी का सृजन

एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 37 के अनुसार, जिसे एमपीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 59 (1) के साथ पठित किया गया है, नियमित करदाता जीएसटीआर -1 में बाहरी आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 39 के अनुसार, उन्हें जीएसटीआर-3बी में रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक आपूर्ति, इनपुट कर क्रेडिट का लाभ उठाया, देय कर और भुगतान किए गए कर का विवरण घोषित किया जावेगा। अधिनियम की धारा 63 के साथ पठित धारा 61, पूर्वोक्त, समुचित अधिकारी को रिटर्न की जांच करने और कर देयता का आकलन करने का आदेश देती है।

लेखापरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि पाँच सर्किलों के तहत पाँच करदाताओं¹¹ ने अप्रैल 2018 से जनवरी 2022 की अवधि के दौरान ₹ 348 लाख की बाहरी आपूर्ति के लिए 405 ईडब्ल्यूबी सृजित किए, लेकिन संबंधित महीनों के लिए शून्य रिटर्न दाखिल किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 24.51 लाख की राशि के कर का भुगतान नहीं किया गया जो लागू ब्याज के साथ वसूली योग्य था (परिशिष्ट 2.3)।

ईडब्ल्यूबी संव्यवहार की रिपोर्टिंग न होने से पता चलता है कि हालांकि ईडब्ल्यूबी पोर्टल को दिसंबर 2019 से जीएसटीएन पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है, लेकिन ईडब्ल्यूबी संव्यवहार करदाताओं द्वारा दाखिल रिटर्न से लिंक नहीं हैं।

हमने मई 2025 में इसे इंगित किया। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2025)।

एक उदाहरण नीचे दिया गया है:

लेखापरीक्षा ने देखा कि सर्कल-1 भोपाल के तहत एक करदाता (जीएसटीआईएन: 23#####एल1जेडई) 15 जनवरी 2019 को पंजीकृत किया गया था। करदाता ने मई 2021 से जनवरी 2022 की अवधि के दौरान 25 ईडब्ल्यूबी सृजित किए, जिनका करयोग्य मूल्य ₹ 92 लाख और कर राशि ₹ 4.60 लाख थी। करदाता ने ईडब्ल्यूबी सृजित करने के बावजूद

¹¹ सर्किल-13 और 15 इंदौर, सर्किल-1 भोपाल, मुँना और पीथमपुर

संबंधित महीनों के लिए शून्य रिटर्न दाखिल किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.60 लाख का कर का भुगतान नहीं किया गया, जो लागू ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

हमने मई 2025 में इंगित किया था। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित (जून 2025) था।

सिफारिश 1: विभाग एनआईसी के साथ चेतावनी संदेश उत्पन्न करने के लिए प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण को शामिल करने पर विचार करने हेतु मामले को उठा सकता है ताकि करदाता के साथ-साथ कर अधिकारी को करदाताओं द्वारा शून्य रिटर्न दाखिल करने के मामले में ईडब्ल्यूबी सृजन होने का संकेत दिया जा सके।

2.2.2.3 कंपोजिशन लेवी योजना करदाताओं द्वारा अंतर-राज्यीय आपूर्ति के लिए ईडब्ल्यूबी का सृजन

एसजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10 (1) में प्रावधान है कि एक पंजीकृत व्यक्ति जिसका पिछले वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार सीमा से अधिक नहीं था, वह¹² कंपोजिशन लेवी योजना के तहत कर का भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है। अधिनियम की धारा 10 (2) (सी) में प्रावधान है कि एक पंजीकृत व्यक्ति कंपोजिशन लेवी योजना का विकल्प चुनने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि वह वस्तु की अंतर-राज्यीय आपूर्ति में संलग्न है। एसजीएसटी नियम, 2017 के नियम 6 के अनुसार, करदाता अधिनियम की धारा 9 (1) के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जिस दिन से वह धारा 10 में उल्लिखित किसी भी शर्त का पालन करना बंद कर देता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि तीन कंपोजिशन करदाताओं ने नवंबर 2018 से नवंबर 2020 के दौरान अंतर-राज्यीय आपूर्ति के लिए छह ईडब्ल्यूबी सृजित किए, लेकिन ये करदाता कंपोजिशन लेवी योजना के तहत बने रहे। दो करदाताओं का पंजीयन निरस्त कर दिया गया जबकि एक करदाता को 12 महीने के बाद सामान्य पंजीयन में बदल दिया गया। दो करदाताओं ने शून्य रिटर्न दाखिल किए और कर का भुगतान नहीं किया, जबकि एक करदाता ने एक प्रतिशत की रियायती दर पर कर का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.85 लाख (परिशिष्ट 2.4) की नॉन/ शॉर्ट लेवी हुई जो ब्याज के साथ वसूली योग्य थी।

इंगित किए जाने पर (जुलाई 2023), विभाग ने कहा (नवंबर 2024) कि सभी मामलों में कारण बताओ नोटिस/मांग नोटिस जारी किए गए थे।

एक उदाहरण नीचे दिया गया है:

लेखापरीक्षा ने देखा कि सर्कल-3 भोपाल के तहत एक करदाता (जीएसटीआईएन: 23#####ई1जेडएल) को 01 जुलाई 2017 को कंपोजिशन करदाता के रूप में पंजीकृत किया गया था। करदाता ने 19 अक्टूबर 2020 को अंतर-राज्यीय आपूर्ति के लिए दो ईडब्ल्यूबी सृजित किए। करदाता एक सामान्य करदाता के रूप में पंजीकृत होने और 19 अक्टूबर 2020 से की गई आपूर्ति के लिए सामान्य दर पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। हालांकि, करदाता अगस्त 2021 से एक सामान्य करदाता बन गया और सामान्य करदाता के रूप में उनके द्वारा जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल किया गया। करदाता ने कंपोजिशन करदाता के रूप में ₹ 71.83 लाख की आपूर्ति की और सितंबर 2021 तक सीएमपी-08 दाखिल किया। इस प्रकार, कर का भुगतान पांच प्रतिशत के बजाय एक प्रतिशत की दर से किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.87 लाख के कर का कम भुगतान किया गया जो लागू ब्याज के साथ वसूली योग्य था।

¹² कंपोजिशन लेवी योजना का लाभ उठाने के लिए प्रति वर्ष सीमा ₹ 75 लाख थी और 13 अक्टूबर 2017 से इसे बढ़ाकर ₹ एक करोड़ और 01 अप्रैल 2019 से ₹ 1.5 करोड़ कर दिया गया है।

इंगित किए जाने पर (जुलाई 2023), विभाग ने कहा (अगस्त 2024) कि करदाता को मांग नोटिस जारी किया गया है।

2.2.2.4 निरस्त करदाताओं द्वारा ईडब्ल्यूबी का सृजन

एमपीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 के अनुसार, समुचित अधिकारी, जैसा उचित समझे, जहां पंजीकृत व्यक्ति ने अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है या निर्दिष्ट अवधि के लिए रिटर्न दाखिल नहीं किया है या धोखाधड़ी के माध्यम से पंजीकरण प्राप्त किया गया था, जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों का दमन या तो अपने स्वयं के प्रस्ताव पर या पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दायर किए गए आवेदन पर, ऐसी तारीख से पंजीकरण निरस्त कर सकता है, जिसमें कोई भी पूर्वव्यापी तिथि भी शामिल है। इस धारा के तहत पंजीकरण निरस्त करने से इस अधिनियम के तहत कर और अन्य बकाया राशि का भुगतान करने के लिए व्यक्ति की देयता प्रभावित नहीं होगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सर्कल-15 इंदौर के तहत एक करदाता (जीएसटीआईएन: 23#####एम1जेड0) जो एक ट्रांसपोर्टर था, ने 11 अप्रैल 2018 को पंजीकरण निरस्त करने का अनुरोध किया था। उनका पंजीकरण 31 मार्च 2018 से निरस्त कर दिया गया था। हालांकि, करदाता ने सितंबर 2019 तक जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल किया था। इस प्रकार, प्रणाली ने पंजीकरण निरस्त करने के बाद भी रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी। करदाता ने अप्रैल 2018 से सितंबर 2018 के दौरान ₹ 76.17 लाख के करयोग्य मूल्य और ₹ 8.80 लाख की कर देनदारी के साथ 271 ईडब्ल्यूबी सृजित किए। इस अवधि के दौरान करदाता ने शून्य रिटर्न दाखिल किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 8.80 लाख का कर नहीं लगाया गया था जो लागू ब्याज और जुर्माने के साथ वसूली योग्य था।

इस प्रणाली ने न केवल ईडब्ल्यूबी को सृजित करने की अनुमति दी बल्कि पंजीकरण निरस्त करने के बाद रिटर्न दाखिल करने की अनुमति भी दी, जो प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण की कमी का संकेत देता है।

इंगित किये जाने पर (अगस्त 2023), विभाग ने जवाब दिया (नवंबर 2024) कि करदाता वह ट्रांसपोर्टर था जिसने खुद को कर मुक्त वस्तुओं के लिए कंसाइनी के रूप में इंगित करने के लिए ईडब्ल्यूबी डाउनलोड किए थे और इन ईडब्ल्यूबी में कोई देयता नहीं थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कुछ वस्तु जिनके लिए ईडब्ल्यूबी का सृजन किया गया था, करमुक्त नहीं थे, जैसा कि ईडब्ल्यूबी में उल्लेख किया गया है।

सिफारिश 2: विभाग निरस्त किए गए करदाताओं द्वारा ईडब्ल्यूबी के सृजन को रोकने के लिए प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण को शामिल करने के लिए एनआईसी के साथ मामला उठा सकता है।

2.2.2.5 एक ही/समान बीजकों के आधार पर कई ईडब्ल्यूबी का सृजन

एमपीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 46 (बी) के अनुसार, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा एक कर बीजक जारी किया जाएगा, जिसमें लगातार सरल क्रमांक होगा, जो सोलह अक्षरों से अधिक नहीं होगा, एक वित्तीय वर्ष के लिए विशिष्ट होगा।

एनआईसी द्वारा जारी उपयोगकर्ता मैनुअल के पैरा 5.1 के अनुसार, करदाता को ईडब्ल्यूबी बनाते समय प्रेषण से संबंधित दस्तावेज संख्या दर्ज करनी होगी। दर्ज की गई दस्तावेज संख्या विशिष्ट होनी चाहिए। इनवॉइस नंबर आपूर्ति से संबंधित प्रेषण के संबंध में दस्तावेज संख्या है। इसलिए, प्रत्येक बीजक के आधार पर केवल एक ईडब्ल्यूबी सृजित करने की आवश्यकता होती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि छह सर्किलों के अंतर्गत आने वाले सात करदाताओं¹³ ने वस्तु की आवाजाही के लिए कई ईडब्ल्यूबी बनाने के लिए या तो एक ही बीजक या समान बीजक का उपयोग किया। समान बीजक के साथ कुल 77 ईडब्ल्यूबी तैयार किए गए थे। एक ही बीजक पर सृजित ईडब्ल्यूबी की संख्या दो से पाँच तक थी। सात करदाताओं में से दो करदाताओं ने रिटर्न दाखिल नहीं किया और शेष पाँच करदाताओं ने सभी प्रेषण खेपों का खुलासा करने के बजाय, या तो जीएसटीआर-1 में एक भी प्रेषण की सूचना दी या 58 ईडब्ल्यूबी के संबंध में उसमें किसी भी प्रेषण की सूचना नहीं दी। इसके परिणामस्वरूप रिटर्न में ₹ 3.67 करोड़ के कारोबार की नॉन/ शॉर्ट रिपोर्टिंग हुई और इसके परिणामस्वरूप ₹ 52.14 लाख की कर देयता का कम निर्वहन हुआ, जैसा कि परिशिष्ट 2.5 में बताया गया है।

यह समान चालान का उपयोग करके कई ईडब्ल्यूबी के सृजन को प्रतिबंधित करने के लिए ईडब्ल्यूबी कॉमन पोर्टल में सत्यापन नियंत्रण की कमी को इंगित करता है।

हमने मई 2025 में इन्हें इंगित किया। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित (जून 2025) था।

एक उदाहरण नीचे दिया गया है:

एक करदाता (जीएसटीआईएन: 23#####एच1जेडवाई) ने अप्रैल 2018, मई 2018, जून 2018, अगस्त 2018 और सितंबर 2018 के महीनों में एक ही/ समान बीजक के आधार पर 48 ईडब्ल्यूबी सृजित किए। एक ही बीजक का उपयोग करने की संख्या 2 से 5 की सीमा में थी। सृजित 48 ईडब्ल्यूबी में से, 30 ईडब्ल्यूबी से संबंधित बीजक जिनका करयोग्य मूल्य ₹ 43.43 लाख और कर की राशि ₹ 4.63 लाख थी उन्हें विवरणी में सूचित नहीं किया था। इस प्रकार, करदाता ₹ 4.63 लाख की कर देनदारी के साथ-साथ लागू ब्याज और पेनल्टी का भुगतान करने में विफल रहा।

सिफारिश 3: विभाग एक ही बीजक के साथ कई ईडब्ल्यूबी के सृजन को रोकने के लिए ईडब्ल्यूबी प्रणाली में एक सत्यापन नियंत्रण को शामिल करने के लिए एनआईसी के साथ मामला उठा सकता है।

2.2.2.6 रिटर्न में बीजक की नॉन-रिपोर्टिंग जिसके लिए ईडब्ल्यूबी सृजित किए गए थे

एसजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 37 के साथ पठित एसजीएसटी नियम, 2017 के नियम 59 (1) के अनुसार, नियमित करदाता जीएसटीआर-1 में जावक आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 39 के अनुसार, उन्हें जीएसटीआर-3बी में रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक आपूर्ति, इनपुट कर क्रेडिट के उठाये गए लाभ, कर देय, भुगतान किए गए कर का विवरण घोषित किया जाता है। अधिनियम की धारा 63 के साथ पठित धारा 61, समुचित अधिकारी को रिटर्न की जाँच करने और कर देयता का आकलन करने का आदेश देती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि तीन सर्किलों के अंतर्गत आने वाले तीन करदाताओं ने¹⁴ जुलाई 2020 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान बाहरी आपूर्ति के लिए 12 ईडब्ल्यूबी सृजित किए। करदाताओं ने रिटर्न में इन संव्यवहारों की रिपोर्ट नहीं की। इन लेन-देन का आकलन योग्य मूल्य ₹ 117.91 लाख था। इसके परिणामस्वरूप रिटर्न में ₹ 117.91 लाख के कारोबार की नॉन/ शॉर्ट रिपोर्टिंग हुई और इसके परिणामस्वरूप ₹ 20.62 लाख की कर देयता का कम निर्वहन हुआ, जैसा कि परिशिष्ट 2.6 में बताया गया है।

¹³ सर्कल-1 भोपाल, सर्कल-1 इंदौर, सर्कल-9 इंदौर, सर्कल-10 इंदौर, सर्कल-13 इंदौर एन्ड सर्कल-15 इंदौर

¹⁴ सर्कल-1 भोपाल, सर्कल-3 भोपाल तथा सर्कल-5 भोपाल

एक उदाहरण नीचे दिया गया है:

सर्कल-3 भोपाल के अंतर्गत एक करदाता (जीएसटीआईएन: 23#####41जेडएल) ने अपंजीकृत करदाताओं को अंतर-राज्यीय आपूर्ति की। जुलाई 2020 से जनवरी 2021 के महीनों के दौरान, नौ ईडब्ल्यूबी से संबंधित नौ बीजकों, जिनका करयोग्य मूल्य ₹ 6.62 लाख और कर की रकम ₹ 1.19 लाख थी, जीएसटीआर-1 में रिपोर्ट नहीं किए गए। इसके कारण ₹ 1.19 लाख के कर की कम वसूली हुई, जिसे लागू ब्याज के साथ वसूल किया जाना था।

हमने मई 2025 में इंगित किया था, विभाग का उत्तर प्रतीक्षित (जून 2025) था।

2.2.2.7 संदिग्ध वाहनों के माध्यम से किए गए लेनदेन के लिए ईडब्ल्यूबी का सृजन

एमपीजीएसटी नियमों के नियम 138 (2) के अनुसार, जहां वस्तु को पंजीकृत व्यक्ति द्वारा एक कंसाइनर के तौर पर चाहे वह अपने स्वयं के वाहन में हो या किराए के वाहन में या सार्वजनिक वाहन में सड़क मार्ग से लाया जाता है तो उक्त व्यक्ति फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01 के भाग-बी में जानकारी प्रस्तुत करने के बाद कॉमन पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01 सृजित करेगा। जहां वस्तु सड़क मार्ग से परिवहन के लिए ट्रांसपोर्टर को सौंपा जाता है, पंजीकृत व्यक्ति कॉमन पोर्टल पर ट्रांसपोर्टर से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करेगा और ट्रांसपोर्टर द्वारा फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी 01 के भाग-ए में पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उक्त पोर्टल पर ईडब्ल्यूबी सृजित किया जाएगा। ईडब्ल्यूबी 01 के भाग-ख में वाहन नंबर देना जरूरी है।

लेखापरीक्षा ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वाहन डेटाबेस के साथ ईडब्ल्यूबी के भाग बी में उल्लिखित वाहन विवरण का मिलान किया और पाया कि सात करदाताओं ने नौ ईडब्ल्यूबी (परिशिष्ट 2.7) सृजित करने के लिए संदिग्ध वाहनों (जैसे दोपहिया वाहन, चोरी के वाहन, सरेंडर किए गए वाहन, आदि) का उपयोग किया। इन मामलों में लेन-देन संदिग्ध लग रहा था क्योंकि परिवहन किया गया वस्तु कई मामलों में वाहन की क्षमता से परे था जैसा कि नीचे तालिका 2.2 में बताया गया है:

तालिका 2.2: वस्तु के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले संदिग्ध वाहन का विवरण

क्र. सं.	वृत्त का नाम	संदिग्ध वाहन का प्रकार	ईडब्ल्यूबी की संख्या	करदाता की संख्या	वाहन क्रमांक	परिवाहित वस्तु का विवरण
1	इंदौर -3	दो पहिया वाहन	01	01	एमएच46बीजी6291 & एमएच46बीजी2879	7,556 चादरें मोटर सड़किल / स्कूटर में परिवहन
2	पीथमपुर		01	01	एमएच46बीएन3925	335 किलो केमिकल का होंडा एक्टीवा स्कूटर में परिवहन
3	भोपाल -5	चोरी का वाहन	01	01	आरजे06जीसी5147	310 क्विंटल सोयाबीन
4	इंदौर -12	कंडम वाहन	01	01	जीजे11डब्ल्यू2771	11,053 किलो मूंगफली
5	इंदौर -12	काली सूची का वाहन (फिटनेस समाप्त)	01	01	जीजे03टी2451	13,085 किलो रुई
6	इंदौर -5	चोरी का वाहन	01	01	एचआर74ए9267	600 बॉक्स घी
	इंदौर -5	फिटनेस समाप्त	01	01	एचआर74ए4446	-तथैव-
7	इंदौर -12	फिटनेस समाप्त	01	01	जीजे03एक्स7987	वाहन की लोडिंग क्षमता 1,200 किलो ग्राम थी, पर उसे 15,000 कि.ग्रा. के परिवहन हेतु उपयोग किया

क्र. सं.	वृत्त का नाम	संदिग्ध वाहन का प्रकार	इंडब्ल्यूबी की संख्या	करदाता की संख्या	वाहन क्रमांक	परिवाहित वस्तु का विवरण
8	मुरेना	यात्री तिपहियां वाहन	01	01	यूपी80बीटी8160	यात्री तिपहिया वाहन का 7,480 कि. ग्रा. आटा के लिए उपयोग
9	इंदौर -13	यात्री कार	01	01	एमपी09एच5012	मारुति 800 का 30 मे. टन आटा एवं तिलहन खाद्य हेतु उपयोग.

इंगित किये जाने पर (जुलाई 2023 से अगस्त 2023) विभाग ने कहा (नवंबर 2024) कि केवल वाहन नंबरों की जानकारी प्रदान की गई थी। विभाग जीएसटीआईएन विवरण की पहचान करने में असमर्थ है क्योंकि वाहन संख्या के माध्यम से ईडब्ल्यूबी का डेटा केवल पिछले दो महीनों के लिए निकाला जा सकता है। इसके अलावा, फिटनेस एक्सपायर्ड वाहनों या ब्लैकलिस्टेड वाहनों के आधार पर विभाग यह नहीं मान सकता कि करदाता ने जीएसटी कानून के तहत कर चोरी की है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों के जीएसटीआईएन नंबरों के साथ पूर्ण ईडब्ल्यूबी विवरण प्रदान किया है। इसके अलावा, सामान की प्रकृति और क्षमता से पता चलता है कि सामान की ये आवाजाही संदिग्ध है। साथ ही, इन लेनदेन की कर देयता को जीएसटीआर -1 और जीएसटीआर -3 बी रिटर्न की जांच के माध्यम से सत्यापित किया जा सकता है। विभाग को इन मामलों की जांच करने और राजस्व बचाने के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

एक उदाहरण नीचे दिया गया है:

लेखापरीक्षा ने देखा कि सर्कल-8 इंदौर के तहत एक करदाता (जीएसटीआईएन: 23#####एम2जेड1) ने 14 मार्च 2019 को 30 मीट्रिक टन आटे को दिल्ली परिवहन के लिए ईडब्ल्यूबी जेनेरेट किया, जिसकी टैक्सबल वैल्यू ₹ 1.05 करोड़ और कर राशि ₹ 12.60 लाख थी। इस्तेमाल किया गया वाहन मारुति 800 (एमपी09एच5012) था। यह लेन-देन नकली प्रतीत होता है क्योंकि वस्तु की मात्रा वाहन की क्षमता से अधिक है। करदाता ने इस अवधि के लिए रिटर्न भी दाखिल नहीं किया है।

हमने अगस्त 2023 में इसकी ओर इंगित किया था, विभाग का उत्तर प्रतीक्षित (जून 2025) था।

2.2.2.8 अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सृजित ईडब्ल्यूबी, जिनका निर्धारण योग्य मूल्य तय पंजीकरण सीमा से अधिक है

एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 (2017 का अधिनियम) की धारा 22 के अनुसार, प्रत्येक आपूर्तिकर्ता जिसका एक वित्तीय वर्ष में कुल कारोबार ₹ 20,00,000 (केवल वस्तु के आपूर्तिकर्ता के लिए 01 जनवरी 2020 से ₹ 40,00,000) से अधिक है, वह उस राज्य में इस अधिनियम के तहत पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी होगा, जहां से वह वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की करयोग्य आपूर्ति करता है।

इस अधिनियम की धारा 63 के अनुसार, अगर एक करयोग्य व्यक्ति ऐसा करने के लिए उत्तरदायी होने के बावजूद पंजीकरण नहीं करवाता है, तो समुचित अधिकारी अपने विवेक से प्रासंगिक कर अवधि के लिए ऐसे करयोग्य व्यक्ति की कर देयता का आकलन कर सकता है और कर निर्धारण आदेश जारी कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नौ अपंजीकृत व्यक्तियों (यूआरपी) ने जुलाई 2018 से दिसंबर 2021 की अवधि के दौरान ₹ 81.20 करोड़ के बीजक मूल्य के साथ 14 ईडब्ल्यूबी (परिशिष्ट 2.8) सृजित किए। प्रत्येक ईडब्ल्यूबी में मूल्य जीएसटी

के तहत पंजीकरण की सीमा से अधिक था। करयोग्य सप्लाई की बड़ी मात्रा के बावजूद ये करदाता जीएसटी से बाहर रहे। विभाग को मामलों की विस्तार से जांच करनी चाहिए और जहां जरूरी हो, इन करदाताओं को जीएसटी के तहत पंजीकृत करवाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए और राजस्व की वसूली के लिए भी कार्रवाई करनी चाहिए।

इंगित किये जाने पर (जुलाई 2023), विभाग ने जवाब दिया (नवंबर 2024) कि यूआरपी का सत्यापन प्रगति पर था। आगे की प्रगति प्रतीक्षित (जून 2025) थी।

2.2.2.9 करदाता द्वारा सृजित असामान्य रूप से उच्च मूल्य वाले ईडब्ल्यूबी

एमपीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 37 यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति, कर अवधि के दौरान किए गए वस्तु या सेवा या दोनों की आउटवर्ड सप्लाई का विवरण (जीएसटीआर-1 में) इलेक्ट्रॉनिकली, उस कर अवधि के बाद वाले महीने की दसवीं तारीख को या उससे पहले देगा और ऐसा विवरण उस आपूर्ति के प्राप्तकर्ता को सूचित किया जाएगा। डेटा विश्लेषण के माध्यम से, लेखापरीक्षा द्वारा असामान्य रूप से उच्च मूल्य के साथ एक ईडब्ल्यूबी की पहचान की गई। ईडब्ल्यूबी की जाँच से पता चला कि सर्कल-9 इंदौर के तहत एक करदाता (जीएसटीआईएन: 23#####एल7जेड0) ने ईडब्ल्यूबी क्रमांक 631307204145, दिनांक 29 जून 2021 को सृजित किया, जिसमें वस्तु का मूल्य ₹ 30,656.08 करोड़ दर्शाया गया था। ईडब्ल्यूबी प्रोटीन सांद्रता (एचएसएन-21061000) के निर्यात के लिए सृजित किया गया था। इसे यूआरपी करदाता के नाम पर बिल किया गया और निर्यात के लिए महाराष्ट्र भेजा गया। ईडब्ल्यूबी में जावक आपूर्ति का कुल मूल्य ₹ 30,656.08 करोड़ था।

इंगित किए जाने पर (जुलाई 2023), विभाग ने जवाब दिया (नवंबर 2024) कि यह तकनीकी त्रुटि के कारण था। बीजक पर राशि ईडब्ल्यूबी में सही थी लेकिन सिस्टम द्वारा कुल की गणना गलत तरीके से की गई।

सिफारिश 4: विभाग असामान्य रूप से उच्च मूल्य वाले ईडब्ल्यूबी पर करदाता और विभागीय अधिकारी को सचेत करने के लिए प्रणाली में एक सॉफ्ट नियंत्रण को शामिल करने पर विचार करने के लिए एनआईसी के साथ मामला उठा सकता है।

2.2.2.10 ईडब्ल्यूबी के आंकड़ों के विश्लेषण के माध्यम से विसंगतियों की पहचान

पिछली कंडिका में चर्चा किए गए मुद्दों के अलावा, केपीए के तहत निकाले गए आंकड़ों को उपचारात्मक कार्रवाई पर विचार करने के लिए विभाग को भेजा गया था और की गई कार्रवाई पर सारांश रिपोर्ट मांगी गई थी।

विभाग के साथ साझा किए गए समग्रता अवलोकनों का विवरण निम्नलिखित तालिका 2.3 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.3: डेटा विश्लेषण के माध्यम से पहचाने गए अवलोकन का विवरण

स. क्र.	अवलोकनों की प्रकृति	करदाताओं की संख्या	ईडब्ल्यूबी की संख्या
1	कंपोजीशन करदाता द्वारा अंतर-राज्यीय इडब्ल्यूबी का सृजन	208	563
2	टर्नओवर सीमा पार करने वाले कंपोजीशन करदाताओं द्वारा इडब्ल्यूबी का सृजन	2	28


स. क्र.	अवलोकनों की प्रकृति	करदाताओं की संख्या	ईडब्ल्यूबी कि संख्या
3	कर रिटर्न दाखिल न करने वालों द्वारा ईडब्ल्यूबी का सृजन	687	6,013
4	पंजीकरण निरस्त किए गए करदाताओं द्वारा ईडब्ल्यूबी का सृजन	313	9,821
5	एक समान बीजकों के आधार पर कई ईडब्ल्यूबी का सृजन	2,609	10,617

यह (जुलाई 2023 और अगस्त 2023) विभाग को सत्यापन और उनकी ओर से उपयुक्त कार्रवाई करने और की गई कार्रवाइयों का सारांश उत्तर देने के लिए इंगित किया गया था। सारांश उत्तर प्रतीक्षित (अक्टूबर 2024) था। विभाग जहां भी लागू हो, सिस्टम स्तर पर इन मुद्दों के समाधान के लिए उपयुक्त कार्रवाई भी कर सकता है।

2.2.2.11 करदाताओं के एक समूह द्वारा ईडब्ल्यूबी के माध्यम से सर्कुलर ट्रेडिंग

एमपीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 (2) में कहा गया है कि, कोई भी पंजीकृत व्यक्ति वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों के संबंध में किसी भी इनपुट कर के क्रेडिट का हकदार नहीं होगा, जब तक कि (ए) वह इस अधिनियम के तहत पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा जारी कर बीजक या डेबिट नोट, या ऐसे अन्य कर भुगतान दस्तावेज जो निर्धारित किए जा सकते हैं, उसके पास हों और (बी) उसने वस्तु और सेवाएं या दोनों प्राप्त किए हों।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एक करदाता (जीएसटीआईएन: 23#####ई1जेड2) 30 सितंबर 2021 को पंजीकृत किया गया था। उसने नवंबर 2021 के महीने के दौरान ₹9.53 करोड़ के आकलन योग्य मूल्य के साथ 153 ईडब्ल्यूबी सृजित किए। उसने गुजरात राज्य में एक करदाता को ₹ 9.53 करोड़ की 153 जावक अंतर-राज्यीय आपूर्ति की। करदाता का पंजीयन, पंजीकरण की तारीख (30 सितंबर 2021) से 27 दिसंबर 2021 को निरस्त कर दिया गया था। नवंबर 2021 के महीने के लिए करदाता के जीएसटीआर-2ए के सत्यापन पर, यह देखा गया कि उसे समान चालान संख्या और ₹ 9.53 करोड़ के निर्धारण योग्य मूल्य के साथ 153 आपूर्ति प्राप्त हुई। आगे के सत्यापन पर, यह देखा गया कि पांच करदाताओं द्वारा सर्कुलर ट्रेडिंग की गई थी, सभी समान निर्धारण योग्य मूल्य के साथ समान बीजक के माध्यम से एक-समान 153 लेनदेन कर रहे थे। जैसा कि नीचे दिया गया है:



यह भी देखा गया कि इन करदाताओं ने रिटर्न दाखिल किया और महीने के दौरान आईटीसी की समान राशि का लाभ उठाकर और कर के भुगतान के लिए इसका उपयोग करके आईटीसी के माध्यम से पूरे कर का भुगतान किया।

यह सर्कुलर ट्रेडिंग और आपूर्ति किए बिना क्रेडिट प्राप्त करने का संकेत था।

इंगित किए जाने पर (जुलाई 2023), विभाग ने जवाब दिया (नवंबर 2024) कि सत्यापन करने पर करदाता अस्तित्व में होना नहीं पाया गया और उसका पंजीकरण भी 30 सितंबर 2021 से निरस्त था। करदाता को ₹ 2.92 करोड़ का नोटिस जारी किया गया था (जुलाई 2024)। यह भी कहा गया कि अन्य चार करदाता केंद्रीय क्षेत्राधिकार से संबंधित हैं, जिनके पंजीकरण भी निरस्त कर दिए गए हैं और आगे की कार्रवाई जारी है।

2.3 विभाग के प्रवर्तन कार्य

जीएसटी से पहले की व्यवस्था के दौरान मैन्युअल रूप से संचालित चेक पोस्ट को जीएसटी व्यवस्था लागू होने पर समाप्त कर दिया गया था। ईडब्ल्यूबी प्रणाली 01 अप्रैल 2018 से शुरू की गई थी ताकि ₹ 50,000 से अधिक मूल्य वाले वस्तु की अंतरराज्यीय और राज्य के भीतर आवाजाही पर नजर रखी जा सके। विभाग ने अपने एंटी इवेशन ब्यूरो (निरोधक इकाइयों) के माध्यम से परिवहन के अवरोधन और निरीक्षण की निरोधक गतिविधियों का पालन किया और पारगमन में वस्तु के लिए ईडब्ल्यूबी और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन किया।

2.3.1 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

दूसरे लेखापरीक्षा उद्देश्य के संबंध में, लेखापरीक्षा ने विभागीय संरचनाओं की निरोधक इकाइयों के ईडब्ल्यूबी से संबंधित कार्यों की जांच की।

इस प्रयोजन के लिए, लेखापरीक्षा ने आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाली कुल छः इकाइयों में से तीन निरोधक इकाइयों का चयन किया। प्रत्येक चयनित निरोधक इकाई में, लेखापरीक्षा ने 50 चयनित किए गए प्रकरणों की लेखापरीक्षा की। सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने¹⁵ निरोधक स्कंधों द्वारा किए गए कार्यकलापों में 158 कमियों पर ध्यान दिया, जिनका ब्यौरा निम्नलिखित कंडिकाओं में दिया गया है।

2.3.1.1 ईडब्ल्यूबी लेनदेन पर एनआईसी द्वारा जेनेरेटेड विश्लेषणात्मक रिपोर्ट का उपयोग

एनआईसी ईडब्ल्यूबी लेनदेन पर 97 विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार कर रहा है और इसे एनआईसी-ईडब्ल्यूबी पोर्टल के माध्यम से केंद्र और राज्य संरचनाओं के तहत जीएसटी विभागों के साथ उनके उपयोग के लिए साझा करता है। एनआईसी द्वारा जारी ईडब्ल्यूबी पर व्यापक विश्लेषण पर नियमावली प्रत्येक रिपोर्ट की प्रकृति और उसके उपयोग के बारे में जानकारी देती है। ये रिपोर्ट वाहन की आवाजाही की जानकारी का उपयोग करके नकली बीजक, कर चोरी, रीसाइक्लिंग आदि के मामलों की पहचान करने में समुचित अधिकारियों की मदद करती हैं।

लेखापरीक्षा ने विभाग से विश्लेषणात्मक रिपोर्टों के उपयोग के संबंध में जानकारी मांगी। विभाग ने कहा (फरवरी 2024) कि करदाताओं के विश्लेषण के लिए ईडब्ल्यूबी पर एनआईसी रिपोर्ट का उपयोग किया जा रहा है। रिपोर्ट आईबी और डिवीजनों के साथ साझा की जाती है। विभागीय अधिकारियों को विश्लेषणात्मक रिपोर्टों तक पहुंचने के लिए यूजर आईडी भी प्रदान की गई हैं।

¹⁵ लेखापरीक्षा में कुछ नमूना मामलों में एक से अधिक कमी देखी गई।

तथापि, लेखापरीक्षा को विश्लेषणात्मक रिपोर्टों के उपयोग से संबंधित कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया था। कुछ रिपोर्टों का ब्यौरा निम्नलिखित कंडिकाओं में दिया गया है।

2.3.1.1.1 अपंजीकृत करदाताओं द्वारा सृजित ईडब्ल्यूबी पर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट

एनआईसी "नागरिकों द्वारा सृजित ईडब्ल्यूबी" (एच5 रिपोर्ट) नामक एक विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार कर रही है जिसमें अपंजीकृत व्यक्तियों द्वारा सृजित ईडब्ल्यूबी का ब्यौरा दिया गया है। लेखापरीक्षा ने पूछताछ की, क्या इन रिपोर्टों का उपयोग विभाग की प्रवर्तन इकाइयों द्वारा कर दायरे को व्यापक बनाने के लिए किया गया था।

इस रिपोर्ट के उपयोग के बारे में पूछे जाने पर, आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग ने जवाब दिया (फरवरी 2024) कि रिपोर्ट घरेलू सामानों की आवाजाही, ठेके के कार्य के लिए छूट प्राप्त सामान और मशीनरी के बारे में डाटा प्रदान कर रही है। अब तक निकाला गया डाटा पंजीकरण के लिए उपयोगी नहीं था।

सरकार ने जवाब दिया (नवंबर 2024) कि अपंजीकृत डीलरों के संबंध में पैन और अन्य जानकारी की अनुपलब्धता के कारण कार्रवाही संभव नहीं है। जीएसटीएन रिपोर्ट में पैन/ अपंजीकृत व्यक्ति के पते को एकीकृत करने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

विभाग द्वारा रिपोर्टों का उपयोग न करने से उस हद तक रिपोर्ट का उद्देश्य विफल हो जाता है।

2.3.1.1.2 वाहनों की कई गतिविधियों पर रिपोर्ट

एनआईसी वाहनों की बहुविध गतिविधियों पर दो रिपोर्टें भी तैयार कर रहा है ("एक ही वाहन की एकाधिक आवाजाही" पर बी4 रिपोर्ट और "अन्य वाहनों में बहुविध संचलन" पर बी5 रिपोर्ट)।

पूछताछ करने पर, विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2024) कि दोनों रिपोर्ट जीएसटीआईएन-वार हैं और उनका उपयोग विशेष रूप से संदिग्ध करदाताओं के लिए किया जाता है। हालांकि, इन रिपोर्टों द्वारा करदाताओं की सूची प्रदान नहीं की जा रही थी।

विभाग को रिपोर्टों में संशोधन के लिए एनआईसी के समक्ष इस मामले को उठाना चाहिए ताकि रिपोर्टों को आवश्यकतानुसार उपयोगकर्ता के लिए और अनुकूल बनाया जा सके।

2.3.1.1.3 विभागीय अधिकारियों द्वारा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के उपयोग पर रिपोर्ट

एक रिपोर्ट "अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट का उपयोग" (जे 3 रिपोर्ट) है। दिसंबर 2023 और जनवरी 2024 महीनों की रिपोर्ट से, लेखापरीक्षा ने देखा कि कुछ ही अधिकारी ईडब्ल्यूबी पोर्टल पर उपलब्ध रिपोर्ट का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि 39 अधिकारियों में से केवल 15 अधिकारियों को रिपोर्ट देख रहे थे। 24 अधिकारियों ने कोई भी रिपोर्ट नहीं देखी।

अनुशंसा 5: विभाग को विभागीय अधिकारियों द्वारा विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के उपयोग के लिए निर्देश जारी करने और सामयिक रिपोर्टों के माध्यम से इसकी निगरानी करने की आवश्यकता है।

2.3.1.2 बिना ईडब्ल्यूबी के /नकली ईडब्ल्यूबी के साथ परिवहित किए गए वस्तु पर कर और जुर्माने का कम वसूल किया जाना

एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 के सेक्शन 129 को आईजीएसटी अधिनियम, 2017 के सेक्शन 20 के साथ पढ़ने पर यह निर्धारित होता है कि अगर कोई वस्तु या सामान इस एक्ट या इसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए

ट्रांजिट में ले जाया जाता है, तो ऐसे सभी सामान और गाड़ी, जिनका इस्तेमाल उस सामान को ले जाने के लिए परिवहन के तौर पर किया जाता है, और ऐसे सामान और गाड़ी से जुड़े अभिलेख को रोका या ज़ब्त किया जा सकता है, और रोकने या ज़ब्त करने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाएगा:

- अ) ऐसे वस्तु पर देय कर के 200 प्रतिशत¹⁶ के बराबर जुर्माने के भुगतान पर, जहां वस्तु का मालिक ऐसे जुर्माने के भुगतान के लिए सामने आता है और
- ब) वस्तु के मूल्य के¹⁷ 50 प्रतिशत या ऐसे वस्तु पर देय कर का 200 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के बराबर जुर्माने के भुगतान पर, जहां वस्तु का मालिक सामने नहीं आता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि दो आईबी (इंदौर-बी और भोपाल) से संबंधित तीन मामलों में, कर और जुर्माने की कमी थी जैसा कि नीचे दिया गया है (परिशिष्ट 2.9):

- (i) एक मामले में दो बीजक थे, जिनमें से केवल एक को ईडब्ल्यूबी के साथ समर्थित किया गया था। समुचित अधिकारी ने एक चालान पर कर और जुर्माना लगाया जो ईडब्ल्यूबी के बिना था। समुचित अधिकारी ने उपलब्ध ईडब्ल्यूबी को सत्यापित नहीं किया जो की जांच में फर्जी पाया गया क्योंकि विवरण ईडब्ल्यूबी पोर्टल पर उपलब्ध नहीं थे। इसके परिणामस्वरूप जाली ईडब्ल्यूबी पर ₹ 6.71 लाख की राशि का कर और जुर्माना नहीं लगाया गया।
- (ii) एक मामले में, समुचित अधिकारी ने ईडब्ल्यूबी में उल्लिखित मात्रा से अधिक पाए गए वस्तु पर कर और जुर्माना लगाया। हालांकि, ईडब्ल्यूबी में उल्लिखित वाहन संख्या गलत थी, इसलिए पूरे वस्तु पर कर और जुर्माना लगाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.27 लाख की राशि का कर और जुर्माना कम लगाया गया।
- (iii) एक मामले में, समुचित अधिकारी ने इंटरसेप्शन के दौरान वस्तु का मूल्य ₹ एक लाख निर्धारित किया। ₹ 0.36 लाख का कर और जुर्माना लगाया गया था। अभिलेखों की लेखापरीक्षा में देखा (अक्टूबर 2023) गया कि समुचित अधिकारी ने वस्तु की करयोग्य राशि ₹ 1.60 लाख के रूप में निर्धारित की, लेकिन केवल ₹ एक लाख पर कर और जुर्माना लगाया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.22 लाख की राशि का कर और जुर्माना कम लगाया गया।

इंगित किए जाने पर (अक्टूबर 2023 से जनवरी 2024), विभाग ने बताया (नवंबर 2024) कि दो मामलों में टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया गया था लेकिन आगे की कार्रवाई के विषय में नहीं बताया गया। एक मामले में, यह कहा गया था कि टाइपिंग गलती के कारण करयोग्य मूल्य फॉर्म 3-सी में ₹ 1.60 लाख के रूप में लिखा गया था। हालांकि, वस्तु के वास्तविक मूल्य के लिए कोई अभिलेखीय सबूत प्रदान नहीं किया गया था।

एक प्रकरण नीचे उल्लेखित है:

एक वाहन क्र. एमएच18####72 सूरत से इंदौर के लिए वस्तु ढो रहा था। इसे आईबी, इंदौर-बी द्वारा 09 मार्च 2019 को इंटरसेप्ट किया गया था। समुचित अधिकारी ने पाया कि सामान ईडब्ल्यूबी में उल्लिखित मात्रा से अधिक था। उन्होंने अतिरिक्त वस्तु का मूल्य ₹ 0.66 लाख निर्धारित किया और ₹ 0.24 लाख का कर और जुर्माना लगाया। हालांकि, समुचित

¹⁶ 01 जनवरी 2022 से प्रभावी। पहले यह ऐसे सामानों पर देय कर के 100 प्रतिशत के बराबर कर और जुर्माना था।

¹⁷ 01 जनवरी 2022 से प्रभावी। पहले यह कर और जुर्माना था जो वस्तु के मूल्य के 50 प्रतिशत के बराबर था, जो उस पर भुगतान की गई कर राशि से कम हो जाता था।

अधिकारी ने ईडब्ल्यूबी की वास्तविकता की पुष्टि नहीं की। लेखापरीक्षा ने देखा कि ईडब्ल्यूबी फर्जी था क्योंकि ईडब्ल्यूबी पोर्टल पर उपलब्ध एक ही नंबर वाले ईडब्ल्यूबी में अलग-अलग विवरण थे। इस प्रकार, पूरे वस्तु पर कर और जुर्माना लगाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.71 लाख की राशि का कर और जुर्माना कम लगाया गया।

इंगित किए जाने पर (जनवरी 2024), विभाग ने आपत्ति (नवंबर 2024) को स्वीकार कर लिया। तथापि, लघु कर और जुर्माने की वसूली के लिए आगे की गई कार्रवाई की सूचना नहीं दी गई थी।

2.3.1.3 बिना बीजक समर्थित आपूर्ति पर कर और जुर्माना न लगाया जाना

एमपीजीएसटी अधिनियम की धारा 68 के अनुसार, नियम 138 के साथ, ₹ 50,000 से अधिक मूल्य के वस्तु को ले जाने वाले वाहन के प्रभारी व्यक्ति को विशिष्ट अभिलेख ले जाने चाहिए। इन अभिलेखों में बीजक, आपूर्ति का बिल, डिलीवरी चालान, बिल ऑफ एंट्री और एक वैध ई-वे बिल शामिल हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एक वाहन क्र. एमपी04#####43 को 03 जनवरी 2019 को एईबी, भोपाल द्वारा इंटरसेप्ट किया गया था क्योंकि वाहन के चालक ने वस्तु से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए थे। वाहन चालक ने ₹ दो लाख मूल्य के वस्तु के साथ एक ईडब्ल्यूबी प्रस्तुत किया जिस पर समुचित अधिकारी द्वारा विचार नहीं किया गया क्योंकि वाहन को रोकने के बाद इसे सृजित किया गया था। समुचित अधिकारी ने ₹ 0.60 लाख का कर और जुर्माना लगाया।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि ईडब्ल्यूबी पोर्टल पर, उसी वाहन के लिए एक और ईडब्ल्यूबी तैयार किया गया था, जिसका निर्धारण योग्य मूल्य ₹ 4.30 लाख था। तथापि, केस फाइल में इस ईडब्ल्यूबी का कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं था। यह इंगित करता है कि कर और जुर्माना लगाने के लिए समुचित अधिकारी द्वारा इस पर विचार नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.31 लाख की राशि का कर और जुर्माना नहीं लगाया गया।

इंगित किये जाने पर (जनवरी 2024) विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2024) कि लेखापरीक्षा आपत्ति में उल्लिखित सामान इंटरसेप्शन के समय वाहन में नहीं था। इसलिए कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था। राजस्व की कोई हानि नहीं हुई।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि आपूर्तिकर्ता ने एक ही वाहन संख्या का उल्लेख करते हुए एक ही तारीख और समय पर ₹ दो लाख और ₹ 4.30 लाख के आकलन योग्य मूल्य के लिए दो अलग-अलग आपूर्तियों के लिए दो ईडब्ल्यूबी सृजित किए थे। समुचित अधिकारी को दोनों ईडब्ल्यूबी का सत्यापन करना चाहिए था और तदनुसार कार्रवाई करनी चाहिए थी।

2.3.1.4 बीजकों के विभाजन द्वारा न्यूनतम सीमा से नीचे रख, ईडब्ल्यूबी के बिना प्रेषण पर कर और जुर्माना न लगाया जाना

एमपीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 138 (1) के अनुसार, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जो ₹ पचास हजार से अधिक मूल्य के वस्तु की आवाजाही करता है, उसे इस तरह की आवाजाही शुरू करने से पहले, फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग ए में निर्दिष्ट उक्त वस्तु से संबंधित जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप से कॉमन पोर्टल पर और अन्य ऐसी जानकारी देनी होगी जो सामान्य पोर्टल पर आवश्यक हो सकती है और उक्त पोर्टल पर एक विशिष्ट संख्या सृजित की जाएगी।

केरल के उच्च न्यायालय ने बॉन कार्गोस प्राइवेट लिमिटेड (2020 की WP(C) संख्या 1,918) के मामले में (दिसंबर 2020) फैसला सुनाया कि जब कई बीजकों द्वारा कवर किए गए एक ही प्रेषण का सामान ₹ 50,000 की सीमा से अधिक हो जाता है, तो ईडब्ल्यूबी को आवश्यक रूप से सृजित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आईबी जबलपुर से संबंधित दो मामलों में, समुचित अधिकारियों ने चार कंसाइनर (प्रत्येक में दो बीजक) के आठ बीजकों पर विचार नहीं किया, जहां कंसाइनी समान थे, और दो बीजकों का कुल मूल्य ₹ 50,000 से अधिक था। ईडब्ल्यूबी की आवश्यकता से बचने के लिए बीजकों को विभाजित किया गया कि उनका मूल्य ₹ 50,000 से कम रहे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.28 लाख की राशि का कर और जुर्माना नहीं लगाया गया। विवरण **परिशिष्ट 2.10** में दिया गया है।

इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023 से दिसंबर 2023), विभाग ने बताया कि ₹ 50,000 से कम के प्रेषण के लिए ईडब्ल्यूबी की आवश्यकता नहीं है।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि इन मामलों में प्रेषण मूल्य न्यूनतम सीमा से अधिक था लेकिन ईडब्ल्यूबी सृजन से बचने के लिए बीजकों को विभाजित किया गया।

एक प्रकरण नीचे उल्लेखित है:

लेखापरीक्षा ने देखा कि एक वाहन क्र. आरजे06####87 को 28 फरवरी 2021 को आईबी, जबलपुर द्वारा इंटरसेप्ट किया गया था। वाहन में 54 ईडब्ल्यूबी से संबंधित सामान लदा हुआ था। समुचित अधिकारी ने पाया कि ईडब्ल्यूबी की वैधता समाप्त हो गई थी, इसलिए उन्होंने आगे के सत्यापन के लिए वाहन को रोक लिया। सत्यापन के बाद उन्होंने 13 ईडब्ल्यूबी से संबंधित वस्तुओं के मूल्य पर जुर्माना लगाया क्योंकि उनकी वैधता समाप्त हो गयी थी।

लेखापरीक्षा ने आगे देखा कि छह और ईडब्ल्यूबी (एक ही कंसाइनर के दो ईडब्ल्यूबी) भी एक ही कंसाइनर और कंसाइनी के साथ थे, जिनकी वैधता भी 26 और 27 फरवरी 2021 को समाप्त हो गई थी। प्रत्येक ईडब्ल्यूबी में दर्शाई गई राशि ₹ 50,000 से कम थी। समुचित अधिकारी ने जुर्माना लगाने के लिए इन ईडब्ल्यूबी पर विचार नहीं किया, जबकि उसे जुर्माना लगाना चाहिए था क्योंकि दो बिलों का कुल मूल्य ₹ 50,000 से अधिक था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.21 लाख की राशि का कर और जुर्माना नहीं लगाया गया।

इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023), विभाग ने बताया (नवंबर 2024) कि कंसाइनर अलग-अलग थे और बीजकों का मूल्य ₹ 50,000 से कम था, इसलिए, कोई जुर्माना नहीं लगाया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि भले ही कंसाइनर अलग-अलग थे, प्रत्येक कंसाइनर से दो बीजक समान कंसाइनरों को संबोधित किए गए थे, जिनका संयुक्त मूल्य ईडब्ल्यूबी सृजन करने के लिए सीमा से अधिक था। इसलिए बीजकों के मूल्य को एक साथ जोड़ा जाना चाहिए था और कर और जुर्माना लगाया जाना चाहिए था।

अनुशांसा 6: विभाग अधिनियम/नियमों में ईडब्ल्यूबी के सृजन से बचने के लिए बीजकों के विभाजन को रोकने हेतु उपयुक्त अनुदेश जारी कर सकता है।

2.3.1.5 देयता के नहीं/विलंबित समायोजन के कारण सरकारी खाते में कर और जुर्माना नहीं/विलंबित जमा होना

परिपत्र संख्या 52/2018/41-बी/21 (ईडब्ल्यूबी) दिनांक 07 अप्रैल 2018 के पैरा 2 (एच) में कहा गया है कि एमपीजीएसटी अधिनियम और एमपीजीएसटी नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर और जुर्माने की राशि का भुगतान करने के बाद, वस्तु और वाहन फॉर्म जीएसटी एमओवी-05 में एक आदेश द्वारा जारी किया जाएगा और कार्रवाई से प्राप्त मांग को इलेक्ट्रॉनिक लाएबीलीटी रजिस्टर में जोड़ा जाएगा और किए गए भुगतान को जमा किया जाएगा, एमपीजीएसटी की

धारा 49 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को डेबिट करके ऐसे इलेक्ट्रॉनिक लाएबीलीटी रजिस्टर में आकलित किया जायेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आईबी भोपाल और इंदौर-बी से संबंधित दो मामलों में, कर और जुर्माने की राशि ₹ 0.97 लाख के चालान के भुगतान तथा डीआरसी-07 के तहत देयता सृजित कर वाहनों को छोड़ दिया गया, हालांकि, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से राशि डेबिट करके इसे समायोजित नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी खाते में राशि का भुगतान नहीं किया गया था। इसके अलावा, तीन आईबी यानी भोपाल, इंदौर-बी और जबलपुर से संबंधित छह मामलों में, 23 से 251 दिनों की देरी के साथ ₹ 3.50 लाख की देनदारी का समायोजन किया गया था। विवरण **परिशिष्ट 2.11** में दिया गया है।

इंगित किए जाने पर (अक्टूबर 2023 से जनवरी 2024), विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2024) कि जीएसटी सेटऑफ के शुरुआती चरण में देरी हुई लेकिन कोई राजस्व हानि नहीं हुई। इसके अलावा, आईबी भोपाल ने कहा कि तकनीकी कारणों से सेटऑफ समय पर नहीं किया जा सका। आईबी, जबलपुर द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि आईबी, भोपाल और इंदौर-बी से संबंधित दो मामलों में, लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित करने के बाद (23 जनवरी 2024 और 08 फरवरी 2024) सेटऑफ किया गया (03 जनवरी 2024 और 12 जनवरी 2024) था। इस बात की संभावना हमेशा बनी रहती है कि करदाता द्वारा जमा की गई जुर्माने की राशि का उपयोग अन्य देनदारियों को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। जबकि बाकी छह मामलों में, सेटऑफ में देरी हुई।

एक प्रकरण नीचे उल्लेखित है:

एक वाहन क्र. एमपी09#####10 को 12 जुलाई 2019 को इंटरसेप्ट किया गया था। समुचित अधिकारी ने इस आधार पर ₹ 0.63 लाख का कर और जुर्माना लगाया क्योंकि वाहन में ईडब्ल्यूबी में उल्लिखित से अधिक अतिरिक्त सामान पाया गया था। मांग 15 जुलाई 2019 को चालान द्वारा जमा की गई थी और 15 जुलाई 2019 को डीआरसी 07 के माध्यम से देयता सृजित की गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि भले ही देयता 15 जुलाई 2019 को सृजित की गई थी, लेकिन इसे 08 फरवरी 2024 को समायोजित किया गया था, जो करदाता द्वारा मांग जमा करने के चार साल और सात महीने बाद था। इसके परिणामस्वरूप सरकारी खाते में राशि जमा होने में देरी हुई।

इंगित किये जाने पर (जनवरी 2024), विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2024) कि, तकनीकी कारणों से दायित्व का समायोजन नहीं किया जा सका। देयता 15 जुलाई 2019 को बनाई गई थी और इसे 08 फरवरी 2024 को समायोजित किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लंबे समय तक होने वाले विलंब को केवल तकनीकी कारण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है और देयता के समायोजन में देरी के कारण चार वर्ष से अधिक की देरी से राशि सरकारी खाते में जमा की गई थी।

2.3.1.6 कंसाइनर के खिलाफ देयता का सृजन न करना या कंसाइनी/ट्रांसपोर्टर के खिलाफ देयता सृजित करना

दिनांक 07 अप्रैल 2018 के परिपत्र संख्या 52/2018 के बिंदु 2 (यू के अनुसार, किसी भी कर, जुर्माना, या अन्य शुल्क की मांग संबंधित व्यक्ति (प्रेषक या प्राप्तकर्ता) के इलेक्ट्रॉनिक लाएबिलिटी रजिस्टर में जोड़ी जाएगी¹⁸। ऐसे मामले में जहां अपंजीकृत व्यक्ति के मामले में कोई इलेक्ट्रॉनिक लाएबिलिटी रजिस्टर उपलब्ध नहीं है, कॉमन पोर्टल पर समुचित अधिकारी द्वारा एक अस्थायी आईडी बनाई जाएगी और उसमें देयता बनाई जाएगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि दो आईबी (भोपाल और जबलपुर) से संबंधित अंतर-राज्यीय आपूर्ति के तीन मामलों में, ₹ 2.02 लाख की देयता नहीं बनाई नहीं गई या गलत व्यक्तियों के खिलाफ बनाई गई (परिशिष्ट 2.12) जैसा कि नीचे दिया गया है:

- (i) एक मामले में कंसाइनर और कंसाइनी दोनों दूसरे राज्यों के थे, लेकिन समुचित अधिकारी ने मध्य प्रदेश के तहत पंजीकृत ट्रांसपोर्टर के खिलाफ देयता सृजित की।
- (ii) दूसरे राज्य से मध्य प्रदेश को आपूर्ति के एक मामले में, कंसाइनर के स्थान पर मध्य प्रदेश के तहत पंजीकृत कंसाइनी के खिलाफ देयता सृजित की गयी।
- (iii) एक मामले में चालान कंसाइनर करदाता द्वारा प्रस्तुत किया था जो दूसरे राज्य में पंजीकृत था। हालांकि, केस फाइल के अभिलेखों में देयता के सृजन के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था।

इंगित जाने पर (अक्टूबर 2023 से जनवरी 2024), विभाग ने बताया (नवंबर 2024) कि जीएसटीएन द्वारा नोडल अधिकारी, वाणिज्यिक कर को जारी दिनांक 02 नवंबर 2018 के निर्देश के अनुसार, उन मामलों के लिए जहां प्राप्तकर्ता और आपूर्तिकर्ता म.प्र. में पंजीकृत नहीं हैं, धारा 68 के तहत कार्य करते हुए, राशि म.प्र. राज्य में पंजीकरण देकर जमा करनी थी। इसलिए, डीआरसी 07 में आपूर्ति का स्थान मध्य प्रदेश के रूप में दर्ज किया गया है, ताकि राशि को म.प्र. कोषागार में जमा किया जा सके।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अपनाई गई प्रक्रिया अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध है। जबकि इंटरसेप्शन कार्रवाई म.प्र. में की जाती है, पंजीकृत करदाताओं के संबंध में, संबंधित व्यक्ति (उपयुक्त रूप से प्रेषक या प्राप्तकर्ता) के खिलाफ देयता सृजित करनी होगी, न कि म.प्र. में पंजीकरण के साथ पहचाने गए व्यक्ति के विरुद्ध।

एक प्रकरण नीचे उल्लेखित है:

एक वाहन क्र. एचआर55###59 को 27 जनवरी 2019 को आईबी, भोपाल द्वारा इंटरसेप्ट किया गया था। समुचित अधिकारी ने इस आधार पर ₹ 1.02 लाख का जुर्माना लगाया क्योंकि ईडब्ल्यूबी में उल्लिखित वाहन संख्या रोके गए वाहन से अलग थी। समुचित अधिकारी ने प्राप्तकर्ता (06#####आर1जेडएच) पर देयता सृजित करने के बजाय ट्रांसपोर्टर (23#####ए1जेडएच) पर देयता सृजित की। इसके परिणामस्वरूप गलत व्यक्ति के विरुद्ध देयता सृजित हुई।

इंगित किये जाने पर (अक्टूबर 2023), विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2024) कि, जीएसटीआईएन द्वारा नोडल अधिकारी, वाणिज्यिक कर को जारी दिनांक 02 नवंबर 2018 के निर्देश के अनुसार, ऐसे मामले जहां प्राप्तकर्ता और आपूर्तिकर्ता मध्य प्रदेश में पंजीकृत नहीं हैं, धारा 68 के तहत कार्य करते हुए, राशि मध्य प्रदेश राज्य में पंजीकरण देकर जमा की जानी थी।

¹⁸ यदि आपूर्तिकर्ता अपंजीकृत व्यक्ति है और प्राप्तकर्ता पंजीकृत व्यक्ति है, तो कर देयता प्राप्तकर्ता पर होती है।

इसलिए, डीआरसी 07 में आपूर्ति का स्थान मध्य प्रदेश के रूप में दर्ज किया गया है, ताकि राशि को मध्य प्रदेश के कोषागार में जमा किया जा सके।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि मामले में, देयता बनाने के लिए कोई अस्थायी आईडी सृजित नहीं की गई थी और ट्रांसपोर्टर के खिलाफ देयता सृजित की गई थी। इसके अलावा, बार-बार अनुरोध करने के बावजूद, विभाग ने जीएसटीआईएन का निर्देश प्रदाय नहीं किया।

यह इंगित करता है कि परिपत्र में अन्य राज्य/ अन्य क्षेत्राधिकार के कंसाइनर के विरुद्ध देयता सृजित करने की प्रक्रिया के लिए कोई निर्देश नहीं है।

2.3.1.7 पंजीकृत करदाताओं के लिए अस्थायी पंजीकरण का सृजन

एमपीजीएसटी अधिनियम की धारा 2 (94) (धारा 22, 23 और 25 के साथ पठित) में कहा गया है कि "पंजीकृत व्यक्ति" का अर्थ है वह व्यक्ति जो धारा 25 के तहत पंजीकृत है, लेकिन इसमें विशिष्ट पहचान संख्या वाला व्यक्ति शामिल नहीं है।

इसके अलावा, परिपत्र संख्या 52/2018 दिनांक 07 अप्रैल 2018 के बिंदु 2 (यू) के अनुसार, किसी भी कर, जुर्माना, या अन्य शुल्क की मांग को संबंधित व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर में जोड़ा जाएगा। ऐसे मामले में जहां अपंजीकृत व्यक्ति के मामले में कोई इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर उपलब्ध नहीं है, कॉमन पोर्टल पर समुचित अधिकारी द्वारा एक अस्थायी आईडी बनाई जाएगी और उसमें देयता सृजित की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि तीन आईबी से संबंधित 27 मामलों में, समुचित अधिकारी ने अस्थायी आईडी सृजित करके ₹ 34.58 लाख का कर और जुर्माना लगाया, भले ही आपूर्तिकर्ताओं के जीएसटीआईएन नंबर उपलब्ध थे (परिशिष्ट 2.13), जैसा कि नीचे दिया गया है:

- (i) 27 मामलों में से 25 मामले अंतरराज्यीय आपूर्ति के थे, जिनमें से एक मामले में आपूर्तिकर्ता मध्य प्रदेश का था, जबकि 24 मामलों में आपूर्तिकर्ता अन्य राज्यों से थे।
- (ii) दो मामलों में, आपूर्ति अंतर-राज्यीय थी और आपूर्तिकर्ता मध्य प्रदेश से था।

इसके परिणामस्वरूप संबंधित व्यक्ति (कंसाइनर) के खिलाफ दायित्व का निर्माण नहीं हुआ।

इंगित किये जाने पर (अक्टूबर 2023 से जनवरी 2024), विभाग ने जवाब दिया (नवंबर 2024) कि राज्य के बाहर के पंजीकृत डीलरों को मध्य प्रदेश के अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में लाने और मध्य प्रदेश में राजस्व प्राप्त करने के लिए अस्थायी पंजीकरण की आवश्यकता है। यदि दूसरे राज्य का डीलर आदेश के खिलाफ अपील दायर करना चाहता है, तो वह अस्थायी पंजीकरण के माध्यम से ऑनलाइन अपील कर सकता है और अपील स्वीकार करने की स्थिति में रिफंड दिया जा सकता है। इस संबंध में, जीएसटीएन को ई-मेल के माध्यम से अस्थायी आईडी जारी करने का निर्देश दिया गया था, इसलिए, समुचित अधिकारियों ने राजस्व के पक्ष में निर्देशों का पालन किया। अस्थायी पंजीकरण के लिए, भविष्य में राजस्व के समुचित संग्रह के लिए जीएसटी परिषद के माध्यम से स्पष्ट निर्देश जारी करना उपयुक्त होगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि परिपत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपंजीकृत व्यक्ति के मामले में इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर उपलब्ध न होने पर अस्थायी आईडी बनाई जानी चाहिए। इन सभी मामलों में, सभी कंसाइनरों के जीएसटीआईएन नंबर उपलब्ध थे, इसलिए अस्थायी आईडी नहीं बनाई जानी चाहिए थी। अस्थायी आईडी बनाकर मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों

का कर और जुर्माना भी वसूला गया जो जीएसटी के गंतव्य आधारित कर होने की भावना के खिलाफ है। उत्तर से यह भी पता चलता है कि अन्य राज्य/ क्षेत्राधिकार के करदाताओं के विरुद्ध देयता सृजित करने के संबंध में कोई निर्देश नहीं हैं।

एक प्रकरण नीचे उल्लेखित है:

एक वाहन क्र. एमपी04#####59 को 30 सितंबर 2021 को एईबी भोपाल द्वारा इंटरसेप्ट किया गया था। चूंकि चालक अपने साथ ईडब्ल्यूबी नहीं ले गया था, इसलिए समुचित अधिकारी ने वाहन को हिरासत में ले लिया और ₹ 6.83 लाख का कर, जुर्माना और उपकर लगाया। चालक द्वारा कंसाइनर जीएसटीआईएन के साथ बीजक प्रस्तुत किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि समुचित अधिकारी ने कंसाइनर के खिलाफ देयता बनाने के बजाय, कर, जुर्माना और उपकर के भुगतान के लिए अस्थायी आईडी बनाई। यह वाहन को इंटरसेप्ट करने के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देशों के प्रावधान के विरुद्ध था।

इंगित किए जाने पर (अक्टूबर 2023 से जनवरी 2024), विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2024) कि अन्य राज्यों के पंजीकृत डीलरों को मध्य प्रदेश के अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में लाने और मध्य प्रदेश में राजस्व प्राप्त करने के लिए अस्थायी पंजीकरण की आवश्यकता है। यदि दूसरे राज्य का डीलर आदेश के खिलाफ अपील दायर करना चाहता है, तो वह अस्थायी पंजीकरण के माध्यम से ऑनलाइन अपील कर सकता है और अपील स्वीकार करने की स्थिति में रिफंड दिया जा सकता है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि परिपत्र में केवल अपंजीकृत व्यक्ति के मामले में अस्थायी जीएसटीआईएन बनाने की परिकल्पना की गयी है।

अनुशांसा 7: विभाग पहले से पंजीकृत करदाताओं के खिलाफ अस्थायी पंजीकरण के सृजन को रोकने के साथ-साथ पंजीकृत करदाता के संबंध में उनके पंजीकृत जीएसटीआईएन पर देयता सृजित करने के लिए इस मामले को जीएसटीएन के साथ उठा सकता है, जिसका अधिकार क्षेत्र अन्य राज्यों के पास है।

2.3.1.8 ईडब्ल्यूबी उल्लंघन के लिए कर और जुर्माना लगाते समय समुचित अधिकारियों द्वारा आपूर्ति के मूल्य में वस्तु दुलाई शुल्क को शामिल करने में एकरूपता न होना

एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 15 में कहा गया है कि वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति का मूल्य, लेनदेन मूल्य होगा, जो वस्तुओं और सेवाओं की उक्त आपूर्ति के लिए वास्तव में भुगतान की गई या देय कीमत है या दोनों है, जहां आपूर्तिकर्ता और आपूर्ति के प्राप्तकर्ता संबंधित नहीं हैं और कीमत आपूर्ति का एकमात्र प्रतिफल है। इसमें इस अधिनियम के अलावा किसी भी कानून के तहत समय-समय पर लागू कोई भी कर, शुल्क, उपकर, फीस और प्रभार शामिल हैं, यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा अलग से लिए जाते हैं और आकस्मिक खर्च जिसमें कमीशन और पैकिंग शामिल है, जो आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति के प्राप्तकर्ता से लिए जाते हैं, जिसमें वस्तु या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों की आपूर्ति के संबंध में आपूर्तिकर्ता द्वारा वस्तु की डिलिवरी के समय या उससे पहले या, जैसा भी मामला हो, किए गए किसी भी कार्य के लिए ली जाने वाली कोई भी राशि शामिल है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि लेखापरीक्षा द्वारा जांच किए गए 150 इंटरसेपशन मामलों में से, 88 मामलों में विभागीय अधिकारियों ने आपूर्ति का मूल्य निर्धारित करते समय वस्तु दुलाई शुल्क को शामिल किया और 62 मामलों में, विभागीय

अधिकारियों ने निर्धारण योग्य मूल्य में वस्तु दुलाई शुल्क को शामिल नहीं किया, जैसा कि नीचे तालिका 2.4 में बताया गया है :

तालिका 2.4: कर निर्धारण मूल्य में वस्तु दुलाई शुल्क समायोजित करना

एडबी	कुल नमूना प्रकरण	वस्तु दुलाई शुल्क सम्मिलित	वस्तु दुलाई शुल्क सम्मिलित नहीं
भोपाल	50	-	50
इंदौर-बी	50	46	04
जबलपुर	50	42	08
कुल	150	88	62

इंगित किए जाने पर (अक्टूबर 2023 से जनवरी 2024), विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2024) कि अधिनियम की धारा 15(2) के अनुसार, वस्तु दुलाई शुल्क को आपूर्ति के मूल्य में शामिल किया जाना चाहिए यदि वस्तु दुलाई शुल्क चालान में अलग से लिया जाता है। क्योंकि परिवहन से संबंधित सेवाएं वस्तु परिवहन एजेंसी (जीटीए) द्वारा प्रदान की जाती हैं, जिस पर रिवर्स चार्ज की देयता जीटीए पर धारा 9(3) के तहत आती है। इस तरह एक सेवा पर दो बार कर लगाना संभव नहीं है। इसलिए, कर और जुर्माने की गणना करते समय वस्तु भाड़ा शुल्क नहीं लिया गया है।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि 88 प्रकरण में समुचित अधिकारी द्वारा वस्तु दुलाई शुल्क जोड़कर आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण किया है। इन सभी प्रकरणों में वस्तु दुलाई शुल्क बीजकों में पृथक से प्रदर्शित नहीं किया गया था।

इस प्रकार, समुचित अधिकारियों द्वारा की गई अलग-अलग कार्रवाईयों से पता चलता है कि निर्धारण योग्य मूल्य में वस्तु दुलाई प्रभारों को शामिल करने के लिए कोई निर्देश नहीं थे।

अनुशंसा 8: विभाग को प्रावधानों के अनुसार, जहां कहीं भी लागू हो, निर्धारण योग्य मूल्य में वस्तु भाड़े को शामिल करने के लिए समुचित अधिकारियों को निर्देश जारी करने की आवश्यकता है।

2.3.1.9 कर, उपकर और जुर्माने का गलत वर्गीकरण

एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9 में कहा गया है कि वस्तुओं की सभी अंतरराज्यीय आपूर्ति पर सीजीएसटी/एसजीएसटी नामक कर लगाया जाएगा। आईजीएसटी अधिनियम की धारा 5 (1) में यह भी कहा गया है कि वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की सभी अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत वस्तु और सेवा कर नामक कर लगाया जाएगा। इसके अलावा, वस्तु और सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017 की धारा 8 में कहा गया है कि जीएसटी परिषद द्वारा सिफारिश के अनुसार कुछ वस्तुओं पर उपकर लगाया जाएगा। कर/ उपकर जमा करने के लिए प्रमुख शीर्ष सीजीएसटी (0005), एसजीएसटी (0006), आईजीएसटी (0008) और उपकर (0009) हैं।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एडबी से संबंधित अंतर-राज्यीय आपूर्ति के दो मामलों में, समुचित अधिकारी ने आईजीएसटी के बजाय सीजीएसटी और एसजीएसटी के तहत कर और जुर्माना लगाया। जबकि एडबी, भोपाल से संबंधित अंतर-राज्यीय आपूर्ति के एक मामले में, समुचित अधिकारी ने एमओवी-09 में आईजीएसटी और उपकर¹⁹ लगाया, लेकिन कंसाइनर ने केवल आईजीएसटी के तहत कुल राशि का भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप कर, जुर्माना और उपकर का गलत वर्गीकरण हुआ (परिशिष्ट 2.14)।

¹⁹ कर और जुर्माने की मांग का आदेश।

अक्टूबर 2023 से जनवरी 2024 के मध्य ये इंगित किये गए थे। इन मुद्दों पर विभाग के उत्तर प्रतीक्षित (जुलाई 2025) है। एक प्रकरण नीचे उल्लेखित है:

एक वाहन क्र. एनएल01####90 को 22 दिसंबर 2020 को आईबी, भोपाल द्वारा इंटरसेप्ट किया गया था। समुचित अधिकारी ने ईडब्ल्यूबी पर गलत वाहन विवरण के लिए ₹ एक लाख का कर और जुर्माना लगाया। समुचित अधिकारी ने आईजीएसटी के बजाय सीजीएसटी और एसजीएसटी मद के तहत कर और जुर्माना लगाया। इसके परिणामस्वरूप कर और जुर्माने का गलत वर्गीकरण हुआ।

अक्टूबर 2023 में यह इंगित किया गया था। इस मुद्दे पर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित (जुलाई 2025) है।

2.3.1.10 कर और जुर्माने का अधिक आरोपण

एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 के सेक्शन 129 और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 के सेक्शन 20 के अनुसार, अगर वस्तु का मालिक जुर्माना देने के लिए सामने आता है, तो रोके गए वाहन को उस सामान पर लगाने वाले कर के 200 प्रतिशत के बराबर जुर्माना देकर छोड़ा जा सकता है, या अगर वस्तु का मालिक जुर्माना देने के लिए सामने नहीं आता है, तो वस्तु की कीमत के 50 प्रतिशत या उस पर लगाने वाले कर के 200 प्रतिशत के बराबर जुर्माना देकर, जो भी ज्यादा हो, छोड़ा जा सकता है।

एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 15(1) में कहा गया है कि वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति का मूल्य, लेनदेन मूल्य होगा, जो वास्तव में वस्तुओं और सेवाओं की उक्त आपूर्ति के लिए भुगतान की गई या देय कीमत है या दोनों जहां आपूर्तिकर्ता और आपूर्ति के प्राप्तकर्ता संबंधित नहीं हैं, और कीमत आपूर्ति का एकमात्र प्रतिफल है। एमपीएसजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 15 (2) के अनुसार, आपूर्ति के मूल्य में इस अधिनियम, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, केंद्र शासित प्रदेश वस्तु और सेवा कर अधिनियम और वस्तु और सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम के अलावा किसी भी कानून के तहत लगाए गए कोई भी कर, शुल्क, उपकर, फीस और प्रभार शामिल होंगे। यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा अलग से शुल्क लिया जाता है।

लेखापरीक्षा ने समुचित अधिकारी द्वारा सात मामलों में कर और जुर्माने की अधिक वसूली के मामले को देखा, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

2.3.1.10.1 आपूर्ति के मूल्य के निर्धारण के लिए लाभ और कर को शामिल करने के कारण कर और जुर्माने की अधिक वसूली

एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 15(1) में करयोग्य आपूर्ति के मूल्य के बारे में परिकल्पना की गई है क्योंकि "वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति का मूल्य, लेनदेन मूल्य होगा, जो वास्तव में भुगतान की गई कीमत है या वस्तुओं या सेवाओं की उक्त आपूर्ति के लिए देय है या दोनों जहां आपूर्तिकर्ता और आपूर्ति के प्राप्तकर्ता संबंधित नहीं हैं, और कीमत आपूर्ति के लिए एकमात्र प्रतिफल है"।

लेखापरीक्षा ने देखा कि आईबी जबलपुर से संबंधित पांच मामलों में, आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण करते समय समुचित अधिकारी ने आपूर्ति के मूल्य में नोशनल लाभ को शामिल किया और फिर उस पर कर और जुर्माने की गणना की। जबकि एक मामले में, लाभ और कर को कर निर्धारण योग्य मूल्य में शामिल किया गया था। इसके परिणामस्वरूप मूल्य का अधिक

निर्धारण हुआ और इसके परिणामस्वरूप कर और जुर्माने की राशि ₹ 0.34 लाख की अतिरिक्त वसूली की गयी। विवरण परिशिष्ट 2.15 में दिया गया है।

अक्टूबर 2023 से जनवरी 2024 तक इन्हे इंगित किया गया था। विभाग के उत्तर प्रतीक्षित (जून 2025) है।

एक प्रकरण नीचे उल्लेखित है:

लेखापरीक्षा ने देखा कि आईबी जबलपुर से संबंधित एक मामले में आपूर्ति के मूल्य का निर्धारण करते समय समुचित अधिकारी ने आपूर्ति के मूल्य में जीएसटी को शामिल किया और फिर उस पर कर और जुर्माने की गणना की। इसके परिणामस्वरूप कर और जुर्माने की अधिक वसूली हुई।

एक वाहन नं. एमएच40####23 को 15 अप्रैल 2018 को आईबी जबलपुर द्वारा इंटरसेप्ट किया गया था। वाहन के चालक ने ईडब्ल्यूबी प्रस्तुत नहीं किया, इसलिए समुचित अधिकारी ने ₹ 0.34 लाख का जुर्माना लगाया। हालांकि, समुचित अधिकारी ने ₹ 1.63 लाख के निर्धारण योग्य मूल्य का निर्धारण करते समय ₹ 0.19 लाख का वस्तु और नोशनल लाभ और ₹ 0.14 लाख का कर (सीजीएसटी/ एसजीएसटी/ आईजीएसटी) भी शामिल किया। कर और जुर्माने के निर्धारण योग्य मूल्य पर ₹ 0.14 लाख था। इसके परिणामस्वरूप कर और जुर्माने की राशि ₹ 0.07 लाख की अधिक वसूली की गयी थी।

दिसंबर 2023 में यह इंगित किया गया था। विभाग का उत्तर प्रतीक्षित (जून 2025) था।

2.3.1.10.2 अधिनियम के गलत प्रावधान के लागू किए जाने के कारण कर एवं जुर्माना की अधिक वसूली

धारा 129 (1) (ए) और (बी) में ईडब्ल्यूबी प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में कर और जुर्माना लगाने के प्रावधान हैं। धारा 129 (1) (बी) तब लागू होती है जब वस्तु का मालिक जुर्माना चुकाने के लिए सामने नहीं आता है, जो मालिक के सामने आने पर लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि से अधिक है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि एक मामले में धारा 129 (1) (बी) को गलत तरीके से लागू किया गया था, जबकि वस्तु के मालिक का विवरण उपलब्ध था और वस्तु के मालिक पर जुर्माना भी लगाया गया था।

एक वाहन नं. एमपी09####58 को 28 अक्टूबर 2021 को आईबी, भोपाल द्वारा इंटरसेप्ट किया गया था। अधिकारी ने देखा कि ड्राइवर द्वारा प्रस्तुत किए गए बीजक पर बीजक संख्या नहीं थी। समुचित अधिकारी ने अधिनियम की धारा 129 (1) (बी) के तहत ₹ 29,854²⁰ का जुर्माना लगाया। हालांकि, ड्राइवर द्वारा प्रस्तुत किए गए बीजक पर कंसाइनर का जीएसटीएन था। सत्यापन के बाद, डीआरसी-07 भी मालिक के नाम पर जारी किया गया था और करदाताओं के नकद बहीखाते में राशि की क्रेडिट और डेबिट प्रविष्टि भी पाई गई थी, इसलिए मालिक की ओर से चालक द्वारा जुर्माने का भुगतान किया गया था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि मालिक कर का भुगतान करने के लिए सामने नहीं आया। जुर्माना खंड (1) (ए) के अनुसार लगाया जाना चाहिए था, लेकिन जुर्माना खंड (1) (बी) के तहत लगाया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 20,746 का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया।

इंगित किए जाने पर (अक्टूबर 2023), विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2024) कि एमओवी-07 में एससीएन जुर्माना लगाने के लिए जारी किया गया था। एससीएन में दोनों क्लॉज के तहत जुर्माने का उल्लेख किया गया था क्योंकि समुचित अधिकारी

²⁰ सीजीएसटी: कर = ₹ 2,277, जुर्माना = ₹ 12,650 और एसजीएसटी: कर = ₹ 2,277, जुर्माना = ₹ 12,650

को यह नहीं पता होता है कि मालिक या ट्रांसपोर्टर द्वारा जुर्माने का भुगतान किया जाएगा या नहीं। एससीएन के अनुपालन में, करदाताओं ने आपत्ति आदेश जारी होने से पहले बिना किसी प्रश्न के कर और जुर्माने का चालान प्रस्तुत किया था। देनदारियों के भुगतान के बाद वाहन को छोड़ना आवश्यक था और तदनुसार डीआरसी-07 जारी किया गया था। इस मामले में राजस्व का कोई नुकसान नहीं हुआ है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि वस्तु का मालिक, या उसका प्रतिनिधि समुचित अधिकारी के आदेश के अनुसार कर और जुर्माना जमा कर सकता है और एमओवी-07 में सही प्रावधानों का उल्लेख करना समुचित अधिकारी की जिम्मेदारी है। वर्तमान मामले में, समुचित अधिकारी ने धारा 129 (1)(बी) के अनुसार कर और जुर्माना लगाया और करदाता के पास अतिरिक्त कर और जुर्माने का भुगतान करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।

अनुशंसा 9: विभाग प्रावधानों के अनुसार सही कर और जुर्माना लगाने के लिए समुचित अधिकारियों को निर्देश जारी करने पर विचार कर सकता है।

2.3.1.11 इंटरसेप्शन फ़ाइलों में उचित दस्तावेजों का रखरखाव न करना

विभाग ने दिनांक 07 अप्रैल, 2018 के परिपत्र²¹ के माध्यम से वस्तु की आवाजाही के निरीक्षण के लिए वाहनों को इंटरसेप्ट करने और ऐसे वस्तु और वाहनों को रोकने, मुक्त करने और जब्त करने की प्रक्रिया पर दिशा-निर्देश जारी किए।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 31 केस फाइलों में, निरीक्षण रिपोर्ट (एमओवी-4) उपलब्ध नहीं थी, जैसा कि नीचे तालिका 2.5 में विस्तृत है :

तालिका 2.5: प्रकरण जिनमें एमओवी-04 फॉर्म उपलब्ध नहीं थे

पाई गई कमी का विवरण	एडबी	कुल प्रकरणों की संख्या	सत्यापित प्रकरणों की संख्या	उन प्रकरणों की संख्या जिनमें कमी देखी गई
परिवहन के प्रभारी व्यक्ति को दी जाने वाली जीएसटी-एमओवी-4 में निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी।	3	5,367	150	31 ²²

बताए जाने पर (जून 2024), सरकार ने उत्तर दिया (नवंबर 2024) कि दिशानिर्देशों और परिपत्रों के अनुपालन के लिए सभी इकाइयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

2.3.1.12 कॉमन पोर्टल पर निरीक्षण की अंतिम रिपोर्ट (ईडब्ल्यूबी-03) को रिकॉर्ड न किया जाना

नियम 138 सी में प्रावधान है कि पारगमन में वस्तु के प्रत्येक निरीक्षण की एक सारांश रिपोर्ट निरीक्षण के चौबीस घंटे के भीतर फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी-03 के भाग ए में समुचित अधिकारी द्वारा ऑनलाइन दर्ज की जाएगी और फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी-03 के भाग बी में अंतिम रिपोर्ट इस तरह के निरीक्षण के तीन दिनों के अंदर दर्ज की जाएगी।

विभाग के परिपत्र 52/2018 दिनांक 07 अप्रैल 2018 के पैरा 2 (एफ) में यह भी कहा गया है कि वाहन और वस्तु की आवाजाही के भौतिक सत्यापन/ निरीक्षण के पूरा होने पर, समुचित अधिकारी इस तरह के भौतिक सत्यापन/ निरीक्षण के

²¹ नंबर 52/2018/41-बी/21 (ईडब्ल्यूबी)

²² एडबी जबलपुर के तीन मामले, एडबी भोपाल के 20 मामले और एडबी इंदौर-बी के आठ मामले।

तीन दिनों के भीतर फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी-03 के भाग बी में निरीक्षण की अंतिम रिपोर्ट भी सामान्य पोर्टल पर दर्ज करेगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि तीन नमूना आईबी में, 73 मामलों में, फॉर्म जीएसटी ईडब्ल्यूबी-03 के भाग ए और बी में वाहन के निरीक्षण की अंतिम रिपोर्ट कॉमन पोर्टल (**परिशिष्ट 2.16**) पर दर्ज नहीं की गई थी, जैसा कि नीचे तालिका 2.6 में दर्शाया गया है:

तालिका 2.6: ऐसे मामले जहां इंसपेक्शन की फाइनल रिपोर्ट कॉमन पोर्टल पर रिकॉर्ड नहीं की गई

एडबी का नाम	नमूना जांच के लिए लेखापरीक्षा द्वारा चयनित प्रकरण	प्रकरण जिनमें पोर्टल पर ईडब्ल्यूबी-03 सृजित नहीं किया गया	कमी प्रतिशत में
एडबी, भोपाल	50	10	20
एडबी, इंदौर	50	38	76
एडबी, जबलपुर	50	25	50
कुल	150	73	49

इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2023 से जनवरी 2024), विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2024) कि मामलों में कोई राजस्व हानि शामिल नहीं है। नई ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने और प्रक्रियात्मक दक्षता की कमी के कारण, जीएसटी ईडब्ल्यूबी-03 को पोर्टल पर दर्ज नहीं किया जा सका, लेकिन अब सभी मामलों में ईडब्ल्यूबी-03 समय पर सृजित होते हैं। भविष्य में चूक से बचने के लिए कर्मचारियों को अनुपालन के लिए भी निर्देश दिए गए हैं।

2.4 निष्कर्ष और अनुशंसाएँ

2.4.1 निष्कर्ष

जीएसटी के तहत ईडब्ल्यूबी प्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने ईडब्ल्यूबी प्रणाली की प्रभावशीलता में कमियों को देखा और करदाताओं द्वारा ईडब्ल्यूबी सृजित करने लेकिन रिटर्न दाखिल नहीं करने, ईडब्ल्यूबी सृजित करने लेकिन निरंक रिटर्न भरना, कंपोजिशन करदाताओं द्वारा अंतर-राज्यीय आपूर्ति के लिए ईडब्ल्यूबी जेनेरेट करने, कंपोजिशन योजना की सीमा को पार करने वाले ईडब्ल्यूबी सृजित करने, करदाताओं द्वारा ईडब्ल्यूबी सृजित करना किन्तु रिटर्न में प्रतिवेदित न करना, पंजीकरण निरस्त करने के बाद ईडब्ल्यूबी सृजित करने वाले करदाता, कई ईडब्ल्यूबी बनाने के लिए एकल बीजक का उपयोग करने वाले करदाता, संदिग्ध वाहनों का उपयोग करके ईडब्ल्यूबी का सृजन, पंजीकरण के लिए सीमा से अधिक मूल्य वाले ईडब्ल्यूबी सृजित करने वाले अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता और असामान्य रूप से उच्च मूल्य वाले ईडब्ल्यूबी का सृजन। करदाताओं के एक समूह द्वारा आपूर्ति किए बिना सर्कुलर ट्रेडिंग का उदाहरण भी देखा गया। इन मुद्दों में ₹ 4.69 करोड़ के कर से जुड़े 46 विचलन शामिल थे।

विभाग के निरोधक कार्यों के संबंध में, लेखापरीक्षा ने 158 मामलों में कमियां पाई हैं जैसे कि एनआईसी की विश्लेषणात्मक रिपोर्टों का अपर्याप्त उपयोग, विभाग द्वारा वाहनों के इंटरसेप्शन में कमियां, जिसमें कर और जुर्माने की कम वसूली शामिल है और प्रणाली में देयता का कम सृजन शामिल है। आपूर्ति के मूल्य के निर्धारण में वस्तु दुलाई को शामिल करने में एकरूपता, कर और आपूर्ति का गलत वर्गीकरण, देयता की देरी से समायोजन/ समायोजन न होने, ईडब्ल्यूबी के निर्माण से बचने के लिए बीजक का विभाजन, पंजीकृत करदाता के लिए अस्थायी आईडी का निर्माण, कर और जुर्माने की अधिक वसूली और दस्तावेजों का रखरखाव न करने के मामले भी पाये गए।

2.4.2 अनुशासकः

- विभाग एनआईसी के साथ इस मामले को उठा सकता है और करदाता के साथ-साथ कर अधिकारी को शून्य रिटर्न दाखिल करने के मामले में ईडब्ल्यूबी सृजित करने का संकेत देने के लिए चेतावनी संदेश उत्पन्न करने के लिए प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण को शामिल करने पर विचार कर सकता है।
- विभाग निरस्त किए गए करदाताओं द्वारा ईडब्ल्यूबी के सृजन को रोकने के लिए प्रणाली में सत्यापन नियंत्रण को शामिल करने के लिए एनआईसी के साथ मामला उठा सकता है।
- विभाग एक ही चालान के साथ कई ईडब्ल्यूबी के सृजन को रोकने के लिए ईडब्ल्यूबी प्रणाली में एक सत्यापन नियंत्रण को शामिल करने के लिए एनआईसी के साथ मामला उठा सकता है।
- विभाग असामान्य रूप से उच्च मूल्य वाले करदाता और विभागीय अधिकारी को ईडब्ल्यूबी पर सचेत करने के लिए प्रणाली में एक नरम नियंत्रण को शामिल करने पर विचार करने के लिए एनआईसी के साथ मामला उठा सकता है।
- विभाग को विभागीय अधिकारियों द्वारा विश्लेषणात्मक रिपोर्टों के उपयोग के लिए अनुदेश जारी करने और आवधिक रिपोर्टों के माध्यम से इसकी निगरानी करने की आवश्यकता है।
- विभाग अधिनियम/नियमों में उपयुक्त प्रावधान करने पर विचार कर सकता है और ईडब्ल्यूबी के सृजन से बचने के लिए बीजकों के विभाजन को रोकने के लिए उपयुक्त अनुदेश जारी कर सकता है।
- विभाग पहले से पंजीकृत करदाताओं के खिलाफ अस्थायी पंजीकरण के सृजन को रोकने के लिए और पंजीकृत करदाता के संबंध में उनके पंजीकृत जीएसटीआईएन पर मांग पैदा करने के लिए इस मामले को जीएसटीएन के साथ उठा सकता है, जिसका अधिकार क्षेत्र अन्य राज्यों के पास निहित है।
- विभाग को प्रावधानों के अनुसार निर्धारण योग्य मूल्य में वस्तु भाड़ा शुल्क को शामिल करने के लिए निर्देश जारी करने की आवश्यकता है।
- विभाग प्रावधानों के अनुसार सही कर और जुर्माना लगाने के लिए समुचित अधिकारियों को निर्देश जारी करने पर विचार कर सकता है।

अध्याय III

“वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान एवं
विवरणियाँ दाखिल किए जाने पर विभाग की
निगरानी (चरण-II)” पर विषय विशिष्ट
अनुपालन लेखापरीक्षा

III

“वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान एवं विवरणियाँ दाखिल किए जाने पर विभाग की निगरानी (चरण-II)” पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा

सारांश

“वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान एवं विवरणियाँ दाखिल किए जाने पर विभाग की निगरानी (चरण-II)” पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा: 2017-18 से 2020-21 की अवधि से संबंधित वृत्त लेखापरीक्षा के तहत 10 वृत्तों के अभिलेखों की परीक्षण-जांच के दौरान, अधिनियम/ नियमों के प्रावधानों का पालन न करने के निम्नलिखित मुद्दे पाये गए:

❖ वृत्तों के निरीक्षण कार्य

- विवरणियाँ दाखिल न करने वालों पर कार्रवाई का अभाव,
- धीमी गति/ विवरणियों की संवीक्षा शुरू न करना,
- कर प्राधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा में विलंब/ आंतरिक लेखापरीक्षा शुरू नहीं की गई,
- डीजीएआरएम¹ की रिपोर्ट पर कार्रवाई का अभाव,
- पंजीकरण को स्वतः निरस्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करना,
- जीएसटीआर-10 दाखिल न करने पर अपर्याप्त अनुवर्ती कार्यवाही।

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के अंतर्गत 17 मापदंडों के आधार पर, 2018-19 से 2020-21 की अवधि के विवरणियों की नमूना जाँच के दौरान, 319 करदाताओं से संबंधित 652 उच्च-जोखिम विचलन पहचाने गए। इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी)/ कर देयता / ₹ 11,401.74 करोड़ के कारोबार में मिसमैच से जुड़े 612 विचलन में अधिनियम/ नियमों के प्रावधानों का पालन न करने के निम्नलिखित मुद्दे संज्ञान में आये:

- ❖ आईटीसी/ कर देनदारी के मिसमैच 553 प्रकरणों में से 394 प्रकरण अनुपालन की खामियों से संबंधित हैं, जिनकी राशि ₹ 1,636.01 करोड़ (71.25 प्रतिशत) है।
- ❖ टर्नओवर के मिसमैच के 59 प्रकरणों में से ₹ 6,382.04 करोड़ (61.02 प्रतिशत) के 36 प्रकरण अनुपालन कमियों के सामने आए।
- ❖ ‘जीएसटीआर-2ए एवं जीएसटीआर-3बी के मध्य आईटीसी विसंगति’, ‘लंबित देनदारियाँ’, ‘बिना आपूर्तिकर्ता के कर जमा किये आईटीसी पास किये गए’ तथा ‘ई-वे बिल सत्यापन के आधार पर कर देयता को छिपाने’ जैसे जोखिम मापदंडों में तुलनात्मक रूप से उच्च विचलन दर्से पाई गईं।

2018-19 से 2020-21 की अवधि से संबंधित विस्तृत लेखापरीक्षा के तहत 70 करदाताओं के अभिलेखों की जांच के दौरान, अधिनियम/ नियमों के प्रावधानों का पालन न करने के निम्नलिखित मुद्दे पाये गए:

❖ कार्यक्षेत्र सीमाएँ

राज्य वाणिज्यिक कर विभाग के पाँच क्षेत्राधिकार क्षेत्रों ने चयनित नमूना 70 करदाताओं के ₹ 4,899 करोड़ की राशि के विचलन/ मिसमैच के संबंधित विस्तृत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए।

❖ विवरणियाँ दाखिल करना

₹ 0.50 करोड़ की राशि वाले 15 प्रकरणों में ब्याज का कम भुगतान देखा गया।

❖ आईटीसी से संबंधित मिसमैच

करदाताओं द्वारा आईटीसी की उपलब्धता में असंगतियों से संबंधित प्रकरणों में जैसे जीएसटीआर-9/ 3बी में दर्शाए गए आईटीसी की तुलना में जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध आईटीसी का अंतर, आरसीएम के अंतर्गत आईटीसी का

¹ विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय

उपभोग, ईसीएल में उपलब्ध आईटीसी और वार्षिक रिटर्न के बीच अंतर, करयोग्य एवं करमुक्त आपूर्ति के लिए साझा इनपुट पर आईटीसी रिवर्सल में असंगति आदि कुल 323 प्रकरणों में ₹4,384.01 करोड़ की राशि से संबंधित विसंगतियाँ पाई गईं।

❖ कर देयता के निर्वहन से संबंधित मिसमैच

जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी/9 रिटर्न के बीच कर देयता में असंगतियाँ, कर भुगतान के संदर्भ में अप्रदत्त कर देयता, तथा जीएसटीआर-9सी में घोषित अमिलान कर भुगतान ऐसी कुल 148 मामलों में देखी गईं, जिनमें ₹ 514.99 करोड़ की कर राशि सम्मिलित थी।

3.1 परिचय

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की शुरुआत ने केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए कई करों का स्थान ले लिया है। जीएसटी, जो 01 जुलाई 2017 से लागू हुआ है, वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति या दोनों पर प्रत्येक मूल्यवर्धन पर लगाया जाने वाला गंतव्य-आधारित उपभोग कर है। केंद्र और राज्य एक साथ एक समान कर आधार पर जीएसटी लगाते हैं। केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी)/ केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी (यूटीजीएसटी) राज्य के भीतर आपूर्ति पर लगाया जाता है, और एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) अंतर-राज्य आपूर्ति पर लगाया जाता है।

एमपीजीएसटी अधिनियम की धारा 59, जीएसटी को स्व-मूल्यांकन-आधारित कर के रूप में निर्धारित करती है, जिसके तहत कर देयता की गणना करने, गणना की गई कर देयता का निर्वहन करने और विवरणियाँ दाखिल करने की जिम्मेदारी करदाता पर निहित होती है। जीएसटी विवरणियाँ को सामान्य जीएसटी पोर्टल पर नियमित रूप से ऑनलाइन दाखिल किया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर जुर्माना देय होगा। यहां तक कि अगर व्यवसाय में किसी विशेष कर अवधि के दौरान कोई कर देयता नहीं है, तो उसे अनिवार्य रूप से शून्य विवरणियाँ दाखिल करना होगा। इसके अलावा, एमपीजीएसटी नियमों के नियम 99 के साथ पठित अधिनियम की धारा 61 में बताया गया है कि समुचित अधिकारी करदाताओं द्वारा प्रस्तुत विवरणियाँ और संबंधित विवरणों की जाँच कर सकता है, करदाताओं को विसंगतियों के बारे में बता सकता है और स्पष्टीकरण मांग सकता है।

इस नई कर व्यवस्था में कर अनुपालन के लिए परिकल्पित नियंत्रण तंत्र और वाणिज्यिक कर विभाग (विभाग), मध्य प्रदेश के निगरानी तंत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) को शुरू किया गया था।

3.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह लेखापरीक्षा जीएसटी व्यवस्था के तहत कर अनुपालन के संबंध में विभाग द्वारा अपनाई गई प्रणालियों और प्रक्रियाओं की पर्याप्तता और प्रभावशीलता पर आश्वासन प्रदान करने की दिशा में था। निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ 'जीएसटी भुगतान और विवरणियाँ फाइलिंग पर विभाग की निगरानी' का लेखापरीक्षा किया गया:

- क्या नियमों और प्रक्रियाओं को कर अनुपालन पर प्रभावी जाँच सुरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था और करदाताओं द्वारा इसका विधिवत पालन किया जा रहा था; और
- क्या वृत्तों की जाँच प्रक्रियाएं, आंतरिक लेखापरीक्षा और अन्य अनुपालन कार्य पर्याप्त और प्रभावी थे।

3.3 लेखापरीक्षा पद्धति और कार्यक्षेत्र

यह एसएससीए मुख्य रूप से आँकड़ा विश्लेषण के आधार पर आयोजित किया गया था, जिसमें अप्रैल 2018 से मार्च 2021 की अवधि से संबंधित जोखिम क्षेत्रों और रेड फ्लैग्स पर प्रकाश डाला गया था। आँकड़ा विश्लेषण के माध्यम से, इनपुट टैक्स क्रेडिट, कर देयता के निर्वहन, पंजीकरण और विवरणियाँ फाइलिंग के डोमेन में 17² विचलनों के एक सेट की पहचान की गई। इस तरह के विचलन का एक केंद्रीकृत लेखापरीक्षा³, के माध्यम से पालन किया गया था जिसके तहत इन विचलनों के बारे में संबंधित राज्य विभागीय क्षेत्रीय संरचनाओं को सूचित किया गया था और क्षेत्र के दौरों को शामिल किए बिना चिन्हित विचलन पर क्षेत्राधिकार संरचनाओं द्वारा की गई कार्रवाई का पता लगाया गया था। केंद्रीकृत लेखापरीक्षा को एक विस्तृत लेखापरीक्षा द्वारा पूरक किया गया था, जिसमें क्षेत्राधिकार क्षेत्र संरचनाओं के पास उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन के लिए क्षेत्र के दौर शामिल थे। करदाताओं से संबंधित आँकड़े/ दस्तावेजों (जैसे पंजीकरण, कर भुगतान, विवरणियाँ और अन्य विभागीय कार्यों) की जाँच करने के लिए जितना संभव हो, विवरणियाँ और संबंधित अनुलग्नकों और सूचनाओं को राज्य कर विभाग के आवेदन की बैक-एंड प्रणाली के माध्यम से एक्सेस किया गया था। विस्तृत लेखापरीक्षा में करदाताओं से संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से चालान जैसे प्रासंगिक विस्तृत अभिलेख तक पहुंच बनाना भी शामिल था। इसके अलावा, विभागीय गठन के अनुपालन कार्यों जैसे कि विवरणियों की जाँच की भी चुनिंदा वृत्तों में समीक्षा की गई।

विभाग द्वारा विवरणियों की जाँच की समीक्षा और करदाताओं के अभिलेख के सत्यापन में अप्रैल 2018 से मार्च 2021 तक की अवधि शामिल थी, जबकि चयनित वृत्तों के कार्यों की लेखापरीक्षा में अप्रैल 2017 से मार्च 2021 की अवधि शामिल थी। एसएससीए में केवल राज्य प्रशासित करदाताओं को शामिल किया गया था। फील्ड लेखापरीक्षा अक्टूबर 2023 से जनवरी 2024 तक आयोजित किया गया था।

इस एसएससीए का प्रवेश सम्मेलन 05 जून 2023 को प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, मध्य प्रदेश शासन के साथ आयोजित किया गया था, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, नमूना चयन, लेखापरीक्षा स्कोप और कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई थी। निकास सम्मेलन 12 सितंबर 2024 को वाणिज्यिक कर आयुक्त के साथ आयोजित किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई थी। निकास सम्मेलन के दौरान वाणिज्यिक कर आयुक्त द्वारा व्यक्त किए गए विचारों और मसौदा रिपोर्ट के लिखित उत्तरों को संगत पैराग्राफों में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

3.4 लेखापरीक्षा नमूना

योजना के लिए एक आँकड़ा-संचालित दृष्टिकोण अपनाया गया था, साथ ही मूल लेखापरीक्षा की प्रकृति और सीमा को निर्धारित करने के लिए भी। इस एसएससीए के नमूने में केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए आँकड़ा विश्लेषण के माध्यम से पहचाने गए विचलन का एक सेट शामिल था जिसमें क्षेत्र का दौरा शामिल नहीं था; विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का एक नमूना जिसमें विभागीय परिसरों में क्षेत्र का दौरा और करदाताओं के अभिलेख की जाँच शामिल है; और वृत्तों के अनुपालन कार्यों के मूल्यांकन के लिए वृत्तों का एक नमूना।

² तालिका 3.2 (ए) और 3.2 (बी) में 17 पैरामीटर इंगित किए गए हैं।

³ केंद्रीकृत लेखापरीक्षा में करदाताओं के विस्तृत रिकॉर्ड जैसे वित्तीय विवरण से संबंधित खाता बही, चालान, समझौते आदि की मांग करना भी शामिल नहीं था।

इस एसएससीए के तीन अलग-अलग भाग निम्नानुसार थे :

भाग I - वृत्तों की लेखा परीक्षा

विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए प्रकरणों के एक से अधिक चयनित नमूनों पर अधिकार क्षेत्र वाले दस वृत्तों को उनके निरीक्षण कार्यों के मूल्यांकन के लिए वृत्तों के नमूने के रूप में माना गया था।

भाग II - केंद्रीकृत लेखा परीक्षा

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के लिए नमूने का चयन विभाग की जाँच प्रक्रिया की पर्याप्तता और प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए आँकड़ा विश्लेषण के माध्यम से नियमों से उच्च-मूल्य या उच्च-जोखिम विचलन और विवरणियों के बीच विसंगतियों की पहचान करके किया गया था।

लेखापरीक्षा ने जीएसटीएन परिसर में 2018-19 से 2020-21 से संबंधित जीएसटी विवरणियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया और करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए जीएसटी विवरणियाँ के बीच विचलन और तार्किक विसंगतियों के एक सेट की पहचान की। वार्षिक विवरणियाँ और बही-खातों के बीच प्राप्त आईटीसी का मिसमैच, ब्याज का कम भुगतान, आईटीसी मिसमैच आदि जैसे 17⁴ मापदंडों के एक सेट की पहचान की गई।

लेखापरीक्षा ने विभाग की जाँच प्रक्रिया की पर्याप्तता और प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए 319 करदाताओं से संबंधित 652⁵ उच्च जोखिम वाले प्रकरणों के नमूने का चयन किया। लेखापरीक्षा समीक्षा केवल सितंबर 2023 के दौरान संबंधित मूल्यांकन वृत्तों को जारी किए गए प्रश्नों तक ही सीमित थी। करदाताओं के अभिलेख की आगे कोई जाँच नहीं की गई।

भाग III - विस्तृत लेखा परीक्षा

यह करदाताओं द्वारा कर अनुपालन की सीमा के मूल्यांकन के लिए वृत्तों के माध्यम से करदाताओं के अभिलेख तक पहुंच के माध्यम से आयोजित किया गया था। विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं के नमूने का चयन जोखिम मापदंडों जैसे अतिरिक्त आईटीसी, कर देयता मिसमैच, कुल कारोबार में अनुपातहीन छूट वाले कारोबार और अनियमित आईटीसी रिवर्सल के आधार पर किया गया था।

विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चुने गए 70 करदाताओं में बड़े⁶, मध्यम⁷ और छोटे⁸ तबके के करदाताओं के साथ-साथ यादृच्छिक रूप से (रैंडमली) चुने गए करदाता शामिल थे।

इस एसएससीए के लिए चुने गए वृत्तों के केंद्रीकृत लेखा परीक्षा, विस्तृत लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षा के लिए नमूने का विवरण परिशिष्ट 3.1 में दिया गया है।

⁴ तालिका 3.2 (ए) और 3.2 (बी) में 17 मापदण्ड इंगित किए गए हैं।

⁵ 652 कर विचलन 319 करदाताओं से संबंधित थे क्योंकि कुछ करदाताओं के लिए कई विचलन देखे गए थे।

⁶ पहली और दूसरी श्रेणी में बड़े करदाता शामिल हैं - टर्नओवर के आधार पर करदाताओं का शीर्ष 0.50 प्रतिशत।

⁷ तीसरी श्रेणी में मध्यम करदाता शामिल हैं - शेष करदाता न्यूनतम टर्नओवर वाले ₹ 20 करोड़/ ₹10 करोड़/ ₹7.50 करोड़ (न्यूनतम सीमा को राज्य के अधिकार क्षेत्र में गतिविधि के विभिन्न स्तरों को पूरा करने के लिए परिभाषित किया गया है)।

⁸ चौथी श्रेणी में सबसे नीचे की परत शामिल है - शेष करदाता जिनके न्यूनतम कारोबार ₹ पांच करोड़/ ₹ 2.50 करोड़ है (न्यूनतम सीमा को राज्य के अधिकार क्षेत्रों में गतिविधि के विभिन्न स्तरों को पूरा करने के लिए परिभाषित किया गया है)।

3.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत में एमपीजीएसटी अधिनियम, आईजीएसटी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधान शामिल थे। महत्वपूर्ण प्रावधान नीचे तालिका 3.1 में दिए गए हैं:

तालिका 3.1: मानदंड का स्रोत

स. क्र.	विषय	अधिनियम और नियम
1	लेवी और संग्रह	एमपीजीएसटी अधिनियम के अध्याय III के तहत धारा 9।
2	रिवर्स चार्ज तंत्र	एमपीजीएसटी अधिनियम के अध्याय III के तहत धारा 9(3) और आईजीएसटी अधिनियम के अध्याय III के तहत धारा 5(3)।
3	आईटीसी का लाभ उठाना और उपयोग करना	एमपीजीएसटी अधिनियम के अध्याय V के तहत धारा 16 से 21; एमपीजीएसटी नियमों के अध्याय 5 के तहत नियम 36 से 45।
4	पंजीकरण	एमपीजीएसटी अधिनियम के अध्याय VI के तहत धारा 22 से 25; एमपीजीएसटी नियमों के अध्याय III के तहत नियम 8 से 26
5	आपूर्ति	एमपीजीएसटी अधिनियम के अध्याय III और अनुसूची I, II और III के तहत धारा 7 और 8।
6	आपूर्ति का स्थान	आईजीएसटी अधिनियम के अध्याय 5 के तहत धारा 10 से 13
7	आपूर्ति का समय	एमपीजीएसटी अधिनियम के अध्याय IV के तहत धारा 12 से 14
8	आपूर्ति का मूल्यांकन	एमपीजीएसटी अधिनियम के अध्याय IV के तहत धारा 15; एमपीजीएसटी नियमों के अध्याय IV के तहत नियम 27-34।
9	कर का भुगतान	एमपीजीएसटी अधिनियम के अध्याय X के तहत धारा 49 से 53; एमपीजीएसटी नियमों के अध्याय IX के तहत नियम 85 से 88।
10	जीएसटी विवरणियाँ दाखिल करना	एमपीजीएसटी अधिनियम के अध्याय IX के तहत धारा 37 से 47; एमपीजीएसटी नियमों के अध्याय VIII के तहत नियम 59 से 68 और 80 से 81। एमपीजीएसटी नियमों के भाग बी में विवरणियाँ का प्रारूप निर्धारित किया गया है।
11	शून्य-रेटेड आपूर्ति	आईजीएसटी अधिनियम के अध्याय VII के तहत धारा 16।
12	मूल्यांकन और लेखापरीक्षा कार्य	एमपीजीएसटी अधिनियम के अध्याय XII और XIII के तहत धारा 61, 62, 65 और 66; एमपीजीएसटी नियमों के अध्याय XI के तहत नियम 99 से 102।

इसके अतिरिक्त, विवरणी दाखिल करने, विभिन्न विवरणियाँ दाखिल करने की प्रभावी तिथियों को अधिसूचित करने, विवरणियाँ दाखिल करने की नियत तारीखों को बढ़ाने, वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरें, कर का भुगतान, आईटीसी का लाभ उठाने और उपयोग करने, विवरणियों की संवीक्षा और कर अनुपालन की निगरानी और मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) से संबंधित अधिसूचनाएं और परिपत्र जिनमें विवरणी दाखिल करने से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। विवरणियाँ की जाँच, पंजीकरण निरस्त करना और डीजीएआरएम रिपोर्ट का सत्यापन आदि भी लेखापरीक्षा मानदंड का हिस्सा थे।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.6 लेखापरीक्षा निष्कर्षों की व्यापक श्रेणियां

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- वृत्तों के निरीक्षण कार्य
- केंद्रीकृत लेखापरीक्षा
- विस्तृत लेखा परीक्षा

3.6.1 वृत्तों के निरीक्षण कार्य

3.6.1.1 विवरणियाँ दाखिल न करने वालों पर कार्रवाई का अभाव

एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 46, जिसे एमपीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 68 के साथ पढ़ा गया है, फॉर्म जीएसटीआर-3ए में एक नोटिस जारी करने का प्रावधान करता है, जिसमें पंद्रह दिनों के भीतर विवरणियाँ दाखिल करने की आवश्यकता होती है, यदि करदाता नियत तारीख के भीतर विवरणियाँ दाखिल करने में विफल रहता है। एमपीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 100 के साथ पठित एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 62 में बताया गया है कि यदि करदाता इस तरह के नोटिस के बाद भी विवरणियाँ दाखिल करने में विफल रहता है, तो समुचित अधिकारी उपलब्ध या एकत्र की गई सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखते हुए अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार उक्त व्यक्ति की कर देयता का आकलन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं और फॉर्म एसएमटी-13 में एक मूल्यांकन आदेश जारी कर सकते हैं।

10 वृत्तों में से केवल एक वृत्त, जबलपुर-1 ने तीन साल (2018-19 से 2020-21) के लिए प्रकरणों की पहचान की और दो वृत्तों, ग्वालियर-1 और छिंदवाड़ा-2 ने दो साल (2019-20 से 2020-21) के लिए प्रकरणों की पहचान की। पांच वृत्तों⁹ ने केवल वर्ष 2020-21 में प्रकरणों की पहचान की और दो वृत्तों¹⁰ ने सभी चार वर्षों में प्रकरणों की पहचान नहीं की।

7,942 गैर-विवरणियाँ दाखिल करने वालों की पहचान की गई थी। जीएसटीआर-3ए 9,076 प्रकरणों में जारी किया गया था। इन 9,076 प्रकरणों में से केवल 2,731 करदाताओं (30.09 प्रतिशत) ने विवरणियाँ दाखिल किया। शेष 6,345 गैर-विवरणियाँ दाखिल करने वालों में से, विभाग ने 410 (6.46 प्रतिशत) प्रकरणों में ₹ 8.59 करोड़ की राशि का आकलन करते हुए सर्वश्रेष्ठ निर्णय मूल्यांकन शुरू किया और ₹ 6.27 करोड़ की वसूली करने में सक्षम रहा। इसमें वृत्त वैदहन से ₹ 6.13 करोड़ (97.80 प्रतिशत) की बड़ी वसूली हुई। वृत्तों ने 5,935 प्रकरणों में कोई कार्रवाई नहीं की। विवरण परिशिष्ट 3.2 में दिया गया है।

इंगित किये जाने पर (अक्टूबर 2023 से जनवरी 2024) शासन ने उत्तर दिया (नवंबर 2024) कि लेखापरीक्षा अवलोकन में दिए गए विवरणियाँ दाखिल न करने वालों की संख्या वर्ष 2017-18 से 2020-21 से संबंधित है और उस दौरान एसएमटी-13 और जीएसटीआर-3ए मैनुअल रूप से जारी किए जा रहे थे। नवंबर 2021 से विभाग ने एसएमटी-13 और जीएसटीआर-3ए को ऑनलाइन जारी करना शुरू कर दिया। आयुक्त ने सभी वृत्तों प्रभारियों को प्रति माह 20 प्रतिशत डिफॉल्टरों का आकलन करने का निर्देश दिया और विवरणियाँ दाखिल नहीं करने वालों के करदाताओं की निगरानी की जा रही है। हालांकि, 10 वृत्तों द्वारा विवरणियाँ दाखिल नहीं करने वालों पर मैनुअल रूप से कार्रवाई की गई थी।

शासन को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि विवरणियाँ दाखिल न करने वालों के सभी लंबित प्रकरणों में कार्रवाई की जाए।

⁹ धार, इंदौर-1, इंदौर-10, इंदौर-13 और बैदहन

¹⁰ इंदौर-14 और नर्मदापुरम (होशंगाबाद)

3.6.1.2 विवरणियों की जाँच शुरू न होना/पूरा न होना

एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 61 के अनुसार करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए विभिन्न विवरणियों की जाँच विवरणियाँ की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए समुचित अधिकारी¹¹ द्वारा की जानी होती है, और विवरणियाँ में दिखाई देने वाली किसी भी विसंगति या विसंगतियों पर उपयुक्त कार्रवाई की जानी होती है। इसके अलावा, एमपीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 99 में बताया गया है कि यदि कोई विसंगतियाँ नजर आती हैं, तो करदाता को स्पष्टीकरण मांगने के लिए सूचित किया जाएगा।

वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए 10 वृत्तों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर लेखापरीक्षा ने देखा कि केवल ग्वालियर-1 वृत्त ने चार वर्षों (2017-18 से 2020-21) के दौरान विवरणियों की जाँच की और छिन्दवाड़ा-2 वृत्त ने केवल दो वर्षों (2019-20 और 2020-21) में विवरणियाँ जाँच की। जबकि शेष आठ वृत्तों ने कोई जाँच नहीं की। इसके अलावा, ग्वालियर-1 वृत्त ने केवल एएसएमटी-10 (विवरणियों में विसंगतियों की सूचना देने के लिए नोटिस) जारी किया और आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई। विवरण परिशिष्ट 3.3 में दिया गया है।

शासन ने उत्तर दिया कि इससे पहले, राज्य कर आयुक्त (सीएसटी), मध्य प्रदेश द्वारा वृत्तों को रेड फ्लेगड वाले जीएसटीएन की सूची प्रदान की गई थी, जिस पर दिसंबर 2021 से वृत्तों द्वारा कार्रवाई की गई थी और इस संबंध में अधिकारियों को एसओपी भी जारी की गई थी। 2021-22 से 2024-25 तक जाँच के 19 चरण किए जा चुके हैं। जिसमें 10,683 विवरणियाँ आवंटित किए गए, जिनमें से 6,080 विवरणियाँ जाँच की गईं और ₹ 1,047 करोड़ की राशि जमा की गई। हालांकि, चयनित 10 वृत्तों में 2017-18 से 2020-21 के सभी प्रकरणों की जाँच की गई थी, लेकिन 2021-22 में कार्य शुरू किया गया था।

अनुशंसा 1: विभाग प्रकरणों के समयातीत होने से पहले समयबद्ध तरीके से विवरणियों की जाँच सुनिश्चित कर सकता है।

3.6.1.3 कर अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा में गैर-शुरुआत/देरी

एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 65 के अनुसार, आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत कोई भी अधिकारी, एक सामान्य या विशिष्ट आदेश के माध्यम से, ऐसी अवधि के लिए, ऐसी आवृत्ति पर और ऐसी तरीके से लेखापरीक्षा कर सकता है। एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2(13), "लेखापरीक्षा" को इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत व्यक्ति द्वारा बनाए गए या प्रस्तुत किए गए अभिलेख, विवरणियाँ और अन्य दस्तावेजों की जाँच के रूप में परिभाषित करती है, जो घोषित टर्नओवर, भुगतान किए गए करों, रिफंड का दावा और इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने की सत्यता को सत्यापित करती है, और इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के साथ उसके अनुपालन का आकलन किया जा सके।

लेखापरीक्षा ने देखा कि जीएसटी लागू होने के छह साल बाद भी करदाताओं का लेखापरीक्षा नहीं किया गया है। लेखापरीक्षा के लिए एसओपी 24 फरवरी 2023 को जारी की गई है। हालांकि, आयुक्त ने सूचित किया कि सीबीआईसी द्वारा जारी परिपत्र के आधार पर नवंबर 2021 में लेखापरीक्षा शुरू किया गया है। हालांकि, किसी भी लेखापरीक्षा करने का कोई सबूत नहीं दिया गया था।

¹¹ इस अधिनियम के तहत किए जाने वाले किसी भी कार्य के संबंध में "समुचित अधिकारी" का अर्थ है राज्य कर का आयुक्त या अधिकारी जिसे आयुक्त द्वारा वह कार्य सौंपा गया है।

करदाताओं द्वारा अनुपालन के लिए लेखापरीक्षा एक महत्वपूर्ण तंत्र है। इसलिए, शासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि दिशा-निर्देशों के अनुसार लेखापरीक्षा की जाए और उसकी उचित निगरानी की जाए।

3.6.1.4 डीजीएआरएम रिपोर्ट पर कार्रवाई का अभाव

सीबीआईसी (बोर्ड) ने 11 जुलाई 2017 को ओएम एफ. नं. ए-11013/19/2017-एडी IV के माध्यम से विश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम) का गठन किया, जिसका उद्देश्य जीएसटी आँकड़ा का अध्ययन, व्याख्या और विश्लेषण करना और बोर्ड के तहत विभिन्न हितधारकों और राज्यों के संबंधित कर विभागों के साथ परिणामों को साझा करना था। डीजीएआरएम ने जून 2018 से विभिन्न जोखिम मापदंडों पर करदाताओं पर रिपोर्ट तैयार करके काम करना शुरू कर दिया था। जोखिम भरे करदाताओं और अन्य के लिए एफ. नं. डीजीएआरएम/टेक/एसओपी/एसओपी/20/2019, दिनांक 30 अप्रैल 2019 के माध्यम से जारी एसओपी के अनुसार, राज्य के अधिकार क्षेत्र के तहत करदाताओं के संबंध में, मुख्य आयुक्तों को सलाह दी जाती है कि वे जोखिम भरे करदाताओं की सूची को राज्य के साथ साझा करने के लिए मौजूदा संस्थागत तंत्र का उपयोग करें। विभाग डीजीएआरएम से प्राप्त रिपोर्टों को सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए वृत्तों को भेजता है।

लेखापरीक्षा ने डीजीएआरएम द्वारा भेजे गए प्रकरणों के संबंध में 10 चयनित वृत्तों से जानकारी मांगी है। 10 चयनित वृत्तों में से पांच¹² वृत्तों ने सूचित किया कि 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। शेष पांच¹³ वृत्तों ने इंगित किया कि 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए 40 प्रकरण प्राप्त हुए थे। इनमें से 12 प्रकरणों में सत्यापन पूरा कर लिया गया था और दो वृत्तों¹⁴ में ₹ 73.50 लाख की वसूली की गई है, दो वृत्तों के नौ प्रकरणों में कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं थी, 12 प्रकरणों में कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी और शेष सात प्रकरणों में कार्रवाई शुरू की गई थी लेकिन पूरी नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा ने जाँच के लिए इन प्रकरणों में की गई कार्रवाई की सूचना मांगी थी, तथापि, कोई सूचना नहीं दी गई थी। ऐसे प्रकरणों का विवरण **परिशिष्ट 3.4** में दिया गया है।

अभिलेखों को प्रस्तुत न किए जाने के कारण, लेखापरीक्षा डीजीएआरएम रिपोर्टों पर वृत्तों द्वारा किए गए सत्यापन की गुणवत्ता और सीमा के बारे में आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी।

शासन ने बताया (नवंबर 2024) कि भविष्य में डीजीएआरएम की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए सभी अधिकारियों के लिए एसओपी जारी की जाएगी।

शासन डीजीएआरएम रिपोर्टों के संबंध में रिकार्ड के उचित रख-रखाव के लिए अनुदेश भी जारी कर सकता है।

3.6.1.5 पंजीकरण निरस्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करना

एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 29 (1) में बताया गया है कि समुचित अधिकारी, या तो अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, या पंजीकृत व्यक्ति या उसके कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा दायर आवेदन पर, उन परिस्थितियों के संबंध में पंजीकरण निरस्त कर सकता है जहां व्यवसाय बंद कर दिया गया है, व्यवसाय के संविधान में परिवर्तन या कर योग्य व्यक्ति अब पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

¹² इंदौर-13, इंदौर-14, जबलपुर-1, नर्मदापुरम (होशंगाबाद) और बैदर

¹³ छिंदवाड़ा-2, धार, म्वालयर-1, इंदौर-1 और इंदौर-10

¹⁴ धार और इंदौर-10

एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 29 (2) करदाता द्वारा अधिनियमों या नियमों के उल्लंघन, कंपोजिशन करदाता द्वारा लगातार तीन कर अवधि के लिए विवरणियाँ दाखिल नहीं करने, सामान्य करदाता द्वारा छह महीने की निरंतर अवधि के लिए विवरणियाँ दाखिल नहीं करने, पंजीकृत व्यक्तियों को पंजीकरण की तारीख से छह महीने के भीतर व्यवसाय शुरू नहीं करने और धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त पंजीकरण के आधार पर, जानबूझकर गलत बयान या तथ्यों का दमन कर पाये गये पंजीकरण, के आधार पर कर अधिकारी द्वारा करदाता के पंजीकरण को स्वतः निरस्त करने की अनुमति देती है।

एमपीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 22 (1) में बताया गया है कि जहां समुचित अधिकारी के पास यह मानने के कारण हैं कि किसी व्यक्ति का पंजीकरण धारा 29 के तहत निरस्त किया जा सकता है, वह ऐसे व्यक्ति को फॉर्म जीएसटी आरईजी-17 में एक नोटिस जारी करेगा, जिसमें उसे इस तरह के नोटिस की तारीख से सात कार्य दिवसों की अवधि के भीतर कारण बताने की आवश्यकता होगी कि उसका पंजीकरण निरस्त क्यों न किया जाए।

10 चयनित वृत्तों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, लेखापरीक्षा ने पाया कि निरस्त करने के लिए 32,123 प्रकरण थे (2018-19 से 2020-21 के दौरान 10,718 करदाताओं ने निरस्तीकरण के लिए आवेदन किया और वृत्तों द्वारा 21,405 निरस्तीकरण प्रकरण शुरू किए गए)। 32,123 प्रकरणों में से वृत्तों ने 18,510 प्रकरणों को निरस्त कर दिया और 3,594 प्रकरणों में निरस्त करने की कार्यवाही को विलोपित कर दिया गया। इस प्रकार, 10,019 प्रकरण निरस्त करने के लिए लंबित थे। ऐसे प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट 3.5 में दिया गया है। इसके अलावा, एक वृत्त में¹⁵, निरस्त करने के लिए 1,011 प्रकरण थे (393 करदाताओं ने निरस्त करने के लिए आवेदन किया था और 618 निरस्तीकरण के प्रकरण वृत्तों द्वारा (2018-19 से 2020-21 के दौरान) शुरू किए गए थे, लेकिन, कोई भी पंजीकरण निरस्त नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की सूचना मांगी, तथापि, कोई सूचना प्रदान नहीं की गई।

शासन ने बताया (नवंबर 2024) कि कार्यालयों में भौतिक अभिलेख रखना अनिवार्य नहीं है। यह जानकारी पोर्टल की एमआईएस रिपोर्ट में उपलब्ध है।

शासन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एमआईएस रिपोर्टों में केवल प्रकरणों के आंकड़े होते हैं। की गई कार्रवाई की प्रभावकारिता को सत्यापित करने के लिए, की गई कार्रवाई के ब्यौरे की आवश्यकता थी जो लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। आंकड़ों से यह भी संकेत मिलता है कि राजस्व की सुरक्षा के लिए प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। विभाग अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय कर सकता है।

3.6.1.6 जीएसटीआर-10 के गैर-दाखिले पर अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई

एमपीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 81 के साथ पठित एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 45 में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया था, उसे निरस्त करने की प्रभावी तिथि या निरस्त करने के आदेश की तारीख, जो भी बाद में हो, फॉर्म जीएसटीआर-10 में अंतिम विवरणियाँ दाखिल करना चाहिए।

एमपीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 68 के साथ पठित एमपीजीएसटी अधिनियम की धारा 46 में एक पंजीकृत व्यक्ति को फॉर्म जीएसटीआर-3ए में नोटिस जारी करने की आवश्यकता होती है जो धारा 39 या धारा 44 या धारा 45 के तहत विवरणियाँ प्रस्तुत करने में विफल रहता है। यदि करदाता अभी भी नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अंतिम

¹⁵ इंदौर-10

विवरणियाँ दाखिल करने में विफल रहता है, तो करदाता की देयता निर्धारित करने के लिए एमपीजीएसटी नियमों के नियम 100 के साथ पठित एमपीजीएसटी अधिनियम की धारा 62 के तहत फॉर्म एसएसएमटी-13 में एक मूल्यांकन आदेश जारी करना होगा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 10 चयनित वृत्तों में 18,510 प्रकरणों में आरईजी-19 (निरस्त करने का आदेश) जारी किया गया था। इनमें से 4,405 प्रकरणों (23.80 प्रतिशत) को विभाग ने निरस्त कर दिया और 14,105 प्रकरणों में से केवल 1,009 करदाताओं (7.15 प्रतिशत) ने जीएसटीआर-10 दाखिल किया है। इसके अलावा, शेष 13,096 प्रकरणों के संबंध में, केवल 1,878 प्रकरणों (14.34 प्रतिशत) में, मूल्यांकन प्राधिकरण द्वारा जीएसटीआर-10 को न भरने की कार्रवाई शुरू की गई थी और 81 प्रकरणों में सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन पूरा किया गया था। हालांकि, 11,137 प्रकरणों (85.04 प्रतिशत) में वृत्तों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई (परिशिष्ट 3.6)। यह इंगित करता है कि राजस्व की रक्षा के लिए विभाग द्वारा पर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई है।

शासन ने बताया (सितंबर 2024) कि करदाता की मांग पर पंजीकरण निरस्त करने के प्रकरण में, कर देयता का आकलन करने के बाद निरस्तीकरण आदेश जारी किया जाता है और इसलिए जीएसटीआर-10 भरना आवश्यक नहीं है। जीएसटीआर-10 स्वतः निरस्त होने के प्रकरण में दायर किया जाता है और इसे वृत्त कार्यालयों द्वारा लिया जा रहा है। कर अधिकारी को जीएसटीआर-10 को भरने के लिए सतर्कता से कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जीएसटीआर-10 सभी करदाताओं द्वारा दाखिल किया जाना है, जिनका पंजीकरण स्टॉक में रखे गए इनपुट या अर्ध-तैयार/ तैयार माल में शामिल आईटीसी के विवरण को सूचित करने के लिए निरस्त किया गया है।

अनुशंसा 2: विभाग पंजीकरण निरस्त करने की स्थिति और अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उन पर की गई कार्रवाई की निगरानी कर सकता है ताकि अमुक्त कर देनदारियों की जाँच की जा सके।

3.6.2 केंद्रीकृत लेखापरीक्षा (भाग II)

लेखापरीक्षा ने जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध कराए गए 2018-19 से 2020-21 तक के जीएसटी विवरणियों के आंकड़ों का विश्लेषण किया। करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए जीएसटी विवरणियों के बीच नियम-आधारित विचलन और तार्किक विसंगतियों की पहचान 17 मापदंडों के एक सेट पर की गई थी, जिसे मोटे तौर पर दो डोमेन-आईटीसी और कर भुगतान में वर्गीकृत किया जा सकता है।

15 निर्धारित जीएसटी विवरणियाँ¹⁶ में से सामान्य करदाताओं पर लागू होने वाले निम्नलिखित मूल विवरणियों पर जीएसटी विवरणियों/आंकड़ों के बीच विचलन, विसंगतियों और विसंगतियों की पहचान करने के उद्देश्य से विचार किया गया था:

¹⁶ जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-2ए, जीएसटीआर-2बी, जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-4 (संयोजन योजना के अंतर्गत करदाता), जीएसटीआर-5 (गैर-निवासी करयोग्य व्यक्ति), जीएसटीआर-5ए (गैर-निवासी ऑनलाइन सूचना तथा डेटा बेस अभिगम या पुनर्प्राप्ति (OIDAR) सेवा प्रदाता), जीएसटीआर-6 (आई.एस.डी.-इनपुट सर्विस डिस्ट्रिब्यूटर), जीएसटीआर-7 (टीडीएस काटने वाले करदाता), जीएसटीआर-8 (ई-कॉमर्स परिचालक), जीएसटीआर-9 (वार्षिक रिटर्न), जीएसटीआर-10 (अंतिम रिटर्न), जीएसटीआर-11 (यू.आई.एन.-यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर धारक जो रिफण्ड का दावा करते हैं), सीएमपी-08, तथा आईटीसी-04 (प्रधान/जॉब-वर्कर द्वारा दायर किया जाने वाला विवरण-जॉब-वर्कर को भेजे गए/ जॉब-वर्कर से प्राप्त माल का विवरण)।

- जीएसटीआर-1: वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की बाहरी आपूर्ति करने वाले सभी सामान्य और आकस्मिक पंजीकृत करदाताओं द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरणियाँ और इसमें वस्तुओं और सेवाओं की बाहरी आपूर्ति का विवरण होता है।
- जीएसटीआर-3बी: अधिनियम की धारा 39(1) के तहत निर्दिष्ट करदाताओं को छोड़कर सभी करदाताओं द्वारा जमा किए जाने वाले कर के भुगतान के साथ-साथ बाहरी आपूर्ति और आईटीसी का दावा किया गया मासिक सारांश विवरण। यह वह विवरणियाँ हैं जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट और डेबिट और इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डेबिट को पॉप्युलेट करता है।
- जीएसटीआर-6: आईएसडी के लिए मासिक विवरणियाँ जो उनके वितरित आईटीसी और आवक आपूर्ति का विवरण प्रदान करता है।
- जीएसटीआर-8: ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स द्वारा दाखिल किया जाने वाला मासिक विवरणियाँ जिन्हें जीएसटी के तहत टीसीएस काटने की आवश्यकता होती है, अक्टूबर 2018 में पेश किया गया।
- जीएसटीआर-9: आईएसडी, टीडीएस/ टीसीएस कर्ताओं, आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति और अनिवासी करदाता (एनआरटीपी) के अलावा सभी पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा दाखिल किया जाने वाला वार्षिक विवरण। इस दस्तावेज़ में पूरे वर्ष के दौरान विभिन्न कर शीर्षों (सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी) के तहत की गई और प्राप्त की गई सभी आपूर्तियों का विवरण शामिल है, साथ ही इसके लिए टर्नओवर और लेखापरीक्षा विवरण भी शामिल हैं।
- जीएसटीआर-9सी: किसी विशेष वित्तीय वर्ष में ₹ पांच करोड़ से अधिक कारोबार करने वाले सभी करदाताओं के लिए वार्षिक लेखापरीक्षा फॉर्म। यह मूल रूप से जीएसटीआर-9 में दाखिल वार्षिक विवरणियाँ और करदाता के लेखापरीक्षा किए गए वार्षिक वित्तीय विवरणों के बीच एक मिलान विवरण है।
- जीएसटीआर-2ए : प्राप्तकर्ता के लिए आवक आपूर्ति का एक सिस्टम-जनित विवरण। इसमें अपने फॉर्म जीएसटीआर-1/5 में घोषित आपूर्तिकर्ताओं के सभी व्यवसाय से व्यवसाय (बी2बी) लेनदेन, जीएसटीआर-6 से आईएसडी विवरण, प्रतिपक्ष द्वारा क्रमशः जीएसटीआर-7 और जीएसटीआर-8 से विवरण और प्रवेश बिल पर विदेशों से माल के आयात का विवरण शामिल है, जैसा कि भारतीय सीमा शुल्क के भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे (आईसीईगेट) पोर्टल से प्राप्त हुआ है।
- जीएसटीआर-2बी: यह नियमित करदाताओं के लिए एक महीने-वार ऑटो-ड्राफ्टेड स्टेटमेंट है (चाहे त्रैमासिक विवरणियाँ और मासिक भुगतान (क्यूआरएमपी) योजना में चुना गया हो या नहीं) जीएसटी पोर्टल पर प्रत्येक महीने के लिए पात्र और अयोग्य आईटीसी प्रदान करता है, जीएसटीआर -2 ए के समान, लेकिन एक अवधि के लिए स्थिर या अपरिवर्तित रहता है। यह स्टेटमेंट अगस्त 2020 की कर अवधि के बाद से जारी किया गया था।

17 चिन्हित मापदंडों और उनके प्रभाव पर किए गए आँकड़ा विश्लेषण तालिका संख्या 3.2 (ए) और 3.2 (बी) में दिए गए हैं।

तालिका 3.2 (ए): मध्य प्रदेश राज्य के नमूना प्रकरणों का आँकड़ा विश्लेषण सारांश

क्र. सं.	प्रयुक्त एल्गोरिथ्म	प्रभाव
	आईटीसी/ कर भुगतान का लाभ उठाने में मिसमैच	
1	अपने सभी संशोधनों के साथ जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी की तुलना तालिका 4 ए(5) में जीएसटीआर-3 बी में प्राप्त आईटीसी के साथ की गई थी (घरेलू आपूर्ति पर उपाजित) तालिका 4 बी(2) में उत्क्रमण को छोड़कर, लेकिन जीएसटीआर -9 की तालिका 8 सी से बाद के वर्ष में प्राप्त आईटीसी और अवरुद्ध क्रेडिट को शामिल किया गया था।	जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-3बी के बीच आईटीसी मिसमैच
2	जीएसटीआर-2ए से उपलब्ध आईटीसी की तुलना जीएसटीआर-9 की तालिका 8ए से की गई थी, जो जीएसटीआर-2ए (ऑटो-पॉपुलेटेड गैर-संपादन योग्य क्षेत्र के रूप में) से उपलब्ध आईटीसी को कैप्चर करती है, लेकिन जीएसटीआर-2ए में उन प्रविष्टियों को शामिल नहीं करती है, जहां आपूर्तिकर्ता ने अपनी फाइलिंग की नियत तारीख तक जीएसटीआर-1 दाखिल नहीं किया है और उस अवधि के लिए आईटीसी को भी शामिल नहीं किया गया है, जिसके दौरान प्राप्तकर्ता करदाता कंपोजिशन स्कीम के तहत था।	आपूर्तिकर्ता के कर प्रेषण के बिना आईटीसी पारित किया गया
3	आईटीसी ने अगले वर्ष अक्टूबर के बाद दायर 2018-19 से 2020-21 की अवधि से संबंधित जीएसटीआर-3बी की तालिका 4 के माध्यम से लाभ उठाया।	कट-ऑफ अवधि के बाद दाखिल किए गए जीएसटीआर 3बी पर आईटीसी का लाभ उठाया गया
4	जीएसटीआर-9 की तालिका 4जी (देय कर) में आरसीएम ¹⁷ भुगतानों की तुलना, जीएसटीआर-9 की तालिका 6सी, 6डी और 6एफ (उपलब्ध आईटीसी) में प्राप्त आईटीसी के साथ की गयी। जिन प्रकरणों में जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, वहां जीएसटीआर-3बी की तालिका 3.1(डी) में किए गए आरसीएम भुगतान की तुलना जीएसटीआर-3बी की तालिका 4(ए)(2) और 4(ए)(3) से की गई थी। जहां दोनों उपलब्ध थे, वहां जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-3बी के बीच के अंतर में से जो अधिक था, उसे माना गया।	जीएसटीआर-3बी/ जीएसटीआर-9 में ली गई आईटीसी की तुलना में आरसीएम के अंतर्गत कर का कम भुगतान।
5	जीएसटीआर-9सी की तालिका 9आर में ऋणात्मक आंकड़ा और मिसमैच होने के कारणों की तालिका 10 में दी गई जानकारी की जाँच।	खातों की पुस्तकों और वार्षिक विवरणी के बीच भुगतान किए गए कर में मिसमैच रहना।
6	जीएसटीआर-9सी की तालिका 12एफ में धनात्मक अंक और मिसमैच के लिए तालिका 13 में दिए गए कारणों की जाँच।	वार्षिक विवरणी और खातों की बहियों के बीच उपलब्ध आईटीसी में मिसमैच रहना।
7	जीएसटीआर-9सी की तालिका 14टी में धनात्मक आंकड़ा और मिसमैच के लिए तालिका 15 में दिए गए कारणों की जाँच।	वार्षिक विवरणी में लिए गए आईटीसी का वित्तीय विवरणों में दर्ज खर्चों के साथ मिलान किया गया है।
8	जिन करदाताओं ने जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया है, लेकिन जीएसटीआर-1 दाखिल किया है, या जिनकी जीएसटीआर-2ए उपलब्ध है, वे कर का भुगतान किए बिना व्यवसाय कर रहे हैं।	जीएसटीआर-3बी दाखिल नहीं किया गया है, लेकिन जीएसटीआर-1 उपलब्ध है।
9	जीएसटीआर-1 (तालिका 4 से 11) के बीच कर देयता का अधिक, अग्रिम और संशोधनों पर विचार करते हुए, और जीएसटीआर-9 (तालिका 4एन,10 और 11) की तुलना जीएसटीआर-3बी तालिका 3.1 (ए) और 3.1 (बी) में कर भुगतान किए गए विवरण के साथ की गई थी। ऐसे प्रकरणों में जहां जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, भुगतान किए गए जीएसटीआर-3बी कर की तुलना जीएसटीआर-1 की देयता से की गई थी।	बकाया देनदारियां।
10	जीएसटीआर-3बी को देरी से दाखिल करने पर कर भुगतान के नकद हिस्से पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की जाती है।	ब्याज का भुगतान नहीं/ कम भुगतान किया जाना
11	जीएसटीआर-3बी तालिका 3.1 (ए) + (बी) की तुलना ई-वे बिलों में घोषित कर देयता के साथ की गई थी और ऐसे प्रकरण जहां जीएसटीआर -3 बी ई-वे बिल से कम हैं, की पहचान की जाती है।	ई-वे बिल सत्यापन के आधार पर कर देयता को कम दर्शाना।

¹⁷ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कर का भुगतान करने की देयता वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की कुछ अधिसूचित श्रेणियों के लिए आपूर्तिकर्ता या प्रदाता के बजाय वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता पर तय की जाती है।

क्र. सं.	प्रयुक्त एल्गोरिथ्म	प्रभाव
12	01 अक्टूबर 2018 से ई-कॉमर्स जीएसटीआर-8 प्रभावी हो गया जब टीसीएस प्रावधान प्रभावी हो गए। जीएसटीआर-8 में घोषित जीएसटीआईएन जो कंपोजिशन स्कीम के तहत जीएसटीआर-4/ सीएमपी-08 भी दाखिल कर रहे हैं।	कंपोजिशन करदाता भी ई-कॉमर्स सुविधा का लाभ उठा रहे हैं
13	एक ही पैर के सभी जीएसटीआईएन के तहत अखिल भारतीय आधार (केंद्रीय और राज्य क्षेत्राधिकार) पर जिन कंपोजिशन करदाताओं का कारोबार 2018-19 में ₹ एक करोड़ और 2019-20 में ₹ 1.5 करोड़ की टर्नओवर सीमा को पार कर गया है, उनकी पहचान की गई।	अयोग्य कंपोजिशन लेवी
14	प्राप्तकर्ता के जीएसटीआर-9 तालिका 6जी या जीएसटीआर-3बी तालिका 4(ए)(4) में प्राप्त आईएसडी आईटीसी की तुलना वितरक जीएसटीआईएन की तालिका 5ए, तालिका 8ए और तालिका 9ए के योग से की गई।	आईएसडी क्रेडिट का गलत लाभ उठाना

तालिका 3.2 (बी): मध्य प्रदेश राज्य के नमूना प्रकरणों का आँकड़ा विश्लेषण सारांश (टर्नओवर मिसमैच)

क्र. सं.	प्रयुक्त एल्गोरिथ्म	प्रभाव
वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरणों के टर्नओवर में मिसमैच		
1	जीएसटीआर-9सी तालिका 7जी में ऋणात्मक आंकड़ा और मिसमैच के लिए तालिका 8 में दिए गए कारणों की जाँच।	जीएसटीआर-9सी की तालिका 7जी में घोषित कर योग्य कारोबार में विसंगति
2	जीएसटीआर-3बी की तालिका 3.1 (ए) की तुलना जीएसटीआर-2ए की तालिका 9 के कॉलम 6 से की गई। जहाँ जीएसटीआर-3बी का टर्नओवर जीएसटीआर-2ए से कम है।	टीडीएस रिटर्न की तुलना करके कर योग्य आपूर्ति की कम घोषणा
3	जीएसटीआर-9सी तालिका 5B में वर्ष की शुरुआत में बिना बिल वाले राजस्व तालिका 5H में दिखाए गए पिछले जीएसटीआर-9C के बिना बिल वाले राजस्व के साथ मेल खाना चाहिए। कोई भी मिसमैच कर योग्य टर्नओवर को कम करने को इंगित करता है।	जीएसटीआर-9 सी में घोषित बिना बिल वाले राजस्व के आधार पर कर योग्य मूल्य को कम करना

पैन-स्टेट आँकड़ा विश्लेषण ने उच्च धन मूल्यों के साथ बड़ी संख्या में विचलनों को दर्शाया जो बुनियादी सत्यापन नियंत्रण की कमी को इंगित करता है जिसे एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में बनाया जाना चाहिए था। उदाहरण के लिए, 'ई-वे बिल के आधार पर कर देयता को छिपाने' के पैरामीटर के नमूने में, ₹ 2,231.66 करोड़ के धन मूल्य के साथ विचलनों की संख्या 75 थी और 'जीएसटीआर-9सी तालिका 7जी में घोषित कर योग्य कारोबार में मिसमैच' ₹ 7,207.88 करोड़ के धन मूल्य के साथ विचलनों की संख्या 16 थी। धन मूल्य के इन असामान्य/ अवास्तविक आंकड़ों से संकेत मिलता है कि जीएसटी प्रणाली और ईडब्ल्यूबी प्रणाली में आँकड़ा इनपुट और सत्यापन के नियंत्रण या तो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं या पूरी तरह से अनुपस्थित हैं।

3.6.2.1 केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के परिणाम

लेखापरीक्षा ने 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए 17 मापदंडों में से प्रत्येक में शीर्ष विचलन/ विसंगतियों में से 652 प्रकरणों के नमूने का चयन किया (परिशिष्ट 3.7)। सितंबर 2023 के दौरान करदाताओं के अभिलेख की आगे की जाँच के बिना संबंधित वृत्त कार्यालयों को लेखापरीक्षा प्रश्न जारी किए गए थे। इन प्रकरणों में लेखापरीक्षा में पहचान किए गए विचलनों/ मिसमैच पर विभाग की कार्रवाई को सत्यापित करने तक सीमित थी।

विभाग ने 612 प्रकरणों में उत्तर प्रदान किया और ₹ 549.29 करोड़ के 40 प्रकरणों में विभाग के उत्तर प्रतीक्षित (सितंबर 2024) थे।

विभाग से प्राप्त लेखापरीक्षा प्रश्नों के उत्तरों (612 प्रकरण) के आधार पर, इन मापदंडों को अनुपालन विचलन में बदलने की सीमा को **परिशिष्ट 3.8 (क) और 3.8 (ख)** में सारांशित किया गया है।

केंद्रीकृत लेखापरीक्षा का सारांश

लेखापरीक्षा ने 394 प्रकरणों (परिशिष्ट 3.8 (ए) के कॉलम संख्या 6, 8, 10 और 12) में अधिनियम/ नियम के प्रावधानों से विचलन पाया, जिसमें आईटीसी/कर देयता में राशि ₹ 1,636.01 करोड़ (कॉलम नंबर 7, 9, 11 और 13) का मिसमैच शामिल है जो आंकड़ा में 553 विसंगतियों/ मिसमैच (परिशिष्ट 3.7 (ए)) का 71.25 प्रतिशत है, जिसके लिए विभाग ने प्रतिक्रिया प्रदान की, जिसमें, विभाग ने नोटिस/ मांग आदेश जारी किए या राशि की वसूली की या करदाता के साथ पत्राचार किया। 'जीएसटीआर 2ए और 3बी के बीच आईटीसी मिसमैच', 'अपूर्ण देनदारियां', 'आईटीसी आपूर्तिकर्ता द्वारा कर जमा किए बिना आईटीसी का अग्रेषण' और 'ईडब्ल्यूबी सत्यापन के आधार पर कर देयता को छिपाने' जैसे जोखिम मापदंडों में विचलन की अपेक्षाकृत उच्च दरें देखी गईं।

15 प्रकरणों में (कॉलम नंबर 16, 18 और 20) जो 2.71 प्रतिशत है, जहां विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा के लिए स्वीकार्य थे; करदाताओं द्वारा आंकड़ों की प्रविष्टि त्रुटियों में तीन प्रकरणों (कॉलम नंबर 16) शामिल थे, विभाग ने 10 प्रकरणों में सक्रिय रूप से कार्रवाई की थी (कॉलम नंबर 18) और दो प्रकरणों (कॉलम नंबर 20) के पास अन्य वैध स्पष्टीकरण थे।

एक प्रकरण में (कॉलम नंबर 22) जो 0.18 प्रतिशत है, विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा के लिए स्वीकार्य नहीं है और तदनुसार खंडन किया गया है। 85 प्रकरणों में (कॉलम नंबर 24) जो 15.37 प्रतिशत है, हालांकि विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा बताए गए विचलन को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उनका तर्क साक्ष्य द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया था और इस प्रकार लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन के लिए उत्तरदायी नहीं था। शेष 58 प्रकरणों (कॉलम नंबर 26) में विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकन की जांच की जा रही थी।

लेखापरीक्षा ने 59 प्रकरणों (कॉलम नंबर 4) में टर्नओवर से संबंधित मिसमैच (परिशिष्ट 3.8 (बी)) भी पाया गया। इनमें से तीन प्रकरणों (कॉलम नंबर 10) में, जो 5.08 प्रतिशत है, विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर कार्रवाई शुरू की थी/ कार्रवाई की थी। 16 प्रकरणों (कॉलम नंबर 24) में, जो 27.12 प्रतिशत है, विभाग ने अपने तर्क के समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज प्रदान नहीं किए थे; इसलिए उत्तर का सत्यापन नहीं किया जा सका। शेष सात प्रकरणों (कॉलम नंबर 26) में विभाग द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकन की जांच की जा रही थी।

कुछ उदाहरणार्थ प्रकरण नीचे दिए गए हैं:

(i) जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-3बी के बीच आईटीसी में मिसमैच

जीएसटीआर 2ए एक खरीद से संबंधित सक्रिय कर रिटर्न है जो जीएसटी पोर्टल द्वारा प्रत्येक व्यवसाय के लिए स्वचालित रूप से उत्पन्न होता है, जबकि जीएसटीआर 3बी एक मासिक रिटर्न है जिसमें आईटीसी के साथ जावक आपूर्ति का सारांश घोषित किया जाता है और कर का भुगतान करदाता द्वारा स्व-घोषित किया जाता है।

आईटीसी उपयोग की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए जीएसटीआर 3बी और जीएसटीआर 2ए से प्रासंगिक आंकड़ा निकाला गया था, और आपूर्तिकर्ताओं के विवरण के अनुसार भुगतान किए गए आईटीसी का करदाता द्वारा प्राप्त आईटीसी क्रेडिट के साथ मिलान किया गया था। अपनाई गई पद्धति जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी की तुलना इसके सभी संशोधनों के साथ करना था और आईटीसी की तुलना तालिका 4 ए(5)¹⁸ में जीएसटीआर 3 बी में प्राप्त आईटीसी में 4(डी) अवरुद्ध क्रेडिट सहित और बाद के वर्ष 2019-20 से 2021-22 में प्राप्त आईटीसी को जीएसटीआर 9 की तालिका 8 सी से करना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2020-21 के लिए वृत्त-4, भोपाल के अंतर्गत जीएसटीआईएन 23#####1जेडके, करदाता के प्रकरण में, जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी ₹ 445.40 करोड़ था तथा जीएसटीआर 3बी के

¹⁸ अन्य सभी पात्र आईटीसी।

अनुसार आईटीसी का लाभ उठाया गया और बाद के वर्ष में आईटीसी का लाभ ₹ 493.89 करोड़ उठाया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 48.49 करोड़ का मिसमैच हुआ।

इंगित किए जाने पर (सितंबर 2023), शासन ने बताया (सितंबर 2024) कि करदाता को एसएमटी-10 जारी किया गया था।

(ii) आपूर्तिकर्ता द्वारा कर प्रेषण किए बिना आईटीसी पारित किया गया

आईटीसी का लाभ उठाने के संबंध में अनुपालन की सीमा का विश्लेषण करने के लिए, जहां करदाता द्वारा कर को प्रेषित किए बिना आईटीसी दिया गया होगा, जीएसटीआर 9 की तालिका 8ए के अनुसार आईटीसी की तुलना जीएसटीआर 2ए में दर्शाए गए आईटीसी से की गई थी। जबकि जीएसटीआर 2ए आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उनके जीएसटीआर 1 में दर्शाए गए आईटीसी के आधार पर उत्पन्न होता है, जीएसटीआर 9 की तालिका 8 ए जीएसटीआर 2ए (पुराने जीएसटीआर 2ए प्रारूप की तालिका 3 और 5) की तालिका 3,4,5 और 6 से ऑटो पॉप्युलेट (गैर-संपादन योग्य) है और जीएसटीआर 2ए को अगले वित्तीय वर्ष के 31 अक्टूबर को उपलब्ध मानती है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वृत्त-4, भोपाल के अंतर्गत जीएसटीआईएन 23#####1जेडओ, करदाता के प्रकरण में, वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटीआर 9 की तालिका 8ए में उपलब्ध आईटीसी ₹ 211.63 करोड़ था और जीएसटीआर 2ए में उपलब्ध आईटीसी ₹ 251.90 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 40.27 करोड़ का आईटीसी का मिसमैच पाया गया।

इंगित किए जाने पर (सितंबर 2023), शासन ने बताया (सितंबर 2024) कि करदाता को एस एम टी -10 जारी किया गया था।

(iii) कट-ऑफ अवधि के बाद दाखिल किए गए जीएसटीआर-3बी में आईटीसी का लाभ उठाया गया

एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 (4) के अनुसार, एक कर योग्य व्यक्ति सितंबर के महीने के लिए धारा 39 के तहत रिटर्न प्रस्तुत करने या प्रासंगिक वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की नियत तारीख, जो भी पहले हो के बाद माल की आपूर्ति के लिए किसी भी बीजक या डेबिट नोट के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का हकदार नहीं होगा। तदनुसार, यदि ऐसे समय के बाद कोई जीएसटीआर 3बी प्रस्तुत किया जाता है, तो उसमें प्राप्त आईटीसी अस्वीकार्य हो जाता है।

इसका विश्लेषण करने के लिए, करदाता द्वारा 2018-19, 2019-20 और 2020-21 से संबंधित जीएसटीआर 3बी की तालिका 4 के माध्यम से अगले वर्ष के सितंबर जीएसटीआर 3बी रिटर्न की नियत तारीखों के बाद दाखिल आईटीसी की पहचान की गई।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वृत्त-5, भोपाल के अंतर्गत करदाता जीएसटीआईएन 23#####1जेडवी, के प्रकरण में करदाता ने नियत अवधि के बाद अर्थात् अक्टूबर 2020 के महीने के लिए जनवरी और फरवरी 2020 के लिए जीएसटीआर-3बी दाखिल किया। इस प्रकार, ₹ 33.58 करोड़ का आईटीसी अस्वीकार्य था।

इंगित किए जाने पर (सितंबर 2023), शासन ने बताया (सितंबर 2024) कि करदाता को डी आर सी -01 जारी किया गया था।

(iv) जीएसटीआर-3बी/जीएसटीआर-9 में प्राप्त आईटीसी बनाम आरसीएम के तहत कर का कम भुगतान

रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) में, एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9 (3) या धारा 9 (4) के तहत और आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के तहत वस्तुओं या सेवाओं की कुछ श्रेणियों के संबंध में आपूर्तिकर्ता या प्रदाता के बजाय वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता पर कर का भुगतान करने की देयता तय की जाती है।

आरसीएम के तहत भुगतान किए गए कर पर प्राप्त आईटीसी की शुद्धता की जाँच करने के लिए, जीएसटीआर 3बी और वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर 9 से संबंधित आँकड़ा सेट की तुलना यह जाँचने के लिए की गई थी कि क्या आरसीएम पर प्राप्त आईटीसी भुगतान किए गए कर की सीमा तक सीमित था। अपनाई गई पद्धति में जीएसटीआर 9 तालिका 4(जी)¹⁹ में आरसीएम भुगतानों की तुलना जीएसटीआर 9 तालिका 6सी²⁰, 6 डी²¹ और 6 एफ²² में प्राप्त आईटीसी के साथ करने के लिए थी। ऐसे प्रकरणों में जहाँ जीएसटीआर 9 उपलब्ध नहीं था, जाँच जीएसटीआर 3बी के भीतर प्रतिबंधित था, जहाँ जीएसटीआर 3बी तालिका 3.1 (डी) में कर मुक्त भाग की तुलना जीएसटीआर 3 बी 4 ए (2)²³ और 4 ए (3)²⁴ के हिस्से का लाभ उठाने वाले आईटीसी के साथ की गई थी।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 2018-19 के दौरान वृत्त-पीथमपुर के अंतर्गत करदाता जीएसटीआईएन 23#####1जेडई, के प्रकरण में जीएसटीआर 9 की तालिका 4जी में आरसीएम के अंतर्गत उपलब्ध आईटीसी ₹ 0.30 करोड़ था और जीएसटीआर 9 की तालिका 6सी, 6डी और 6एफ में आरसीएम के तहत प्राप्त आईटीसी ₹ 15.10 करोड़ था, जिसके परिणामस्वरूप आईटीसी का ₹ 14.79 करोड़ मिसमैच पाया गया।

इंगित किए जाने पर (सितंबर 2023), शासन ने बताया (सितंबर 2024) कि करदाता ने माल के आयात के स्थान पर सेवा के आयात में आईजीएसटी के आईटीसी को गलत तरीके से दिखाया था, जिसे जनवरी 2019 में जीएसटीआर 3बी की तालिका 4बी(1) (स्थायी वापसी) के बजाय तालिका 4बी(2) (अस्थायी वापसी) में गलत तरीके से वापस कर दिया गया था। करदाता ने इसका सुधार करते हुए क्रेडिट को पुनः प्राप्त करके और फिर नवंबर 2023 में 3B की तालिका 4B(1) में इसे वापस कर दिया।

लेखापरीक्षा द्वारा इस मुद्दे को विभाग के ध्यान में लाए जाने के बाद उपरोक्त कार्रवाई की गई थी।

(v) खातों की पुस्तकों और विवरणियों के बीच भुगतान किए गए कर में मिसमैच

जीएसटीआर 9सी की तालिका 9 लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुसार टर्नओवर को दर-वार अलग करके और वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर 9 के अनुसार डिस्चार्ज किए गए कर के साथ इसकी तुलना करके भुगतान किए गए कर को समाशोधन करने का प्रयास करती है। असंगत राशि संभावित रूप से गलत दरों पर भुगतान किए गए कर, छूट के रूप में कर योग्य कारोबार का गलत चित्रण या इसके विपरीत या सीजीएसटी/ एसजीएसटी/ आईजीएसटी की गलत लेवी का

¹⁹ आवक आपूर्ति (रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी)।

²⁰ रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी अपंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक आपूर्ति।

²¹ रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी पंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक आपूर्ति।

²² सेवाओं का आयात।

²³ सेवाओं का आयात।

²⁴ आवक आपूर्तियाँ (रिवर्स चार्ज के अंतर्गत करयोग्य)।

संकेत दे सकती है। ऐसी स्थितियाँ भी हो सकती हैं जहाँ बाद के वर्ष में किए गए लेन-देन के संबंध में संशोधनों (डेबिट नोटों/ क्रेडिट नोटों का अंतर) के माध्यम से घोषित आपूर्ति/ कर को कम किया जाता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वृत्त-1, ग्वालियर के अंतर्गत करदाता जीएसटीआईएन 23#####1जेड3, के प्रकरण में 2018-19 और 2019-20 की अवधि के लिए जीएसटीआर 9सी की तालिका 9आर में ₹ 2.72 करोड़ और ₹ 0.58 लाख की राशि का असमेकित भुगतान किया गया था।

इंगित किए जाने पर (सितंबर 2023), शासन ने बताया (सितंबर 2024) कि करदाता को नोटिस जारी किया गया था।

(vi) वार्षिक विवरणी और खातों की पुस्तकों के बीच प्राप्त आईटीसी का मिसमैच

जीएसटीआर 9सी की तालिका 12 वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर9) में घोषित आईटीसी को लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण या खातों की पुस्तकों के अनुसार प्राप्त आईटीसी के साथ मेल कराती है। इस तालिका का कॉलम 12एफ असमेकित आईटीसी से संबंधित है। वित्तीय विवरणों के साथ वार्षिक विवरणी में घोषित आईटीसी में पहचाने गए विसंगति की सीमा की समीक्षा करने के लिए आँकड़ा स्तर पर जीएसटीआर 9सी का विश्लेषण किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि मंडीदीप के अंतर्गत करदाता जीएसटीआईएन 23#####1जेडजेड, के प्रकरण में वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए क्रमशः ₹ 0.92 लाख, ₹ 17.56 करोड़ और ₹ 21.43 करोड़ असमेकित आईटीसी को जीएसटीआर 9सी की तालिका 12एफ में घोषित किया गया था। यह अंतर इंगित करता है कि लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण के आधार पर पात्र आईटीसी से अधिक जीएसटी रिटर्न में आईटीसी का लाभ उठाया गया है।

इंगित किए जाने पर (सितंबर 2023), शासन ने बताया (सितंबर 2024) कि करदाता को डी आर सी -01 जारी किया गया था।

(vii) वित्तीय विवरणों में दिये गए खर्च के साथ वार्षिक विवरणी में प्राप्त आईटीसी के बीच मिलान

जीएसटीआर 9सी की तालिका 14 वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित आईटीसी को लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों या खातों की पुस्तकों के अनुसार खर्चों पर प्राप्त आईटीसी के साथ मिलान कराती है। इस तालिका का कॉलम 14टी असंगत आईटीसी से संबंधित है। वार्षिक विवरणी में घोषित आईटीसी में पहचाने गए विसंगति की सीमा और वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए खर्चों की समीक्षा करने के लिए आँकड़ा स्तर पर जीएसटीआर 9सी का विश्लेषण किया गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वृत्त-1 भोपाल के अंतर्गत करदाता जीएसटीआईएन 23#####1जेड1, के प्रकरण में वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए क्रमशः ₹ 17.75 करोड़ और ₹ 3.58 करोड़ का असमेकित आईटीसी था, जिसे जीएसटीआर 9सी की तालिका 14टी में घोषित किया गया था। अंतर इंगित करता है कि वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए खर्चों के आधार पर पात्र आईटीसी से अधिक जीएसटी रिटर्न में आईटीसी का लाभ उठाया जा रहा है।

इंगित किए जाने पर (सितंबर 2023), शासन ने बताया (सितंबर 2024) कि करदाता को नोटिस जारी किया गया था।

(viii) जीएसटीआर-3B दाखिल नहीं किया गया था लेकिन जीएसटीआर-1 उपलब्ध है

जीएसटीआर 3बी विवरणी वह विवरणी है जिसके माध्यम से कर देयता को ऑफसेट किया जा सकता है, और आईटीसी का लाभ उठाया जाता है। जीएसटीआर 1 की उपलब्धता और जीएसटीआर 3बी दाखिल न करने से संकेत मिलता है कि करदाताओं ने इस अवधि के दौरान कारोबार किया था, लेकिन उन्होंने अपनी कर देनदारी का निर्वहन नहीं किया है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वृत्त-छतरपुर के अंतर्गत करदाता जीएसटीआईएन 23#####1जेडएल, द्वारा ₹ 3.02 करोड़ की कर देनदारी के साथ अगस्त 2019 से दिसंबर 2019 के महीनों के लिए जीएसटीआर 1 दाखिल किया था, लेकिन जीएसटीआर 3बी दाखिल नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.02 करोड़ के कर का भुगतान नहीं किया गया।

इंगित किए जाने पर (सितंबर 2023), शासन ने बताया (सितंबर 2024) कि करदाता को डी आर सी-07 जारी किया गया था।

(ix) असमायोजित देनदारियां

भुगतान न किए गए कर देयता का विश्लेषण करने के लिए, जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 9 से प्रासंगिक आँकड़ा निकाला गया था, और इन रिटर्न में देय कर की तुलना जीएसटीआर 9 में घोषित कर से की गई थी। जहां भी जीएसटीआर 9 उपलब्ध नहीं था, वहां जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3बी के बीच देय कर की तुलना किया गया था। इस उद्देश्य के लिए जीएसटीआर 1 और 9 में घोषित संशोधनों और अग्रिम समायोजन पर भी विचार किया गया। एल्गोरिथम के लिए, जीएसटीआर 1 की तालिका 4 से 11 और जीएसटीआर 9 की तालिका 4एन, 10 और 11 पर विचार किया गया। जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 9 के बीच कर देयता की तुलना जीएसटीआर 9 की तालिका 9 और 14 में घोषित कर से की गई थी, ताकि कर के कम भुगतान की पहचान की जा सके। जीएसटीआर 3बी के प्रकरण में, तालिका 6.1 से तालिका 3.1 (डी) घटाकर, ध्यान में रखा गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वृत्त-भिंड के अंतर्गत करदाता जीएसटीआईएन 23#####1जेडजी, के प्रकरण में जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 में से अधिकतम की कर देयता और कर भुगतान के बीच मिसमैच था। वर्ष 2018-19 और 2020-21 के दौरान क्रमशः ₹ 1.62 करोड़ और ₹ 124.15 करोड़ के कर जीएसटीआर-9 में कम भुगतान किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 125.77 करोड़ की कर देनदारी का मिलान नहीं हुआ।

इंगित किए जाने पर (सितंबर 2023), शासन ने बताया (सितंबर 2024) कि करदाता को एस एम टी -10 जारी किया गया था।

(x) ब्याज का भुगतान न करना

एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50 में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर शासन को कर या उसके किसी भी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, उस अवधि के लिए करेगा जिसके लिए कर या उसके किसी भी हिस्से का भुगतान नहीं किया गया है, अधिसूचित दर पर ब्याज का भुगतान करें। 2018-19 से 2020-21 के दौरान कर के विलंबित प्रेषण के कारण ब्याज के कम भुगतान की सीमा की पहचान जीएसटीआर 3बी में कर भुगतान विवरण और जीएसटीआर 3बी दाखिल करने की तारीख का उपयोग करके की गई थी। देय ब्याज का पता लगाने के लिए केवल शुद्ध कर देयता (नकद घटक) पर विचार किया गया है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वृत्त-भिंड के अंतर्गत करदाता जीएसटीआईएन 23#####3जेडएच, के प्रकरण में वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए 63 से 162 दिनों की देरी के साथ जीएसटीआर-3बी दाखिल किया। तथापि ₹ 24.05 करोड़ के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया।

इंगित किए जाने पर (सितंबर 2023), शासन ने बताया (सितंबर 2024) कि करदाता को डी आर सी-07 जारी किया गया था।

(xi) ई-वे बिल के सत्यापन के आधार पर कर दायित्व को कम करना

एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 138 के अनुसार, एमपीजीएसटी नियमों के नियम 68 के साथ, प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जो ₹ पचास हजार से अधिक मूल्य के माल की आवाजाही का कारण बनता है, इस तरह की आवाजाही शुरू होने से पहले, जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग ए में उक्त माल से संबंधित जानकारी प्रस्तुत करेगा। कर देयता में विसंगति का विश्लेषण करने के लिए, वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए जीएसटीआर 3बी में घोषित कर देयता से संबंधित प्रासंगिक आँकड़ा की तुलना ई-वे बिलों में किए गए खुलासे से की गई।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वृत्त-1 इंदौर के अंतर्गत करदाता जीएसटीआईएन 23#####1जेड5, के प्रकरण में करदाता ने वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान ₹ 137.17 करोड़ की कर देनदारी के साथ ई-वे बिल सृजित किए। लेकिन तीन साल के दौरान जीएसटीआर-3बी के तहत भुगतान किया गया कर केवल ₹ 0.15 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 137.02 करोड़ के कर का कम भुगतान हुआ।

इंगित किए जाने पर (सितंबर 2023), शासन ने बताया (सितंबर 2024) कि वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए, करदाता को एसएमटी-10 जारी किया गया था और करदाता के उत्तर की जाँच की जा रही थी। वर्ष 2020-21 के लिए नोटिस जारी किया गया था।

(xii) आईएसडी क्रेडिट का गलत लाभ उठाना

यह विश्लेषण करने के लिए कि क्या करदाता द्वारा प्राप्त आईटीसी इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) द्वारा स्थानांतरित किए गए आईटीसी से अधिक था, करदाता के रिटर्न में घोषित आईटीसी की तुलना आईएसडी द्वारा उनके जीएसटीआर 6 में स्थानांतरित आईटीसी से की गई थी। प्राप्तकर्ता करदाताओं के जीएसटीआर-9 की तालिका 6जी²⁵ या जीएसटीआर-3बी की तालिका 4(ए)(4)²⁶ की अतिरिक्त लाभ का पता लगाने के लिए संबंधित आईएसडी की तालिका 5ए²⁷, तालिका 8क²⁸ और जीएसटीआर 6 की तालिका 9क²⁹ के योग से तुलना की गई थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वृत्त-3 इंदौर के अंतर्गत करदाता जीएसटीआईएन 23#####1जेड7, के प्रकरण में वर्ष 2020-21 के दौरान जीएसटीआर-6 की तालिका (5ए+8ए+9ए) में आईएसडी द्वारा हस्तांतरित आईटीसी ₹ 0.17 करोड़ था और जीएसटीआर 3बी की तालिका 4(ए)(4) में करदाता द्वारा प्राप्त आईटीसी ₹ 4.32 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.15 करोड़ का आईटीसी मिसमैच था।

²⁵ आई.एस.डी. से प्राप्त आईटीसी।

²⁶ आई.एस.डी. से प्राप्त आवक आपूर्तियाँ।

²⁷ कर अवधि हेतु पात्र आईटीसी की राशियों का वितरण।

²⁸ पुनः प्राप्त (रीक्लेम्ड) और वितरित आईटीसी में असंगति/मेल न होना।

²⁹ गलत प्राप्तकर्ता को वितरित आईटीसी का पुनर्वितरण।

इंगित किए जाने पर (सितंबर 2023), शासन ने बताया (सितंबर 2024) कि करदाता को एस एम टी-10 जारी किया गया था।

(xiii) जीएसटीआर-9सी तालिका 7जी में घोषित कर योग्य कारोबार में विसंगति

जीएसटीआर 9सी की तालिका 7 कर योग्य कारोबार का समाधान है। इस तालिका का कॉलम 7G वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर 9 और अपेक्षित समायोजन के बाद वर्ष के लिए वित्तीय विवरण में घोषित किए गए कर योग्य टर्नओवर को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वृत्त-4 भोपाल के अंतर्गत करदाता जीएसटीआईएन 23#####1जेडएस, के प्रकरण में वर्ष 2020-21 के दौरान लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण और जीएसटीआर-9 के बीच ₹ 2,166.46 करोड़ के टर्नओवर असमायोजित था।

इंगित किए जाने पर (सितंबर 2023), शासन ने बताया (सितंबर 2024) कि करदाता को डी आर सी-01 जारी किया गया था।

(xiv) टीडीएस रिटर्न की तुलना करके कर योग्य आपूर्ति की कम घोषणा

एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017, की धारा 51 के अनुसार, केंद्र शासन या राज्य शासन या स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी एजेंसी या शासन द्वारा अधिसूचित व्यक्ति की श्रेणी, आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान से एक प्रतिशत³⁰ की दर से टीडीएस (एसजीएसटी) काटती है।

जीएसटीआर 7 में घोषित टीडीएस विवरण पंजीकृत करदाता के जीएसटीआर-2ए की तालिका 9 में परिलक्षित होता है। ऐसे प्रकरणों की पहचान की गई है जहां पंजीकृत व्यक्ति के जीएसटीआर 3 बी में जावक कर योग्य आपूर्ति (शून्य रेटेड के अलावा, शून्य रेटेड और छूट) के कारण घोषित कर योग्य मूल्य, जीएसटीआर -2 ए की तालिका 9 के अनुसार टीडीएस क्रेडिट के लिए उत्तरदायी शुद्ध राशि से कम थे।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वृत्त पीथमपुर के अंतर्गत करदाता जीएसटीआईएन 23#####1जेड9, के प्रकरण में जीएसटीआर 2ए की तालिका 9 के अनुसार कटौती की गई कर ₹ 2.53 करोड़ और कर योग्य मूल्य ₹ 126.65 करोड़ था। जबकि जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-3बी में घोषित कर योग्य मूल्य ₹ 31.23 करोड़ था, इसके परिणामस्वरूप ₹ 95.42 करोड़ के कर योग्य मूल्य को छिपाया गया।

इंगित किए जाने पर (सितंबर 2023), शासन ने बताया (सितंबर 2024) कि करदाता को नोटिस जारी किया गया था।

(xv) जीएसटीआर-9सी में घोषित बिना बिल वाले राजस्व के आधार पर कर योग्य मूल्य का छुपाव

बिना बिल वाले राजस्व से तात्पर्य लेन-देन के उस हिस्से से है जो खानों की पुस्तकों में उपार्जन के आधार पर दर्ज किया जाता है, जिसके विरुद्ध वित्तीय वर्ष के अंत तक कोई चालान जारी नहीं किया गया है। जीएसटीआर 9सी की तालिका 5बी में चालू वर्ष की शुरुआत में बिना बिल किए गए राजस्व को जीएसटीआर 9सी की तालिका 5 एच में दिखाए गए पिछले वर्ष के अंत में बिना बिल वाले राजस्व के साथ मिलान करना चाहिए।

³⁰ कुल दो प्रतिशत टीडीएस की कटौती की जाती है, जिसमें एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों के लिए एक प्रतिशत शामिल होता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वृत्त-6 भोपाल के अंतर्गत करदाता जीएसटीआईएन 23#####1जेड6, के प्रकरण में वर्ष 2018-19 के अंत में वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटीआर 9सी की तालिका 5एच में ₹ 26.45 करोड़ के रूप में बिना बिल वाले राजस्व और वर्ष 2019-20 की शुरुआत में वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटीआर 9सी की तालिका 5बी में ₹ 3.47 करोड़ के रूप में बिना बिल वाले राजस्व घोषित किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 22.98 करोड़ के बिना बिल वाले राजस्व का मिसमैच हो गया।

इंगित किए जाने पर (सितंबर 2023), शासन ने बताया (सितंबर 2024) कि करदाता को नोटिस जारी किया गया था।

(xvi) अयोग्य कंपोजिशन कर

एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10 (1) के अनुसार, एक करदाता जिसका पिछले वित्तीय वर्ष में कुल टर्नओवर ₹ एक करोड़ (वर्ष 2019-20 से ₹ 1.5 करोड़) की टर्नओवर सीमा से अधिक नहीं था, वह ऐसी दर पर कर का भुगतान करने का विकल्प चुन सकता है जो कंपोजिशन लेवी योजना के तहत निर्धारित की जा सकती है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 10(3) के अनुसार, कंपोजिशन स्कीम का लाभ उठाने का विकल्प उस दिन से समाप्त हो जाएगा जिस दिन एक वित्तीय वर्ष के दौरान उसका कुल टर्नओवर सीमा से अधिक हो जाएगा।

आंकड़ों के स्तर पर, ऑडिट ने कंपोजिशन करदाताओं की पहचान करने का प्रयास किया, जिनके समान पैर के सभी जीएसटीआईएन के तहत अखिल भारतीय आधार (केंद्रीय और राज्य क्षेत्राधिकार) पर टर्नओवर 2018-19 में ₹ एक करोड़ और 2019-20 में ₹ 1.50 करोड़ की टर्नओवर सीमा को पार कर गया था, लेकिन उन्होंने कंपोजिशन लेवी का लाभ उठाना जारी रखा।

लेखापरीक्षा ने देखा कि वृत्त-सिवनी के अंतर्गत करदाता जीएसटीआईएन 23#####1जेडए के प्रकरण में कंपोजिशन करदाता ने वर्ष 2018-19 और 2019-20 में क्रमशः ₹ 8.94 करोड़ और ₹ 5.22 करोड़ का टर्नओवर घोषित किया। करदाता ने दोनों वर्षों में निर्धारित टर्नओवर सीमा को पार कर लिया था, लेकिन कंपोजिशन लेवी योजना का लाभ उठाना जारी रखा।

इंगित किए जाने पर (सितंबर 2023), शासन ने बताया (सितंबर 2024) कि करदाता को एस एम टी -10 जारी किया गया था।

(xvii) कंपोजिशन करदाता भी ई-कॉमर्स सुविधा का लाभ उठा रहे हैं

एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 10 (2) (डी) के अनुसार, एक करदाता कंपोजिशन लेवी योजना के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से माल की आपूर्ति करने में संलग्न है।

ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा दायर जीएसटीआर 8, और कंपोजिशन करदाताओं द्वारा दायर सीएमपी-08, से संबंधित आँकड़ा सेट की तुलना यह जाँचने के लिए की गई थी कि क्या जीएसटीआर 8 में उल्लिखित प्राप्तकर्ता जीएसटीआईएन ने भी सीएमपी-08 दाखिल किया है। कंपोजिशन लेवी का लाभ अनियमित रूप से प्राप्त करने के अलावा, यह भी जाँच की गई कि क्या इनमें से अधिकांश करदाताओं से संबंधित जीएसटीआर 8 रिटर्न में ई-कॉमर्स सेवा प्रदाता द्वारा घोषित टर्नओवर करदाताओं द्वारा उनके सीएमपी-08 में घोषित टर्नओवर से अधिक था, जो कर के कम भुगतान की संभावना को भी दर्शाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वृत्त-3 भोपाल के तहत जीएसटीआईएन 23#####1जेडए, रखने वाले एक कंपोजिशन करदाता ने वर्ष 2018-19 के दौरान ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से आपूर्ति की। इसलिए, वह कंपोजिशन स्कीम के लिए पात्र नहीं था। इसके अलावा, करदाता के लिए जीएसटीआर-8 में ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा घोषित टर्नओवर ₹ 2.26 करोड़ था, जबकि करदाता द्वारा अपने सीएमपी-08 में घोषित टर्नओवर ₹ 1.19 करोड़ था। इस प्रकार, करदाता ने अपने सीएमपी-08 में टर्नओवर मूल्य को भी कम दिखाया।

इंगित किए जाने पर (सितंबर 2023), शासन ने बताया (सितंबर 2024) कि करदाता को डी आर सी-01 जारी किया गया था।

3.6.3 जीएसटी विवरणियों का विस्तृत लेखापरीक्षा

स्व-मूल्यांकन व्यवस्था में, कानून के अनुपालन की जिम्मेदारी करदाता पर होती है। विभाग की भूमिका निरीक्षण प्रदान करने के लिए एक कुशल कर प्रशासन तंत्र स्थापित करना और बनाए रखना है। संसाधनों के सीमित स्तर के साथ, एक प्रभावी कर प्रशासन के लिए, कानून का अनुपालन और राजस्व संग्रह सुनिश्चित करने के लिए, एक कुशल शासन तंत्र आवश्यक है। एक आईटी संचालित अनुपालन मॉडल बड़े पैमाने पर शासन की एक गैर-विवेकाधीन व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम बनाता है और अनुपालन को लागू करने के लिए एक लक्षित दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करता है।

बाहरी लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण से, लेखापरीक्षा ने आँकड़ा-संचालित जोखिम-आधारित दृष्टिकोण पर भी ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार, अखिल भारतीय आँकड़ा विश्लेषण के माध्यम से जीएसटी रिटर्न में विसंगतियों/ विचलन की पहचान करने के अलावा, इस समीक्षा के एक भाग के रूप में जीएसटी रिटर्न का एक विस्तृत लेखापरीक्षा भी किया गया था। समीक्षा के इस भाग के लिए 70 करदाताओं का जोखिम-आधारित नमूने का चयन किया गया था। अपनाई गई कार्यप्रणाली में संभावित जोखिम क्षेत्रों, विसंगतियों/ विचलन और रेड फ्लैग्स की पहचान करने के लिए शुरू में जीएसटीआर 9सी के हिस्से के रूप में करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए वित्तीय विवरणों और बैक-एंड सिस्टम में उपलब्ध अन्य अभिलेख की डेस्क समीक्षा की गई थी। लेखापरीक्षा ऑफिस में डेस्क रिव्यू किया गया। डेस्क समीक्षा परिणामों के आधार पर, पहचाने गए जोखिमों के प्रेरक कारकों की पहचान करने और करदाताओं द्वारा अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए करदाताओं के वित्तीय बहीखाता, बीजक आदि जैसे संबंधित विस्तृत अभिलेख की मांग करके राज्य क्षेत्रीय संरचनाओं में विस्तृत लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी।

जैसा कि पिछली कंडिका में इंगित किया गया है, विस्तृत लेखापरीक्षा में जोखिमों और रेड फ्लैग्स की पहचान करने के लिए जीएसटी रिटर्न और अन्य बुनियादी रिकॉर्डों की डेस्क समीक्षा शामिल थी, जिसके बाद करदाताओं द्वारा गैर-अनुपालन की सीमा की पहचान करने और राज्य क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की गई कार्रवाई की पहचान करने के लिए क्षेत्र लेखापरीक्षा द्वारा किया गया था। विभिन्न चरणों में करदाताओं द्वारा अनुपालन न करने से अंततः दाखिल किए गए रिटर्न की सत्यता, आईटीसी के उपयोग और कर भुगतान के निर्वहन पर असर पड़ता है। इसलिए लेखापरीक्षा के निष्कर्षों को (ए) रिटर्न (बी) आईटीसी का उपयोग और (सी) कर देयता का निर्वहन के तहत वर्गीकृत किया गया है।

3.6.3.1 कार्य क्षेत्र सीमा (अभिलेखों का प्रस्तुत न किया जाना)

विभाग ने अपने परिसर में लेखापरीक्षा करने के लिए जीएसटी पोर्टल एप्लीकेशन-राज्य कर विभाग (बोवेब) की बैक-एंड प्रणाली के माध्यम से पहुंच प्रदान की।

लेखापरीक्षा दलों ने रिटर्न के सत्यापन के लिए करदाताओं के चयनित नमूनों के विभिन्न रिटर्न डाउनलोड किए। हालांकि, रिटर्न में प्रदान की गई जानकारी की शुद्धता को सत्यापित करने के लिए विभाग द्वारा करदाताओं से संबंधित कोई विस्तृत अभिलेख प्रदान नहीं किया गया था।

अभिलेखों के प्रस्तुत न किया जाने के विवरण को निम्नलिखित कंडिका में सक्षेपित किया गया है:

प्रस्तुत न किया जाना: बैक-एंड सिस्टम में उपलब्ध करदाताओं के अभिलेख की डेस्क समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए विस्तृत जाँच के लिए अतिरिक्त आईटीसी और कर देयता मिसमैच से संबंधित जोखिमों की पहचान की। आईटीसी आयाम पर, जीएसटीआर-3बी की तुलना जीएसटीआर-2ए और जीएसटीआर-9 के साथ और जीएसटीआर-9सी की तालिका 12 और 14 में की गई घोषणाओं द्वारा की गई थी। कर देयता आयाम पर, जीएसटीआर-3बी की तुलना जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 के साथ और जीएसटीआर-9सी की तालिका 5, तालिका 7 और तालिका 9 में की गई घोषणाओं से की गई थी। हालांकि, 70 नमूना प्रकरणों में, विभाग ने आईटीसी और कर देयता के मिसमैच होने के लिए प्रेरक कारकों की जाँच के लिए आवश्यक पूरक वित्तीय बहीखाता, चालान, समझौते की प्रतियाँ आदि जैसे संबंधित विस्तृत अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए। लेखापरीक्षा ने संबंधित वृत्तों के माध्यम से करदाताओं के इन विस्तृत अभिलेख की मांग की। अभिलेखों के क्षेत्राधिकार-वार प्रस्तुत न किये जाने को **तालिका 3.3** में संक्षेपित किया गया है। प्रस्तुत न किये जाने की प्रकरण-वार सूची **परिशिष्ट 3.9** में दी गई है।

तालिका 3.3: अभिलेखों का प्रस्तुत न किया जाना

राज्य वाणिज्यिक कर विभाग का क्षेत्राधिकार क्षेत्र	नमूना करदाताओं की संख्या	अभिलेख प्रदान नहीं किए गए करदाताओं की संख्या
भोपाल	24	24
इंदौर-1	28	28
इंदौर-2	05	05
ग्वालियर	04	04
जबलपुर	09	09
कुल	70	70

इंगित किए जाने जाने पर (अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2023), आयुक्त ने बताया (सितंबर 2024) कि जीएसटी शासन में सभी कार्रवाई ऑनलाइन की जाती है और दस्तावेज पोर्टल पर उपलब्ध होते हैं, जो लेखापरीक्षा को प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा, आयुक्त के पत्र³¹ के अनुसार, पोर्टल पर नहीं उपलब्ध दस्तावेजों की करदाताओं से मांग नहीं की जाएगी, इसलिए, अभिलेख को लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं किया जा सकता है।

आयुक्त का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विवरणियों में दी गई जानकारी और मिसमैच/ विचलन को सत्यापित नहीं किया जा सकता है। चूंकि लेखापरीक्षा द्वारा पहचाने गए प्रकरणों में मिसमैच/ विचलन था, इसलिए विभाग को इसे सत्यापित करने के लिए सहायक दस्तावेज प्रदान करने की आवश्यकता थी।

इस प्रकार, अभिलेखों के प्रस्तुत न होने के कारण, कर देयता के निर्वहन और आईटीसी का लाभ उठाने से संबंधित विचलन के विस्तृत लेखापरीक्षा के संचालन में लेखापरीक्षा बाधित हो गई थी। करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए रिटर्न से देखे गए इन विचलनों को कंडिका 3.6.3.3 और 3.6.3.4 में 'विचलन/ मिसमैच' के रूप में इंगित किया गया है।

³¹ संख्या 245 दिनांक 15 दिसंबर 2022

3.6.3.2 रिटर्न दाखिल करना

ब्याज का कम भुगतान

एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50 में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जो अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन निर्धारित³² अवधि के भीतर शासन को कर या किसी भी हिस्से का भुगतान करने में विफल रहता है, उस अवधि के लिए करेगा जिसके लिए कर या उसके किसी भी हिस्से का भुगतान नहीं किया गया है। परिषद की सिफारिशों पर शासन द्वारा अधिसूचित की जा सकने वाली 18 प्रतिशत से अधिक दर पर ब्याज का स्वयं भुगतान करना।

2018-19 से 2020-21 के दौरान कर के विलंबित प्रेषण के कारण ब्याज का भुगतान न करने या कम भुगतान करने की सीमा की पहचान कर भुगतान किए गए विवरण और जीएसटीआर-3बी दाखिल करने की तारीख का उपयोग करके की गई थी। देय ब्याज का पता लगाने के लिए केवल शुद्ध कर देयता (नकद घटक) पर विचार किया गया था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नौ वृत्त³³ कार्यालयों के 15 प्रकरणों में, जो 70 चयनित प्रकरणों में से 21.43 प्रतिशत हैं, करदाताओं ने 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए अपने जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल किए थे, जिसमें 01 दिन से 176 दिनों तक की देरी हुई थी। तथापि, विवरणियों को देरी से दाखिल करने के लिए ₹ 0.50 करोड़ की ब्याज देयता का निर्वहन/ शॉर्ट-डिस्चार्ज नहीं किया गया था, जैसा कि **परिशिष्ट 3.10** में इंगित किया गया है।

इंगित किए जाने जाने पर (अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2023), शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि आठ प्रकरणों में नोटिस जारी किए गए हैं और कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है। सात प्रकरणों में एएसएमटी 10 जारी किया गया था।

एक प्रकरण नीचे दर्शाया गया है:

वृत्त इंदौर-12 के तहत जीएसटीआईएन 23#####1जेडआर रखने वाले एक करदाता ने मार्च 2020 और जुलाई 2020 से मार्च 2021 के महीनों के लिए 27 से 176 दिनों की देरी के साथ अपना जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल किया। हालांकि, ₹ 10.40 लाख के ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था।

इंगित किए जाने पर (नवंबर 2023) शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि नोटिस जारी कर दिए गए हैं और कार्रवाई चल रही है।

लेखापरीक्षा में आगे की प्रगति की प्रतीक्षा की जा रही थी।

3.6.3.3 इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित मिसमैच

इनपुट टैक्स क्रेडिट का अर्थ है किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा वस्तुओं और/ या सेवाओं की खरीद पर भुगतान किया गया माल और सेवा कर जो व्यवसाय के दौरान या आगे बढ़ने में उपयोग किया जाता है। करों के व्यापक प्रभाव से बचने के लिए, इनपुट आपूर्ति पर भुगतान किए गए करों के क्रेडिट का उपयोग बाहरी आपूर्ति पर करों के भुगतान के लिए सेट-ऑफ करने के लिए किया जा सकता है।

³² अगले महीने का 20 वां दिन

³³ भोपाल-1, भोपाल-5, भोपाल-6, छिंदवारा-2, देवास, ग्वालियर-1 इंदौर-12, खरगोन एवं बेहैन

एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 16 और 17 आईटीसी का लाभ उठाने के लिए पात्रता और शर्तें निर्धारित करती है। सीजीएसटी के क्रेडिट का उपयोग एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है और एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी के क्रेडिट का उपयोग सीजीएसटी के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है। एमपीजीएसटी नियम, 2017 के नियम 36 से 45 में आईटीसी का लाभ उठाने और उसे वापस लेने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

लेखापरीक्षा ने करदाताओं द्वारा दाखिल जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-9 और जीएसटीआर-9सी के ऑकड़ासेट के साथ-साथ चयनित करदाताओं के संबंध में जीएसटीआर-2ए के ऑकड़ासेट का विश्लेषण किया और रिटर्न के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट में विसंगति देखी। हालांकि, लेखापरीक्षा विसंगतियों की विस्तार से जांच नहीं कर सका क्योंकि विभाग द्वारा खरीद बीजक, खरीद रजिस्टर और आपूर्तिकर्ताओं के बहीखाता, आईएसडी बीजक, प्रविष्टियों के बिल आदि जैसे प्रासंगिक आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे। विवरणियों में देखे गए आईटीसी के विसंगतियों का विवरण तालिका 3.4 में दिया गया है।

तालिका 3.4: करदाताओं द्वारा दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट में अंतर/मिसमैच

क्र. सं.	मापदंड	प्रकरणों की संख्या	वृत्तों की संख्या	मिसमैच की मात्रा	टिप्पणी (₹ करोड़ में)
1	जीएसटीआर-3बी/ जीएसटीआर-9 में मिले आईटीसी और जीएसटीआर-2ए में मिले आईटीसी के बीच अंतर: जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी, उसके सभी बदलावों के साथ, की तुलना टेबल 4ए(5) ³⁴ में जीएसटीआर -3बी में मिले आईटीसी से की गई, जिसमें टेबल 4डी में अयोग्य आईटीसी को ध्यान में रखा गया और जीएसटीआर-9 के टेबल-8सी के अनुसार अगले साल मिले आईटीसी को भी शामिल किया गया। (परिशिष्ट 3.11)	92	26	1,935.20	शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि 38 प्रकरणों में नोटिस जारी किए गए थे और कार्रवाई चल रही थी और 54 प्रकरणों में एएसएमटी 10 जारी किए गए थे। आगे की प्रगति की प्रतीक्षा थी।
2	आईएसडी के संबंध में मिले आईटीसी में मिसमैच: जीएसटीआर-9 के टेबल-6जी में इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के संबंध में मिले आईटीसी की तुलना जीएसटीआर-2ए में आईएसडी के कारण मिले आईटीसी से की गई। (परिशिष्ट 3.12)	39	11	456.52	शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि सभी प्रकरणों में एएसएमटी 10 जारी किए गए थे। आगे की प्रगति की प्रतीक्षा थी।
3	आरसीएम पर प्राप्त आईटीसी में मिसमैच: (i) जीएसटीआर-9 की तालिका 6सी+6डी+6एफ के अनुसार आरसीएम के तहत प्राप्त आईटीसी की तुलना जीएसटीआर-3बी की तालिका- 6.1बी के अनुसार आरसीएम के तहत चुकाए गए कर से की गई। (परिशिष्ट 3.13 (i))	12	8	3.83	शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि सभी प्रकरणों में, एएसएमटी 10 जारी किए गए। आगे की प्रगति की प्रतीक्षा थी।
	(ii) जहां जीएसटीआर -9 फाइल नहीं किया गया था, वहां जीएसटीआर -3बी के टेबल-4(ए)(2) + 4ए(3) के अनुसार आरसीएम के तहत लिए गए आईटीसी की तुलना जीएसटीआर-3बी के टेबल- 6.1बी के अनुसार आरसीएम के तहत चुकाए गए टैक्स से की गई। (परिशिष्ट 3.13 (ii))	7	5	1.90	शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि सभी प्रकरणों में , नोटिस जारी किए गए थे और कार्रवाई चल रही थी। आगे की प्रगति की प्रतीक्षा थी।

³⁴ अन्य सभी आईटीसी

क्र. सं.	मापदंड	प्रकरणों की संख्या	वृत्तों की संख्या	मिसमैच की मात्रा	टिप्पणी
4	जीएसटीआर-9 के टेबल 8डी के अनुसार उपलब्ध आईटीसी और लिए गए आईटीसी में मिसमैच: जीएसटीआर-9 का टेबल-8डी, जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी और जीएसटीआर-3बी के अनुसार लिए गए आईटीसी के बीच के अंतर को बाद के समय के समायोजन के साथ दिखाता है। जीएसटीआर-9 के टेबल-8डी में ऋणात्मक आंकड़ा बताता है कि तय सीमा से ज्यादा आईटीसी लिया गया है। (परिशिष्ट 3.14)	102	28	847.72	शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि 42 प्रकरणों में नोटिस जारी किए गए और 60 प्रकरणों में एएसएमटी 10 जारी किए गए। आगे की प्रगति की प्रतीक्षा थी।
5	वार्षिक रिटर्न में आईटीसी का मिसमैच: जीएसटीआर -9 के टेबल-6जे में दिए गए आंकड़े 3बी के जरिए लिए गए आईटीसी और टेबल 6बी से 6एच में दर्ज आईटीसी के बीच का अंतर दिखाते हैं। 6जे में ऋणात्मक आंकड़ा आईटीसी के ज्यादा उपयोग का संकेत है। (परिशिष्ट 3.15)	62	19	1,124.32	शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि 32 प्रकरणों में नोटिस जारी किए गए थे और कार्रवाई चल रही थी और 30 प्रकरणों में एएसएमटी 10 जारी किए गए थे। आगे की प्रगति की प्रतीक्षा थी।
6	वार्षिक रिटर्न और अंकेक्षित वित्तीय विवरण के बीच मिले आईटीसी में मिसमैच: जीएसटीआर -9सी की तालिका-12एफ में दिए गए आंकड़े वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) और अंकेक्षित वित्तीय विवरण (जीएसटीआर-9सी) में मिले आईटीसी में अंतर को दिखाते हैं। (परिशिष्ट 3.16)	9	5	14.52	शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि एक प्रकरण में नोटिस जारी किया गया था और कार्रवाई चल रही थी। आठ प्रकरणों में एएसएमटी 10 जारी किए गए थे। आगे की प्रगति की प्रतीक्षा थी।
	कुल	323	102	4,384.01	

3.6.3.4 कर देयता के निर्वहन से संबंधित मिसमैच

जीएसटी के मामले में कर योग्य घटना वस्तुओं और/ या सेवाओं की आपूर्ति है। एमपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9 और सीजीएसटी अधिनियम 2017 अधिनियम की धारा 15 के तहत निर्धारित मूल्य पर और प्रत्येक अधिनियम के तहत 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होने वाली दरों पर मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति को छोड़कर, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की सभी अंतर-राज्य आपूर्ति पर राज्य वस्तु और सेवा कर नामक कर लगाने और संग्रह को अधिकृत करने वाले शुल्क खंड हैं यानी सीजीएसटी अधिनियम और एमपीजीएसटी अधिनियम। आईजीएसटी की धारा 5 में वस्तुओं और सेवाओं की अंतरराज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत जीएसटी की लेवी और संग्रह केंद्र सरकार के पास 40 प्रतिशत की अधिकतम दर के साथ निहित है।

वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम, 2017 की धारा 8 के तहत, ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की सभी अंतर-राज्य और अंतर-राज्य आपूर्ति पर उपकर लगाया जाता है जो उक्त अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध हैं जैसे तंबाकू उत्पाद, वातित पेय, सिगरेट, वाहन आदि। एमपीजीएसटी अधिनियम की धारा 9 (3) और 9 (4), 2017 और एकीकृत जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 5(3) और 5(4) कुछ वस्तुओं या सेवाओं पर कर के रिवर्स चार्ज लेवी का प्रावधान करती है, जिसमें आपूर्तिकर्ता के बजाय प्राप्तकर्ता कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है।

लेखापरीक्षा ने 2018-19 से 2020-21 की अवधि के लिए करदाताओं द्वारा दाखिल किए गए जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी और जीएसटीआर-9 रिटर्न की जाँच की और रिटर्न में प्रस्तुत कर देयता की तुलना करके कर देयता के निर्वहन में विसंगति पाई। लेखापरीक्षा इन विसंगतियों की विस्तार से जाँच नहीं कर सकी क्योंकि विभाग द्वारा प्रासंगिक आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए थे। मिसमैच का विवरण तालिका 3.5 में दिया गया है।

तालिका 3.5: कर देनदारी के निर्वहन से जुड़ा मिसमैच

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मानदंड	प्रकरणों की संख्या	वृत्तों की संख्या	मिसमैच की मात्रा	टिप्पणी
1	जीएसटीआर-9सी में इंगित किया गया असंगत कर भुगतान: जीएसटीआर -9सी के टेबल-9आर में ऋणात्मक आंकड़ा असंगत भुगतान नहीं होना या कम कर भुगतान को दिखाता है। (परिशिष्ट 3.17)	1	1	0.01	शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि एएसएमटी 10 जारी किया गया था। आगे की प्रगति की प्रतीक्षा थी।
2	जीएसटीआर -1 और जीएसटीआर -3बी या जीएसटीआर-9 के बीच टैक्स देने में अंतर: जीएसटीआर-1 की कर देयता, जीएसटीआर-3बी या जीएसटीआर-9 में बताई गई कर देयता से ज्यादा थी। (परिशिष्ट 3.18)	69	23	63.06	शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि 68 प्रकरणों में नोटिस जारी किए गए थे और एक प्रकरण में कोई कर देनदारी नहीं है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कर देनदारी न होने के समर्थन में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। आगे की प्रगति की प्रतीक्षा थी।
3	जीएसटीआर-9 में कर भुगतान के संदर्भ में जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-9 की अधिक कर देयता की तुलना करने पर गैर-भुगतान कर देयता: वर्ष 2018-19 से 2020-21 के लिए जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 की तुलना की गयी तथा इन रिटर्न में देय कर की तुलना जीएसटीआर-9 में चुकाए गए एवं घोषित कर से की गई। (परिशिष्ट 3.19)	78	27	451.92	शासन ने उत्तर दिया (सितंबर 2024) कि 75 प्रकरणों में नोटिस जारी किए गए थे और तीन प्रकरणों में बताया गया था कि जाँच के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। आगे की प्रगति की प्रतीक्षा थी।
	कुल	148	51	514.99	

अनुशंसा 3: विभाग इस रिपोर्ट में लाए गए सभी अनुपालन विचलनों के लिए समय-सीमा प्राप्त करने से पहले उपचारात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता है।

3.7 निष्कर्ष

जीएसटी भुगतान और रिटर्न दाखिल करने पर विभागीय पर्यवेक्षण से संबंधित एसएससीए को रिटर्न दाखिल करने की प्रवृत्तियों तथा निरंतर बनी रहने वाली आँकड़ा असंगतियों के संदर्भ में इस उद्देश्य से संचालित किया गया कि रिटर्न दाखिल करने और कर भुगतान की निगरानी करने वाली प्रणाली की पर्याप्तता, अनुपालन की सीमा तथा अन्य विभागीय निगरानी संबंधी कार्यों का आकलन किया जा सके।

यह एसएससीए मुख्यतः आँकड़ा विश्लेषण पर आधारित था, जिसने जोखिम क्षेत्रों, रेड फ्लैग्स और कुछ मामलों में नियम-आधारित विचलनों तथा 2018-19 से 2020-21 तक के वर्षों के लिए दायर जीएसटी रिटर्न में तार्किक असंगतियों को उजागर किया। एसएससीए में राज्याधीन क्षेत्रीय गठन के पर्यवेक्षण कार्यों का दो स्तरों पर मूल्यांकन शामिल था-आँकड़ा स्तर पर वैश्विक आँकड़ा प्रश्नों के माध्यम से और कार्यात्मक स्तर पर, जिसमें वृत्तों तथा जीएसटी रिटर्न का गहन विस्तृत लेखापरीक्षा शामिल था, जिसके अंतर्गत करदाताओं के अभिलेखों तक पहुँच भी सम्मिलित थी।

10 वृत्तों के कार्यों की समीक्षा से पता चला कि रिटर्न फाइलिंग की निगरानी, जाँच शुरू न करने/ अनुपालन करने, कर अधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा शुरू न करने/ देरी करने, डीजीएआरएम रिपोर्ट की कार्रवाई में कमी, पंजीकरण निरस्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करने जैसे वृत्तों के निगरानी कार्यों में कमियाँ थीं।

इसके अलावा, लेखापरीक्षा द्वारा पहचानी गई 652 उच्च मूल्य आँकड़ा विसंगतियों में से, विभाग ने 612 प्रकरणों का उत्तर दिया। इनमें से 553 प्रकरण आईटीसी/ कर देनदारी के मिसमैच होने से संबंधित थे, जिनमें से 394 प्रकरण ₹ 1,636.02 करोड़ (71.25 प्रतिशत) की राशि के अनुपालन कमियों के सामने आए। टर्नओवर के मिसमैच के 59 प्रकरणों में से ₹ 6,382.04 करोड़ (61.02 प्रतिशत) के 36 प्रकरण अनुपालन कमियों के सामने आए। 'जीएसटीआर 2ए और 3बी के बीच आईटीसी मिसमैच', 'अपूर्ण देनदारियाँ', 'आपूर्तिकर्ता द्वारा बिना कर चुकाये आईटीसी का अग्रेषण' और 'ईडब्ल्यूबी सत्यापन के आधार पर कर देयता को छिपाने' जैसे जोखिम मापदंडों में विचलन की अपेक्षाकृत उच्च दर देखी गई।

जीएसटी रिटर्न के विस्तृत लेखापरीक्षा में भी इसका काफी गैर-अनुपालन होने का सुझाव दिया गया है। वित्तीय विवरण जैसे आवश्यक अभिलेख, और पूरक वित्तीय बही, चालान, समझौते की प्रतियाँ आदि जैसे आवश्यक अभिलेख कॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जो एक महत्वपूर्ण दायरे की सीमा का गठन करते थे। ये प्रकरण आईटीसी लाभ और कर भुगतान में पहचाने गए मिसमैच के लिए संभावित जोखिम का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिन 70 करदाताओं के रिटर्न की जाँच की गई, उनमें से लेखापरीक्षा में ₹ 4,899.50 करोड़ की 486 अनुपालन कमियाँ/ मिसमैच पाए गए।

प्रणालीगत दृष्टिकोण से, विभाग को रिटर्न फाइलिंग, करदाताओं के अनुपालन, कर भुगतान, पंजीकरण निरस्त करने और चूककर्ताओं से बकाया राशि की वसूली पर प्रभावी निगरानी स्थापित करने और बनाए रखने के लिए वृत्तों में संस्थागत तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता है।

3.8 अनुशंसाओं का सारांश

विभाग:

- प्रकरणों के समयातीत होने से पहले समयबद्ध तरीके से रिटर्न की जाँच सुनिश्चित कर सकता है।
- पंजीकरण निरस्त करने की स्थिति की निगरानी करना और अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उन पर की गई कार्रवाई की निगरानी कर सकता है ताकि अदा न की गई कर देनदारियों को रोका जा सके।
- इस रिपोर्ट में सामने आए सभी अनुपालन विचलनों के लिए समय-सीमा से पहले उपचारात्मक कार्रवाई शुरू कर सकता है।

भोपाल

दिनांक : 14 जनवरी 2026



(राम हित)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II)

मध्य प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली

दिनांक : 15 जनवरी 2026



(के. संजय मूर्ति)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 2.1

(कंडिका 2.1.5.4 में संदर्भित)

जोखिम विश्लेषण के लिए प्रमुख समस्या क्षेत्र

क्र. सं	प्रमुख समस्या क्षेत्र
1	केवल जावक आपूर्ति ईडब्ल्यूबी वाले करदाता
2	निल फाइलर द्वारा सृजित ईडब्ल्यूबी
3	रिटर्न डिफॉल्टरों (नॉन-फाइलर) द्वारा सृजित ईडब्ल्यूबी
4	करदाता का पंजीकरण रद्द करने के बाद ईडब्ल्यूबी सृजन
5	जीएसटी पंजीकरण के छह महीने के भीतर उच्च मूल्य के ईडब्ल्यूबी सृजित किए गए
6	उन करदाताओं के ईडब्ल्यूबी जिनका पंजीकरण बाद में रद्द कर दिया गया था
7	कंपोजिशन करदाता अंतर-राज्यीय आपूर्ति के लिए ईडब्ल्यूबी सृजित कर रहे हैं
8	कंपोजिशन करदाता जिन्होंने निर्धारित सीमा को पार कर लिया है
9	एकल इनवॉइस (बीजक) पर कई ईडब्ल्यूबी सृजित करना
10	विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा काली सूची में डाले गए संस्थाओं के ईडब्ल्यूबी
11	उन करदाताओं के ईडब्ल्यूबी जिनका आवक-जावक आपूर्ति अनुपात अनुपातहीन है।
12	पीआइएन से पीआइएन तक उच्च दूरी वाले ईडब्ल्यूबी
13	बाद में प्राप्तकर्ता द्वारा ईडब्ल्यूबी को अस्वीकार कर दिया गया
14	अनुपातहीन जावक आपूर्ति अनुपात वाले ईडब्ल्यूबी
15	अमान्य पिन कोड का उपयोग करने वाले ईडब्ल्यूबी
16	आठ घंटे से अधिक की समय सीमा विस्तार वाले ईडब्ल्यूबी
17	जिन वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था, उनके पंजीकरण नंबरों के साथ ईडब्ल्यूबी सृजित किया गया
18	दोपहिया वाहनों के पंजीकरण नंबरों का उपयोग कर सृजित किए गए ईडब्ल्यूबी
19	सरेंडर किए गए वाहनों के पंजीकरण नंबर के साथ ईडब्ल्यूबी सृजित किया गया
20	ईडब्ल्यूबी सृजित किया गया और बाद में रद्द कर दिया गया
21	स्क्रेप किए गए वाहनों की पंजीकरण संख्या के साथ ईडब्ल्यूबी सृजित किये गए
22	ईडब्ल्यूबी सृजन में चोरी के वाहनों के पंजीकरण नंबरों का उपयोग
23	निलंबित वाहनों के पंजीकरण संख्या के साथ ईडब्ल्यूबी सृजन
24	आयकर डिफॉल्टरों द्वारा ईडब्ल्यूबी सृजन

परिशिष्ट 2.2

(कंडिका 2.2.2.1 में संदर्भित)

कर रिटर्न दाखिल न करने वालों द्वारा ईडब्ल्यूबी का सृजन

क्र. सं.	जीएसटी आईन	वृत्त	ईडब्ल्यूबी के सृजन का दिनांक (माह)	ईडब्ल्यूबी की संख्या	मूल्यांकन राशि	कर का भुगतान नहीं किया			(राशि ₹ में) विभाग का उत्तर
						आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी	
1	23##### ###A1ZE	वृत्त-1, भोपाल	अप्रैल -18 मई -18	7 1	9,61,713 1,05,450	1,46,702 18,981	0 0	0 0	उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (जून 2025)
2	23##### ###E1Z2	वृत्त -12, इंदौर	दिसंबर-21	171	13,46,80,484	67,34,025	0	0	भौतिक सत्यापन के दौरान करदाता बोगस (फर्जी) या अस्तित्वहीन पाया गया । ₹ 2.92 करोड़ की वसूली के लिए दिनांक 1 जुलाई 2024 को नोटिस जारी किया गया है।
कुल				179	13,57,47,647	68,99,708	0	0	

परिशिष्ट 2.3

(कंडिका 2.2.2.2 में संदर्भित)

शून्य विवरणी दाखिल करने वालों द्वारा ईडब्ल्यूबी का सृजन

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जीएसटी आईन	वृत्त	माह	ईडब्ल्यूबी की संख्या	राशि	कर			विभाग का उत्तर
						आईजीएस टी	सीजीए सटी	एसजीए सटी	
1	23##### ###G1ZE	वृत्त-13 इंदौर	नवंबर 2020	1	2,34,000	11,700	0	0	विभाग से उत्तर प्रतीक्षित (जून 2025) था।
2	23##### ###L1ZE	वृत्त-1 भोपाल	मई 2021	3	8,91,350	44,567	0	0	
			जून 2021	1	4,00,400	20,020	0	0	
			जुलाई 2021	4	14,66,100	73,305	0	0	
			सितंबर 2021	3	8,41,500	42,075	0	0	
			अक्टूबर 2021	5	13,16,743	65,537	0	0	
			दिसंबर 2021	6	25,78,880	1,28,944	0	0	
			जनवरी 2022	3	17,05,280	85,264	0	0	
3	23##### ###M1Z0	वृत्त-15 इंदौर	अप्रैल 2018	72	88,79,850	5,89,972	0	0	
			मई 2018	150	55,57,986	3,40,315	0	0	
			जून 2018	121	66,04,226	3,94,766	0	0	
			जुलाई 2018	21	7,33,012	38,952	0	0	
			अगस्त 2018	7	2,78,014	37,238	0	0	
			सितंबर 2018	1	18,615	930	0	0	
4	23##### ###G1Z1	मुरेना	मार्च 2021	1	1,64,900	8,245	0	0	
5	23##### ###C2ZG	पिथमपुर	फरवरी 2020	1	6,55,927	1,18,067	0	0	
			मई 2020	1	3,64,350	65,583	0	0	
			जून 2021	4	21,44,450	3,86,001	0	0	
		कुल		405	3,48,35,583	24,51,481	0	0	

परिशिष्ट 2.4

(कंडिका 2.2.2.3 में संदर्भित)

कंपोजिशन लेवी स्कीम करदाताओं द्वारा अंतर-राज्यीय आपूर्ति के लिए ईडब्ल्यूबी का सृजन

क्र. सं.	वृत्त	जीएसटीआ ईन	पहली अंतरराज्यीय आपूर्ति की दिनांक	अंतरराज्यीय आपूर्ति के लिए सृजित ईडब्ल्यूबी की संख्या	वर्तमान में करदाता का प्रकार	अंतरराज्यीय आपूर्ति के पश्चात रिटर्न के अनुसार कर योग्य राशि	अंतरराज्यीय आपूर्ति के पश्चात कुल कर योग्य टर्नओवर	5 प्रतिशत की दर से देय कर (आईजीएसटी)	कर का भुगतान नहीं किया गया / 1 प्रतिशत की दर से भुगतान किया गया कर	(राशि ₹ में)			विभाग का उत्तर	
										कर का भुगतान न/ आईजीएसटी	कम करना सीजीएसटी	एसजीएसटी		
1	वृत्त-5 भोपाल	23##### ###L1Z5	04-11-2018	3	कंपोजिशन	0	17,28,000	86,400	0	86,400	0	0	₹ 0.58 लाख के लिए कारण बताओ नोटिस 23 अगस्त 2024 को जारी किया गया।	
2	वृत्त-13 इंदौर	23##### ###G1ZE	05-11-2020	1	कंपोजिशन	0	2,34,000	11,700	0	11,700	0	0	₹ 0.31 लाख के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।	
3	वृत्त-3 भोपाल	23##### ###E1ZL	19-10-2020	2	सामान्य	71,83,450	71,83,450	3,59,173	71,832	2,87,341	0	0	₹ 0.15 लाख का मांग सूचना पत्र 12 अगस्त 2024 को जारी किया गया, वसूली प्रगति पर है।	
कुल							71,83,450	91,45,450	4,57,273	71,832	3,85,441	0	0	

परिशिष्ट 2.5

(कंडिका 2.2.2.5 में संदर्भित)

एक ही/ समान बीजकों के बल पर कई ईडब्ल्यूबी का सृजन

क्र. सं.	वृत्त	जीएसटीआईन	समान बीजकों पर ईडब्ल्यूबी की संख्या	समान बीजक पर ईडब्ल्यूबी सृजन की रेंज	ईडब्ल्यूबी की संख्या जो जीएसटीआर-1 में नहीं दर्शाई गई	विवरणियों की स्थिति	मूल्यांकन राशि	कर का कम आरोपण			कुल कर की राशि	अवधि	विभाग का उत्तर
								आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी			
1	वृत्त-1 इंदौर	23##### #####G1ZG	2	2	2	दायर नहीं की गई	18,49,550	0	1,66,460	1,66,460	3,32,920	2018-19	उत्तर प्रतीक्षित था (जून 2025)
2	वृत्त-1 भोपाल	23##### #####A1ZE	5	2 to 3	5	दायर नहीं की गई	6,63,055	1,01,143	0	0	1,01,143	2018-19	
3	वृत्त-10 इंदौर	23##### #####H1ZY	48	2 to 5	30	दायर	43,43,289	4,62,632	0	0	4,62,632	2018-19	
4	वृत्त-9 इंदौर	23##### #####D1ZY	2	2	2	दायर	1,94,51,404	35,01,253	0	0	35,01,253	2018-19	
5	वृत्त-15 इंदौर	23##### #####M1Z0	8	2	8	दायर	2,98,320	24,459	0	0	24,459	2018-19	
6	वृत्त-13 इंदौर	23##### #####K1Z6	8	2	8	दायर	79,01,414	3,95,071	0	0	3,95,071	2018-19	
7	वृत्त-1 भोपाल	23##### #####A1ZV	4	2	3	दायर	21,54,753	3,96,876	0	0	3,96,876	2018-19	
कुल			77		58		3,66,61,785	48,81,434	1,66,460	1,66,460	52,14,354		

परिशिष्ट 2.6

(कंडिका 2.2.2.6 में संदर्भित)

विवरणियों में बीजकों की दर्ज नहीं करना जिसके लिए ईडब्ल्यूबी सृजित किए गए थे

क्र. सं.	जीएसटीआईन	वृत्त	माह	ईडब्ल्यूबी की संख्या	मूल्यांकन राशि	कर	(राशि ₹ में) विभाग का उत्तर
1	23#####K1ZL	वृत्त-3 भोपाल	जुलाई -20	1	1,33,470	24,025	उत्तर अभी तक प्रतीक्षित है (जून 2025)
			अगस्त -20	4	2,91,898	52,542	
			सितंबर-20	2	1,06,439	19,159	
			जन.-21	2	1,30,322	23,458	
2	23#####A1ZV	वृत्त-1 भोपाल	Sep-21	1	95,94,670	17,27,041	
3	23#####J1ZW	वृत्त-5 भोपाल	Oct-20	1	10,04,557	1,20,547	
			मार्च -22	1	5,29,824	95,368	
कुल				12	1,17,91,180	20,62,139	

परिशिष्ट 2.7

(कंडिका 2.2.2.7 में संदर्भित)

संदिग्ध वाहनों के माध्यम से किए गए लेनदेन के लिए ईडब्ल्यूबी का सृजन

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जीएसटीआईन	वृत्त	ईडब्ल्यूबी क्र.	ईडब्ल्यूबी की दिनांक	वाहन क्र.	वाहन का प्रकार	माल का विवरण	मूल्यांकन राशि	विभाग का उत्तर
1	23#####C1Z1	वृत्त-11 इंदौर	631308053322	02-07-2021	MH46####91 & MH46####79	दो पहिया	दोपहिया वाहनों पर 7,556 नग चादरों का परिवहन किया गया।	80,94,748	विभाग ने सूचित किया कि उपलब्ध कराए गए आंकड़ों में केवल वाहन पंजीकरण संख्या की जानकारी दी गई थी। विभाग जीएसटीएन (GSTN) विवरण की पहचान करने में असमर्थ है, क्योंकि वाहन संख्या के माध्यम से ई-वे बिल का डेटा केवल पिछले दो महीनों के लिए निकाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त, विभाग का यह भी तर्क है कि केवल वाहन की फ़िटनेस की अवधि समाप्त होने या वाहन के ब्लैकलिस्ट में होने के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि करदाता ने जीएसटी कानून के तहत कर अपवंचन (Tax Evasion) किया है।
2	23#####C2ZG	पिथमपुर	691213980915	28-08-2020	MH46####25	दो पहिया	335 कि.ग्रा. केमिकल होंडा एक्टिवा पर परिवहित की गई।	66,99,040	
3	23#####H1ZU	वृत्त-5 भोपाल	641356346404	24-11-2021	RJ06####47	चोरी का वाहन	310 किंवटल सोया खाद्य	29,63,745	
4	23#####E1Z2	वृत्त-12 इंदौर	601361013968	08-12-2021	GJ11####71	कंडम वाहन	11,053 कि.ग्रा. मूँगफली	6,18,968	
			621363072525	14-12-2021	GJ03####51	ब्लैकलिस्टेड/फ़िटनेस एक्स्पायर्ड	13,085 कि.ग्रा. कपास (रुई)	11,02,411	
			631362503339	13-12-2021	GJ03####87	फ़िटनेस एक्स्पायर्ड	वहन क्षमता 1,200 कि.ग्रा. के विरुद्ध 15,000 कि.ग्रा. सामग्री का परिवहन किया गया।	13,12,500	
5	23#####P1ZR	वृत्त-5 भोपाल	611249585355	23-12-2020	HR74####67	चोरी का वाहन	घी के 600 बॉक्स	34,55,357	
			611249585355	23-12-2020	HR74####46	फ़िटनेस एक्स्पायर्ड	तदैव	0	
6	23#####D2ZH	मुरेना	681170129249	17-01-2020	UP80####60	यात्री तिपहिया	7,480 कि.ग्रा. आटे के परिवहन हेतु सवारी ऑटो रिक्शा का उपयोग किया गया।	1,80,528	
7	23#####M2Z1	वृत्त 12 इंदौर	641086529263	14-03-2019	MP09####12	यात्री कार	30 मीट्रिक टन आटा और तिलहन खली के परिवहन हेतु मारुति 800 कार का उपयोग किया गया।	1,05,00,000	

परिशिष्ट 2.8

(कंडिका 2.2.2.8 में संदर्भित)

अपंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सृजित ईडब्ल्यूबी, जिनका निर्धारण योग्य मूल्य निर्धारित पंजीकरण सीमा से अधिक है

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	ई-वे बिल क्रमांक	अपंजीकृत व्यवसायी का नाम	दिनांक	व्यवसायी	ई-वे बिल क्रमांक	बीजक मूल्य	विभाग का उत्तर
1	681102453231	***** ट्रेडिंग कंपनी	05-08-2019	यूआरपी	681102453231	35,24,04,640	विभाग ने सूचित किया (नवंबर 2024) कि अपंजीकृत व्यक्तियों के सत्यापन की कार्यवाही वर्तमान में प्रगति पर है।
2	661104580078		16-05-2019	यूआरपी	661104580078	35,24,04,640	
3	661028355507	*** माइनिंग इन्फ्रा प्रा. लि.	28-07-2018	यूआरपी	661028355507	1,53,43,729	
4	661028362932		28-07-2018	यूआरपी	661028362932	1,53,43,729	
5	671029480447		02-08-2018	यूआरपी	671029480447	1,53,43,729	
8	601061218681		14-12-2018	यूआरपी	601061218681	88,50,000	
6	621135960614	*****	17-09-2019	यूआरपी	621135960614	90,00,000	
7	691216933750	*****	09-09-2020	यूआरपी	691216933750	84,00,000	
10	651216605208		09-08-2020	यूआरपी	651216605208	60,00,000	
9	221006444027	***** केयर लीवर	11-04-2018	यूआरपी	221006444027	62,17,041	
11	631364154982	***** **	17-12-2021	यूआरपी	631364154982	65,00,000	
12	641274546342	*****	04-03-2021	यूआरपी	641274546342	54,50,000	
13	691233925884	**** ***** एंटरप्राइजेस	01-11-2020	यूआरपी	691233925884	54,00,000	
14	621050811426	***** *****	29-10-2018	यूआरपी	621050811426	53,00,000	
कुल						81,19,57,508	

* नाम को मास्क किया गया है

परिशिष्ट 2.9

(कंडिका 2.3.1.2 में संदर्भित)

बिना ईडब्ल्यूबी/ नकली ईडब्ल्यूबी के साथ परिवहित किए गए माल पर कर और जुर्माना का कम आरोपण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	ईईबी	वाहन क्रमांक	कंडिका का सार	अधिकारी द्वारा दर्ज वस्तु का मूल्य	कर की दर (प्रतिशत में)	आरोपित कर	आरोपित शास्ति	वास्तविक कर योग्य मूल्य	कर की दर (प्रतिशत में)	उदग्राह्य कर	उदग्राह्य शास्ति	नॉन/ शॉर्ट आरोपित कर	नॉन/शॉर्ट आरोपित शास्ति	विभाग का उत्तर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = (11 - 7)	14 = (12 - 8)	15
1	इंदौर-बी	MH18#####72	दो बीजक उपलब्ध थे, किंतु संबंधित अधिकारी द्वारा केवल एक ही बीजक पर शास्ति अधिरोपित की गई।	66,000	18	11,880	11,880	6,35,485	18	1,14,387	5,81,365	1,02,507	5,69,485	विभाग ने तथ्यों को स्वीकार कर लिया है (नवंबर 2024)।
		GJ01#####71	समुचित अधिकारी द्वारा कर एवं शास्ति अधिरोपित की गई।	61,000	18	10,980	10,980	1,34,832	18	24,270	24,270	13,290	13,290	
2	भोपाल	PB05#####76	उचित अधिकारी द्वारा वाहन के इंटरसेप्शन के दौरान वस्तु का मूल्य ₹ 1.60 लाख निर्धारित किया गया था, किंतु कर एवं शास्ति अधिरोपित करते समय वस्तु का मूल्य केवल ₹ 1 लाख ही लिया गया।	1,00,000	18	18,000	18,000	1,60,000	18	28,800	28,800	10,800	10,800	विभाग ने सूचित किया (नवंबर 2024) कि चालक के बयान और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर शास्ति अधिरोपित की गई थी, जिनमें वस्तु का मूल्य ₹ एक लाख था, किंतु टंकण त्रुटि के कारण करयोग्य मूल्य ₹ 1.60 लाख अंकित हो गया था। हालांकि, वस्तु के वास्तविक मूल्य के समर्थन में कोई भी अभीलेखीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया।
कुल								7,70,317		1,38,657	6,05,635	1,26,597	5,93,575	

परिशिष्ट 2.10

(कंडिका 2.3.1.4 में संदर्भित)

बीजकों के विभाजन द्वारा न्यूनतम सीमा से नीचे रख, ईडब्ल्यूबी के बिना प्रेषण पर कर और जुर्माना अधिरोपित नहीं किया जाना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	ईडीबी	वाहन क्रमांक	प्रेषक	प्राप्तकर्ता	बीजकों की संख्या	वस्तु का कुल मूल्य	कर	शास्ति	कुल	विभाग का उत्तर
1	जबलपुर	RJ06####87	08#####P1ZP	22#####91ZB	2	82,218	4,111	4,111	8,222	विभाग ने सूचित किया कि प्रेषक भिन्न थे तथा बीजकों का मूल्य ₹ 50,000 से कम था, अतः कोई कर एवं शास्ति अधिरोपित नहीं की गई।
				22#####A1ZL	2	84,000	4,200	4,200	8,400	
				08#####M1Z6	22#####M1ZZ	2	58,433	2,922	2,922	
2		MP09####09	24#####E1ZR	10#####M1ZF	2	55,506	2,775	2,775	5,550	विभाग ने उत्तर दिया कि चूंकि इन बीजकों का मूल्य ₹ 50,000 से कम था, इसलिए कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की गई।
			कुल			2,80,157	14,008	14,008	28,016	

परिशिष्ट 2.11

(कंडिका 2.3.1.5 में संदर्भित)

देयता के गैर/ विलंबित समायोजन के कारण सरकारी खाते में कर और जुर्माना नहीं/ विलंब से जमा होना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	ईईबी	वाहन क्रमांक	अवरोधन का दिनांक	जमा किया गया कर + शास्ति	जारी करने की तिथि	मांग जमा करने का दिनांक	डीआरसी -07 जारी दिनांक	देयता सेट ऑफ का दिनांक	डीआरसी -07 जारी करने में देरी दिनों में	सेट ऑफ की देरी दिनों में	विभाग का उत्तर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 (8 एवं 7 के मध्य विलंब)	11 (9 एवं 7 के मध्य विलंब)	12	
1	ईईबी	MP48###12	20-07-2018	22,680	20-07-2018	20-07-2018	26-12-2018	26-12-2018	159	159	विभाग ने सूचित किया (नवंबर 2024) कि ईईबी इंदौर-बी द्वारा अवरोधित वाहन के मामले में, ई-वे बिल के प्रारंभिक चरण के दौरान कारवाई में कुछ विलंब हुआ था, किंतु इससे कोई राजस्व हानि नहीं हुई। ईईबी, भोपाल के संबंध में यह बताया गया कि तकनीकी कारणों से डीआरसी -07 का समायोजन समय पर नहीं किया जा सका। ईईबी, जबलपुर के संबंध में उत्तर प्रतीक्षित (जुलाई 2025) था।	
2	भोपाल	MP09###10	12-07-2019	63,000	15-07-2019	15-07-2019	15-07-2019	08-02-2024	1,669	1,669		
3	ईईबी,	MP13###59	17-07-2018	34,020	19-07-2018	19-07-2018	23-07-2018	23-01-2024	2,014	2,014		
4	इंदौर-बी	HR55###69	29-05-2018	22,032	29-05-2018	29-05-2018	23-07-2018	28-01-2019	55	244		
				17,880	29-05-2018	29-05-2018	04-02-2019	04-02-2019	251	251		
5		MH15###52	18-12-2019	1,00,013	18-12-2019	18-12-2019	15-01-2020	15-01-2020	28	28		
6		MP09###94	10-12-2018	36,120	11-12-2018	11-12-2018	03-01-2019	03-01-2019	23	23		
7		MP07###12	09-05-2018	52,300	10-05-2018	10-05-2018	21-07-2018	14-11-2018	72	189		
8	ईईबी, जबलपुर	MP20###59	15-02-2019	99,688	15-02-2019	15-02-2019	14-03-2019	14-03-2019	27	27		
कुल				4,47,733								

परिशिष्ट 2.12

(कंडिका 2.3.1.6 में संदर्भित)

कंसाइनर के खिलाफ देयता का सृजन न करना या कंसाइनी/ट्रांसपोर्टर के खिलाफ देयता सृजित करना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	एईबी	वाहन क्रमांक	मूल्यांकन राशि	कर+शास्ति	राज्य से	राज्य तक	प्रेषक जीएसटीआईएन	प्राप्तकर्ता जीएसटीआईएन	देयता सृजन	विभाग का उत्तर
1	भोपाल	HR55###59	2,84,116	1,02,282	कर्नाटक	हरयाणा	हाँ	हाँ	परिवहनकर्ता	विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2024) कि जीएसटीएन द्वारा नोडल अधिकारी, वाणिज्यिक कर को जारी दिनांक 2 नवंबर 2018 के निर्देशों के अनुसार, ऐसे मामले जिनमें आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता मध्य प्रदेश में पंजीकृत नहीं थे, धारा 68 के अंतर्गत कार्यवाही करते समय मध्य प्रदेश राज्य में पंजीकरण देकर राशि जमा की जानी थी। अतः आपूर्ति का स्थान डीआरसी-07 में 'मध्य प्रदेश' दर्ज किया गया, ताकि राशि मध्य प्रदेश में जमा की जा सके। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अपनाई गई प्रक्रिया अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध है। इसके अतिरिक्त, परिपत्र में प्रेषक के अन्य राज्य/ क्षेत्राधिकार में पंजीकृत होने की स्थिति में देयता सृजित करने का कोई निर्देश नहीं है। साथ ही, बार-बार अनुरोध के बावजूद विभाग द्वारा जीएसटीएन के निर्देशों की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई।
2	जबलपुर	UP70####86	7,27,750	77,400	महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	हाँ	हाँ	प्राप्तकर्ता	
		AP16####00	2,24,400	22,440	आंध्र प्रदेश	नई दिल्ली	हाँ	हाँ	असृजित	
कुल			10,11,866	2,02,122						

परिशिष्ट 2.13

(कंडिका 2.3.1.7 में संदर्भित)

पंजीकृत करदाताओं के लिए अस्थायी पंजीकरण का सृजन

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	वाहन क्रमांक	ईबी	राज्य से	राज्य तक	कर+शास्ति	प्रेषक का जीएसटीआईएन	प्राप्तकर्ता जीएसटीआईएन	विभाग का उत्तर
1	NL01####90	ईबी, भोपाल	राजस्थान	आंध्र प्रदेश	1,00,464	हाँ	हाँ	विभाग ने उत्तर दिया (नवंबर 2024) कि अन्य राज्यों के पंजीकृत व्यापारियों को मध्य प्रदेश के अधिकारियों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाने और मध्य प्रदेश में राजस्व प्राप्त करने के लिए अस्थायी पंजीकरण आवश्यक है। यदि अन्य राज्य का व्यापारी आदेश के विरुद्ध अपील करना चाहता है, तो वह अस्थायी पंजीकरण के माध्यम से ऑनलाइन अपील कर सकता है और अपील स्वीकार होने की स्थिति में प्रतिपय/धनवापसी प्रदान की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, अस्थायी पंजीकरण के संबंध में निर्देश/सुझाव जीएसटीएन के ईमेल के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। उक्त ईमेल को परामर्श मानकर कार्यवाही की गई है, जो कि राजस्व हित में है।
2	RJ37####49		तेलंगाना	राजस्थान	78,192	हाँ	हाँ	
3	MP13####08		महाराष्ट्र	तमिलनाडू	3,00,770	हाँ	हाँ	
4	MP04####59		मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	6,83,256	हाँ	नहीं	
5	RJ01####61		महाराष्ट्र	राजस्थान	1,26,000	हाँ	हाँ	
6	MH12####44		महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	51,640	हाँ	हाँ	
7	MP41####41		महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	54,998	हाँ	हाँ	
8	HR55####27	ईबी, इंदौर-बी	नई दिल्ली	तमिलनाडू	77,904	हाँ	हाँ	
9	RJ14####95		नई दिल्ली	महाराष्ट्र	1,96,907	हाँ	हाँ	
10	TN28####91		तमिलनाडू	नई दिल्ली	86,574	हाँ	हाँ	
11	RJ02####66		राजस्थान	तेलंगाना	26,564	हाँ	हाँ	
12	MP13####22		गुजरात	मध्य प्रदेश	5,10,652	हाँ	हाँ	
13	MP09####55		मध्य प्रदेश	गुजरात	1,04,160	हाँ	हाँ	
14	MH04####95		महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	71,358	हाँ	हाँ	
15	KA25####07	कोलकाता	दिल्ली	39,480	हाँ	हाँ		
16	MP28####85	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश	21,396	हाँ	हाँ		
17	RJ14####40	राजस्थान	नई दिल्ली	18,672	हाँ	हाँ		
18	GJ01####71	महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	21,960	हाँ	हाँ		
19	MP09####09	ईबी, जबलपुर	गुजरात	बिहार	35,192	हाँ	हाँ	
20	TN84####86		तमिलनाडू	उत्तर प्रदेश	60,526	हाँ	हाँ	
21	MH04####33		मुंबई	बिहार	1,62,270	हाँ	हाँ	
22	MP20####70		हरयाणा	मध्य प्रदेश	1,02,840	हाँ	हाँ	
23	TN28####60		तमिलनाडू	दिल्ली	74,500	हाँ	हाँ	
24	HR63####16		नई दिल्ली	छत्तीसगढ़	47,200	हाँ	हाँ	
25	RJ06####87		राजस्थान	छत्तीसगढ़	1,04,368	हाँ	हाँ	

क्र. सं.	वाहन क्रमांक	ईईबी	राज्य से	राज्य तक	कर+शास्ति	प्रेषक का जीएसटीआईएन	प्राप्तकर्ता जीएसटीआईएन	विभाग का उत्तर
26	UP65#####51		कोलकाता	महाराष्ट्रा	2,94,000	हाँ	हाँ	
27	MH04#####44		महाराष्ट्रा	उत्तर प्रदेश	5,810	हाँ	हाँ	
कुल					34,57,653			

परिशिष्ट 2.14

(कंडिका 2.3.1.9 में संदर्भित)

कर, उपकर और जुर्माने का गलत वर्गीकरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	ईईबी का नाम	वाहन क्र.	मूल्यांकन राशि	राज्य से	राज्य तक	कर और जुर्माना का शीर्ष जिसमे वास्तविक संग्रहण किया गया				शीर्ष जिसमे कर और जुर्माना का संग्रहण किया जाना था				विभाग का उत्तर
						एसजीएसटी (0006)	सीजीएसटी (0005)	आईजीएसटी (0008)	उपकार (0009)	एसजीएसटी (0006)	सीजीएसटी (0005)	आईजीएसटी (0008)	उपकार (0009)	
						1	ईईबी, भोपाल	NL#####090	4,18,600	राजस्थान	आंध्र प्रदेश	50,232	50,232	
2		MP04#####12	30,000	दिल्ली	मध्य प्रदेश	15,750	15,750	0	0	0	0	31,500	0	
3		MH19#####00	14,575	महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	0	0	28,858	0	0	0	4,081	10,348	
कुल			4,63,175			65,982	65,982	28,858	0	0	0	1,36,045	10,348	

परिशिष्ट 2.15

(कंडिका 2.3.1.10.1 में संदर्भित)

आपूर्ति के मूल्य के निर्धारण के लिए लाभ और कर को शामिल करने के कारण कर और जुर्माना की अधिक वसूली

क्र. सं.	ईईबी	वाहन क्रमांक	माल का मूल्य	कर	लाभ	भाड़ा	उचित अधिकारी द्वारा लिया गया कुल माल का मूल्य	लेखा पारीक्षा अनुसार माल का मूल्य	कर कि दर (%)	आरोपित कर + शास्ति	उदग्राह्य कर + शास्ति	(राशि ₹ में)
												आरोपित अधीत कर + शास्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) = कॉलम 5+6+7	(9) = कॉलम 4+7	910)	(11)	(12)	(13) = कॉलम 11-12
1	ईईबी,	MH10####95	2,19,785	0	25,478	35,000	2,80,263	2,54,785	18	1,00,894	91,723	9,171
2	जबलपुर	MP20####90	4,08,905	0	43,065	21,749	4,73,719	4,30,654	12	1,13,692	1,03,357	10,335
3		MP37####64	2,04,000	0	41,860	5,300	2,51,160	2,09,300	5	25,116	20,930	4,186
4		AP16####00	1,12,000	0	37,400	75,000	2,24,400	1,87,000	5	22,440	18,700	3,740
5		MP22####21	1,21,396	0	1,310	9,700	1,32,406	1,31,096	12	31,778	31,463	315
6		MP40####23	1,62,626	13,748	18,634	0	1,95,008	1,62,626	5 and 18	34,184	27,452	6,732
	कुल		12,28,712	13,748	1,67,747	1,46,749	15,56,956	13,75,461		3,28,104	2,93,625	34,479

परिशिष्ट 2.16

(कंडिका 2.3.1.12 में संदर्भित)

सामान्य पोर्टल पर निरीक्षण की अंतिम रिपोर्ट (ईडब्ल्यूबी-03) को रिकॉर्ड न किया जाना

स. क्र.	इंटरसेप्शन दिनांक	ईबी का नाम	वाहन क्र.	उत्तर
1	17.07.2021	ईबी भोपाल	MP09####22	लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, शासन ने उत्तर दिया (नवंबर 2024) कि इन मामलों में कोई राजस्व हानि अंतर्निहित नहीं है। नई ऑनलाइन व्यवस्था के प्रारंभ होने तथा प्रक्रियात्मक दक्षता के अभाव के कारण, जीएसटी EWB-03 को पोर्टल पर दर्ज नहीं किया जा सका था, किंतु अब शत-प्रतिशत EWB-03 समय पर सृजित किए जा रहे हैं। अधिकारियों/ कर्मचारियों को समय पर EWB-03 सृजित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
2	16.09.2021		RJ17####48	
3	08.07.2018		GJ27####48	
4	23.11.2021		RJ01####61	
5	09.08.2018		MP41####21	
6	10.01.2019		MH12####44	
7	12.07.2019		MP09####10	
8	21.01.2022		MP04####82	
9	24.05.2019		MP04####12	
10	20.01.2022		MP04####92	
11	11.08.2018	ईबी इंदौर-बी	MP09####33	
12	01.03.2021		MP09####53	
13	18.12.2019		MH19##52	
14	28.01.2020		MH43####93	
15	24.01.2020		GJ10####19	
16	25.05.2019		TN28####91	
17	16.03.2020		MP13####60	
18	03.11.2020		MP09####43	
19	11.02.2019		RJ02####66	
20	03.08.2021		MP09####09	
21	10.11.2021		MP13####22	
22	09.03.2019		MH18####72	
23	05.09.2021		GJ19####23	
24	09.09.2019		HR46####74	
25	21.12.2018		MP09####55	
26	25.01.2020		MH04####95	
27	28.06.2018		MP09####43	
28	27.07.2019		KA25####07	
29	31.12.2021		HR39####19	
30	13.12.2019		MP09####14	
31	26.02.2020		MP09####67	
32	09.09.2019		MP09####61	
33	23.06.2019		MP09####09	
34	08.03.2022		UP78####55	
35	29.05.2018		HR55####69	
36	13.08.2020		MH04####29	
37	15.10.2019		MP09####77	
38	14.02.2019		MP07####90	
39	28.09.2018		MP09####18	
40	15.10.2019		MP28####85	
41	11.05.2019		MP09####81	
42	16.03.2020		RJ14####40	
43	04.12.2019		MP09####52	
44	08.03.2022		MP13####87	
45	09.05.2018		MP07####12	

स. क्र.	इंटरसेप्शन दिनांक	एईवी का नाम	वाहन क्र.	उत्तर
46	21.10.2020	एईवी जबलपुर	MP48###31	
47	16.06.2018		HR67###15	
48	14.11.2019		NEW VEHICLE	
49	29.05.2018		MH45####27	
			###	
50	01.08.2018		MH10####95	
51	21.01.2019		MP09####09	
52	23.11.2018		MH40###46	
53	08.10.2020		MP36###60	
54	19.06.2021		MP20####09	
55	13.11.2018		MP09####48	
56	27.12.2018		MH04####33	
57	29.08.2018		MP09####93	
58	19.02.2022		MP20####70	
59	17.10.2020		CG04####07	
60	05.07.2018		AP16####00	
61	26.03.2019		HR63###16	
62	05.10.2018		MP34###02	
63	08.03.2022		MP18####94	
64	21.10.2019		MP18####45	
65	26.02.2019		MH04####44	
66	07.02.2020		MP09####11	
67	16.02.2020		MP20####10	
68	11.12.2019		MP20####24	
70	21.07.2019		MP20####26	
71	01.06.2018		MP22###21	
72	28.02.2021		RJ06####87	
73	11.08.2020		MP09####66	

परिशिष्ट 3.1

(कंडिका 3.4 में संदर्भित)

विस्तृत लेखापरीक्षा, केंद्रीकृत लेखा परीक्षा और वृत्तों का लेखापरीक्षा के लिए नमूना

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	वृत्त का नाम
		विस्तृत लेखापरीक्षा
1	23#####G1ZW	अशोकनगर
2	23#####L2ZD	भोपाल -1
3	23#####C1ZR	भोपाल -1
4	23#####C1ZL	भोपाल -1
5	23#####G1ZX	भोपाल -1
6	23#####N1ZE	भोपाल -1
7	23#####A1Z1	भोपाल -1
8	23#####P1ZN	भोपाल -1
9	23#####F1ZS	भोपाल -1
10	23#####C1ZH	भोपाल -1
11	23#####B1ZC	भोपाल -4
12	23#####G1ZR	भोपाल -4
13	23#####L1ZI	भोपाल -5
14	23#####L1Z0	भोपाल -5
15	23#####D1ZK	भोपाल -5
16	23#####H1Z0	भोपाल -6
17	23#####G1Z8	भोपाल -6
18	23#####C1ZK	भोपाल -6
19	23#####B1ZS	भोपाल -6
20	23#####P6ZM	भोपाल -6
21	23#####H1ZQ	छिंदवाड़ा -2
22	23#####A2ZK	छिंदवाड़ा -2
23	23#####E1ZK	देवास
24	23#####L1Z2	धार
25	23#####E1ZL	धार
26	23#####M1ZF	ग्वालियर -1
27	23#####Q1Z4	ग्वालियर -1
28	23#####C1ZD	ग्वालियर -2
29	23#####J3ZE	होशंगाबाद
30	23#####K1ZS	होशंगाबाद
31	23#####R2ZW	इंदौर - 1
32	23#####N1ZQ	इंदौर - 1
33	23#####G1ZR	इंदौर - 10
34	23#####L1Z8	इंदौर - 10
35	23#####R1ZF	इंदौर - 10
36	23#####A1ZG	इंदौर - 11
37	23#####L1ZU	इंदौर - 11
38	23#####D1ZU	इंदौर - 11
39	23#####K1ZZ	इंदौर - 11
40	23#####R1ZR	इंदौर - 12
41	23#####C1ZX	इंदौर - 12
42	23#####A1ZR	इंदौर - 12
43	23#####C1ZQ	इंदौर - 13
44	23#####J1Z4	इंदौर - 13

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	वृत्त का नाम
45	23#####K1ZL	इंदौर - 13
46	23#####B1ZW	इंदौर - 14
47	23#####K1ZX	इंदौर - 14
48	23#####N1ZP	इंदौर - 14
49	23#####N1ZU	इंदौर - 2
50	23#####E1Z7	इंदौर - 2
51	23#####J1ZA	इंदौर - 3
52	23#####Q1ZG	इंदौर - 3
53	23#####J1ZQ	इंदौर - 7
54	23#####B1ZA	इंदौर - 7
55	23#####N1Z3	इंदौर - 8
56	23#####B1ZC	इंदौर - 9
57	23#####K1ZL	इंदौर - 4
58	23#####A1ZZ	जबलपुर - 1
59	23#####E2ZM	जबलपुर - 1
60	23#####E1ZV	कटनी - 1
61	23#####B1Z9	खरगोन
62	23#####B1ZE	मंडीदीप
63	23#####K1ZH	मंडीदीप
64	23#####K3ZL	पीथमपुर
65	23#####F1ZC	सीहोर
66	23#####A1Z7	शाजापुर
67	23#####A1ZR	वैढन
68	23#####K1Z1	वैढन
69	23#####M1ZB	वैढन
70	23#####D1Z6	वैढन
केंद्रीकृत लेखापरीक्षा		
1	23#####P1ZA	अनूपपुर
2	23#####E1ZF	अनूपपुर
3	23#####B1Z3	अनूपपुर
4	23#####F1ZE	बालाघाट
5	23#####K1Z1	बालाघाट
6	23#####R2ZE	बालाघाट
7	23#####M1Z7	बालाघाट
8	23#####B1ZE	बैतुल
9	23#####K1Z5	बैतुल
10	23#####L1ZK	बैतुल
11	23#####H1ZG	भिंड
12	23#####Q1ZE	भिंड
13	23#####H2ZT	भोपाल - 1
14	23#####B2ZR	भोपाल - 1
15	23#####H1ZK	भोपाल - 1
16	23#####R1ZV	भोपाल - 1
17	23#####H1ZJ	भोपाल - 1
18	23#####K1Z1	भोपाल - 1
19	23#####D1ZD	भोपाल - 1
20	23#####F1Z3	भोपाल - 1
21	23#####B1ZU	भोपाल - 1

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	वृत्त का नाम
22	23#####D1ZB	भोपाल -1
23	23#####A1ZC	भोपाल -1
24	23#####D1ZW	भोपाल -1
25	23#####L2ZM	भोपाल -1
26	23#####P1ZI	भोपाल -1
27	23#####K1ZW	भोपाल -2
28	23#####E1ZU	भोपाल -3
29	23#####H1Z6	भोपाल -3
30	23#####A1ZJ	भोपाल -3
31	23#####H1ZD	भोपाल -3
32	23#####J1ZA	भोपाल -3
33	23#####H1ZO	भोपाल -4
34	23#####D1ZU	भोपाल -4
35	23#####F1ZS	भोपाल -4
36	23#####R1ZP	भोपाल -4
37	23#####R1ZA	भोपाल -4
38	23#####B1ZK	भोपाल -4
39	23#####B1Z6	भोपाल -4
40	23#####J2ZX	भोपाल -4
41	23#####K2ZY	भोपाल -5
42	23#####F1ZD	भोपाल -5
43	23#####P1ZN	भोपाल -5
44	23#####C1ZV	भोपाल -5
45	23#####E1Z3	भोपाल -5
46	23#####D1ZY	भोपाल -5
47	23#####P1ZJ	भोपाल -5
48	23#####D1Z2	भोपाल -5
49	23#####C1ZV	भोपाल -5
50	23#####F1ZM	भोपाल -5
51	23#####K1ZX	भोपाल -5
52	23#####P1ZL	भोपाल -5
53	23#####K1ZT	भोपाल -5
54	23#####A1ZY	भोपाल -5
55	23#####D1ZR	भोपाल -5
56	23#####G1ZS	भोपाल -6
57	23#####B1Z8	भोपाल -6
58	23#####C1Z3	भोपाल -6
59	23#####J1ZU	भोपाल -6
60	23#####L1Z4	भोपाल -6
61	23#####J1ZU	भोपाल -6
62	23#####B1Z4	भोपाल -6
63	23#####B1Z6	भोपाल -6
64	23#####M1ZZ	भोपाल -6
65	23#####B1ZE	भोपाल -6
66	23#####M1ZH	भोपाल -6
67	23#####B1Z1	भोपाल -6
68	23#####C1ZK	भोपाल -6
69	23#####L1ZG	भोपाल -6

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	वृत्त का नाम
70	23#####N1Z4	भोपाल -6
71	23#####H1Z0	भोपाल -6
72	23#####K1ZY	भोपाल -6
73	23#####C1ZS	भोपाल -6
74	23#####C1Z5	भोपाल -6
75	23#####A1Z1	बीना
76	23#####K5Z5	बीना
77	23#####J1ZL	छतरपुर
78	23#####C1Z3	छतरपुर
79	23#####Q1ZA	छिंदवाड़ा -1
80	23#####Q1ZK	छिंदवाड़ा -1
81	23#####J1ZJ	छिंदवाड़ा -2
82	23#####G1ZE	दतिया
83	23#####E1ZD	दतिया
84	23#####B1Z4	देवास
85	23#####Q1Z6	देवास
86	23#####B1ZC	देवास
87	23#####N2ZZ	देवास
88	23#####E1ZG	देवास
89	23#####M1ZC	धार
90	23#####B1Z4	धार
91	23#####A1Z3	धार
92	23#####J2ZJ	धार
93	23#####J1Z5	धार
94	23#####H1Z0	गुना
95	23#####G1ZA	गुना
96	23#####H2ZQ	गुना
97	23#####A1Z2	गुना
98	23#####J1Z4	गुना
99	23#####J3Z2	गुना
100	23#####L1Z2	ग्वालियर-1
101	23#####G1Z3	ग्वालियर-1
102	23#####N1ZG	ग्वालियर-1
103	23#####C2ZW	ग्वालियर-1
104	23#####R1ZF	ग्वालियर-1
105	23#####A1ZD	ग्वालियर-1
106	23#####R1ZF	ग्वालियर-1
107	23#####C1ZW	ग्वालियर-1
108	23#####R1ZP	ग्वालियर-1
109	23#####R1ZV	ग्वालियर-2
110	23#####A1ZH	ग्वालियर-2
111	23#####K1ZV	ग्वालियर-2
112	23#####F4ZT	ग्वालियर-2
113	23#####C1ZV	ग्वालियर-2
114	23#####R1ZL	ग्वालियर-2
115	23#####M1Z5	ग्वालियर-2
116	23#####B1ZE	ग्वालियर - 2
117	23#####J1ZQ	ग्वालियर - 3

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	वृत्त का नाम
118	23#####K3ZV	ग्वालियर - 3
119	23#####P1Z9	ग्वालियर - 4
120	23#####M1Z8	ग्वालियर - 4
121	23#####Q2ZY	हार्दा
122	23#####M1Z5	इंदौर - 1
123	23#####P1ZB	इंदौर - 1
124	23#####B1ZS	इंदौर - 1
125	23#####H1ZM	इंदौर - 1
126	23#####L1ZW	इंदौर - 1
127	23#####R1Z1	इंदौर - 10
128	23#####R1ZD	इंदौर - 10
129	23#####G1Z1	इंदौर - 10
130	23#####B2ZZ	इंदौर - 10
131	23#####H1ZQ	इंदौर - 10
132	23#####Q1ZU	इंदौर - 10
133	23#####F1Z2	इंदौर - 10
134	23#####P1ZB	इंदौर - 11
135	23#####J1ZD	इंदौर - 11
136	23#####E1Z4	इंदौर - 11
137	23#####L1ZC	इंदौर - 11
138	23#####P1ZH	इंदौर - 11
139	23#####A1Z1	इंदौर - 11
140	23#####P1Z7	इंदौर - 11
141	23#####C1ZV	इंदौर - 11
142	23#####P1ZP	इंदौर - 11
143	23#####C1Z5	इंदौर - 11
144	23#####Q1ZI	इंदौर - 11
145	23#####M1Z7	इंदौर - 11
146	23#####R1Z7	इंदौर - 11
147	23#####A1Z7	इंदौर - 11
148	23#####D1ZB	इंदौर - 11
149	23#####D1ZE	इंदौर - 11
150	23#####K1ZR	इंदौर - 12
151	23#####F1ZM	इंदौर - 12
152	23#####H1ZY	इंदौर - 12
153	23#####Q1Z3	इंदौर - 12
154	23#####J1ZT	इंदौर - 12
155	23#####J1ZD	इंदौर - 12
156	23#####E1ZP	इंदौर - 12
157	23#####H1Z8	इंदौर - 12
158	23#####Q1ZC	इंदौर - 12
159	23#####L2Z0	इंदौर - 12
160	23#####A1ZJ	इंदौर - 12
161	23#####Q1ZU	इंदौर - 12
162	23#####J1ZV	इंदौर - 12
163	23#####Q1ZR	इंदौर - 12
164	23#####N1ZN	इंदौर - 12
165	23#####H1Z0	इंदौर - 12

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	वृत्त का नाम
166	23#####P2ZK	इंदौर - 13
167	23#####M2Z1	इंदौर - 13
168	23#####R1ZA	इंदौर - 13
169	23#####Q1ZC	इंदौर - 13
170	23#####D1Z8	इंदौर - 13
171	23#####E1ZE	इंदौर - 13
172	23#####P1Z1	इंदौर - 13
173	23#####N1ZZ	इंदौर - 13
174	23#####E1ZB	इंदौर - 14
175	23#####F1ZM	इंदौर - 14
176	23#####R1ZJ	इंदौर - 14
177	23#####K1ZH	इंदौर - 14
178	23#####D1Z2	इंदौर - 14
179	23#####E1ZZ	इंदौर - 15
180	23#####H1ZM	इंदौर - 2
181	23#####R1ZZ	इंदौर - 2
182	23#####E1Z7	इंदौर - 2
183	23#####D1ZF	इंदौर - 3
184	23#####B2ZD	इंदौर - 3
185	23#####K1ZW	इंदौर - 3
186	23#####N1ZG	इंदौर - 3
187	23#####Q1ZG	इंदौर - 3
188	23#####D1ZE	इंदौर - 3
189	23#####J1ZO	इंदौर - 3
190	23#####P1Z7	इंदौर - 3
191	23#####P1ZD	इंदौर - 3
192	23#####N1ZM	इंदौर - 3
193	23#####N1Z6	इंदौर - 3
194	23#####C1ZN	इंदौर - 3
195	23#####K1ZR	इंदौर - 3
196	23#####B1ZK	इंदौर - 4
197	23#####A1ZN	इंदौर - 5
198	23#####D1ZQ	इंदौर - 6
199	23#####F2Z2	इंदौर - 9
200	23#####N1ZO	इंदौर - 9
201	23#####A1Z0	इंदौर - 9
202	23#####L1Z1	इंदौर - 9
203	23#####R1ZF	इंदौर - 9
204	23#####Q1Z2	इंदौर - 9
205	23#####Q1Z4	इंदौर - 9
206	23#####D1ZQ	इंदौर - 9
207	23#####A2ZU	जबलपुर - 1
208	23#####E1ZB	जबलपुर - 1
209	23#####H1ZA	जबलपुर - 1
210	23#####Q1ZQ	जबलपुर - 1
211	23#####B1Z2	जबलपुर - 1
212	23#####N1Z4	जबलपुर - 2
213	23#####H1ZW	जबलपुर - 2

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	वृत्त का नाम
214	23#####K1ZB	जबलपुर - 2
215	23#####B1Z2	जबलपुर - 2
216	23#####B1ZD	जबलपुर - 2
217	23#####L3Z6	जबलपुर - 2
218	23#####P2ZE	जबलपुर - 4
219	23#####P1Z3	जबलपुर - 4
220	23#####D1ZM	झाबुआ
221	23#####E1ZV	झाबुआ
222	23#####P1ZG	झाबुआ
223	23#####E1ZU	कटनी - 1
224	23#####B1ZT	कटनी - 1
225	23#####K1Z7	कटनी - 1
226	23#####R2ZE	कटनी - 2
227	23#####J1Z4	खंडवा
228	23#####R1ZA	खंडवा
229	23#####J1ZY	खंडवा
230	23#####Q1ZV	खंडवा
231	23#####R1ZD	खंडवा
232	23#####F1ZS	खंडवा
233	23#####H1ZS	खंडवा
234	23#####K1ZE	खरगोन
235	23#####K1ZV	खरगोन
236	23#####A1Z8	खरगोन
237	23#####F1Z1	खरगोन
238	23#####C1ZT	खरगोन
239	23#####F2ZK	खरगोन
240	23#####L1Z2	मंडीदीप
241	23#####C1ZZ	मंडीदीप
242	23#####Q1ZQ	मंडीदीप
243	23#####G1Z4	मंडीदीप
244	23#####F1Z0	मंडीदीप
245	23#####M1ZY	मुरैना
246	23#####B1Z1	मुरैना
247	23#####C1ZG	नरसिंहपुर वृत्त
248	23#####L1ZK	नरसिंहपुर वृत्त
249	23#####G1ZF	नरसिंहपुर वृत्त
250	23#####F1Z6	नीमच
251	23#####N1ZQ	नीमच
252	23#####D4ZL	पन्ना
253	23#####F2ZZ	पीथमपुर
254	23#####J1ZI	पीथमपुर
255	23#####A1ZL	पीथमपुर
256	23#####K1ZL	पीथमपुर
257	23#####L1ZM	पीथमपुर
258	23#####G1ZJ	पीथमपुर
259	23#####B2Z5	पीथमपुर
260	23#####K1Z1	पीथमपुर
261	23#####M1Z9	पीथमपुर

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	वृत्त का नाम
262	23#####L1ZE	पीथमपुर
263	23#####Q1ZW	पीथमपुर
264	23#####N1ZQ	रीवा
265	23#####A1ZJ	रीवा
266	23#####J1Z0	रीवा
267	23#####L1ZW	रीवा
268	23#####K1ZM	रीवा
269	23#####A3ZH	रीवा
270	23#####P2ZN	रीवा
271	23#####D1ZN	रीवा
272	23#####R1ZP	रीवा
273	23#####E1Z9	रीवा
274	23#####D2ZT	रीवा
275	23#####N1ZI	रीवा
276	23#####J1ZX	सागर
277	23#####G1ZH	सागर
278	23#####A1Z5	सागर
279	23#####E1ZN	सागर
280	23#####M1ZT	सागर
281	23#####B1ZK	सतना - 1
282	23#####F1ZK	सतना - 1
283	23#####K1ZR	सतना - 1
284	23#####J1Z2	सतना - 1
285	23#####Q1ZE	सतना - 1
286	23#####J1Z3	सतना - 1
287	23#####M1Z1	सतना - 2
288	23#####N2ZP	सतना - 2
289	23#####J1ZY	सीहोर
290	23#####G1ZH	सेंधवा
291	23#####G1Z7	सिवनी
292	23#####D1ZU	सिवनी
293	23#####B1ZA	सिवनी
294	23#####A1ZH	शहडोल
295	23#####A1Z3	शहडोल
296	23#####D2Z4	शहडोल
297	23#####J1ZF	शाजापुर
298	23#####D1ZY	शाजापुर
299	23#####J1Z7	शिवपुरी
300	23#####D1Z6	टीकमगढ़
301	23#####C1ZS	टीकमगढ़
302	23#####K1ZT	टीकमगढ़
303	23#####B2ZW	उज्जैन - 1
304	23#####A1Z9	उज्जैन - 2
305	23#####L1ZI	उज्जैन - 2
306	23#####Q1ZS	विदिशा
307	23#####N1ZA	विदिशा
308	23#####P1ZF	वैदना
309	23#####P1ZJ	वैदना

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	वृत्त का नाम
310	23#####E1ZB	वैद्वन
311	23#####R1ZR	वैद्वन
312	23#####E1ZS	वैद्वन
313	23#####A1ZM	वैद्वन
314	23#####E1ZX	वैद्वन
315	23#####N1ZX	वैद्वन
316	23#####A1Z1	वैद्वन
317	23#####K4Z6	वैद्वन
318	23#####Q1ZI	वैद्वन
319	23#####R1ZR	वैद्वन
वृत्त लेखापरीक्षा		
1		छिंदवाड़ा -2
2		धार
3		ग्वालियर -1
4		होशंगाबाद
5		इंदौर -1
6		इंदौर -10
7		इंदौर -13
8		इंदौर -14
9		जबलपुर -1
10		वैद्वन

परिशिष्ट 3.2

(कंडिका 3.6.1.1 में संदर्भित)

विवरणियाँ दाखिल न करने वालों पर कार्रवाई का अभाव

(राशि लाख में)

क्र. सं.	वृत्त का नाम	वर्ष	पहचाने गए गैर- फाइलरों की संख्या	ऐसे प्रकरणों की संख्या जहाँ जीएसटीआर 3ए जारी किया गया है	ऐसे प्रकरण जहाँ जीएसटीआर 3ए के अनुसरण में विवरणी दाखिल किया गया है	ऐसे प्रकरण जहाँ सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन शुरू किया गया (एएसएमटी -13)			ऐसे प्रकरणों की संख्या जहाँ एएसएमटी -13 की कार्यवाही लंबित है
						संख्या	निर्धारित राशि	वसूल की गई राशि	
1	ग्वालियर-1	2017-18	0	0	0	0	0	0	0
		2018-19	0	0	0	0	0	0	0
		2019-20	337	705	678	0	0	0	0
		2020-21	656	2,329	149	0	0	0	0
		उप योग	993	3,034	827	0	0	0	0
2	इंदौर-1	2017-18	0	0	0	0	0	0	0
		2018-19	0	0	0	0	0	0	0
		2019-20	0	0	0	0	0	0	0
		2020-21	288	288	10	91	33.76	5.46	0
		उप योग	288	288	10	91	34	5	0
3	इंदौर--10	2017-18	0	0	0	0	0	0	0
		2018-19	0	0	0	0	0	0	0
		2019-20	0	0	0	0	0	0	0
		2020-21	337	337	287	0	0	0	50
		उप योग	337	337	287	0	0	0	50
4	इंदौर-14	2017-18	0	0	0	0	0	0	0
		2018-19	0	0	0	0	0	0	0
		2019-20	0	0	0	0	0	0	0
		2020-21	0	0	0	0	0	0	0
		उप योग	0	0	0	0	0	0	0
5	जबलपुर-1	2017-18	0	0	0	0	-	-	0
		2018-19	565	125	62	30	11.98	-	19
		2019-20	583	356	94	46	12.60	-	28

क्र. सं.	वृत्त का नाम	वर्ष	पहचाने गए गैर-फाइलरों की संख्या	ऐसे प्रकरणों की संख्या जहाँ जीएसटीआर 3ए जारी किया गया है	ऐसे प्रकरण जहाँ जीएसटीआर 3ए के अनुसरण में विवरणी दाखिल किया गया है	ऐसे प्रकरण जहाँ सर्वोत्तम निर्णय मूल्यांकन शुरू किया गया (एएसएमटी -13)			ऐसे प्रकरणों की संख्या जहाँ एएसएमटी -13 की कार्यवाही लंबित है
						संख्या	निर्धारित राशि	वसूल की गई राशि	
6	वैद्वन	2020-21	652	412	355	5	0.16	-	0
		उप योग	1,800	893	511	81	24.74	0	47
		2017-18	0	0	0	0	-	-	0
		2018-19	0	0	0	0	-	-	0
		2019-20	0	0	0	0	-	-	0
7	होशंगाबाद	2020-21	840	840	804	36	619.62	613.23	0
		उप योग	840	840	804	36	619.62	613.23	0
		2017-18	0	0	0	0	0	0	0
		2018-19	0	0	0	0	0	0	0
		2019-20	0	0	0	0	0	0	0
8	छिंदवाड़ा-2	2020-21	0	0	0	0	0	0	0
		उप योग	0	0	0	0	0	0	0
		2017-18	0	0	0	0	0	0	0
		2018-19	0	0	0	0	0	0	0
		2019-20	220	220	0	38	53.44	0	0
9	इंदौर-13	2020-21	1,913	1,913	0	90	56.34	0	0
		उप योग	2,133	2,133	0	128	109.78	0	0
		2017-18	0	0	0	0	0	0	0
		2018-19	0	0	0	0	0	0	0
		2019-20	0	0	0	0	0	0	0
10	धार	2020-21	1,256	1,256	71	0	0	0	0
		उप योग	1,256	1,256	71	0	0	0	0
		2017-18	0	0	0	0	0	0	0
		2018-19	0	0	0	0	0	0	0
		2019-20	0	0	0	0	0	0	0
	महायोग	2020-21	295	295	221	74	71.022	8.22	0
		उप योग	295	295	221	74	71.022	8.22	0
		2017-18	0	0	0	0	0	0	0
		2018-19	0	0	0	0	0	0	0
		2019-20	0	0	0	0	0	0	0
			7,942	9,076	2,731	410	859	627	97

परिशिष्ट 3.3
(कंडिका 3.6.1.2 में संदर्भित)
विवरणियों की जांच शुरू न होना/ पूरा न होना

(राशि लाख में)

क्र. सं.	वृत्त का नाम	वर्ष	विवरणियों की संवीक्षा				ऐसे प्रकरण जहाँ एससीएन जारी किए गए			
			करदाताओ की संख्या जिनकी रिटर्न की संवीक्षा की गयी	संवीक्षा किए गए रिटर्न की संख्या	ऐसे प्रकरणों की संख्या जहाँ एएसएमटी-10 जारी किए गए थे	ऐसे प्रकरण जहाँ करदाता द्वारा विसंगति स्वीकार की गयी	संख्या	राशि	पूरे किए गए प्रकरण	संख्या
1	वैद्वन	2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018-19	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019-20	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020-21	0	0	0	0	0	0	0	0
		उप योग	0	0	0	0	0	0	0	0
2	छिंदवाड़ा-2	2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018-19	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019-20	1	0	1	0	0	0	0	0
		2020-21	25	0	25	0	25	967.95	0	0
		उप योग	26	0	26	0	25	967.95	0	0
3	इंदौर - 1	2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018-19	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019-20	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020-21	0	0	0	0	0	0	0	0
		उप योग	0	0	0	0	0	0	0	0
4	इंदौर - 10	2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018-19	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019-20	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020-21	0	0	0	0	0	0	0	0
		उप योग	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	वृत्त का नाम	वर्ष	विवरणियों की संवीक्षा				ऐसे प्रकरण जहाँ एससीएन जारी किए गए				
			करदाताओ की संख्या जिनकी रिटर्न की संवीक्षा की गयी	संवीक्षा किए गए रिटर्न की संख्या	ऐसे प्रकरणों की संख्या जहाँ एएसएमटी-10 जारी किए गए थे	ऐसे प्रकरण जहाँ करदाता द्वारा विसंगति स्वीकार की गयी संख्या	संख्या	राशि	पूरे किए गए प्रकरण	संख्या	
5	इंदौर - 13	2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		उप योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	इंदौर -14	2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		उप योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	धार	2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		उप योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	ग्वालियर- 1	2017-18	11	99	11	0	0	0	0	0	0
		2018-19	20	240	20	0	0	0	0	0	0
		2019-20	55	660	55	0	0	0	0	0	0
		2020-21	69	828	69	0	0	0	0	0	0
		उप योग	155	1,827	155	0	0	0	0	0	0
9	होशंगाबाद	2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		उप योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र. सं.	वृत्त का नाम	वर्ष	विवरणियों की संवीक्षा				ऐसे प्रकरण जहाँ एससीएन जारी किए गए				
			करदाताओ की संख्या जिनकी रिटर्न की संवीक्षा की गयी	संवीक्षा किए गए रिटर्न की संख्या	ऐसे प्रकरणों की संख्या जहाँ एएसएमटी-10 जारी किए गए थे	ऐसे प्रकरण जहाँ करदाता द्वारा विसंगति स्वीकार की गयी संख्या	संख्या	राशि	पूरे किए गए प्रकरण	संख्या	
10	जबलपुर- 1	2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020-21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		उप योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0
महायोग	2017-18	11	99	11	0	0	0	0	0	0	
	2018-19	20	240	20	0	0	0	0	0	0	
	2019-20	56	660	56	0	0	0	0	0	0	
	2020-21	94	828	94	0	0	25	967.95	0	0	
	योग	181	1,827	181	0	0	25	967.95	0	0	

परिशिष्ट 3.4

(कंडिका 3.6.1.4 में संदर्भित)

डीजीएआरएम रिपोर्टों पर कार्रवाई का अभाव

क्र. सं.	वृत्त का नाम	सत्यापन के लिए चिह्नित डीजीएआरएम रिपोर्टों की संख्या	ऐसे प्रकरण जहाँ फीडबैक फॉर्म में सत्यापित प्रकरणों में से प्रस्तावित “कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है”	ऐसे प्रकरण जहाँ वृत्त द्वारा सत्यापन पूरा किया गया है		ऐसे प्रकरण जहाँ कार्रवाई शुरू की गई और लंबित सत्यापन (31.03.2021 तक) प्रकरणों की संख्या	(राशि लाख में)
				प्रकरणों की संख्या	वसूल गई राशि		ऐसे प्रकरण जहाँ कार्रवाई शुरू नहीं की गई है प्रकरणों की संख्या
1	ग्वालियर-1	5	5	0	0	0	0
2	इंदौर-1	11	4	0	0	7	0
3	इंदौर -10	9	0	4	2.75	0	5
4	इंदौर -14	0	0	0	0	0	0
5	जबलपुर-1	0	0	0	0	0	0
6	वैद्वन	0	0	0	0	0	0
7	होशंगाबाद	0	0	0	0	0	0
8	छिंदवाड़ा -2	7	0	0	0	0	7
9	इंदौर -13	0	0	0	0	0	0
10	धार	8	0	8	70.75	0	0
	कुल	40	9	12	73.50	7	12

परिशिष्ट 3.5

(कंडिका 3.6.1.5 में संदर्भित)

पंजीकरण निरस्त करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन न करना

(राशि लाख में)

क्र. सं.	वृत्त का नाम	करदाता से रद्द करने के लिए प्राप्त अनुरोधों की संख्या	वृत्त अधिकारी के स्वयं के प्रस्ताव पर शुरू किए गए निरस्तीकरण की संख्या	ऐसे प्रकरणों की संख्या जहाँ आरईजी 17 एससीएन जारी किए गए थे			ऐसे प्रकरणों की संख्या जहाँ आरईजी-19 में निरस्तीकरण करने का आदेश जारी किया गया है	ऐसे प्रकरणों की संख्या जहाँ आरईजी-17 जारी किए बिना आरईजी-19 जारी किया गया	ऐसे प्रकरणों की संख्या जहाँ आरईजी -20 आदेश पारित किया गया (कार्यवाही बिना)	ऐसे प्रकरण जहाँ स्वयं के प्रस्ताव से रद्द करने के प्रकरण में धारा 62 के तहत मूल्यांकन किया गया है		
				करदाता आवेदन पर	अपनी ओर से कार्रवाई करने पर	योग				शुरू किए गए मूल्यांकन की संख्या	वसूल की गई राशि (प्रारंभ किए गए प्रकरण)	वसूल की गई राशि (पूर्ण किए गए प्रकरण)
1	ग्वालियर-1	1,454	2,169	42	7	49	1,993	2,051	107	1,706	0	0
2	इंदौर-1	0	2,813	425	2,913	3,338	2,913	0	218	91	5.46	0
3	इंदौर -10	393	618	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	इंदौर -14	563	346	563	346	909	346	0	0	0	0	0
5	जबलपुर-1	1,660	3,444	0	3,444	3,444	5,104	1,660	0	0	0	0
6	वैढन	1,448	4,381	0	4,381	4,381	1,436	0	2,940	0	0	0
7	होशंगाबाद	620	0	620	799	1,419	1,369	0	50	0	0	0
8	छिंदवाड़ा -2	0	1,319	8	303	311	1,300	989	0	0	0	0
9	इंदौर -13	3,134	3,845	1139	1,976	3,115	1,976	0	0	7	0	0
10	धार	1,446	2,470	1446	2,458	3,904	2,073	0	279	74	71	8.22
	कुल	10,718	21,405	4243	16,627	20,870	18,510	4,700	3,594	1,878	76.46	8.22

परिशिष्ट 3.6

(कंडिका 3.6.1.6 में संदर्भित)

जीएसटीआर-10 दाखिल न करने पर अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई

(राशि लाख में)

क्र. सं.	वृत्त का नाम	वर्ष	ऐसे प्रकरणों की संख्या जहाँ आरईजी-19 में रद्द करने का आदेश जारी किया गया है	रद्द पंजीकरण को पुनः बहाल किए गए प्रकरणों की संख्या	ऐसे प्रकरणों की संख्या जहाँ रद्द पंजीकरण रद्द कर दिया गया है	जीएसटीआर 10 दाखिल करने वाले करदाताओं की संख्या	ऐसे प्रकरण जहाँ सर्वोत्तम निर्णय प्रारंभ/ पूरा किया गया है		
							प्रकरणों की संख्या जिन पर कार्रवाई शुरू की गई	पूर्ण किए गए मामलों की संख्या	राशि
1	ग्वालियर-1	2017-18	54	0	54	0	54	0	0
		2018-19	520	72	448	35	485	0	0
		2019-20	829	402	427	113	716	0	0
		2020-21	590	432	158	139	451	0	0
		उप योग	1,993	906	1,087	287	1,706	0	0
2	इंदौर-1	2017-18	0	0	0	0	0	0	0
		2018-19	875	0	875	12	0	0	0
		2019-20	1,535	0	1,535	39	0	0	0
		2020-21	503	0	503	163	91	0	0
		उप योग	2,913	0	2,913	214	91	0	0
3	इंदौर--10	2017-18	0	0	0	0	0	0	0
		2018-19	0	0	0	0	0	0	0
		2019-20	0	0	0	0	0	0	0
		2020-21	0	0	0	0	0	0	0
		उप योग	0	0	0	0	0	0	0
4	इंदौर--14	2017-18	0	0	0	0	0	0	0
		2018-19	112	0	112	0	0	0	0
		2019-20	165	0	165	0	0	0	0
		2020-21	69	0	69	0	0	0	0
		उप योग	346	0	346	0	0	0	0
5	जबलपुर-1	2017-18	4	0	4	0	0	0	0
		2018-19	1,359	66	1,293	9	0	0	0
		2019-20	2,356	253	2,103	22	0	0	0

क्र. सं.	वृत्त का नाम	वर्ष	ऐसे प्रकरणों की संख्या जहाँ आरईजी-19 में रद्द करने का आदेश जारी किया गया है	रद्द पंजीकरण को पुनः बहाल किए गए प्रकरणों की संख्या	ऐसे प्रकरणों की संख्या जहाँ रद्द पंजीकरण रद्द कर दिया गया है	जीएसटीआर 10 दाखिल करने वाले करदाताओं की संख्या	ऐसे प्रकरण जहाँ सर्वोत्तम निर्णय प्रारंभ/ पूरा किया गया है	प्रकरणों की संख्या जिन पर कार्रवाई शुरू की गई	पूर्ण किए गए मामलों की संख्या	राशि
		2020-21	1,385	408	977	60	0	0	0	0
		उप योग	5,104	727	4,377	91	0	0	0	0
6	वैद्वन	2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018-19	401	128	273	35	0	0	0	0
		2019-20	580	478	102	100	0	0	0	0
		2020-21	455	455	0	160	0	0	0	0
		उप योग	1,436	1,061	375	295	0	0	0	0
7	होशंगाबाद	2017-18	16	0	16	0	0	0	0	0
		2018-19	420	13	407	0	0	0	0	0
		2019-20	566	124	442	0	0	0	0	0
		2020-21	367	174	193	15	0	0	0	0
		उप योग	1,369	311	1,058	15	0	0	0	0
8	छिंदवाड़ा -2	2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018-19	394	79	315	11	0	0	0	0
		2019-20	545	177	368	36	0	0	0	0
		2020-21	361	218	143	16	0	0	0	0
		उप योग	1,300	474	826	63	0	0	0	0
9	इंदौर -13	2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018-19	438	168	270	10	0	0	0	0
		2019-20	924	378	546	20	0	0	0	0
		2020-21	614	380	234	14	7	7	7	0
		उप योग	1,976	926	1,050	44	7	7	7	0
10	धार	2017-18	2	0	2	0	0	0	0	0
		2018-19	1,024	0	1,024	0	0	0	0	0
		2019-20	560	0	560	0	0	0	0	0
		2020-21	487	0	487	0	74	74	74	79.22
		उप योग	2,073	0	2,073	0	74	74	74	79.22
	महायोग		18,510	4,405	14,105	1,009	1878	81	81	79.22

परिशिष्ट 3.7
(कंडिका 3.6.2.1 में संदर्भित)
केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखापरीक्षा आयाम	नमूना	
		संख्या	राशि में मिसमैच
1	जीएसटीआर 2ए बनाम जीएसटीआर 3बी	74	640.60
2	आपूर्तिकर्ता द्वारा कर प्रेषित किए बिना आईटीसी का लाभ देना	44	378
3	परिसीमा अवधि के पश्चात दाखिल जीएसटीआर-3बी पर आईटीसी का लाभ लिया गया	50	93.10
4	प्राप्तकर्ताओं द्वारा गलत तरीके से आईएसडी क्रेडिट का लाभ उठाया गया	20	27.68
5	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत	38	90.68
6	जीएसटीआर-9सी तालिका 12एफ में धनात्मक आंकड़ा	17	67.77
7	जीएसटीआर-9सी तालिका 14टी में धनात्मक आंकड़ा	14	54.50
8	कर का अल्प भुगतान	74	670.03
9	ई-वे बिल सत्यापन के आधार पर कर देयता को कम दिखाना	75	2,231.66
10	जीएसटीआर-9सी तालिका 9आर में ऋणात्मक आंकड़ा	15	36.61
11	जीएसटीआर 3बी के अनुसार कर योग्य आपूर्ति की कम घोषणा और शुद्ध राशि जिस पर टीडीएस/ टीसीएस की वसूली की जाती है	28	310.17
12	जीएसटीआर-9सी की तालिका-5 में बिल नहीं किए गए राजस्व में मिसमैच	15	61.04
13	जीएसटीआर 9सी तालिका 7जी में ऋणात्मक आंकड़ा	16	7207.88
14	निर्धारित टर्नओवर सीमा पार करने के बाद भी समाधान योजना के अंतर्गत होना	2	0
15	समाधान योजना के अंतर्गत ई-कॉमर्स लाभार्थी	5	0
16	जीएसटीआर-3बी दाखिल न करने के कारण कर का अप्रेषण	42	25.06
17	विलंबित भुगतानों पर ब्याज का अल्प भुगतान	123	56.26
	कुल	652	11,951.04

परिशिष्ट 3.8 (a)
(कंडिका 3.6.2.1 में संदर्भित)
आयाम अनुसार कमियों का सारांश

लेखापरीक्षा आयाम	नमूना		ऐसे प्रकरण जहाँ उत्तर प्राप्त हुआ		विभाग द्वारा स्वीकार किया गया और प्रकरणों की स्थिति									लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किया गया विभाग का उत्तर					विभाग का उत्तर		विभाग ने उपयुक्त दस्तावेजी साक्ष्य के साथ उत्तर प्रस्तुत नहीं किया		विभाग ने कहा कि वे एक्चू की जाँच कर रहे हैं			
					वसूल की गयी/ मांग जारी		एससीएन ने डीआरसी का नोटिस जारी किया (01/01ए नोटिस)		एएसएमटी - 10		करदाता के साथ पत्राचार जारी		योग		डाटा प्रविष्टि त्रुटियां		प्रश्न से पहले की गयी कार्रवाई		अन्य वैध स्पष्टीकरण		लेखापरीक्षा के लिए स्वीकार्य नहीं है (खंडन)					
					स.	राशि	स.	राशि	स.	राशि	स.	राशि	स.	राशि	स.	राशि	स.	राशि	स.	राशि	स.	राशि	स.	राशि	स.	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
जीएसटीआर-2ए एवं जीएसटीआर-3बी के मध्य आईटीसी मिसमैच	74	640.60	70	615.75	13	65.54	28	241.65	16	209.91	1	11.72	58	528.82	1	5.22	1	6.75			1	0.04	7	57.49	2	17.4
आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रेषित किए बिना आईटीसी का अग्रेषण निर्धारित समय-सीमा के पश्चात दाखिल जीएसटीआर-3बी पर	44	378	44	378			15	115.18	11	75.32	1	0.27	27	190.77									7	110.47	10	76.7
	50	93.10	49	91.43	8	12.45	23	60.98	7	6.35	2	1.02	40	80.8			3	3.03					1	0.83	5	6.78

लेखापरीक्षा आयाम	नमूना		ऐसे प्रकरण जहाँ उत्तर प्राप्त हुआ		विभाग द्वारा स्वीकार किया गया और प्रकरणों की स्थिति								लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किया गया विभाग का उत्तर				विभाग का उत्तर		विभाग ने उपयुक्त दस्तावेजी साक्ष्य के साथ उत्तर प्रस्तुत नहीं किया		विभाग ने कहा कि वे एक्च्यू की जाँच कर रहे हैं				
	स.	राशि	स.	राशि	वसूल की गयी/ मांग जारी	एससीएन ने डीआरसी का नोटिस जारी किया (01/01ए नोटिस)	एसएमटी - 10	करदाता के साथ पत्राचार जारी	योग	डाटा प्रविष्टि त्रुटियां	प्रश्न से पहले की गयी कार्रवाई	अन्य वैध स्पष्टीकरण	लेखापरीक्षा के लिए स्वीकार्य नहीं है (खंडन)	स.	राशि	स.	राशि	स.	राशि	स.	राशि	स.	राशि		
आईटीसी का लाभ																									
आईएसडी क्रेडिट का गलत तरीके से लाभ उठाना	20	27.68	20	27.7	6	6.49	3	5.71	9	12.2											6	12.54	5	2.94	
आरसीएम के अंतर्गत कर का अल्प भुगतान बनाम जीएसटीआर-3बी/9 में ली गई आईटीसी	38	90.68	38	90.68	2	21.53	14	21.35	8	7.04	2	4.07	26	53.99								8	32.14	4	4.55
लेखा पुस्तकों एवं वार्षिक विवरणी के मध्य भुगतान किए गए कर में मिसमैच (फॉर्म 9सी की तालिका 9आर)	15	36.61	14	29.35	2	2.41	2	2.73	3	4.68			7	9.82								5	13.33	2	6.20

लेखापरीक्षा आयाम	नमूना		ऐसे प्रकरण जहाँ उत्तर प्राप्त हुआ		विभाग द्वारा स्वीकार किया गया और प्रकरणों की स्थिति								लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किया गया विभाग का उत्तर				विभाग का उत्तर		विभाग ने उपयुक्त दस्तावेजी साक्ष्य के साथ उत्तर प्रस्तुत नहीं किया		विभाग ने कहा कि वे एक्चू की जाँच कर रहे हैं					
	स.	राशि	स.	राशि	स.	राशि	स.	राशि	स.	राशि	स.	राशि	स.	राशि	स.	राशि	स.	राशि	स.	राशि	स.	राशि				
वार्षिक विवरणी एवं लेखा पुस्तकों के मध्य आईटीसी उपभोग में मिसमैच (फॉर्म 9सी की तालिका 12एफ)	17	67.77	15	64.05			5	52.03	1	2.81			6	54.84	1	1.86					7	4.65	1	2.69		
वार्षिक विवरणी में ली गई आईटीसी का वित्तीय विवरणों के व्ययों के साथ समाधान (तालिका 14टी)	14	54.50	14	54.5	1	3.62	6	30.92	3	9.75	2	7.20	12	51.49							2	3.01				
ऐसे प्रकरण जहाँ जीएसटीआर-3बी दायर नहीं किया	42	25.06	42	25.06	16	13.55	13	5.27	4	1.02			33	19.84			4	2.67	2	0.62			2	0.66	1	1.27

लेखापरीक्षा आयाम	नमूना		ऐसे प्रकरण जहाँ उत्तर प्राप्त हुआ		विभाग द्वारा स्वीकार किया गया और प्रकरणों की स्थिति								लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किया गया विभाग का उत्तर				विभाग का उत्तर		विभाग ने उपयुक्त दस्तावेजी साक्ष्य के साथ उत्तर प्रस्तुत नहीं किया		विभाग ने कहा कि वे एक्चू की जाँच कर रहे हैं					
	स.	राशि	स.	राशि	वसूल की गयी/ मांग जारी	एससीएन ने डीआरसी का नोटिस जारी किया (01/01ए नोटिस)	एसएमटी - 10	करदाता के साथ पत्राचार जारी	योग	डाटा प्रविष्टि त्रुटियाँ	प्रश्न से पहले की गयी कार्रवाई	अन्य वैध स्पष्टीकरण	लेखापरीक्षा के लिए स्वीकार्य नहीं है (खंडन)	स.	राशि	स.	राशि	स.	राशि	स.	राशि	स.	राशि			
गया है, परंतु जीएसटीआर-1 उपलब्ध है																										
अनिर्णीत देयताएँ	74	670.03	67	545.66	4	40.73	35	260.40	5	146.84	3	13.28	47	461.25	1	11.25					13	53.45	6	19.72		
ब्याज का भुगतान नहीं /अल्प भुगतान	123	56.26	123	56.26	56	36.28	25	5.05	15	5.54	5	0.97	101	47.84							2	0.26	20	8.16		
ई-वे बिल सत्यापन के आधार पर देयता को छिपाना	75	2,231.66	50	1,844.24			13	89.29	10	29.39	3	5.67	26	124.35							22	1,652.46	2	67.42		
समाधान करदाताओं द्वारा ई-कॉमर्स सुविधा का लाभ लेना	5	0	5	0			1	0	1	0			2	0							3	0				
अपात्र संरचना कर	2	0	2	0									0	0							2	0				
कुल	593	4,371.95	553	3,822.66	102	196.11	186	891.34	87	504.36	19	44.20	394	1,636.01	3	18.33	10	12.45	2	0.62	1	0.04	85	1,941.29	58	213.93

परिशिष्ट 3.8 (b)
(कंडिका 3.6.2.1 में संदर्भित)
कमियों का सारांश (टर्नओवर में मिसमैच)

आयाम	प्रकरणों की संख्या		ऐसे मामले जहां उत्तर प्राप्त हुआ		विभाग द्वारा स्वीकार किया गया और प्रकारणों की स्थिति										लेखापरीक्षा द्वारा विभाग का उत्तर स्वीकार किया गया			विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा के लिए स्वीकार्य नहीं है (खंडन)		उचित दस्तावेजी साक्ष्य के बिना विभाग का उत्तर दिया गया		विभाग ने कहा कि वे एक्ज्यू की जांच कर रहे हैं					
					वसूली की गई/ मांग आदेश जारी किया गया	एससीएन जारी किया डी आर सी (01/01 ए/नोटिस)	एसएमटी-10	जहां करदाता के साथ पत्राचार जारी है	योग	डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ	लेखापरीक्षा विसंगति से पहले की गई कार्रवाई	अन्य वैध स्पष्टीकरण	विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा के लिए स्वीकार्य नहीं है (खंडन)	उचित दस्तावेजी साक्ष्य के बिना विभाग का उत्तर दिया गया	विभाग ने कहा कि वे एक्ज्यू की जांच कर रहे हैं												
	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	
जीएसटीआर-9सी की तालिका 7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में मिसमैच	16	7,207.88	16	7,207.88	2	987.06	4	3,144.97	3	1,942.03	0	0	9	6,074.06									7	1,133.81			
टीडीएस रिटर्न्स के साथ तुलना के आधार पर कर योग्य आपूर्ति की अल्प-घोषणा	28	310.17	28	310.17			10	153.95			5	98.16	15	252.11										8	25.81	5	32.24
जीएसटीआर-9सी में घोषित बिल नहीं किए गए राजस्व के	15	61.04	15	61.04			12	55.87					12	55.87										1	1.57	2	3.59

आयाम	प्रकरणों की संख्या		ऐसे मामले जहां उत्तर प्राप्त हुआ		विभाग द्वारा स्वीकार किया गया और प्रकारणों की स्थिति										लेखापरीक्षा द्वारा विभाग का उत्तर स्वीकार किया गया				विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा के लिए स्वीकार्य नहीं है (खंडन)		उचित दस्तावेजी साक्ष्य के बिना विभाग का उत्तर दिया गया		विभाग ने कहा कि वे एक्चू की जांच कर रहे हैं			
					वसूली की गई/ मांग आदेश जारी किया गया	एससीएन जारी किया डी आर सी (01/01 ए/नोटिस)	एसएमटी-10	जहां करदाता के साथ पत्राचार जारी है	योग	डेटा प्रविष्टि त्रुटियाँ	लेखापरीक्षा विसंगति से पहले की गई कार्रवाई	अन्य वैध स्पष्टीकरण	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि	सं	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
आधार पर कर योग्य मूल्य को छिपाना	59	7,579.09	59	7,579.09	2	987.06	26	3,354.79	3	1,942.03	5	98.16	36	6,382.04	0	0	0	0	0	0	0	0	16	1,161.19	7	35.83
कुल	59	7,579.09	59	7,579.09	2	987.06	26	3,354.79	3	1,942.03	5	98.16	36	6,382.04	0	0	0	0	0	0	0	16	1,161.19	7	35.83	

परिशिष्ट 3.9

(कंडिका 3.6.3.1 में संदर्भित)

कार्य क्षेत्र सीमा (अभिलेख प्रस्तुत न करना)

क्र.सं.	जीएसटीएन	करदाताओं का नाम	जोन	संभाग	वृत्त	2018-2021 की अवधि से संबंधित प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों की सूची
1	23#####M1ZF	करण डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	ग्वालियर अंचल	ग्वालियर संभाग - 1	ग्वालियर - 1	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/ आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: अक्टूबर 2019 एवं मई 2020) (क्रय: अप्रैल 2020 एवं नवंबर 2020)
2	23#####Q1Z4	पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड	ग्वालियर अंचल	ग्वालियर संभाग - 1	ग्वालियर - 1	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/ आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: जून 2018 एवं अक्टूबर 2018) (क्रय: अप्रैल 2019 एवं जून 2019)
3	23#####C1ZD	समर्थ कार्स प्राइवेट लिमिटेड	ग्वालियर अंचल	ग्वालियर संभाग - 1	ग्वालियर - 2	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/ आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: मार्च 2019 एवं जुलाई 2019) (क्रय: मई 2018 एवं अप्रैल 2019)
4	23#####R2ZW	सिम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड	इंदौर जोन - 1	इंदौर संभाग - 1	इंदौर - 1	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: अप्रैल 2019 एवं मई 2020) (क्रय: जनवरी 2019 एवं अप्रैल 2019)
5	23#####N1ZQ	अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड	इंदौर जोन - 1	इंदौर संभाग - 1	इंदौर - 1	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: अप्रैल 2019 एवं अप्रैल 2020) (क्रय: फरवरी 2019 एवं मार्च 2020)
6	23#####G1ZR	हैपैग-लॉयड एक्टिवेन्गेसेलशाफ्ट	इंदौर जोन - 1	इंदौर संभाग - 2	इंदौर - 10	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/ आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: फरवरी 2019 एवं फरवरी 2020) (क्रय: जून 2018 एवं फरवरी 2021)
7	23#####L1Z8	लेखा अधिकारी, नगर पालिक निगम, इंदौर	इंदौर जोन - 1	इंदौर संभाग - 2	इंदौर - 10	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: जुलाई 2019 एवं जून 2020) (क्रय: मार्च 2019 एवं फरवरी 2020)
8	23#####R1ZF	मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन	इंदौर जोन - 1	इंदौर संभाग - 2	इंदौर - 10	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: नवंबर 2019 एवं जून 2020) (क्रय: मार्च 2019 एवं फरवरी 2020)
9	23#####A1ZG	शिल्पा एजेंसीज	इंदौर जोन - 1	इंदौर संभाग - 2	इंदौर - 11	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: अक्टूबर 2018 एवं मार्च 2021) (क्रय: फरवरी 2020 एवं जुलाई 2020)

क्र.सं.	जीएसटीएन	करदाताओं का नाम	जोन	संभाग	वृत्त	2018-2021 की अवधि से संबंधित प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों की सूची
10	23#####D1ZU	ओरावेल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड	इंदौर जोन - 1	इंदौर संभाग - 2	इंदौर - 11	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: दिसंबर 2018 एवं अक्टूबर 2019) (क्रय: अगस्त 2018 एवं अगस्त 2020)
11	23#####K1ZZ	एलडी ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड	इंदौर जोन - 1	इंदौर संभाग - 2	इंदौर - 11	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: मार्च 2019 एवं जून 2020) (क्रय: जनवरी 2019 एवं नवंबर 2020)
12	23#####L1ZU	अशोक लेलैंड लिमिटेड	इंदौर जोन - 1	इंदौर संभाग - 2	इंदौर - 11	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: जून 2018 एवं फरवरी 2020) (क्रय: मई 2019 एवं जुलाई 2020)
13	23#####R1ZR	सेंचुरी 21 टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड	इंदौर जोन - 1	इंदौर संभाग - 3	इंदौर - 12	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: फरवरी 2020 एवं मार्च 2020) (क्रय: मार्च 2019 एवं मार्च 2020)
14	23#####C1ZX	टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड	इंदौर जोन - 1	इंदौर संभाग - 3	इंदौर - 12	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: जुलाई 2018 एवं दिसंबर 2018) (क्रय: जुलाई 2019 एवं जुलाई 2020)
15	23#####A1ZR	जील ट्रेडलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड	इंदौर जोन - 1	इंदौर संभाग - 3	इंदौर - 12	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: जून 2018 एवं जनवरी 2020) (क्रय: अक्टूबर 2019 एवं जुलाई 2020)
16	23#####N1Z3	श्रेयांस गैंग	इंदौर जोन - 1	इंदौर संभाग - 3	इंदौर - 8	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: जून 2019 एवं जून 2020) (क्रय: जून 2018 एवं अगस्त 2020)
17	23#####B1ZC	कैरियर एयरकंडिशनिंग एंड रेफ्रिजेशन लिमिटेड	इंदौर जोन - 1	इंदौर संभाग - 3	इंदौर - 9	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: अगस्त 2019 एवं अगस्त 2020) (क्रय: अगस्त 2018 एवं अप्रैल 2019)
18	23#####E1ZK	डोडिया ऑटोमोबाइल	इंदौर जोन - 2	उज्जैन संभाग	देवास	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: अगस्त 2018 एवं दिसंबर 2018) (क्रय: अगस्त 2018 एवं जुलाई 2020)
19	23#####A1ZR	मिनसोल लिमिटेड	जबलपुर जोन	सतना संभाग	वैढन	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: नवंबर 2018 एवं फरवरी 2020) (क्रय: अगस्त 2018 एवं फरवरी 2021)

क्र.सं.	जीएसटीएन	करदाताओं का नाम	जोन	संभाग	वृत्त	2018-2021 की अवधि से संबंधित प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों की सूची
20	23#####K1Z1	सीधी सिंगरौली रोड प्रोजेक्ट लिमिटेड	जबलपुर जोन	सतना संभाग	वैढन	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: अप्रैल 2018 एवं फरवरी 2021) (क्रय: फरवरी 2019 एवं मार्च 2019)
21	23#####M1ZB	सासन पावर लिमिटेड	जबलपुर जोन	सतना संभाग	वैढन	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: जनवरी 2019 एवं मार्च 2019) (क्रय: सितंबर 2019 एवं फरवरी 2020)
22	23#####D1Z6	बीईएमएल लिमिटेड	जबलपुर जोन	सतना संभाग	वैढन	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: नवंबर 2018 एवं मार्च 2021) (क्रय: नवंबर 2018 एवं अप्रैल 2019)
23	23#####L1ZI	आईटीसी लिमिटेड	भोपाल जोन	भोपाल संभाग - 1	भोपाल -5	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: मई 2019 एवं सितंबर 2019) (क्रय: सितंबर 2018 एवं नवंबर 2018)
24	23#####L1Z0	ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड	भोपाल जोन	भोपाल संभाग - 1	भोपाल -5	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: अक्टूबर 2018 एवं मार्च 2020) (क्रय: नवंबर 2018 एवं दिसंबर 2019)
25	23#####D1ZK	एससीएम एग्रीटेक एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	भोपाल जोन	भोपाल संभाग - 1	भोपाल -5	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: दिसंबर 2018 एवं मई 2019) (क्रय: जुलाई 2020 एवं फरवरी 2021)
26	23#####N1ZU	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	इंदौर जोन - 1	इंदौर संभाग - 1	इंदौर - 2	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: फरवरी 2019 एवं मई 2019) (क्रय: अप्रैल 2020 एवं मई 2020)
27	23#####E1Z7	महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड	इंदौर जोन - 1	इंदौर संभाग - 1	इंदौर - 2	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: मार्च 2019 एवं अगस्त 2020) (क्रय: जुलाई 2018 एवं जून 2020)
28	23#####B1ZW	फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड	इंदौर जोन - 1	इंदौर संभाग - 1	इंदौर - 14	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: नवंबर 2018 एवं मार्च 2019) (क्रय: अप्रैल 2019 एवं मार्च 2020)
29	23#####K1ZX	भारतीय स्टेट बैंक	इंदौर जोन - 1	इंदौर संभाग - 1	इंदौर - 14	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: सितंबर 2018 एवं अप्रैल 2020) (क्रय: अप्रैल 2020 एवं जून 2020)

क्र.सं.	जीएसटीएन	करदाताओं का नाम	जोन	संभाग	वृत्त	2018-2021 की अवधि से संबंधित प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों की सूची
30	23#####N1ZP	बी रोशनलाल केमिकल्स	इंदौर जोन - 1	इंदौर संभाग - 1	इंदौर - 14	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: दिसंबर 2019 एवं मार्च 2021) (क्रय: मार्च 2020 एवं मार्च 2021)
31	23#####E1ZV	पटेल एस.ई.डब्ल्यू. संयुक्त उद्यम	जबलपुर जोन	जबलपुर संभाग - 2	कटनी-1	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: फरवरी 2018 एवं नवंबर 2018) (क्रय: फरवरी 2020 एवं मई 2020)
32	23#####K3ZL	ल्यूपिन लिमिटेड	इंदौर जोन - 1	इंदौर संभाग - 1	पीथमपुर	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: मार्च 2019 एवं नवंबर 2020) (क्रय: नवंबर 2018 एवं फरवरी 2020)
33	23#####J3ZE	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	भोपाल जोन	भोपाल संभाग - 2	होशंगाबाद	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: फरवरी 2019 एवं नवंबर 2021) (क्रय: जून 2019 एवं मार्च 2021)
34	23#####K1ZS	पुण्यशीला ऑटोमोबाइल्स	भोपाल जोन	भोपाल संभाग - 2	होशंगाबाद	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: सितंबर 2018 एवं अक्टूबर 2019) (क्रय: सितंबर 2018 एवं मार्च 2020)
35	23#####Q1ZG	स्पॉटन लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	इंदौर जोन - 1	इंदौर संभाग - 2	इंदौर - 3	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: नवंबर 2020 एवं मार्च 2021) (क्रय: सितंबर 2018 एवं दिसंबर 2020)
36	23#####J1ZA	रैमको इंडस्ट्रीज लिमिटेड	इंदौर जोन - 1	इंदौर संभाग - 2	इंदौर - 3	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: जून 2019 एवं मई 2020) (क्रय: मई 2018 एवं मार्च 2021)
37	23#####B1ZC	जियो डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड	भोपाल जोन	भोपाल संभाग - 1	भोपाल -4	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: मार्च 2020 एवं मई 2020) (क्रय: अगस्त 2019 एवं सितंबर 2020)
38	23#####G1ZR	रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड	भोपाल जोन	भोपाल संभाग - 1	भोपाल -4	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: मार्च 2019 एवं जुलाई 2019) (क्रय: मार्च 2019 एवं सितंबर 2020)
39	23#####A1ZZ	एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड	जबलपुर जोन - 1	जबलपुर संभाग - 1	जबलपुर -1	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: जून 2018 एवं जुलाई 2018) (क्रय: सितंबर 2019 एवं अक्टूबर 2019)

क्र.सं.	जीएसटीएन	करदाताओं का नाम	जोन	संभाग	वृत्त	2018-2021 की अवधि से संबंधित प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों की सूची
40	23#####E2ZM	मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी जबलपुर	जबलपुर जोन - 1	जबलपुर संभाग - 1	जबलपुर -1	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: नवंबर 2019 एवं अगस्त 2020) (क्रय: अप्रैल 2020 एवं जुलाई 2020)
41	23#####B1ZE	मैक्स इंफ्रा (आई) लिमिटेड	भोपाल जोन	भोपाल संभाग - 2	मंडीदीप	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: मार्च 2020 एवं अप्रैल 2020) (क्रय: अक्टूबर 2019 एवं अगस्त 2020)
42	23#####K1ZH	एचईजी लिमिटेड	भोपाल जोन	भोपाल संभाग - 2	मंडीदीप	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: अगस्त 2018 एवं सितंबर 2018) (क्रय: अगस्त 2018 एवं सितंबर 2020)
43	23#####H1ZQ	अरोमा प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड	जबलपुर जोन	छिंदवाड़ा संभाग	छिंदवाड़ा -2	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: अगस्त 2018 एवं अक्टूबर 2019) (क्रय: दिसंबर 2018 एवं मई 2020)
44	23#####A2ZK	रेमंड लिमिटेड	जबलपुर जोन	छिंदवाड़ा संभाग	छिंदवाड़ा -2	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: फरवरी 2019 एवं मार्च 2019) (क्रय: अगस्त 2019 एवं मार्च 2020)
45	23#####C1ZQ	पारीक पेस्टिसाइड्स	इंदौर जोन - 1	इंदौर संभाग - 3	इंदौर - 13	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: सितंबर 2018 एवं मार्च 2019) (क्रय: जनवरी 2021 एवं सितंबर 2021)
46	23#####K1ZL	सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	इंदौर जोन - 1	इंदौर संभाग - 3	इंदौर - 13	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: मई 2018 एवं अप्रैल 2020) (क्रय: जुलाई 2019 एवं दिसंबर 2019)
47	23#####J1Z4	रत्नरूप प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	इंदौर जोन - 1	इंदौर संभाग - 3	इंदौर - 13	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: सितंबर 2020 एवं दिसंबर 2020) (क्रय: मार्च 2020 एवं मार्च 2021)
48	23#####G1Z8	हाइवे इंजीनियरिंग कंसल्टेंट	भोपाल जोन	भोपाल संभाग - 1	भोपाल -6	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: अक्टूबर 2019 एवं नवंबर 2019) (क्रय: अप्रैल 2019 एवं मार्च 2020)
49	23#####H1Z0	बंसल कंस्ट्रक्शन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	भोपाल जोन	भोपाल संभाग - 1	भोपाल -6	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: जून 2018 एवं मार्च 2021) (क्रय: अगस्त 2018 एवं मार्च 2020)

क्र.सं.	जीएसटीएन	करदाताओं का नाम	जोन	संभाग	वृत्त	2018-2021 की अवधि से संबंधित प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों की सूची
50	23#####C1ZK	असीम जिंदल	भोपाल ज़ोन	भोपाल संभाग - 1	भोपाल -6	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: जून 2019 एवं नवंबर 2019) (क्रय: जून 2020 एवं जुलाई 2020)
51	23#####B1ZS	यूएस टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	भोपाल ज़ोन	भोपाल संभाग - 1	भोपाल -6	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: सितंबर 2018 एवं मई 2019) (क्रय: अगस्त 2019 एवं मार्च 2021)
52	23#####P6ZM	लार्सन एण्ड टुब्रो लिमिटेड	भोपाल ज़ोन	भोपाल संभाग - 1	भोपाल -6	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: मई 2018 एवं मार्च 2020) (क्रय: अगस्त 2018 एवं जुलाई 2020)
53	23#####G1ZW	विजय स्वरूप आनंद	ग्वालियर अंचल	ग्वालियर संभाग - 2	अशोकनगर	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: जुलाई 2018 एवं जुलाई 2020) (क्रय: मई 2018 एवं जून 2020)
54	23#####L1Z2	जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स लिमिटेड	इंदौर जोन - 2	रतलाम मंडल	धार	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: दिसंबर 2019 एवं मार्च 2021) (क्रय: फरवरी 2020 एवं जनवरी 2021)
55	23#####L2ZD	मध्य प्रदेश शहरी विकास कंपनी लिमिटेड	भोपाल ज़ोन	भोपाल संभाग - 1	भोपाल -1	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: सितंबर 2018 एवं अक्टूबर 2020) (क्रय: जनवरी 2019 एवं सितंबर 2020)
56	23#####C1ZR	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	भोपाल ज़ोन	भोपाल संभाग - 1	भोपाल -1	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: मार्च 2019 एवं नवंबर 2019) (क्रय: जुलाई 2019 एवं दिसंबर 2020)
57	23#####C1ZL	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	भोपाल ज़ोन	भोपाल संभाग - 1	भोपाल -1	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: मार्च 2020 एवं मार्च 2021) (क्रय: नवंबर 2020 एवं फरवरी 2021)
58	23#####G1ZX	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड.	भोपाल ज़ोन	भोपाल संभाग - 1	भोपाल -1	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: अक्टूबर 2018 एवं मार्च 2021) (क्रय: अप्रैल 2018 एवं जनवरी 2021)

क्र.सं.	जीएसटीएन	करदाताओं का नाम	जोन	संभाग	वृत्त	2018-2021 की अवधि से संबंधित प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों की सूची
59	23#####N1ZE	भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भोपाल ज़ोन	भोपाल संभाग - 1	भोपाल -1	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: दिसंबर 2019 एवं अक्टूबर 2020) (क्रय: अक्टूबर 2018 एवं जनवरी 2021)
60	23#####A1Z1	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड	भोपाल ज़ोन	भोपाल संभाग - 1	भोपाल -1	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: सितंबर 2018 एवं अक्टूबर 2019) (क्रय: नवंबर 2018 एवं अप्रैल 2019)
61	23#####P1ZN	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	भोपाल ज़ोन	भोपाल संभाग - 1	भोपाल -1	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: दिसंबर 2018 एवं दिसंबर 2019) (क्रय: मार्च 2019 एवं जनवरी 2021)
62	23#####F1ZS	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भोपाल ज़ोन	भोपाल संभाग - 1	भोपाल -1	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: मई 2019 एवं अक्टूबर 2019) (क्रय: जून 2018 एवं दिसंबर 2019)
63	23#####C1ZH	म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम	भोपाल ज़ोन	भोपाल संभाग - 1	भोपाल -1	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: जून 2018 एवं दिसंबर 2020) (क्रय: अक्टूबर 2018 एवं दिसंबर 2019)
64	23#####J1ZQ	अमेज़न सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	इंदौर जोन - 1	इंदौर संभाग - 3	इंदौर - 7	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: अक्टूबर 2019 एवं अक्टूबर 2020) (क्रय: मार्च 2019 एवं जुलाई 2019)
65	23#####B1ZA	इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड	इंदौर जोन - 1	इंदौर संभाग - 3	इंदौर - 7	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: मार्च 2019 एवं नवंबर 2019) (क्रय: अक्टूबर 2019 एवं दिसंबर 2020)
66	23#####K1ZL	श्रीजीकृपा प्रोजेक्ट लिमिटेड	इंदौर जोन - 1	इंदौर संभाग - 2	इंदौर - 4	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: जून 2019 एवं जून 2020) (क्रय: सितंबर 2019 एवं सितंबर 2020)
67	23#####B1Z9	केसुर नारनभाई पिठिया	इंदौर जोन - 2	खंडवा संभाग	खरगोन	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: जनवरी 2020 एवं नवंबर 2020) (क्रय: दिसंबर 2019 एवं जनवरी 2021)

क्र.सं.	जीएसटीएन	करदाताओं का नाम	जोन	संभाग	वृत्त	2018-2021 की अवधि से संबंधित प्रस्तुत नहीं किए गए अभिलेखों की सूची
68	23#####F1ZC	वृमल गुलवानी	भोपाल ज़ोन	भोपाल संभाग - 2	सीहोर	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: जनवरी 2020 एवं नवंबर 2020) (क्रय: दिसंबर 2019 एवं जून 2020)
69	23#####A1Z7	प्राथमिक कृषि साख संस्था मर्यादित, मगरोला	इंदौर जोन - 2	उज्जैन संभाग	शाजापुर	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: अक्टूबर 2019 एवं दिसंबर 2020) (क्रय: दिसंबर 2019 एवं अक्टूबर 2020)
70	23#####E1ZL	सीमेंस गमेसा रेनेवेबल इनर्जी प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	इंदौर जोन - 2	रतलाम मंडल	धार	चयनित माह की बाह्य आपूर्ति/आंतरिक आपूर्ति से संबंधित बीजक, आपूर्ति के बिल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रसीद वाउचर, भुगतान वाउचर, अनुबंध एवं क्रय आदेश। (विक्रय: दिसंबर 2019 एवं मार्च 2021) (क्रय: फरवरी 2020 एवं जनवरी 2021)

परिशिष्ट 3.10
(कंडिका 3.6.3.2 में संदर्भित)
ब्याज का कम भुगतान

क्र. सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआई एन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर 3बी भरने में देरी (दिनों में)	देय ब्याज	ब्याज का भुगतान किया	कम भुगतान	शासन/ विभाग का उत्तर	(राशि ₹ में)	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-5, भोपाल	23##### ##D1ZK	एस.सी.एम. एग्रोटेक एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	3-13	5,198	0	5,198	नोटिस जारी किया गया है एवं कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
2	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-वैढन	23##### ##M1ZB	मेसर्स सासन पावर लिमिटेड	2020-21	6-24	21,21,040	20,57,457	63,583	नोटिस जारी किया गया है एवं कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
3	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-देवास	23##### ##E1ZK	डोडिया ऑटोमोबाइल्स	2020-21	52-75	28,616	0	28,616	नोटिस जारी किया गया है एवं कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
4	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, ग्वालियर	23##### ##M1ZF	करण डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	1-47	5,20,381	0	5,20,381	नोटिस जारी किया गया है एवं कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
5	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-12, इंदौर	23##### ##R1ZR	सेंचुरी 21 टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	176	2,498	0	2,498	नोटिस जारी किया गया है एवं कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
6	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-12, इंदौर	23##### ##R1ZR	सेंचुरी 21 टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	27-111	10,37,314	0	10,37,314	नोटिस जारी किया गया है एवं कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
7	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-6, भोपाल	23##### ##H1Z0	बंसल कंस्ट्रक्शन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	6-71	6,52,839	0	6,52,839	नोटिस जारी किया गया है एवं कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
8	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-6, भोपाल	23##### ##C1ZK	न्यू डिस्टिंक्ट सर्विसेस	2020-21	9-40	1,01,184	0	1,01,184	नोटिस जारी किया गया है एवं कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।		आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
9	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-6, भोपाल	23##### ##G1Z8	हाइवे इंजीनियरिंग कंसल्टेंट	2020-21	20-125	20,73,045	0	20,73,045	एएसएमटी 10 जारी किया गया		आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
10	सहायक आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-2, छिंदवाड़ा	23##### ##H1ZQ	अरोमा प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	16-60	1,51,194	1,36,744	14,450	एएसएमटी 10 जारी किया गया		आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
11	सहायक आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-खरगोन	23##### ##B1Z9	केसुर नारनभाई पिठिया	2020-21	2-51	58,332	0	58,332	एएसएमटी 10 जारी किया गया		आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
12	सहायक आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23##### ##L2ZD	मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	2020-21	1-7	2,016	0	2,016	एएसएमटी 10 जारी किया गया		आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र. सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआई एन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर 3बी भरने में देरी (दिनों में)	देय ब्याज	ब्याज का भुगतान किया	कम भुगतान	शासन/ विभाग का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
13	सहायक आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23##### ##F1ZS	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2018-19	1-49	4,07,344	0	4,07,344	एएसएमटी 10 जारी किया गया	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
14	सहायक आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23##### ##F1ZS	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	1-45	7,868	0	7,868	एएसएमटी 10 जारी किया गया	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
15	सहायक आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23##### ##F1ZS	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	1	1,599	0	1,599	एएसएमटी 10 जारी किया गया	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
कुल						71,68,869	21,94,201	49,76,267		

परिशिष्ट 3.11

(कंडिका 3.6.3.3 में संदर्भित)

जीएसटीआर-3बी /जीएसटीआर-9 में लिए गए आईटीसी और जीएसटीआर-2ए में लिए गए आईटीसी में मिसमैच

क्र. सं.	वृत्त का नाम	जीएसटी आईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-3बी/ 9 के अनुसार दावा किया गया आईटीसी	जीएसटीआर-2ए के अनुसार दावा किया गया आईटीसी	आईटीसी लाभ प्राप्त करने में मिसमैच	शासन का उत्तर	(राशि ₹ में) लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, इंदौर	23##### ###R2Z W	सिम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड	2019-20	9,21,15,258	6,53,44,128	2,67,71,130	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
2	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, इंदौर	23##### ###R2Z W	सिम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड	2020-21	2,02,81,079	1,06,15,220	96,65,859	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
3	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, इंदौर	23##### ###N1ZQ	अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड	2020-21	1,53,92,334	1,52,82,396	1,09,938	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
4	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-8, इंदौर	23##### ###N1Z3	श्रेयांस गैंग	2018-19	1,00,77,417	9,84,539	90,92,878	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
5	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-8, इंदौर	23##### ###N1Z3	श्रेयांस गैंग	2019-20	1,05,28,404	11,23,476	94,04,928	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
6	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, ग्वालियर	23##### ###M1ZF	करण डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	38,77,57,246	36,12,21,504	2,65,35,742	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
7	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, ग्वालियर	23##### ###Q1Z4	पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड	2019-20	56,48,60,956	46,74,23,680	9,74,37,276	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
8	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-2, ग्वालियर	23##### ###C1ZD	समर्थ कार्स प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	99,44,00,028	19,02,58,624	80,41,41,404	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
9	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-2, ग्वालियर	23##### ###C1ZD	समर्थ कार्स प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	17,94,12,515	16,21,34,896	1,72,77,619	नोटिस जारी, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
10	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-9, इंदौर	23##### ###B1ZC	कैरियर एयरकंडिशनिंग एंड रेफ्रिजेशन लिमिटेड	2018-19	4,06,61,287	3,91,78,524	14,82,763	नोटिस जारी, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
11	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-9, इंदौर	23##### ###B1ZC	कैरियर एयरकंडिशनिंग एंड रेफ्रिजेशन लिमिटेड	2019-20	5,15,68,232	3,94,68,324	1,20,99,908	नोटिस जारी, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र. सं.	वृत्त का नाम	जीएसटी आईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-3बी/ 9 के अनुसार दावा किया गया आईटीसी	जीएसटीआर-2ए के अनुसार दावा किया गया आईटीसी	आईटीसी लाभ प्राप्त करने में मिसमैच	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
12	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-9, इंदौर	23##### ###B1ZC	कैरियर एयरकंडिशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड	2020-21	3,05,43,677	2,94,44,054	10,99,623	नोटिस जारी, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
13	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23##### ###A1ZG	शिल्पा एजेंसीज	2018-19	73,84,554	49,35,757	24,48,797	नोटिस जारी, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
14	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23##### ###A1ZG	शिल्पा एजेंसीज	2019-20	58,00,004	38,87,411	19,12,593	नोटिस जारी, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
15	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23##### ###A1ZG	शिल्पा एजेंसीज	2020-21	40,82,910	33,55,752	7,27,158	नोटिस जारी, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
16	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23##### ###D1ZU	ओरावेल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	65,51,771	29,12,673	36,39,098	नोटिस जारी, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
17	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23##### ###L1ZU	अशोक लेलैंड लिमिटेड	2018-19	31,35,56,335	30,22,92,608	11,26,3727	नोटिस जारी, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
18	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23##### ###L1ZU	अशोक लेलैंड लिमिटेड	2019-20	31,62,91,752	30,23,25,440	1,39,66,312	नोटिस जारी, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
19	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23##### ###L1ZU	अशोक लेलैंड लिमिटेड	2020-21	12,96,45,164	9,00,02,544	3,96,42,620	नोटिस जारी, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
20	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23##### ###K1ZZ	एल्ड ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	1,39,61,719	1,27,81,821	11,79,898	नोटिस जारी, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
21	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-12, इंदौर	23##### ###C1ZX	टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड	2018-19	11,72,05,054	8,59,79,856	3,12,25,198	नोटिस जारी, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
22	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-12, इंदौर	23##### ###A1ZR	जील ट्रेडलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	54,43,96,290	28,38,38,848	26,05,57,442	नोटिस जारी, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
23	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-12, इंदौर	23##### ###A1ZR	जील ट्रेडलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	78,54,50,110	35,24,79,936	43,29,70,174	नोटिस जारी, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
24	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-12, इंदौर	23##### ###A1ZR	जील ट्रेडलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	1,46,87,50,340	44,20,85,344	1,02,66,64,996	नोटिस जारी, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
25	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-12, इंदौर	23##### ###R1ZR	सेंचुरी 21 टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	8,17,71,646	6,44,04,740	1,73,66,906	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र. सं.	वृत्त का नाम	जीएसटी आईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-3बी/ 9 के अनुसार दावा किया गया आईटीसी	जीएसटीआर-2ए के अनुसार दावा किया गया आईटीसी	आईटीसी लाभ प्राप्त करने में मिसमैच	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
26	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-12, इंदौर	23##### ###R1ZR	सेंचुरी 21 टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	4,73,62,012	3,90,24,924	83,37,088	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
27	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-10, इंदौर	23##### ###G1ZR	हैपैग-लॉयड एक्टिवगोसेलशाफ्ट	2018-19	26,69,008	24,91,251	1,77,757	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
28	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-10, इंदौर	23##### ###G1ZR	हैपैग-लॉयड एक्टिवगोसेलशाफ्ट	2019-20	22,64,461	21,76,826	87,635	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
29	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-10, इंदौर	23##### ###R1ZF	मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन	2018-19	3,82,75,879	3,78,44,124	4,31,755	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
30	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-5, भोपाल	23##### ###L1ZO	ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड	2018-19	3,51,18,297	3,43,06,452	8,11,845	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
31	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-5, भोपाल	23##### ###L1ZO	ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड	2019-20	3,88,13,221	3,62,68,584	25,44,637	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
32	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-5, भोपाल	23##### ###L1ZO	ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड	2020-21	3,68,50,057	3,60,86,268	7,63,789	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
33	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-5, भोपाल	23##### ###D1ZK	एससीएम एग्रोटेक एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	99,99,408	90,33,304	9,66,104	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
34	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-5, भोपाल	23##### ###D1ZK	एससीएम एग्रोटेक एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	1,41,86,290	1,36,95,869	4,90,421	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
35	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-5, भोपाल	23##### ###D1ZK	एससीएम एग्रोटेक एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	3,90,05,288	3,57,80,876	32,24,412	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
36	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-5, भोपाल	23##### ###L1ZI	आईटीसी लिमिटेड	2020-21	4,35,64,93,107	4,35,15,13,100	49,80,007	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
37	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-2, इंदौर	23##### ###E1Z7	महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड	2018-19	4,89,57,58,287	4,83,86,94,900	5,70,63,387	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
38	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-14, इंदौर	23##### ###B1Z	फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड	2019-20	6,46,02,719	6,22,10,380	23,92,339	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

W

क्र. सं.	वृत्त का नाम	जीएसटी आईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-3बी/ 9 के अनुसार दावा किया गया आईटीसी	जीएसटीआर-2ए के अनुसार दावा किया गया आईटीसी	आईटीसी लाभ प्राप्त करने में मिसमैच	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
39	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-14, इंदौर	23##### ###B1Z W	फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड	2020-21	1,92,09,903	1,81,63,636	10,46,267	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
40	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-14, इंदौर	23##### ###K1ZX	भारतीय स्टेट बैंक	2019-20	1,45,72,07,448	1,28,98,88,130	16,73,19,318	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
41	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-14, इंदौर	23##### ###K1ZX	भारतीय स्टेट बैंक	2020-21	1,60,78,57,476	1,42,75,98,080	18,02,59,396	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
42	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-14, इंदौर	23##### ###N1ZP	बी रोशनलाल केमिकल्स	2019-20	3,84,91,416	3,84,62,780	28,636	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
43	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-14, इंदौर	23##### ###N1ZP	बी रोशनलाल केमिकल्स	2020-21	16,50,30,951	16,45,40,144	4,90,807	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
44	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, कटनी	23##### ###E1ZV	पटेल एसईडबल्यू संयुक्त उद्यम	2019-20	5,44,76,782	4,70,51,072	74,25,710	एएसएमटी 10 जारी किया गया	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
45	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-वैढन	23##### ###A1ZR	मिनसोल लिमिटेड	2018-19	16,09,96,992	15,45,39,136	64,57,856	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
46	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-वैढन	23##### ###A1ZR	मिनसोल लिमिटेड	2019-20	8,73,05,558	8,24,79,592	48,25,966	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
47	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-वैढन	23##### ###A1ZR	मिनसोल लिमिटेड	2020-21	9,21,43,776	8,82,90,760	38,53,016	नोटिस जारी, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
48	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-वैढन	23##### ###K1Z1	सीधी सिंगरौली रोड प्रोजेक्ट लिमिटेड	2018-19	9,59,40,555	5,02,59,256	4,56,81,299	नोटिस जारी, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
49	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-वैढन	23##### ###K1Z1	सीधी सिंगरौली रोड प्रोजेक्ट लिमिटेड	2020-21	1,56,586	3,589	1,52,997	नोटिस जारी, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
50	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-वैढन	23##### ###D1Z6	बीईएमएल लिमिटेड	2018-19	18,70,22,028	15,04,91,568	3,65,30,460	नोटिस जारी, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
51	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-वैढन	23##### ###D1Z6	बीईएमएल लिमिटेड	2019-20	13,47,33,586	11,67,99,400	1,79,34,186	नोटिस जारी, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
52	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-वैढन	23##### ###D1Z6	बीईएमएल लिमिटेड	2020-21	16,76,85,470	16,34,78,352	42,07,118	नोटिस जारी, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र. सं.	वृत्त का नाम	जीएसटी आईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-3बी/ 9 के अनुसार दावा किया गया आईटीसी	जीएसटीआर-2ए के अनुसार दावा किया गया आईटीसी	आईटीसी लाभ प्राप्त करने में मिसमैच	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
53	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-6, भोपाल	23##### ###H1Z0	बंसल कंस्ट्रक्शन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	53,32,87,438	52,46,95,360	85,92,078	नोटिस जारी, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
54	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-6, भोपाल	23##### ###H1Z0	बंसल कंस्ट्रक्शन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	59,44,44,143	57,38,07,170	2,06,36,973	नोटिस जारी, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
55	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-6, भोपाल	23##### ###C1ZK	असीम जिंदल	2020-21	1,55,01,690	89,62,666	65,39,024	नोटिस जारी, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
56	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-6, भोपाल	23##### ###B1ZS	यूएस टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	6,89,88,583	5,64,81,648	1,25,06,935	नोटिस जारी, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
57	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-6, भोपाल	23##### ###P6ZM	लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड	2018-19	13,60,35,26,390	9,03,91,79,800	4,56,43,46,590	नोटिस जारी, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
58	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-6, भोपाल	23##### ###G1Z8	हाइवे इंजीनियरिंग कंसल्टेंट	2019-20	3,29,47,387	3,26,40,442	3,06,945	नोटिस जारी, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
59	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-13, इंदौर	23##### ###C1ZQ	पारीक पेस्टिसाइड्स	2020-21	65,34,912	27,67,904	37,67,008	नोटिस जारी, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
60	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-13, इंदौर	23##### ###J1Z4	रत्नरूप प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	2,35,52,296	2,22,03,650	13,48,646	नोटिस जारी, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
61	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-13, इंदौर	23##### ###K1ZL	सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2019-20	1,83,91,15,145	1,58,78,78,910	25,12,36,235	नोटिस जारी, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
62	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-13, इंदौर	23##### ###K1ZL	सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2020-21	1,92,21,83,226	1,79,21,81,760	13,00,01,466	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
63	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-3, इंदौर	23##### ###Q1ZG	स्पॉटन लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	33,33,444	22,04,968	11,28,476	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
64	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-4, भोपाल	23##### ###G1ZR	रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड	2018-19	9,77,47,79,013	7,10,75,95,300	2,66,71,83,713	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
65	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-4, भोपाल	23##### ###G1ZR	रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड	2019-20	6,86,16,81,222	5,77,41,19,900	1,08,75,61,322	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
66	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-4, भोपाल	23##### ###G1ZR	रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड	2020-21	4,30,49,27,114	3,72,73,79,200	57,75,47,914	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र. सं.	वृत्त का नाम	जीएसटी आईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-3बी/ 9 के अनुसार दावा किया गया आईटीसी	जीएसटीआर-2ए के अनुसार दावा किया गया आईटीसी	आईटीसी लाभ प्राप्त करने में मिसमैच	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
67	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-4, भोपाल	23##### ###B1ZC	जियो डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	3,98,43,20,471	2,42,09,99,940	1,56,33,20,531	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
68	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-होशंगाबाद	23##### ###J3ZE	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2019-20	28,90,43,314	21,64,95,728	7,25,47,586	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
69	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-होशंगाबाद	23##### ###J3ZE	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2020-21	2,51,45,84,750	24,57,79,632	2,26,88,05,118	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
70	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-होशंगाबाद	23##### ###K1ZS	पुण्यशीला ऑटोमोबाइल्स	2018-19	95,28,42,095	10,13,82,744	85,14,59,351	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
71	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-मंडीदीप	23##### ###K1ZH	एचईजी लिमिटेड	2018-19	1,85,16,01,365	1,79,17,11,620	5,98,89,745	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
72	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-मंडीदीप	23##### ###K1ZH	एचईजी लिमिटेड	2020-21	1,07,60,94,005	94,36,18,750	13,24,75,255	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
73	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-2, छिंदवाड़ा	23##### ###A2ZK	रेमंड लिमिटेड	2019-20	67,51,58,457	60,43,40,800	7,08,17,657	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
74	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-2, छिंदवाड़ा	23##### ###A2ZK	रेमंड लिमिटेड	2020-21	45,08,04,966	29,46,83,648	15,61,21,318	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
75	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-2, छिंदवाड़ा	23##### ###H1ZQ	अरोमा प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	1,01,59,521	8,89,259	92,70,262	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
76	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-2, छिंदवाड़ा	23##### ###H1ZQ	अरोमा प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	1,34,88,323	10,20,026	1,24,68,297	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
77	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-2, छिंदवाड़ा	23##### ###H1ZQ	अरोमा प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	1,61,77,890	15,85,212	1,45,92,678	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
78	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23##### ###P1ZN	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड.	2018-19	4,09,83,16,197	3,55,80,75,650	54,02,40,547	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
79	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23##### ###P1ZN	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड.	2019-20	3,57,78,53,196	3,38,08,14,850	19,70,38,346	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
80	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23##### ###P1ZN	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड.	2020-21	3,69,32,35,150	3,13,72,79,740	55,59,55,410	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र. सं.	वृत्त का नाम	जीएसटी आईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-3बी/ 9 के अनुसार दावा किया गया आईटीसी	जीएसटीआर-2ए के अनुसार दावा किया गया आईटीसी	आईटीसी लाभ प्राप्त करने में मिसमैच	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
81	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23##### ###C1ZL	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2020-21	2,26,86,799	2,21,05,640	5,81,159	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
82	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23##### ###A1Z1	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड	2019-20	23,40,28,498	17,36,24,704	6,04,03,794	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
83	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23##### ###A1Z1	टाटा टेलीसर्विसेज लिमिटेड	2020-21	10,86,34,161	9,59,80,640	1,26,53,521	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
84	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त -7, इंदौर	23##### ###J1ZQ	अमेज़न सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	3,50,33,204	2,42,14,046	1,08,19,158	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
85	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त -7, इंदौर	23##### ###J1ZQ	अमेज़न सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	2,76,97,234	1,93,14,468	83,82,766	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
86	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-4, इंदौर	23##### ###K1ZL	श्रीजीकृपा प्रोजेक्ट लिमिटेड	2018-19	3,88,33,393	3,60,03,812	28,29,581	नोटिस जारी, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
87	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-4, इंदौर	23##### ###K1ZL	श्रीजीकृपा प्रोजेक्ट लिमिटेड	2019-20	7,86,59,994	7,85,45,800	1,14,194	नोटिस जारी, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
88	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त- खरगांव	23##### ###B1Z9	केसुर नारनभाई पिठिया	2018-19	13,96,735	13,49,607	47,128	नोटिस जारी, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
89	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त- खरगांव	23##### ###B1Z9	केसुर नारनभाई पिठिया	2019-20	1,37,59,946	1,25,00,670	12,59,276	नोटिस जारी, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
90	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त- सीहोर	23##### ###F1ZC	वृमल गुलवानी	2018-19	35,23,456	35,10,645	12,811	नोटिस जारी, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
91	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त- सीहोर	23##### ###F1ZC	वृमल गुलवानी	2020-21	62,58,672	62,52,235	6,437	नोटिस जारी, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
92	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त- धार	23##### ###E1ZL	सीमेंस गेम्सा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	4,25,85,001	4,24,97,328	87,673	नोटिस जारी, कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
कुल					83,44,36,81,439	1,12,70,68,83,472	19,35,20,71,119		

परिशिष्ट 3.12

(कंडिका 3.6.3.3 में संदर्भित)

आईएसडी के संबंध में प्राप्त आईटीसी में मिसमैच

क्र. सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	वर्ष	आईएसडी क्रेडिट टेबल आर 9 का 6जी	आईएसडी रिवर्सल	नेट आईएसडी क्रेडिट (6-7)	जीएसटीआर-2ए के अनुसार आईएसडी क्रेडिट	आईएसडी क्रेडिट में मिसमैच	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, इंदौर	23#####R2ZW	सिम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड.	2020-21	14,15,758	6,22,089	7,93,669	0	7,93,669	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
2	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23#####D1ZU	ओरावेल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	1,06,94,686	0	1,06,94,686	0	1,06,94,686	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
3	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23#####D1ZU	ओरावेल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	1,54,27,448	6,67,271	1,47,60,177	0	1,47,60,177	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
4	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23#####D1ZU	ओरावेल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	16,02,374	7,06,490	8,95,884	0	8,95,884	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
5	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23#####L1ZU	अशोक लेलैंड लिमिटेड	2018-19	28,00,761	0	28,00,761	0	28,00,761	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
6	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23#####L1ZU	अशोक लेलैंड लिमिटेड	2019-20	36,77,075	15,12,939	21,64,136	0	21,64,136	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
7	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-10, इंदौर	23#####G1ZR	हैपेग-लॉयड एन्विटएनगेसेलशाफ्ट	2018-19	24,79,461	3,881	24,75,580	0	24,75,580	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
8	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-10, इंदौर	23#####G1ZR	हैपेग-लॉयड एन्विटएनगेसेलशाफ्ट	2019-20	42,87,460	20,281	42,67,179	0	42,67,179	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र. सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	वर्ष	आईएसडी क्रेडिट टेबल आर 9 का 6जी	आईएसडी रिवर्सल	नेट आईएसडी क्रेडिट (6-7)	जीएसटीआर-2ए के अनुसार आईएसडी क्रेडिट	आईएसडी क्रेडिट में मिसमैच	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
9	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-10, इंदौर	23#####G1ZR	हैपैग-लॉयड एक्टिवेनगेसेलशाफ्ट	2020-21	71,63,386	0	71,63,386	0	71,63,386	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
10	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-5, भोपाल	23#####L1ZO	ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड	2018-19	1,25,35,467	6,93,588	1,18,41,879	0	1,18,41,879	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
11	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-5, भोपाल	23#####L1ZO	ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड	2019-20	1,36,66,713	23,49,505	1,13,17,208	0	1,13,17,208	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
12	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-5, भोपाल	23#####L1ZO	ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड	2020-21	1,19,76,311	8,90,620	1,10,85,691	0	1,10,85,691	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
13	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-पीथमपुर	23#####K3ZL	ल्यूपिन लिमिटेड	2018-19	10,60,81,384	77,28,586	9,83,52,798	0	9,83,52,798	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
14	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-पीथमपुर	23#####K3ZL	ल्यूपिन लिमिटेड	2019-20	9,16,53,112	2,34,25,202	6,82,27,910	0	6,82,27,910	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
15	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-पीथमपुर	23#####K3ZL	ल्यूपिन लिमिटेड	2020-21	15,06,31,152	6,50,205	14,99,80,947	0	14,99,80,947	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
16	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-13, इंदौर	23#####K1ZL	सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड.	2018-19	20,30,64,858	2,45,75,827	17,84,89,031	0	17,84,89,031	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
17	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-13, इंदौर	23#####K1ZL	सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड.	2019-20	33,18,63,858	1,44,37,901	31,74,25,957	0	31,74,25,957	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
18	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-13, इंदौर	23#####K1ZL	सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड.	2020-21	21,22,13,830	4,51,21,444	16,70,92,386	0	16,70,92,386	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र. सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	वर्ष	आईएसडी क्रेडिट टेबल आर 9 का 6जी	आईएसडी रिवर्सल	नेट आईएसडी क्रेडिट (6-7)	जीएसटीआर-2ए के अनुसार आईएसडी क्रेडिट	आईएसडी क्रेडिट में मिसमैच	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
19	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-3, इंदौर	23#####J1ZA	रैमको इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2018-19	17,68,435	78,131	16,90,304	0	16,90,304	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
20	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-3, इंदौर	23#####J1ZA	रैमको इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2019-20	13,92,447	3,86,204	10,06,243	0	10,06,243	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
21	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-3, इंदौर	23#####J1ZA	रैमको इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2020-21	5,61,274	11,088	5,50,186	0	5,50,186	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
22	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-3, इंदौर	23#####Q1ZG	स्पॉटन लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	62,31,821	0	62,31,821	0	62,31,821	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
23	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-3, इंदौर	23#####Q1ZG	स्पॉटन लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	67,15,319	0	67,15,319	0	67,15,319	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
24	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-3, इंदौर	23#####Q1ZG	स्पॉटन लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	83,58,987	4,077	83,54,910	0	83,54,910	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
25	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-4, भोपाल	23#####G1ZR	रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड.	2019-20	1,82,41,22,966	89,30,47,132	93,10,75,834	0	93,10,75,834	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
26	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-4, भोपाल	23#####G1ZR	रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड.	2020-21	2,02,37,94,095	27,12,32,767	1,75,25,61,328	0	1,75,25,61,328	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
27	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-4, भोपाल	23#####B1ZC	जियो डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	93,08,581	6,49,404	86,59,177	0	86,59,177	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
28	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-होशंगाबाद	23#####J3ZE	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड.	2018-19	38,61,547	0	38,61,547	0	38,61,547	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
29	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-होशंगाबाद	23#####J3ZE	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड.	2020-21	85,00,185	52,50,487	32,49,698	0	32,49,698	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र. सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	वर्ष	आईएसडी क्रेडिट टेबल आर 9 का 6जी	आईएसडी रिवर्सल	नेट आईएसडी क्रेडिट (6-7)	जीएसटीआर- 2ए के अनुसार आईएसडी क्रेडिट	आईएसडी क्रेडिट में मिसमैच	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
30	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त 7 इंदौर	23#####J1ZQ	अमेज़न सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	77,78,844	7,46,360	70,32,484	0	70,32,484	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
31	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त 7 इंदौर	23#####J1ZQ	अमेज़न सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	2,11,81,036	1,07,406	2,10,73,630	0	2,10,73,630	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
32	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त 7 इंदौर	23#####B1ZA	इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड	2018-19	8,16,10,222	0	8,16,10,222	0	8,16,10,222	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
33	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त 7 इंदौर	23#####B1ZA	इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड	2019-20	13,31,11,797	0	13,31,11,797	0	13,31,11,797	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
34	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त 7 इंदौर	23#####B1ZA	इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड	2020-21	14,31,08,749	14,23,991	14,16,84,758	0	14,16,84,758	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
35	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23#####C1ZR	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2018-19	10,43,88,088	38,67,757	10,05,20,331	0	10,05,20,331	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
36	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23#####C1ZR	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2019-20	8,15,56,234	27,86,862	7,87,69,372	0	7,87,69,372	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
37	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23#####C1ZR	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2020-21	12,21,79,242	5,32,022	12,16,47,220	0	12,16,47,220	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
38	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23#####G1ZX	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड.	2020-21	3,16,49,994	0	3,16,49,994	0	3,16,49,994	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
39	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23#####P1ZN	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड.	2018-19	6,42,95,659	0	6,42,95,659	0	6,42,95,659	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
कुल					5,86,87,10,616	1,30,35,29,517	4,56,51,81,099	0	4,56,51,81,099		

परिशिष्ट 3.13 (i)
(कंडिका 3.6.3.3 में संदर्भित)
आरसीएम पर मिले आईटीसी में अंतर

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	वर्ष	आरसीएम के तहत दावा किया गया आईटीसी (जीएसटीआर 9 की तालिका-6सी+ 6डी+6एफ)	आरसीएम के तहत चुकाया गया कर (जीएसटीआर-3बी की तालिका-6.1बी)	आईटीसी का लाभ उठाने में मिसमैच	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23#####A1ZG	शिल्पा एजेंसीज	2019-20	26,21,240	18,41,064	7,80,176	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
2	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-12, इंदौर	23#####A1ZR	ज़ील ट्रेडलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	84,263	60,560	23,703	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
3	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-12, इंदौर	23#####A1ZR	ज़ील ट्रेडलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	1,29,947	1,21,219	8,728	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
4	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-2, इंदौर	23#####E1Z7	महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड	2018-19	88,01,458	73,59,233	14,42,225	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
5	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-14, इंदौर	23#####B1ZW	फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड	2018-19	17,64,008	16,40,170	1,23,838	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
6	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-14, इंदौर	23#####B1ZW	फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड	2019-20	26,95,127	26,94,761	366	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
7	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-14, इंदौर	23#####B1ZW	फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड	2020-21	7,08,462	6,87,876	20,586	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
8	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, कटनी	23#####E1ZV	पटेल एसईडबल्यू संयुक्त उद्यम	2019-20	15,61,298	10,92,712	4,68,586	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
9	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-वैढन	23#####A1ZR	मिनसोल लिमिटेड	2019-20	7,47,508	6,27,608	1,19,900	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
10	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-4, भोपाल	23#####G1ZR	रिलायंस जिथो इन्फोकॉम लिमिटेड	2018-19	69,68,21,765	66,71,90,240	2,96,31,525	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र. सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	वर्ष	आरसीएम के तहत दावा किया गया आईटीसी (जीएसटीआर 9 की तालिका-6सी+ 6डी+6एफ)	आरसीएम के तहत चुकाया गया कर (जीएसटीआर-3बी की तालिका-6.1बी)	आईटीसी का लाभ उठाने में मिसमैच	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
11	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-4, भोपाल	23#####B1ZC	जियो डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	1,08,52,625	75,88,097	32,64,528	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
12	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-6, भोपाल	23#####H1Z0	बंसल कंस्ट्रक्शन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	60,49,804	36,57,720	23,92,084	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
कुल					73,28,37,505	69,45,61,260	3,82,76,245		

परिशिष्ट 3.13 (ii)

(कंडिका 3.6.3.3 में संदर्भित)

आरसीएम पर मिले आईटीसी में मिसमैच (जहां जीएसटीआर-9 फाइल नहीं किया गया था)

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	वर्ष	आरसीएम के अंतर्गत दावा किया गया आईटीसी [जीएसटीआर 3बी की तालिका-4(ए)(2)+(3)]	आरसीएम के अंतर्गत भुगतान किया गया कर [जीएसटीआर-3बी की तालिका-6.1बी]	आईटीसी का अत्यधिक दावा	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23#####C1ZR	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2018-19	4,48,54,178	4,07,05,411	41,48,767	नोटिस जारी, कार्रवाई प्रकीयाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
2	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23#####C1ZR	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2019-20	3,99,55,840	3,83,53,072	16,02,768	नोटिस जारी, कार्रवाई प्रकीयाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
3	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23#####P1ZN	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	2020-21	10,51,95,099	9,79,05,881	72,89,218	नोटिस जारी, कार्रवाई प्रकीयाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
4	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त -7, इंदौर	23#####B1ZA	इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड	2018-19	58,22,722	97,090	57,25,632	नोटिस जारी, कार्रवाई प्रकीयाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
5	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-4, इंदौर	23#####K1ZL	श्रीजीकृपा प्रोजेक्ट लिमिटेड	2019-20	37,232	34,280	2,952	नोटिस जारी, कार्रवाई प्रकीयाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
6	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-2, छिंदवाड़ा	23#####A2ZK	रेमंड लिमिटेड	2019-20	71,53,912	69,96,628	1,57,284	नोटिस जारी, कार्रवाई प्रकीयाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
7	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-13, इंदौर	23#####K1ZL	सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2020-21	8,99,05,454	8,98,51,528	53,926	नोटिस जारी, कार्रवाई प्रकीयाधीन है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
कुल					29,29,24,437	27,39,43,890	1,89,80,547		

परिशिष्ट 3.14

(कंडिका 3.6.3.3 में संदर्भित)

जीएसटीआर-9 की टेबल 8डी के अनुसार उपलब्ध आईटीसी और लिए गए आईटीसी में मिसमैच

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-9 के अनुसार दावा किया गया आईटीसी (तालिका 8बी+8सी)	जीएसटीआर-9 की तालिका 8ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी (जीएसटीआर-2ए)	आईटीसी का अधिक दावा (जीएसटीआर-9 की तालिका 8डी)	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, इंदौर	23#####R2ZW	सिम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड.	2020-21	96,22,161	91,65,591	4,56,570	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
2	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-8, इंदौर	23#####N1Z3	श्रेयांस गैंग	2019-20	16,06,103	11,23,147	4,82,956	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
3	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-देवास	23#####E1ZK	डोडिया ऑटोमोबाइल्स	2018-19	3,12,81,681	3,07,45,511	5,36,170	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
4	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-देवास	23#####E1ZK	डोडिया ऑटोमोबाइल्स	2019-20	3,05,43,666	3,03,09,078	2,34,588	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
5	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, ग्वालियर	23#####M1ZF	करण डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	38,86,15,277	35,98,57,862	2,87,57,415	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
6	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-2, ग्वालियर	23#####C1ZD	समर्थ कार्स प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	99,44,00,041	18,77,17,086	80,66,82,955	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
7	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-2, ग्वालियर	23#####C1ZD	समर्थ कार्स प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	16,18,78,405	15,98,83,077	19,95,328	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र.सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-9 के अनुसार दावा किया गया आईटीसी (तालिका 8बी+8सी)	जीएसटीआर-9 की तालिका 8ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी (जीएसटीआर-2ए)	आईटीसी का अधिक दावा (जीएसटीआर-9 की तालिका 8डी)	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
8	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-9, इंदौर	23#####B1ZC	कैरियर एयरकंडिशनिंग एवं रेफ्रिजरेशन लिमिटेड	2018-19	4,12,51,440	3,83,99,923	28,51,517	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
9	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-9, इंदौर	23#####B1ZC	कैरियर एयरकंडिशनिंग एवं रेफ्रिजरेशन लिमिटेड	2019-20	5,15,68,230	3,94,53,417	1,21,14,813	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
10	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-9, इंदौर	23#####B1ZC	कैरियर एयरकंडिशनिंग एवं रेफ्रिजरेशन लिमिटेड	2020-21	3,05,43,674	2,94,34,634	11,09,040	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
11	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23#####A1ZG	शिल्पा एजेंसीज	2018-19	73,84,554	42,84,945	30,99,609	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
12	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23#####A1ZG	शिल्पा एजेंसीज	2019-20	57,30,103	40,77,690	16,52,413	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
13	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23#####A1ZG	शिल्पा एजेंसीज	2020-21	33,04,645	31,58,189	1,46,456	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
14	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23#####D1ZU	ओरावेल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	4,62,56,882	4,62,26,066	30,816	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
15	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23#####D1ZU	ओरावेल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	66,65,888	45,384	66,20,504	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र.सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-9 के अनुसार दावा किया गया आईटीसी (तालिका 8बी+8सी)	जीएसटीआर-9 की तालिका 8ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी (जीएसटीआर-2ए)	आईटीसी का अधिक दावा (जीएसटीआर-9 की तालिका 8डी)	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
16	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23#####L1ZU	अशोक लेलैंड लिमिटेड	2018-19	30,66,99,925	29,84,55,737	82,44,188	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
17	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23#####L1ZU	अशोक लेलैंड लिमिटेड	2019-20	31,47,46,469	29,78,62,054	1,68,84,415	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
18	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23#####L1ZU	अशोक लेलैंड लिमिटेड	2020-21	11,26,36,023	9,02,90,082	2,23,45,941	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
19	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23#####K1ZZ	एल्ड ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	1,85,71,199	1,67,25,948	18,45,251	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
20	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23#####K1ZZ	एल्ड ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	1,36,39,556	1,31,78,469	4,61,087	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
21	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23#####K1ZZ	एल्ड ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	1,28,72,478	1,23,18,879	5,53,599	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
22	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-12, इंदौर	23#####C1ZX	टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड.	2018-19	11,72,04,776	8,49,80,136	3,22,24,640	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
23	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-12, इंदौर	23#####A1ZR	जील ट्रेडलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	48,09,07,704	44,20,65,838	3,88,41,866	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र.सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-9 के अनुसार दावा किया गया आईटीसी (तालिका 8बी+8सी)	जीएसटीआर-9 की तालिका 8ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी (जीएसटीआर-2ए)	आईटीसी का अधिक दावा (जीएसटीआर-9 की तालिका 8डी)	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
24	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-12, इंदौर	23#####R1ZR	सेंचुरी 21 टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	8,17,34,423	6,29,09,789	1,88,24,634	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
25	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-12, इंदौर	23#####R1ZR	सेंचुरी 21 टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	4,73,62,012	3,67,06,112	1,06,55,900	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
26	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-10, इंदौर	23#####G1ZR	हैपैग लॉयड एक्टिवनेसेलशाफ्ट	2018-19	26,69,008	24,67,330	2,01,678	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
27	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-10, इंदौर	23#####G1ZR	हैपैग लॉयड एक्टिवनेसेलशाफ्ट	2019-20	22,64,463	21,71,067	93,396	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
28	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-10, इंदौर	23#####G1ZR	हैपैग लॉयड एक्टिवनेसेलशाफ्ट	2020-21	21,33,069	20,71,336	61,733	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
29	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-10, इंदौर	23#####R1ZF	मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन	2020-21	1,82,40,221	1,78,72,085	3,68,136	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
30	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-5, भोपाल	23#####L1ZO	ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड	2018-19	3,41,87,504	3,23,46,476	18,41,027	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
31	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-5, भोपाल	23#####L1ZO	ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड	2019-20	3,60,02,210	3,48,34,292	11,67,918	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र.सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-9 के अनुसार दावा किया गया आईटीसी (तालिका 8बी+8सी)	जीएसटीआर-9 की तालिका 8ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी (जीएसटीआर-2ए)	आईटीसी का अधिक दावा (जीएसटीआर-9 की तालिका 8डी)	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
32	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-5, भोपाल	23#####D1ZK	एससीएम एग्रोटेक एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	94,45,752	89,21,448	5,24,304	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
33	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-5, भोपाल	23#####D1ZK	एससीएम एग्रोटेक एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	1,54,62,473	1,36,59,492	18,02,981	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
34	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-5, भोपाल	23#####D1ZK	एससीएम एग्रोटेक एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	3,90,05,295	3,53,36,267	36,69,028	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
35	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-5, भोपाल	23#####L1ZI	आईटीसी लिमिटेड	2020-21	4,35,19,04,271	4,34,42,72,576	76,31,695	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
36	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-पीथमपुर	23#####K3ZL	ल्यूपिन लिमिटेड सेज यूनिट	2020-21	4,10,840	-8,93,19,790	8,97,30,630	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
37	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-2, इंदौर	23#####E1Z7	महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड	2018-19	4,88,10,62,583	4,77,46,32,714	10,64,29,869	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
38	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-2, इंदौर	23#####E1Z7	महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड	2019-20	4,59,30,35,897	4,58,33,40,949	96,94,948	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
39	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-14, इंदौर	23#####B1ZW	फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड	2018-19	5,12,79,401	5,12,33,845	45,556	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र.सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-9 के अनुसार दावा किया गया आईटीसी (तालिका 8बी+8सी)	जीएसटीआर-9 की तालिका 8ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी (जीएसटीआर-2ए)	आईटीसी का अधिक दावा (जीएसटीआर-9 की तालिका 8डी)	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
40	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-14, इंदौर	23#####B1ZW	फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड	2019-20	6,44,47,463	6,20,49,708	23,97,755	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
41	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-14, इंदौर	23#####B1ZW	फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड	2020-21	1,76,71,817	1,76,23,209	48,608	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
42	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-14, इंदौर	23#####K1ZX	भारतीय स्टेट बैंक	2019-20	1,45,72,07,379	1,27,28,30,876	18,43,76,504	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
43	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-14, इंदौर	23#####K1ZX	भारतीय स्टेट बैंक	2020-21	1,57,36,22,831	1,41,54,06,668	15,82,16,163	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
44	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-14, इंदौर	23#####N1ZP	बी रोशनलाल केमिकल्स	2019-20	3,84,96,031	3,84,11,709	84,322	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
45	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, कटनी	23#####E1ZV	पटेल सिलाई संयुक्त उद्यम	2018-19	9,42,85,416	8,57,12,691	85,72,724	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
46	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, कटनी	23#####E1ZV	पटेल एसईडबल्यू संयुक्त उद्यम	2019-20	5,44,76,889	4,67,27,226	77,49,663	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
47	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-वैढन	23#####A1ZR	मिनसोल लिमिटेड	2019-20	8,47,68,967	8,18,65,518	29,03,449	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
48	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-वैढन	23#####A1ZR	मिनसोल लिमिटेड	2020-21	9,21,43,775	8,63,73,750	57,70,025	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र.सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-9 के अनुसार दावा किया गया आईटीसी (तालिका 8बी+8सी)	जीएसटीआर-9 की तालिका 8ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी (जीएसटीआर-2ए)	आईटीसी का अधिक दावा (जीएसटीआर-9 की तालिका 8डी)	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
49	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-वैढन	23#####K1Z1	सीधी सिंगरौली रोड प्रोजेक्ट लिमिटेड	2018-19	5,02,19,236	4,98,35,780	3,83,456	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
50	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-वैढन	23#####K1Z1	सीधी सिंगरौली रोड प्रोजेक्ट लिमिटेड	2019-20	3,55,202	2,89,980	65,222	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
51	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-वैढन	23#####K1Z1	सीधी सिंगरौली रोड प्रोजेक्ट लिमिटेड	2020-21	1,14,660	3,113	1,11,547	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
52	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-वैढन	23#####D1Z6	बीईएमएल लिमिटेड	2019-20	13,47,33,584	11,55,84,842	1,91,48,742	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
53	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-6, भोपाल	23#####H1Z0	बंसल कंस्ट्रक्शन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	59,08,81,567	57,82,91,361	1,25,90,206	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
54	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-6, भोपाल	23#####C1ZK	असीम जिंदल	2019-20	1,72,25,899	1,51,28,596	20,97,303	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
55	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-6, भोपाल	23#####C1ZK	असीम जिंदल	2020-21	1,55,01,690	57,27,234	97,74,456	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
56	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-6, भोपाल	23#####B1ZS	यूएस टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	6,89,88,583	5,37,06,410	1,52,82,173	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
57	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-6, भोपाल	23#####B1ZS	यूएस टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	1,73,14,041	1,21,07,154	52,06,887	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
58	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-6, भोपाल	23#####B1ZS	यूएस टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	1,47,30,072	92,33,947	54,96,125	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र.सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-9 के अनुसार दावा किया गया आईटीसी (तालिका 8बी+8सी)	जीएसटीआर-9 की तालिका 8ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी (जीएसटीआर-2ए)	आईटीसी का अधिक दावा (जीएसटीआर-9 की तालिका 8डी)	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
59	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-6, भोपाल	23#####P6ZM	लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड	2018-19	10,96,02,86,676	8,78,09,24,392	2,17,93,62,284	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
60	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-6, भोपाल	23#####P6ZM	लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड	2020-21	7,70,93,14,406	5,04,88,99,726	2,66,04,14,680	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
61	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-6, भोपाल	23#####G1Z8	हाइवे इंजीनियरिंग कंसल्टेंट	2018-19	3,23,91,898	3,21,35,087	2,56,811	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
62	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-6, भोपाल	23#####G1Z8	हाइवे इंजीनियरिंग कंसल्टेंट	2019-20	3,10,92,888	2,49,91,946	61,00,942	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
63	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-6, भोपाल	23#####G1Z8	हाइवे इंजीनियरिंग कंसल्टेंट	2020-21	3,16,12,359	3,15,93,442	18,917	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
64	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-13, इंदौर	23#####C1ZQ	पारीक पेस्टिसाइड्स	2018-19	2,83,49,750	2,82,89,918	59,832	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
65	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-13, इंदौर	23#####C1ZQ	पारीक पेस्टिसाइड्स	2020-21	65,34,909	27,42,200	37,92,709	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
66	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-13, इंदौर	23#####J1Z4	रत्नरूप प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	1,89,70,709	1,82,37,294	7,33,415	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र.सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-9 के अनुसार दावा किया गया आईटीसी (तालिका 8बी+8सी)	जीएसटीआर-9 की तालिका 8ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी (जीएसटीआर-2ए)	आईटीसी का अधिक दावा (जीएसटीआर-9 की तालिका 8डी)	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
67	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-13, इंदौर	23#####J1Z4	रत्नरूप प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	2,17,26,127	2,16,56,182	69,945	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
68	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-13, इंदौर	23#####K1ZL	सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2018-19	1,86,24,24,309	1,70,12,83,682	16,11,40,627	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
69	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-13, इंदौर	23#####K1ZL	सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2019-20	1,83,91,15,145	1,58,72,77,901	25,18,37,244	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
70	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-13, इंदौर	23#####K1ZL	सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2020-21	1,92,10,40,027	1,78,95,46,782	13,14,93,245	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
71	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-3, इंदौर	23#####J1ZA	रैमको इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2018-19	3,62,52,546	3,61,44,185	1,08,361	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
72	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-3, इंदौर	23#####J1ZA	रैमको इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2020-21	3,29,14,060	3,28,34,112	79,948	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
73	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-3, इंदौर	23#####Q1ZG	स्पॉटन लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	21,62,691	19,38,022	2,24,669	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
74	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-4, भोपाल	23#####G1ZR	रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड	2018-19	7,15,81,55,656	7,14,96,56,740	84,98,916	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र.सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-9 के अनुसार दावा किया गया आईटीसी (तालिका 8बी+8सी)	जीएसटीआर-9 की तालिका 8ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी (जीएसटीआर-2ए)	आईटीसी का अधिक दावा (जीएसटीआर-9 की तालिका 8डी)	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
75	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-4, भोपाल	23#####B1ZC	मेसर्स जियो डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	2,40,14,03,656	2,40,11,80,050	2,23,606	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
76	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-होशंगाबाद	23#####J3ZE	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड.	2020-21	24,36,27,660	24,28,55,243	7,72,418	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
77	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-मंडीदीप	23#####B1ZE	मैक्स इंफ्रा(आई) प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	7,91,14,296	4,07,05,212	3,84,09,084	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
78	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-मंडीदीप	23#####K1ZH	एचईजी लिमिटेड	2018-19	1,85,06,63,383	1,69,86,08,058	15,20,55,325	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
79	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-मंडीदीप	23#####K1ZH	एचईजी लिमिटेड	2020-21	1,07,60,94,005	94,17,82,652	13,43,11,353	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
80	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-2, छिंदवाड़ा	23#####A2ZK	रेमंड लिमिटेड	2019-20	67,54,71,164	60,17,24,967	7,37,46,197	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
81	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-2, छिंदवाड़ा	23#####A2ZK	रेमंड लिमिटेड	2020-21	43,25,90,112	29,29,86,785	13,96,03,327	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
82	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-सीहोर	23#####F1ZC	वृमल गुलवानी	2018-19	35,23,456	35,10,645	12,811	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र.सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-9 के अनुसार दावा किया गया आईटीसी (तालिका 8बी+8सी)	जीएसटीआर-9 की तालिका 8ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी (जीएसटीआर-2ए)	आईटीसी का अधिक दावा (जीएसटीआर-9 की तालिका 8डी)	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
83	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त- खरगांव	23#####B1Z9	केसुर नारनभाई पिठिया	2018-19	13,96,735	13,34,067	62,668	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
84	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त- खरगांव	23#####B1Z9	केसुर नारनभाई पिठिया	2019-20	1,37,59,946	1,27,72,275	9,87,671	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
85	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त- खरगांव	23#####B1Z9	केसुर नारनभाई पिठिया	2020-21	1,82,76,482	1,80,35,042	2,41,440	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
86	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त- धार	23#####E1ZL	सीमेंस गेम्सा रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	4,25,84,999	4,02,47,123	23,37,876	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
87	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त- धार	23#####L1Z2	जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स लिमिटेड	2019-20	1,09,90,03,998	1,09,81,01,072	9,02,925	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
88	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त- धार	23#####L1Z2	जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स लिमिटेड	2020-21	2,48,73,50,962	2,45,45,54,267	3,27,96,694	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
89	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त -7, इंदौर	23#####J1ZQ	अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	2,72,54,359	2,22,00,895	50,53,464	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
90	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त -7, इंदौर	23#####J1ZQ	अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	2,76,61,664	1,92,40,249	84,21,415	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
91	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त -7, इंदौर	23#####J1ZQ	अमेजन सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	2,28,82,478	2,22,48,776	6,33,702	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र.सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-9 के अनुसार दावा किया गया आईटीसी (तालिका 8बी+8सी)	जीएसटीआर-9 की तालिका 8ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी (जीएसटीआर-2ए)	आईटीसी का अधिक दावा (जीएसटीआर-9 की तालिका 8डी)	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
92	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-4, इंदौर	23#####K1ZL	श्रीजीकृपा प्रोजेक्ट लिमिटेड	2018-19	3,88,33,394	3,49,28,909	39,04,485	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
93	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-4, इंदौर	23#####K1ZL	श्रीजीकृपा प्रोजेक्ट लिमिटेड	2019-20	7,86,59,996	7,82,02,514	4,57,483	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
94	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23#####C1ZL	रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2018-19	1,76,76,887	1,73,51,402	3,25,485	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
95	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23#####C1ZL	रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2019-20	2,03,05,686	1,90,29,484	12,76,202	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
96	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23#####C1ZL	रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2020-21	2,17,63,331	2,15,96,294	1,67,038	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
97	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23#####N1ZE	भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2018-19	38,14,55,375	32,10,80,246	6,03,75,129	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
98	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23#####A1Z1	टाटा टेली सर्विस लिमिटेड	2018-19	71,87,93,079	66,30,08,699	5,57,84,380	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
99	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23#####A1Z1	टाटा टेली सर्विस लिमिटेड	2019-20	23,40,28,506	17,85,08,130	5,55,20,376	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र.सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-9 के अनुसार दावा किया गया आईटीसी (तालिका 8बी+8सी)	जीएसटीआर-9 की तालिका 8ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी (जीएसटीआर-2ए)	आईटीसी का अधिक दावा (जीएसटीआर-9 की तालिका 8डी)	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
100	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23#####A1Z1	टाटा टेली सर्विस लिमिटेड	2020-21	10,86,34,162	9,60,43,363	1,25,90,799	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
101	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23#####P1ZN	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	2018-19	4,09,62,82,447	3,48,59,31,760	61,03,50,687	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
102	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23#####F1ZS	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	3,08,01,950	3,03,23,463	4,78,487	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
कुल					69,68,35,53,727	61,20,63,67,756	8,47,71,85,971		

परिशिष्ट 3.15
(कंडिका 3.6.3.3 में संदर्भित)
वार्षिक रिटर्न में आईटीसी का मिसमैच

क्र. सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-9 की तालिका 6ए के अनुसार जीएसटीआर-3बी में दावाकृत आईटीसी	जीएसटीआर-9 की तालिका 6बी से 6एच के अनुसार घोषित आईटीसी वर्गीकरण	जीएसटीआर-9 की तालिका 6जे के अनुसार आईटीसी दावे में मिसमैच	शासन का उत्तर	(राशि ₹ में) लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, इंदौर	23#####N1ZQ	अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड	2018-19	94,31,602	93,23,887	1,07,715	नोटिस जारी किया गया है, कार्रवाई प्रचलित है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
2	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, इंदौर	23#####N1ZQ	अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड	2019-20	1,09,99,305	1,08,62,568	1,36,737	नोटिस जारी किया गया है, कार्रवाई प्रचलित है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
3	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, इंदौर	23#####N1ZQ	अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड	2020-21	1,45,64,145	1,43,92,817	1,71,328	नोटिस जारी किया गया है, कार्रवाई प्रचलित है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
4	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, इंदौर	23#####R2ZW	सिम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड.	2018-19	19,12,62,668	17,53,20,236	1,59,42,432	नोटिस जारी किया गया है, कार्रवाई प्रचलित है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
5	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, इंदौर	23#####R2ZW	सिम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड.	2019-20	9,79,76,734	6,46,55,578	3,33,21,156	नोटिस जारी किया गया है, कार्रवाई प्रचलित है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
6	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, इंदौर	23#####R2ZW	सिम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड.	2020-21	1,58,02,770	51,44,510	1,06,58,260	नोटिस जारी किया गया है, कार्रवाई प्रचलित है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
7	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-8, इंदौर	23#####N1Z3	श्रेयांस गैंग	2018-19	96,17,675	92,46,497	3,71,178	नोटिस जारी किया गया है, कार्रवाई प्रचलित है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र. सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-9 की तालिका 6ए के अनुसार जीएसटीआर-3बी में दावाकृत आईटीसी	जीएसटीआर-9 की तालिका 6बी से 6एच के अनुसार घोषित आईटीसी वर्गीकरण	जीएसटीआर-9 की तालिका 6जे के अनुसार आईटीसी दावे में मिसमैच	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
8	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-8, इंदौर	23#####N1Z3	श्रेयांस गैंग	2019-20	2,42,19,450	1,52,24,146	89,95,304	नोटिस जारी किया गया है, कार्रवाई प्रचलित है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
9	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-8, इंदौर	23#####N1Z3	श्रेयांस गैंग	2020-21	2,10,82,886	2,09,06,728	1,76,158	नोटिस जारी किया गया है, कार्रवाई प्रचलित है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
10	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, ग्वालियर	23#####M1ZF	करण डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	2020-221	38,59,48,466	38,59,27,503	20,963	नोटिस जारी किया गया है, कार्रवाई प्रचलित है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
11	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-2, ग्वालियर	23#####C1ZD	समर्थ कार्स प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	17,73,50,814	15,98,16,708	1,75,34,106	नोटिस जारी किया गया है, कार्रवाई प्रचलित है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
12	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-2, ग्वालियर	23#####C1ZD	समर्थ कार्स प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	25,43,83,833	25,20,71,215	23,12,618	नोटिस जारी किया गया है, कार्रवाई प्रचलित है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
13	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23#####A1ZG	शिल्पा एजेंसीज	2019-20	76,36,493	75,77,786	58,707	नोटिस जारी किया गया है, कार्रवाई प्रचलित है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
14	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23#####A1ZG	शिल्पा एजेंसीज	2020-21	44,60,037	36,86,481	7,73,556	नोटिस जारी किया गया है, कार्रवाई प्रचलित है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
15	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23#####D1ZU	ओरावेल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	4,14,42,619	4,13,70,500	72,119	नोटिस जारी किया गया है, कार्रवाई प्रचलित है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र. सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-9 की तालिका 6ए के अनुसार जीएसटीआर-3बी में दावाकृत आईटीसी	जीएसटीआर-9 की तालिका 6बी से 6एच के अनुसार घोषित आईटीसी वर्गीकरण	जीएसटीआर-9 की तालिका 6जे के अनुसार आईटीसी दावे में मिसमैच	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
16	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23#####D1ZU	ओरावेल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	5,55,45,166	5,55,23,157	22,009	नोटिस जारी किया गया है, कार्रवाई प्रचलित है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
17	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23#####L1ZU	अशोक लेलैंड लिमिटेड.	2018-19	30,93,05,718	30,53,34,376	39,71,342	नोटिस जारी किया गया है, कार्रवाई प्रचलित है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
18	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23#####L1ZU	अशोक लेलैंड लिमिटेड.	2019-20	29,80,64,164	29,65,51,225	15,12,939	नोटिस जारी किया गया है, कार्रवाई प्रचलित है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
19	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23#####L1ZU	अशोक लेलैंड लिमिटेड.	2020-21	8,39,18,019	6,69,08,877	1,70,09,142	नोटिस जारी किया गया है, कार्रवाई प्रचलित है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
20	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23#####K1ZZ	एल्ड ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	1,31,27,525	1,28,05,362	3,22,163	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
21	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23#####K1ZZ	एल्ड ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	1,14,74,172	1,06,39,978	8,34,194	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
22	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-12, इंदौर	23#####A1ZR	ज़ील ट्रेडलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	54,44,56,845	26,59,32,862	27,85,23,983	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
23	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-12, इंदौर	23#####A1ZR	ज़ील ट्रेडलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	78,55,71,306	29,62,40,459	48,93,30,847	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र. सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-9 की तालिका 6ए के अनुसार जीएसटीआर-3बी में दावाकृत आईटीसी	जीएसटीआर-9 की तालिका 6बी से 6एच के अनुसार घोषित आईटीसी वर्गीकरण	जीएसटीआर-9 की तालिका 6जे के अनुसार आईटीसी दावे में मिसमैच	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
24	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-12, इंदौर	23#####A1ZR	ज़ील ट्रेडलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	1,46,90,51,830	48,12,09,098	98,78,42,732	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
25	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-10, इंदौर	23#####R1ZF	मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन	2018-19	2,63,98,156	2,63,42,218	55,938	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
26	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-10, इंदौर	23#####R1ZF	मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन	2019-20	2,96,96,416	2,96,17,440	78,976	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
27	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-10, इंदौर	23#####R1ZF	मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन	2020-21	1,24,54,118	1,20,72,978	3,81,140	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
28	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-5, भोपाल	23#####L1Z0	ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड	2020-21	4,63,98,946	4,48,56,875	15,42,071	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
29	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-5, भोपाल	23#####D1ZK	एससीएम एग्रीटेक एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	99,12,813	93,59,157	5,53,656	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
30	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-5, भोपाल	23#####L1ZI	आईटीसी लिमिटेड	2018-19	3,90,07,51,771	3,88,87,51,739	1,20,00,032	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
31	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-14, इंदौर	23#####K1ZX	भारतीय स्टेट बैंक	2020-21	1,33,89,59,390	1,33,19,21,799	70,37,591	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र. सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-9 की तालिका 6ए के अनुसार जीएसटीआर-3बी में दावाकृत आईटीसी	जीएसटीआर-9 की तालिका 6बी से 6एच के अनुसार घोषित आईटीसी वर्गीकरण	जीएसटीआर-9 की तालिका 6जे के अनुसार आईटीसी दावे में मिसमैच	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
32	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-वैढन	23#####A1ZR	मिनसोल लिमिटेड	2018-19	16,52,65,037	15,93,95,149	58,69,888	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
33	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-वैढन	23#####K1Z1	सीधी सिंगरौली रोड प्रोजेक्ट लिमिटेड	2018-19	9,59,40,384	5,02,19,236	4,57,21,148	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
34	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-वैढन	23#####K1Z1	सीधी सिंगरौली रोड प्रोजेक्ट लिमिटेड	2020-21	1,61,986	1,20,060	41,926	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
35	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-वैढन	23#####D1Z6	बीईएमएल लिमिटेड	2018-19	16,77,83,230	13,07,19,491	3,70,63,739	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
36	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-वैढन	23#####D1Z6	बीईएमएल लिमिटेड	2020-21	16,79,92,413	0	16,79,92,413	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
37	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, जबलपुर	23#####A1ZZ	मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड	2019-20	33,30,14,550	26,49,67,919	6,80,46,631	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
38	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, जबलपुर	23#####A1ZZ	मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड	2020-21	11,21,973	4,07,582	7,14,391	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
39	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-6, भोपाल	23#####P6ZM	लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड	2018-19	9,52,32,37,401	8,70,99,82,747	81,32,54,654	एएसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र. सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-9 की तालिका 6ए के अनुसार जीएसटीआर-3बी में दावाकृत आईटीसी	जीएसटीआर-9 की तालिका 6बी से 6एच के अनुसार घोषित आईटीसी वर्गीकरण	जीएसटीआर-9 की तालिका 6जे के अनुसार आईटीसी दावे में मिसमैच	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
40	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-6, भोपाल	23#####G1Z8	हाइवे इंजीनियरिंग कंसल्टेंट	2019-20	3,29,47,387	3,10,92,888	18,54,499	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
41	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-13, इंदौर	23#####C1ZQ	पारीक पेस्टिसाइड्स	2018-19	4,36,04,623	2,83,50,112	1,52,54,511	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
42	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-13, इंदौर	23#####C1ZQ	पारीक पेस्टिसाइड्स	2019-20	1,78,11,356	1,69,64,415	8,46,941	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
43	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-13, इंदौर	23#####J1Z4	रत्नरूप प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	2,25,48,773	2,07,22,604	18,26,169	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
44	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-3, इंदौर	23#####Q1ZG	स्पॉटन लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	95,46,285	84,15,250	11,31,035	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
45	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-4, भोपाल	23#####G1ZR	रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड	2018-19	11,20,02,25,577	8,58,36,02,220	2,61,66,23,357	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
46	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-4, भोपाल	23#####G1ZR	रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड	2019-20	8,31,69,93,973	7,08,48,06,278	1,23,21,87,695	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
47	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-4, भोपाल	23#####G1ZR	रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड	2020-21	7,60,58,36,755	7,02,47,04,351	58,11,32,404	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र. सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-9 की तालिका 6ए के अनुसार जीएसटीआर-3बी में दावाकृत आईटीसी	जीएसटीआर-9 की तालिका 6बी से 6एच के अनुसार घोषित आईटीसी वर्गीकरण	जीएसटीआर-9 की तालिका 6जे के अनुसार आईटीसी दावे में मिसमैच	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
48	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-4, भोपाल	23#####B1ZC	जियो डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	2,98,45,10,901	1,41,87,33,484	1,56,57,77,417	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
49	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-होशंगाबाद	23#####J3ZE	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड.	2018-19	38,50,33,217	34,28,36,609	4,21,96,608	एसएमटी 10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
50	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-होशंगाबाद	23#####J3ZE	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड.	2019-20	70,75,49,057	62,85,56,012	7,89,93,045	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
51	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-होशंगाबाद	23#####J3ZE	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड.	2020-21	36,62,64,040	35,15,33,105	1,47,30,935	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
52	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-होशंगाबाद	23#####K1ZS	पुण्यशीला ऑटोमोबाइल्स	2018-19	95,28,42,095	10,03,99,702	85,24,42,393	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
53	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-7, इंदौर	23#####B1ZA	इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड	2020-21	18,96,05,160	18,65,49,405	30,55,755	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
54	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-सीहोर	23#####F1ZC	वृमल गुलवानी	2019-20	46,47,982	45,80,184	67,798	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
55	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-सीहोर	23#####F1ZC	वृमल गुलवानी	2020-21	62,67,352	62,53,300	14,052	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र. सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-9 की तालिका 6ए के अनुसार जीएसटीआर-3बी में दावाकृत आईटीसी	जीएसटीआर-9 की तालिका 6बी से 6एच के अनुसार घोषित आईटीसी वर्गीकरण	जीएसटीआर-9 की तालिका 6जे के अनुसार आईटीसी दावे में मिसमैच	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
56	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23#####C1ZR	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2019-20	19,27,15,941	18,81,26,443	45,89,498	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
57	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23#####C1ZR	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2020-21	23,64,66,559	22,07,73,038	1,56,93,521	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
58	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23#####C1ZL	रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2020-21	2,79,63,505	2,24,12,925	55,50,581	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
59	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23#####P1ZN	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	2019-20	3,24,83,48,240	2,90,96,35,961	33,87,12,279	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
60	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23#####P1ZN	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	2020-21	3,27,48,76,948	2,57,52,55,001	69,96,21,947	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
61	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23#####F1ZS	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2018-19	4,18,17,555	4,01,74,137	16,43,418	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
62	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23#####C1ZH	मध्य प्रदेश राज्य पाठ्य पुस्तक निगम	2020-21	13,88,59,190	0	13,88,59,190	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
कुल					60,66,30,65,298	49,41,98,84,367	11,24,31,80,930		

परिशिष्ट 3.16

(कंडिका 3.6.3.3 में संदर्भित)

वार्षिक रिटर्न और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के बीच आईटीसी में मिसमैच का लाभ उठाया गया

क्र. सं.	ईकाई का नाम	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-9सी की तालिका 12डी के अनुसार कुल पात्र आईटीसी	जीएसटीआर-9सी की तालिका 12ई के अनुसार दावाकृत आईटीसी	जीएसटीआर-9सी की तालिका 12एफ के अनुसार असमाधानित शुद्ध आईटीसी	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-2, इंदौर	23#####E1Z7	महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड	2019-20	4,65,38,97,667	4,65,44,83,201	5,85,534	नोटिस जारी, कार्रवाई प्रचलित है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
2	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-होशंगाबाद	23#####J3ZE	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2018-19	38,39,38,150	38,43,04,296	3,66,146	एसएमटी-10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
3	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-होशंगाबाद	23#####J3ZE	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2019-20	63,21,99,822	70,39,82,345	7,17,82,523	एसएमटी-10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
4	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-होशंगाबाद	23#####J3ZE	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2020-21	29,94,79,930	35,01,38,250	5,06,58,319	एसएमटी-10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
5	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-होशंगाबाद	23#####K1ZS	पुण्यशीला ऑटोमोबाइल्स	2019-20	8,56,56,353	8,57,56,109	99,756	एसएमटी-10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
6	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-मंडीदीप	23#####K1ZH	एचईजी लिमिटेड	2020-21	1,05,52,54,070	1,05,93,06,240	40,52,176	एसएमटी-10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
7	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-7, इंदौर	23#####J1ZQ	अमेज़न सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	2,56,63,788	3,48,69,346	92,05,557	एसएमटी-10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
8	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-7, इंदौर	23#####J1ZQ	अमेज़न सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	1,34,77,772	1,99,78,163	65,00,390	एसएमटी-10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
9	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-4, इंदौर	23#####K1ZL	श्रीजीकृपा प्रोजेक्ट लिमिटेड	2018-19	3,59,58,643	3,79,30,940	19,72,297	एसएमटी-10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
			कुल		7,18,55,26,195	7,33,07,48,890	14,52,22,698		

परिशिष्ट 3.17

(कंडिका 3.6.3.4 में संदर्भित)

जीएसटीआर-9सी में घोषित असंगत कर भुगतान

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	वृत्त/ इकाई का नाम	जीएसटीआईएन एवं करदाता	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-9सी की तालिका 9क्यू में घोषित आर9 में भुगतान किया गया	आर9 के अनुसार भुगतान किया गया	कर का कम भुगतान	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1	उप आयुक्त, राज्य कर, वृत्त-देवास	23#####E1ZK	डोडिया ऑटोमोबाइल्स	2019-20	3,49,59,681	3,49,42,583	17,098	एसएमटी-10 जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
		कुल			3,49,59,681	3,49,42,583	17,098		

परिशिष्ट 3.18

(कडिका 3.5.6.3.4 में संदर्भित)

जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-3बी या जीएसटीआर-9 के बीच देय कर का मिलान न होना

क्र. सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआ ईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-1 के अनुसार कर देयता	जीएसटीआर-9 के अनुसार कर देयता	जीएसटी आर-1 एवं जीएसटीआर-9 की कर देयता में अंतर	जीएसटी आर-1 के अनुसार कर देयता	जीएसटी आर-3बी के अनुसार कर देयता	जीएसटी आर-1 एवं जीएसटी आर-3बी की कर देयता में अंतर	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, इंदौर	23##### ###N1ZQ	अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड	2018-19	1,29,94,733	1,29,91,657	3,076				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
2	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, इंदौर	23##### ###N1ZQ	अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड	2019-20	0	0	0	1,46,61,174	1,46,59,439	1,735	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
3	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, इंदौर	23##### ###N1ZQ	अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड	2020-21	0	0	0	1,94,74,244	1,94,72,994	1,250	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
4	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त- देवास	23##### ###E1ZK	डोडिया ऑटोमोबाइल्स	2019-20	3,49,55,112	3,49,42,570	12,542				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
5	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, ग्वालियर	23##### ###M1ZF	करण डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	19,55,97,984	19,46,17,568	9,80,416				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
6	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, ग्वालियर	23##### ###M1ZF	करण डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	33,53,84,160	33,41,91,294	11,92,866				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
7	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, ग्वालियर	23##### ###Q1Z4	पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड	2018-19	64,75,45,860	64,75,40,534	5,326				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र. सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआ ईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-1 के अनुसार कर देयता	जीएसटीआर-9 के अनुसार कर देयता	जीएसटी आर-1 एवं जीएसटीआर-9 की कर देयता में अंतर	जीएसटी आर-1 के अनुसार कर देयता	जीएसटी आर-3बी के अनुसार कर देयता	जीएसटी आर-1 एवं जीएसटी आर-3बी की कर देयता में अंतर	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
8	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, ग्वालियर	23##### ###Q1Z4	पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड	2019-20	54,43,53,470	54,43,22,414	31,056				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
9	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, ग्वालियर	23##### ###Q1Z4	पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड	2020-21	48,87,49,728	48,87,49,315	413				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
10	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23##### ###A1ZG	शिल्पा एजेंसीज	2018-19	2,32,92,544	2,19,85,731	13,06,813				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
11	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23##### ###A1ZG	शिल्पा एजेंसीज	2019-20	1,98,16,880	1,88,71,952	9,44,928				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
12	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23##### ###A1ZG	शिल्पा एजेंसीज	2020-21	91,47,798	86,54,774	4,93,024				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
13	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23##### ###K1ZZ	एएलडी ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	0	0	0	1,64,19,436	1,55,42,376	8,77,060	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
14	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-12, इंदौर	23##### ###C1ZX	टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड	2019-20	4,63,88,748	4,63,80,736	8,012				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
15	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-12, इंदौर	23##### ###A1ZR	जील ट्रेडलिंक्स प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	34,82,99,296	29,45,56,968	5,37,42,328				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र. सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआ ईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-1 के अनुसार कर देयता	जीएसटीआर-9 के अनुसार कर देयता	जीएसटी आर-1 एवं जीएसटीआर-9 की कर देयता में अंतर	जीएसटी आर-1 के अनुसार कर देयता	जीएसटी आर-3बी के अनुसार कर देयता	जीएसटी आर-1 एवं जीएसटी आर-3बी की कर देयता में अंतर	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
16	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-12, इंदौर	23##### ###R1ZR	सेंचुरी 21 टाउन प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	5,32,06,044	5,30,70,492	1,35,552				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
17	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-10, इंदौर	23##### ###L1Z8	इंदौर नगर निगम	2018-19	1,06,44,446	1,02,14,471	4,29,975				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
18	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-5, भोपाल	23##### ###L1Z0	ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड	2018-19	5,55,18,024	5,55,16,956	1,068				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
19	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-5, भोपाल	23##### ###L1Z0	ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड	2019-20	5,15,03,192	5,14,98,600	4,592				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
20	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-5, भोपाल	23##### ###L1Z0	ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड	2020-21	4,81,70,720	4,81,27,821	42,899				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
21	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-5, भोपाल	23##### ###L1ZI	आईटीसी लिमिटेड	2019-20	12,03,37,12,100	12,03,32,46,213	4,65,887				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
22	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-पीथमपुर	23##### ###K3ZL	ल्यूपिन लिमिटेड सेज यूनिट	2019-20	32,31,823	31,97,245	34,578				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
23	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-2, इंदौर	23##### ###N1ZU	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2018-19	18,97,31,776	18,92,70,549	4,61,227				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र. सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआ ईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-1 के अनुसार कर देयता	जीएसटीआर-9 के अनुसार कर देयता	जीएसटी आर-1 एवं जीएसटीआर-9 की कर देयता में अंतर	जीएसटी आर-1 के अनुसार कर देयता	जीएसटी आर-3बी के अनुसार कर देयता	जीएसटी आर-1 एवं जीएसटी आर-3बी की कर देयता में अंतर	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
24	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-2, इंदौर	23##### ###N1ZU	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2019-20	15,20,15,088	15,20,09,026	6,062				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
25	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-14, इंदौर	23##### ###B1ZW	फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड	2018-19	6,22,94,404	6,22,23,609	70,795				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
26	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-14, इंदौर	23##### ###B1ZW	फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड	2019-20	5,93,14,204	5,92,87,442	26,762				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
27	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-14, इंदौर	23##### ###B1ZW	फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड	2020-21	1,80,69,438	1,80,62,148	7,290				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
28	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-14, इंदौर	23##### ###K1ZX	मेसर्स भारतीय स्टेट बैंक (कमर्शियल ब्रांच)	2018-19	1,42,40,21,760	1,41,19,08,827	1,21,12,933				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
29	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-14, इंदौर	23##### ###K1ZX	मेसर्स भारतीय स्टेट बैंक (कमर्शियल ब्रांच)	2019-20	1,53,27,62,620	1,51,45,25,031	1,82,37,589				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
30	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-14, इंदौर	23##### ###K1ZX	मेसर्स भारतीय स्टेट बैंक (कमर्शियल ब्रांच)	2020-21	1,42,91,89,120	1,42,22,74,899	69,14,221				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
31	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-14, इंदौर	23##### ###N1ZP	बी रोशनलाल केमिकल्स	2019-20	4,58,68,680	4,58,20,903	47,777				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र. सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआ ईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-1 के अनुसार कर देयता	जीएसटीआर-9 के अनुसार कर देयता	जीएसटी आर-1 एवं जीएसटीआर-9 की कर देयता में अंतर	जीएसटी आर-1 के अनुसार कर देयता	जीएसटी आर-3बी के अनुसार कर देयता	जीएसटी आर-1 एवं जीएसटी आर-3बी की कर देयता में अंतर	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
32	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, जबलपुर	23##### ###A1ZZ	म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड	2019-20	47,44,56,064	47,26,74,410	17,81,654				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
33	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, जबलपुर	23##### ###E2ZM	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.	2019-20	25,23,60,160	24,93,94,775	29,65,385				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
34	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-वैढन	23##### ###D1Z6	बीईएमएल लिमिटेड	2020-21	33,22,08,256	32,51,13,928	70,94,328				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
35	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-6, भोपाल	23##### ###H1Z0	बंसल कंस्ट्रक्शन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	65,97,00,670	64,70,74,681	1,26,25,989				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
36	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-6, भोपाल	23##### ###H1Z0	बंसल कंस्ट्रक्शन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	65,78,61,950	65,17,14,614	61,47,336				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
37	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-6, भोपाल	23##### ###C1ZK	असीम जिंदल	2018-19	0	0	0	8,48,55,072	7,70,67,566	77,87,506	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
38	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-6, भोपाल	23##### ###C1ZK	असीम जिंदल	2020-21	2,03,09,140	1,91,05,778	12,03,362				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
39	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-6, भोपाल	23##### ###G1Z8	हाइवे इंजीनियरिंग कंसलटेंट	2019-20	11,49,09,472	11,46,01,265	3,08,207				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र. सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआ ईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-1 के अनुसार कर देयता	जीएसटीआर-9 के अनुसार कर देयता	जीएसटी आर-1 एवं जीएसटीआर-9 की कर देयता में अंतर	जीएसटी आर-1 के अनुसार कर देयता	जीएसटी आर-3बी के अनुसार कर देयता	जीएसटी आर-1 एवं जीएसटी आर-3बी की कर देयता में अंतर	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
40	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-13, इंदौर	23##### ###K1ZL	सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2018-19	2,54,24,26,110	2,45,36,82,895	8,87,43,215				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
41	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-13, इंदौर	23##### ###K1ZL	सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2019-20	2,90,12,12,670	2,84,80,68,122	5,31,44,548				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
42	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-13, इंदौर	23##### ###K1ZL	सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2020-21	2,58,48,13,060	2,57,85,76,759	62,36,301				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
43	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-13, इंदौर	23##### ###C1ZQ	पारीक पेस्टिसाइड्स	2018-19	3,02,46,292	3,01,56,637	89,655				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
44	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-13, इंदौर	23##### ###C1ZQ	पारीक पेस्टिसाइड्स	2019-20	1,16,33,893	1,15,77,014	56,879				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
45	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-4, भोपाल	23##### ###G1ZR	रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड.	2018-19	2,29,07,43,550	2,29,05,79,231	1,64,319				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
46	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-4, भोपाल	23##### ###G1ZR	रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड.	2019-20	6,16,78,68,400	5,85,71,40,840	31,07,27,560				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
47	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-4, भोपाल	23##### ###G1ZR	रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड.	2020-21	7,66,69,23,500	7,66,69,09,055	14,445				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र. सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआ ईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-1 के अनुसार कर देयता	जीएसटीआर-9 के अनुसार कर देयता	जीएसटी आर-1 एवं जीएसटीआर-9 की कर देयता में अंतर	जीएसटी आर-1 के अनुसार कर देयता	जीएसटी आर-3बी के अनुसार कर देयता	जीएसटी आर-1 एवं जीएसटी आर-3बी की कर देयता में अंतर	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
48	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-होशंगाबाद	23##### ###J3ZE	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड.	2019-20	81,89,89,060	81,89,52,899	36,161				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
49	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-होशंगाबाद	23##### ###K1ZS	मेसर्स पुण्यशीला ऑटोमोबाइल्स	2018-19	0	0	0	10,20,89,64 0	10,19,12,06 2	1,77,578	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
50	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-मंडीदीप	23##### ###K1ZH	हेग लिमिटेड	2018-19	3,35,92,79,870	3,35,45,99,952	46,79,918				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
51	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-2, छिंदवाड़ा	23##### ###A2ZK	रेमंड लिमिटेड	2020-21	28,77,02,016	28,72,01,991	5,00,025				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
52	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त -7, इंदौर	23##### ###B1ZA	इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड	2018-19	21,96,08,288	21,96,00,885	7,403				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
53	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त -7, इंदौर	23##### ###B1ZA	इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड	2019-20	29,87,23,488	29,84,34,023	2,89,465				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
54	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-सीहोर	23##### ###F1ZC	वृमल गुलवानी	2020-21	62,32,708	62,20,384	12,324				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
55	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-अशोकनगर	23##### ###G1ZW	विजय स्वरूप आनंद	2020-21	97,50,100	96,55,546	94,554				कोई कर देयता नहीं है	साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए

क्र. सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआ ईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-1 के अनुसार कर देयता	जीएसटीआर-9 के अनुसार कर देयता	जीएसटी आर-1 एवं जीएसटीआर-9 की कर देयता में अंतर	जीएसटी आर-1 के अनुसार कर देयता	जीएसटी आर-3बी के अनुसार कर देयता	जीएसटी आर-1 एवं जीएसटी आर-3बी की कर देयता में अंतर	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
56	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-धर	23##### ###L1Z2	जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स लिमिटेड	2018-19	25,66,85,728	25,63,85,508	3,00,220				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
57	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-धर	23##### ###L1Z2	जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स लिमिटेड	2019-20	98,56,13,760	98,56,07,621	6,139				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
58	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23##### ###L2ZD	मध्य प्रदेश शहरी विकास कंपनी लिमिटेड	2018-19	13,93,170	11,21,542	2,71,628				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
59	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23##### ###L2ZD	मध्य प्रदेश शहरी विकास कंपनी लिमिटेड	2019-20	3,95,587	3,94,367	1,220				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
60	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23##### ###L2ZD	मध्य प्रदेश शहरी विकास कंपनी लिमिटेड	2020-21	8,98,065	2,41,088	6,56,977				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
61	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23##### ###C1ZR	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2018-19	56,23,55,970	56,23,28,400	27,570				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
62	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23##### ###N1ZE	भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2018-19	8,26,056	8,24,910	1,146				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
63	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23##### ###N1ZE	भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	72,79,567	71,36,740	1,42,827				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र. सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआ ईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-1 के अनुसार कर देयता	जीएसटीआर-9 के अनुसार कर देयता	जीएसटी आर-1 एवं जीएसटीआर-9 की कर देयता में अंतर	जीएसटी आर-1 के अनुसार कर देयता	जीएसटी आर-3बी के अनुसार कर देयता	जीएसटी आर-1 एवं जीएसटी आर-3बी की कर देयता में अंतर	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
64	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23##### ###A1Z1	टाटा टेली सर्विस लिमिटेड	2018-19	19,18,91,856	18,95,98,530	22,93,326				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
65	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23##### ###A1Z1	टाटा टेली सर्विस लिमिटेड	2020-21	4,78,78,944	4,75,06,077	3,72,867				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
66	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23##### ###P1ZN	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	2018-19	5,80,95,42,700	5,80,59,03,950	36,38,750				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
67	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23##### ###P1ZN	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	2020-21	3,34,81,34,140	3,33,08,88,260	1,72,45,880				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
68	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23##### ###F1ZS	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	6,17,91,416	6,06,63,776	11,27,640				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
69	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23##### ###C1ZH	मध्य प्रदेश राज्य पाठ्य पुस्तक निगम	2018-19	15,38,588	5,28,130	10,10,458				नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
			कुल		62,85,99,64,016	62,23,82,24,328	62,17,39,688	23,74,99,566	22,86,54,437	88,45,129		

परिशिष्ट 3.19

(कंडिका 3.6.3.4 में संदर्भित)

जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-9 में दर्शाई गई कर देयता की तुलना में, जीएसटीआर-9 में किए गए कर भुगतान के सापेक्ष अधिक कर देयता के आधार पर अदा नहीं की गयी कर देयता (राशि ₹ में)

क्र.सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआर-9	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-9 कर देयता	जीएसटीआर-1 कर देयता	जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 के मध्य अधिक कर देयता	कर भुगतान जीएसटीआर-9	कर का कम भुगतान	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
1	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, इंदौर	23##### ##R2ZW	सिम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेडcheck	2018-19	19,15,45,933	19,13,81,792	19,15,45,933	19,13,81,792	1,64,141	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
2	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, इंदौर	23##### ##N1ZQ	अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड	2019-20	1,46,61,173	1,46,61,174	1,46,61,174	1,46,59,439	1,735	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
3	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, इंदौर	23##### ##N1ZQ	अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड	2020-21	1,94,74,242	1,94,74,244	1,94,74,244	1,94,72,777	1,467	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
4	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-8, इंदौर	23##### ##N1Z3	श्रेयांस गैंग	2018-19	99,00,456	98,99,861	99,00,456	98,98,881	1,575	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
5	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-8, इंदौर	23##### ##N1Z3	श्रेयांस गैंग	2020-21	2,09,14,168	2,09,03,386	2,09,14,168	2,09,03,387	10,781	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
6	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-देवास	23##### ##E1ZK	डोडिया ऑटोमोबाइल्स	2019-20	3,49,42,570	3,49,55,112	3,49,55,112	3,48,71,882	83,230	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
7	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, ग्वालियर	23##### ##M1ZF	करण डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	10,55,82,928	8,30,74,200	10,55,82,928	8,30,74,200	2,25,08,728	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
8	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, ग्वालियर	23##### ##M1ZF	करण डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	19,46,17,568	19,55,97,984	19,55,97,984	19,46,17,576	9,80,408	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
9	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, ग्वालियर	23##### ##M1ZF	करण डेवलपमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	33,41,91,277	33,53,84,160	33,53,84,160	33,41,91,281	11,92,879	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
10	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, ग्वालियर	23##### ##Q1Z4	पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड.	2019-20	54,43,22,414	54,43,53,470	54,43,53,470	54,31,37,701	12,15,769	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र.सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआ ईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-9 कर देयता	जीएसटीआर-1 कर देयता	जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 के मध्य अधिक कर देयता	कर भुगतान जीएसटीआर-9	कर का कम भुगतान	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
11	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-2, ग्वालियर	23##### ##C1ZD	समर्थ कार्स प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	19,85,83,788	18,14,38,400	19,85,83,788	18,54,76,087	1,31,07,701	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
12	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), सर्किल-2, ग्वालियर	23##### ##C1ZD	समर्थ कार्स प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	30,74,54,001	26,64,86,848	30,74,54,001	26,06,29,369	4,68,24,632	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
13	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-9, इंदौर	23##### ##B1ZC	कैरियर एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजेशन लिमिटेड	2020-21	3,44,98,039	3,44,95,676	3,44,98,039	3,44,95,672	2,367	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
14	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23##### ##A1ZG	शिल्पा एजेंसीज	2018-19	2,19,85,731	2,32,92,544	2,32,92,544	2,22,26,005	10,66,539	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
15	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23##### ##A1ZG	शिल्पा एजेंसीज	2019-20	1,88,71,952	1,98,16,880	1,98,16,880	1,86,46,211	11,70,669	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
16	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23##### ##A1ZG	शिल्पा एजेंसीज	2020-21	86,54,774	91,47,798	91,47,798	89,80,433	1,67,365	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
17	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-11, इंदौर	23##### ##K1ZZ	एएलडी ऑटोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	1,67,96,064	1,64,19,436	1,67,96,064	1,55,42,376	12,53,688	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
18	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी) वृत्त-12, इंदौर	23##### ##C1ZX	टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड.	2018-19	5,53,81,884	4,92,89,096	5,53,81,884	5,40,31,056	13,50,828	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
19	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी) वृत्त-12, इंदौर	23##### ##C1ZX	टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड.	2019-20	4,63,80,736	4,63,88,748	4,63,88,748	4,63,80,552	8,196	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
20	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-10, इंदौर	23##### ##L1Z8	इंदौर नगर निगम	2018-19	1,02,14,471	1,06,44,446	1,06,44,446	1,01,46,913	4,97,533	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
21	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-5, भोपाल	23##### ##L1Z0	ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड	2018-19	5,55,16,956	5,55,18,024	5,55,18,024	5,55,16,955	1,069	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
22	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-5, भोपाल	23##### ##L1Z0	ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड	2019-20	5,14,98,600	5,15,03,192	5,15,03,192	5,14,98,330	4,862	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र.सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआ ईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-9 कर देयता	जीएसटीआर-1 कर देयता	जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 के मध्य अधिक कर देयता	कर भुगतान जीएसटीआर-9	कर का कम भुगतान	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
23	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-5, भोपाल	23##### ##L1ZI	आईटीसी लिमिटेड	2018-19	10,55,94,30,175	10,55,92,20,700	10,55,94,30,175	10,55,74,28,366	20,01,809	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
24	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-5, भोपाल	23##### ##L1ZI	आईटीसी लिमिटेड	2019-20	12,03,32,46,213	12,03,37,12,100	12,03,37,12,100	12,03,37,11,564	536	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
25	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-5, भोपाल	23##### ##L1ZI	आईटीसी लिमिटेड	2020-21	14,76,11,21,901	14,76,06,11,800	14,76,11,21,901	14,76,06,11,292	5,10,609	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
26	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी) वृत्त-पीथमपुर	23##### ##K3ZL	ल्यूपिन लिमिटेड एसईजेड यूनिट	2020-21	1,15,62,349	16,37,373	1,15,62,349	19,49,508	96,12,841	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
27	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-2, इंदौर	23##### ##E1Z7	महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड	2018-19	4,70,12,64,989	4,69,95,77,900	4,70,12,64,989	4,69,89,31,381	23,33,608	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
28	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-2, इंदौर	23##### ##E1Z7	महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड	2019-20	4,78,34,41,753	4,78,28,82,800	4,78,34,41,753	4,78,31,82,592	2,59,161	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
29	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-2, इंदौर	23##### ##N1ZU	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2018-19	18,92,70,549	18,97,31,776	18,97,31,776	18,94,73,637	2,58,139	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
30	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-14, इंदौर	23##### ##B1ZW	फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड	2018-19	6,22,23,609	6,22,94,404	6,22,94,404	6,22,35,198	59,206	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
31	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-14, इंदौर	23##### ##B1ZW	फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड	2019-20	5,92,87,442	5,93,14,204	5,93,14,204	5,91,06,593	2,07,611	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
32	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-14, इंदौर	23##### ##K1ZX	मेसर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कमर्शियल ब्रांच)	2018-19	1,41,19,08,827	1,42,40,21,760	1,42,40,21,760	1,39,68,11,699	2,72,10,061	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
33	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-14, इंदौर	23##### ##K1ZX	मेसर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कमर्शियल ब्रांच)	2019-20	1,51,45,25,104	1,53,27,62,620	1,53,27,62,620	1,51,19,49,373	2,08,13,247	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
34	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-14, इंदौर	23##### ##K1ZX	मेसर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (कमर्शियल ब्रांच)	2020-21	1,42,22,74,826	1,42,91,89,120	1,42,91,89,120	1,42,14,62,366	77,26,754	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र.सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआ ईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-9 कर देयता	जीएसटीआर-1 कर देयता	जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 के मध्य अधिक कर देयता	कर भुगतान जीएसटीआर-9	कर का कम भुगतान	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
35	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, जबलपुर	23##### ##A1ZZ	मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड	2020-21	39,38,51,410	35,86,16,000	39,38,51,410	36,64,64,321	2,73,87,089	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
36	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, जबलपुर	23##### ##E2ZM	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2018-19	20,40,76,043	20,34,88,288	20,40,76,043	20,11,36,638	29,39,405	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
37	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, जबलपुर	23##### ##E2ZM	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	2019-20	24,93,94,775	25,23,60,160	25,23,60,160	25,17,27,663	6,32,497	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
38	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-वैढन	23##### ##A1ZR	मिनसोल लिमिटेड	2018-19	13,62,58,806	12,83,01,032	13,62,58,806	13,21,28,654	41,30,152	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
39	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-वैढन	23##### ##A1ZR	मिनसोल लिमिटेड	2020-21	17,31,76,482	17,31,76,496	17,31,76,496	14,59,27,918	2,72,48,578	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
40	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी) वृत्त-6, भोपाल	23##### ##H1Z0	बंसल कंस्ट्रक्शन वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	64,70,74,681	65,97,00,670	65,97,00,670	61,45,29,752	4,51,70,918	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
41	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी) वृत्त-6, भोपाल	23##### ##C1ZK	असीम जिंदल	2018-19	8,54,03,617	8,48,55,072	8,54,03,617	7,70,67,566	83,36,051	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
42	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी) वृत्त-6, भोपाल	23##### ##P6ZM	लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड	2018-19	7,74,65,90,501	7,50,93,95,500	7,74,65,90,501	7,39,30,75,110	35,35,15,391	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
43	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी) वृत्त-6, भोपाल	23##### ##P6ZM	लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड	2020-21	5,91,83,96,555	5,91,78,14,300	5,91,83,96,555	5,91,75,21,531	8,75,024	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
44	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी) वृत्त-6, भोपाल	23##### ##G1Z8	हाइवे इंजीनियरिंग कंसल्टेंट	2018-19	12,22,89,957	11,09,71,104	12,22,89,957	10,42,51,415	1,80,38,542	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
45	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी) वृत्त-6, भोपाल	23##### ##G1Z8	हाइवे इंजीनियरिंग कंसल्टेंट	2019-20	11,46,01,265	11,49,09,472	11,49,09,472	10,67,59,605	81,49,867	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
46	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी) वृत्त-6, भोपाल	23##### ##G1Z8	हाइवे इंजीनियरिंग कंसल्टेंट	2020-21	10,31,53,800	7,78,50,384	10,31,53,800	9,10,14,820	1,21,38,980	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
47	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-13, इंदौर	23##### ##K1ZL	सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2018-19	2,45,36,82,895	2,54,24,26,110	2,54,24,26,110	2,46,01,97,174	8,22,28,936	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र.सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआ ईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-9 कर देयता	जीएसटीआर-1 कर देयता	जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 के मध्य अधिक कर देयता	कर भुगतान जीएसटीआर-9	कर का कम भुगतान	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
48	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-13, इंदौर	23##### ##K1ZL	सन फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2019-20	2,84,80,68,122	2,90,12,12,670	2,90,12,12,670	21,10,49,291	2,69,01,63,379	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
49	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी) वृत्त-3, इंदौर	23##### ##J1ZA	रैमको इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2019-20	44,05,79,424	6,95,70,568	44,05,79,424	6,91,20,578	37,14,58,846	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
50	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी) वृत्त-3, इंदौर	23##### ##Q1ZG	स्पॉटन लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	2018-19	1,81,72,273	1,81,64,876	1,81,72,273	1,81,65,079	7,194	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
51	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-4, भोपाल	23##### ##B1ZC	मेसर्स जियो डिजिटल फाइबर प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	2,55,49,22,565	2,42,53,49,890	2,55,49,22,565	2,42,20,85,589	13,28,36,976	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
52	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-4, भोपाल	23##### ##G1ZR	रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड	2019-20	5,85,71,40,840	6,16,78,68,400	6,16,78,68,400	5,84,63,37,275	32,15,31,125	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
53	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-4, भोपाल	23##### ##G1ZR	रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड	2020-21	7,66,69,09,055	7,66,69,23,500	7,66,69,23,500	7,66,69,09,055	14,445	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
54	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-होशंगाबाद	23##### ##J3ZE	सिक्वोरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड.	2019-20	81,89,52,899	81,89,89,060	81,89,89,060	78,95,35,416	2,94,53,644	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
55	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-होशंगाबाद	23##### ##K1ZS	मेसर्स पुण्यशीला ऑटोमोबाइल्स	2018-19	10,24,34,712	10,20,89,640	10,24,34,712	10,19,12,059	5,22,653	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
56	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-मंडीदीप	23##### ##K1ZH	हेग लिमिटेड	2018-19	3,35,45,99,952	3,35,92,79,870	3,35,92,79,870	3,35,52,20,031	40,59,839	उठाई गई ऑडिट इंकवायरी तब तक संभारणीय नहीं है, जब तक ऑडिट इंकवायरी नोट के माध्यम से प्रदत्त डेटा का BOWEB पोर्टल	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र.सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-9 कर देयता	जीएसटीआर-1 कर देयता	जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 के मध्य अधिक कर देयता	कर भुगतान जीएसटीआर-9	कर का कम भुगतान	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
										पर सत्यापन नहीं हो जाता।	
57	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-मंडीदीप	23##### ##K1ZH	हेग लिमिटेड	2020-21	81,66,27,174	82,44,13,440	82,44,13,440	81,63,66,434	80,47,006	उठाई गई ऑडिट इंकवायरी तब तक संभारणीय नहीं है, जब तक ऑडिट इंकवायरी नोट के माध्यम से प्रदत्त डेटा का BOWEB पोर्टल पर सत्यापन नहीं हो जाता।	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
58	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-2, छिंदवाड़ा	23##### ##A2ZK	रेमंड लिमिटेड	2018-19	58,73,45,028	58,45,69,280	58,73,45,028	56,08,28,957	2,65,16,071	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
59	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-2, छिंदवाड़ा	23##### ##A2ZK	रेमंड लिमिटेड	2019-20	61,63,98,924	61,60,37,950	61,63,98,924	61,15,95,599	48,03,325	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
60	उप आयुक्त, राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-2, छिंदवाड़ा	23##### ##A2ZK	रेमंड लिमिटेड	2020-21	28,72,01,968	28,77,02,016	28,77,02,016	28,76,88,671	13,345	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
61	स. आ., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त-7, इंदौर	23##### ##J1ZQ	अमेज़न सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	2019-20	4,20,89,635	4,21,23,884	4,21,23,884	4,20,89,609	34,275	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
62	स. आ., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त-7, इंदौर	23##### ##J1ZQ	अमेज़न सेलर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	2020-21	6,84,21,446	6,82,94,640	6,84,21,446	6,83,95,296	26,150	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
63	स. आ., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त-7, इंदौर	23##### ##B1ZA	इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड	2019-20	29,84,34,023	29,87,23,488	29,87,23,488	29,84,19,817	3,03,671	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
64	स. आ., राज्य कर (जीएसटी) वृत्त- सीहोर	23##### ##F1ZC	वृमाल गुलवानी	2018-19	14,62,30,400	36,16,853	14,62,30,400	36,16,396	14,26,14,004	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र.सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआ ईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-9 कर देयता	जीएसटीआर-1 कर देयता	जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 के मध्य अधिक कर देयता	कर भुगतान जीएसटीआर-9	कर का कम भुगतान	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
65	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त- शाजापुर	23##### ##A1Z7	प्राथमिक कृषि साख संस्था मर्यादित मगरोला	2019-20	2,38,013	2,27,840	2,38,013	2,36,620	1,393	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
66	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त- धार	23##### ##L1Z2	जेएसडब्ल्यू स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स लिमिटेड	2020-21	2,50,20,03,374	2,50,19,61,220	2,50,20,03,374	2,50,18,80,532	1,22,842	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
67	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23##### ##L2ZD	मध्य प्रदेश शहरी विकास कंपनी लिमिटेड	2020-21	2,41,088	8,98,065	8,98,065	-25,88,400	34,86,465	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
68	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23##### ##C1ZR	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2019-20	51,39,62,338	51,28,67,296	51,39,62,338	51,21,85,584	17,76,754	कारण की सूचना यथासमय प्रदान की जाएगी।	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
69	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23##### ##C1ZR	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2020-21	44,36,90,168	44,30,06,144	44,36,90,168	44,36,87,912	2,256	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
70	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23##### ##N1ZE	भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	50,35,862	15,57,389	50,35,862	14,29,446	36,06,416	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
71	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23##### ##N1ZE	भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21	71,36,740	72,79,567	72,79,567	68,03,205	4,76,362	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
72	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23##### ##A1Z1	टाटा टेली सर्विस लिमिटेड	2018-19	18,95,98,530	19,18,91,856	19,18,91,856	19,03,67,552	15,24,304	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
73	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23##### ##A1Z1	टाटा टेली सर्विस लिमिटेड	2020-21	4,75,06,077	4,78,78,944	4,78,78,944	4,75,06,087	3,72,857	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
74	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23##### ##P1ZN	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	2018-19	5,80,59,03,950	5,80,95,42,700	5,80,95,42,700	5,80,63,33,570	32,09,130	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।

क्र.सं.	वृत्त का नाम	जीएसटीआ ईएन	करदाता का नाम	वर्ष	जीएसटीआर-9 कर देयता	जीएसटीआर-1 कर देयता	जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-9 के मध्य अधिक कर देयता	कर भुगतान जीएसटीआर-9	कर का कम भुगतान	शासन का उत्तर	लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ
75	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23##### ##P1ZN	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	2019-20	3,96,89,22,262	3,94,98,94,660	3,96,89,22,262	3,96,87,65,799	1,56,463	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
76	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23##### ##P1ZN	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	2020-21	3,33,08,88,260	3,34,81,34,140	3,34,81,34,140	3,33,08,88,402	1,72,45,738	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
77	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23##### ##F1ZS	इंडियन रेलवे कैंटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019-20	6,06,63,776	6,17,91,416	6,17,91,416	6,05,34,540	12,56,876	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
78	स. आ., राज्य कर (जीएसटी), वृत्त-1, भोपाल	23##### ##C1ZH	मध्य प्रदेश राज्य पाठ्य पुस्तक निगम	2020-21	2,55,780	90,630	2,55,780	97,350	1,58,430	नोटिस जारी किया गया है	आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी।
कुल					1,15,55,40,72,907	1,15,01,48,99,508	1,16,10,51,01,370	1,11,58,58,97,962	4,51,92,03,408		

संक्षिप्त रूपों की शब्दावली

संक्षिप्त रूपों की शब्दावली

ईबी	एंटी इवेजन ब्यूरो
सीबीआईसी	केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
सीजीएसटी	केंद्रीय जीएसटी
सीएसटी	राज्य कर आयुक्त
डीजीएआरएम	विश्लेषिकी और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय
ईडब्ल्यूबी	ई-वे बिल
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
जीएसटीएन	वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क
जीटीए	सेवाएं वस्तु परिवहन एजेंसी
आईजीएसटी	एकीकृत जीएसटी
आईटीसी	इनपुट टैक्स क्रेडिट
केपीए	प्रमुख समस्या क्षेत्र
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र
एसजीएसटी	राज्य वस्तु एवं सेवा कर
एसजीएसटी नियम	राज्य वस्तु एवं सेवा कर नियम
एसओपी	मानक प्रचालन प्रक्रियाओं
एसएससीए	विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा
यूआरपी	अपंजीकृत व्यक्तियों
यूटीजीएसटी	केंद्र शासित प्रदेश जीएसटी

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ag2/madhya-pradesh/hi/audit-report>

